छत्तीसगढ़ विधान सभा

की

अशोधित कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

पंचम विधान सभा **चतुर्थ सत्र**

सोमवार, दिनांक 02 दिसम्बर, 2019

(अग्रहायण 11, शक सम्वत् 1941)

[अंक 06]

कार्यालय प्रति

छत्तीसगढ़ विधान सभा

सोमवार, दिनांक 02 दिसम्बर, 2019

(अग्रहायण 11, शक संवत् 1941)

विधान सभा पूर्वाह्न 11.00 बजे समवेत हुई.

(अध्यक्ष महोदय (डॉ. चरणदास महंत) पीठासीन हुए)

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

तारांकित प्रश्नों के मौखिक उत्तर

खुज्जी विधान सभा क्षेत्र में संचालित क्रेशर प्लांट

1. (*क्र. 1045) श्रीमती छन्नी चंदू साहू : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) राजनांदगांव जिले के खुज्जी विधानसभा क्षेत्र में कितने क्रेशर प्लांट संचालित हैं एवं इसे चलाने हेतु अनुमति कब-कब दी गई ? क्या इसको चलाने हेतु पर्यावरण विभाग से अनुमति ली गई ? यदि हां, तो कब-कब ली गई एवं नहीं तो क्यों ? (ख) उक्त क्रेशर प्लांट की जमीन स्वयं की है या इसे लीज में लिया गया है? एवं समायावधि क्या है ? कृपया प्लांटवार जानकारी उपलब्ध करावें ?

मुख्यमंत्री (श्री भूपेश बघेल) : (क) राजनांदगांव जिले के खुज्जी विधानसभा अंतर्गत 02 क्रेशर प्लांट संचालित है. जानकारी †[1] संलग्न परिशिष्ट पर दर्शित है. (ख) उक्त क्रेशर प्लांट की भूमि का प्रकार एवं लीज की समयावधि की प्लांटवार जानकारी † संलग्न परिशिष्ट के क्रमशः कॉलम '5' एवं '6' पर दर्शित है.

श्रीमती छन्नी चंदू साहू :- माननीय अध्यक्ष, मैंने जो जानकारी मांगी थी, वह जानकारी मिल गई है। परन्तु मेरे विधान सभा क्षेत्र अम्बागढ़ चौकी से लगे हुए नीचे कोहड़ा ग्राम है, जिसमें अवैधानिक तरीके से भा0ज0पा0 नेता के द्वारा क्रेशर मशीन बैठाकर शासन को राजस्व की हानि पहुंचाया जा रहा था। बिना परमिशन लिए कई साल पहले से प्लाण्ट लगाया गया था। प्लाण्ट वाले के ऊपर तो एफ0आई0आर0 दर्ज कर कार्रवाई की गई है। परन्तु मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करना चाहती हूँ कि जिम्मेदार अधिकारी के ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए।

श्री भूपेश बघेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्या ने पहले ही स्वीकार किया है कि उनके विधान सभा क्षेत्र से संबंधित प्रश्न पूछा गया था, उसका उत्तर आ गया है। उनके विधान सभा क्षेत्र से लगे हुए नीचे ग्राम कोहड़ा अम्बागढ़ चौकी में क्रेशर प्लाण्ट लगा था और उसके खिलाफ कार्रवाई की

---

†[1] परिशिष्ट "एक"

गई है। उस पर 27 लाख 67 हजार 800 रूपये क फाईन किया गया है। यदि कोई अधिकारी दोषी पाया जाता है तो निश्चित रूप से उसके खिलाफ कार्रवाई होगी।

<u>कांकेर जिले में संचालित लौह अयस्क की खदानें</u>

2. (*क्र. 505) श्री शिशुपाल सोरी : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) कांकेर जिले में किन-किन स्थानों पर लौह अयस्क की खदान कब से संचालित हैं ? क्या संबंधित खदानों की स्वीकृति के संबंध में पर्यावरण विभाग एवं वन विभाग से अनुमति प्राप्त है ? जनवरी, 2015 से अब तक किन-किन लौह अयस्क खदान के संचालन के दौरान नियम विरूद्ध लौह उत्खनन तथा पर्यावरण, भूमि एवं जल प्रदूषण के संबंध में कितनी शिकायतें प्राप्त हुई है तथा प्राप्त शिकायतों पर क्या कार्यवाही की गई? (ख) प्रश्नांक "क" के अनुसार जिले में संचालित उक्त लौह अयस्क खदानों का शासन के साथ कितनी अवधि के लिये अनुबंध किया गया है ? तथा कितनी मात्रा में लौह अयस्क का दोहन किया गया है तथा जिले को कितने राजस्व राशि प्राप्त हुई वर्षवार खदानवार विवरण प्रदान करेंगे ?

मुख्यमंत्री (श्री भूपेश बघेल) : (क) जिला उत्तर बस्तर कांकेर अंतर्गत वर्तमान में खनिज लौह अयस्क की 05 खदानें संचालित हैं. जी हां. जनवरी, 2015 से अब तक उक्त लौह अयस्क खदानों के विरूद्ध शिकायतें एवं उन पर कार्यवाही की जानकारी ††[2] संलग्न प्रपत्र (अ) पर दर्शित है. (ख) जानकारी प्रपत्र (ब) पद दर्शित है.

श्री शिशुपाल सोरी :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने जो जानकारी मांगी थी, वह सारी जानकारी मिल गई है। मुझे सिर्फ दो बातें माननीय मुख्यमंत्री जी से जानना था। बारिश में खदानों से जो पानी बहता है, उससे किसानों के खेतों को नुकसान होता है। उस नुकसान के लिए थोड़ा-बहुत मुआवजा तो देते हैं, लेकिन उसके रोकथाम के लिए ई0टी0पी0 जैसा कुछ प्लान बनाने का भविष्य में प्रावधान है क्या ? हम पट्टाधारियों को मजबूर करें ताकि किसानों को कम से कम नुकसान हो।

श्री भूपेश बघेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, इस प्रकार की शिकायतें सर्वआदिवासी समाज भानुप्रतापपुर के द्वारा 24.09.2019 को किया गया था। जिसमें लौह अयस्क पट्टाधारियों द्वारा लाल पानी को रोकने, खनन क्षेत्र के चारों ओर घागलेनरेंट, चैकडेम, सेटलिंग टैंक निर्माण कर उपचार किया जाता है। जनवरी 2015 से लेकर 21 अक्टूबर, 2019 तक लाल पानी से प्रभावित किसानों को फसल क्षतिपूर्ति मुआवजा के रूप में अब तक 05 लाख 37 हजार रूपये की राशि लौह अयस्क पट्टाधारियों द्वारा दिया गया है। इस प्रकार से जहां शिकायतें मिल रहीं हैं और जांच में पाया जा रहा हे, तो उसके

---

††[2] परिशिष्ट "दो"

असंशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

लिए मुआवजे की व्यवस्था है। माननीय सदस्य के पास और अतिरिक्त कोई जानकारी हो कि लाल पानी के कारण किसी किसान की फसल क्षति हुई हो, तो निश्चित रूप से उनको क्षतिपूर्ति दी जायेगी।

श्री शिशुपाल सोरी :- माननीय अध्यक्ष महोदय, स्थानीय स्तर पर रोजगार भी देने की बात होती है। उसी बात को लेकर लोगों में कभी-कभी असंतोष होता है। तो वहां पर स्थानीय स्तर पर कितने लोगों को पट्टेधारियों द्वारा रोजगार उपलब्ध करा दिया गया है, यह जानकारी मिल जाये ?

श्री भूपेश बघेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, वैसे इस प्रश्न से उद्भुत नहीं होता है। लेकिन हम माननीय सदस्य की भावना का सम्मान करते हैं। स्थानीय लोगों को ज्यादा से ज्यादा रोजगार मिले, यह सुनिश्चित किया जायेगा।

<u>नाम प्रकरणों की पी.आई.एल. में शासन द्वारा वकीलों की नियुक्ति</u>

3. (*क्र. 552) डॉ. रमन सिंह : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) उच्च न्यायालय में दायर नान प्रकरण की पी.आई.एल. में शासन द्वारा किन-किन निजी वकीलों को नियुक्त किया गया है ? (ख) क्या इस हेतु शासन द्वारा शासकीय विमान का उपयोग किया गया ? (ग) यदि हां, तो उक्त पर कितना व्यय आया ? (घ) उनके द्वारा कब-कब किस दिनांक को न्यायालय में जिरह की गई ? (ङ) इस हेतु उनको दी गई या दी जाने वाले फीस तथा फीस के साथ उनके एवं कार्यालय में सहयोगियों के वकील के आने जाने के साथ-साथ कान्फ्रेसिंग के लिये किया गया भुगतान की सम्पूर्ण जानकारी उपलब्ध करावें ?

मुख्यमंत्री (श्री भूपेश बघेल) : (क) उच्च न्यायालय में दायर नान प्रकरण की पी.आई.एल. में शासन द्वारा निम्नलिखित निजी वकीलों को नियुक्त किया गया है :—

1. श्री अपूर्व कुरूप, नई दिल्ली
2. श्री सत्य पाल जैन, नई दिल्ली
3. श्री दयन कृष्णन, नई दिल्ली
4. श्री पी. चिदम्बरम, नई दिल्ली

(ख) जी हां, शासन द्वारा श्री पी. चिदम्बरम, वरिष्ठ अधिवक्ता के लिये शासकीय विमान का उपयोग किया गया. (ग) उक्त पर राशि रुपये 5,10,000/- व्यय हुआ. (घ) श्री अपूर्व कुरूप द्वारा दिनांक 31-08-2016, 21-09-2016,एवं 02-05-2017 को एवं श्री सत्य पाल जैन द्वारा दिनांक 21.09.2016, 02.11.2016 एवं 02.05.2017 एवं दयन कृष्णन द्वारा दिनांक 26.02.-2019, 12.03.2019, 14.03.2019 एवं 18.07.2019 को तथा श्री पी. चिदम्बरम द्वारा दिनांक 14-03-2019 एवं 18-07-2019 को माननीय न्यायालय में जिरह किया गया. (ङ) इस हेतु अधिवक्ता श्री अपूर्व कुरूप को फीस, कान्फ्रेसिंग एवं अन्य

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

व्यय हेतु राशि रुपये 4,90,719/- रुपये एवं वरिष्ठ अधिवक्ता श्री सत्य पाल जैन को कांउसिंल एवं कान्फ्रेंस हेतु राशि 24.20 लाख, यात्रा हेतु 1,34,518/- तथा होटल में ठहरने के लिए रूपये 26,082/- कुल राशि रूपये 25,80,600/- एवं वरष्ठि अधिवक्ता श्री दयन कृष्णन को अपियरेंस सेटलिंग/स्टेटस रिपोर्ट/रिप्लाई एवं कान्फ्रेंस हेतु कुल राशि 81 लाख तथा वरिष्ठ अधिवक्ता श्री पी0चिदम्बरम को सुनवाई एवं कान्फ्रेंस हेतु राशि रूपये 60,03,776/- का भुगतान किया गया है।

डॉ0 रमन सिंह :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा प्रश्न था कि माननीय उच्च न्यायालय में दायर नान प्रकरण की पी0आई0एल0 में शासन द्वारा किन-किन निजी वकील की नियुक्ति की गई है। मेरा प्रश्न निजी वकील के बारे में था और जानकारी आया है कि श्री हरीश एल. साल्वे, नई दिल्ली,श्री रविन्द्र श्रीवास्तव, नई दिल्ली,श्री अपूर्व कुरूप, नई दिल्ली, श्री दयन कृष्णन, नई दिल्ली एवं श्री पी. चिदम्बरम, नई दिल्ली हैं। इसमें पहले तो गलत जानकारी है कि अपूर्व कुरूप, ये निजी वकील की हैसियत से नहीं, गवर्नमेंट एडवोकेट की हैसियत से आये थे। यह जानकारी गलत है कि वे निजी वकील की हैसियत से आये थे। दूसरा, नान के प्रकरण में एस0आई0टी0 का औचित्य बताने के लिए क्या महाधिवक्ता कार्यालय अयोग्य था कि बाहर से वकील बुलाने की जरूरत पड़ी ? पिछड़ा वर्ग के आरक्षण को बचाने के लिए बाहर से कोई वकील नहीं बुलाया गया। एक भ्रष्ट अधिकारी को बचाने के लिए करोड़ों रूपये खर्च करके वकील बुलाया जा रहा है। मेरा इसी में प्रश्न है कि वरिष्ठ वकील दयन कृष्णन नान प्रकरण के पी.आई.एल. के अतिरिक्त उस दिन किसी अन्य प्रकरण में वकील के रूप में उपस्थित हुए । राज्य शासन की ओर से कितना अतिरिक्त भुगतान किया गया, क्या उनको दो अलग-अलग सुनवाई के लिए राज्य सरकार ने अलग-अलग भुगतान किया ? यह मेरा पहला प्रश्न है, इसके बाद में अगला प्रश्न करूंगा ।

अध्यक्ष महोदय :- ये बड़ा अच्छा संयोग है कि पूर्व मुख्यमंत्री पूछ रहे हैं और वर्तमान मुख्यमंत्री जवाब दे रहे हैं ।

श्री भूपेश बघेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, ये भी संयोग है कि जो पिछले पांच वर्ष सी.एम. सर, सी.एम. मैडम कौन है, यह पूछते रहे, लेकिन इसका उत्तर तो नहीं आया था । सी.एम. सर, सी.एम. मैडम कौन है, यह जानने के लिए एस.आई.टी. का गठन किया गया और दुर्भाग्य है कि अभी तक लोग जांच की मांग करते हैं, लेकिन हमारे नेता प्रतिपक्ष जी ने जांच रोकने के लिए पी.आई.एल. लगाया था । (शेम-शेम की आवाज) और उसमें बड़े-बड़े वकील आए, देश के नामी-गिरामी वकील यहां आए, चार्टर प्लेन में आए, लेकिन उनका हिसाब पूछा जाएगा तो वह तो बहुत ज्यादा है, फिर इतनी राशि कहां से आई ? माननीय रमन सिंह जी बाहर से वकील लगाने की बात कह रहे हैं । आपको तो इस प्रदेश में एडवोकेट जनरल नहीं मिला । एडवोकेट जनरल भी आप बाहर से लाये थे । (शेम-शेम की आवाज) और वे पूछ रहे हैं कि बाहर से वकील क्यों लाया गया ?

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके एडवोकेट जनरल की गति क्या की ? आप वह भी बता दो न । आपने भी एडवोकेट जनरल को हटाया, वे बोलते रहे कि मैंने इस्तीफा नहीं दिया, आपने कहा कि उसने इस्तीफा दे दिया है ।

खाद्यमंत्री (श्री अमरजीत भगत) :- अध्यक्ष महोदय, मूल प्रश्नकर्ता अक्षम हैं क्या कि आप खड़े हो रहे हैं ?

श्री शिवतरन शर्मा :- नहीं, एडवोकेट जनरल की बात हो रही है तो मैं बोल रहा हूं । पूरा सदन जानना चाहता है कि आपने क्यों हटाया ?(व्यवधान)

श्री अमरजीत भगत :- उनका प्रश्न पूरा नहीं हुआ है, और आप खड़े हो गए ।

श्री भूपेश बघेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, वे भी छत्तीसगढ़ के थे और जो अभी हैं, वह भी छत्तीसगढ़ के हैं । बाहर से नहीं लाना पड़ा । मेरे पास सारे डाक्यूमेंट्स हैं ।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके कारिंदे बहुत मजबूत हैं ।

श्री शिवरतन शर्मा :- आपको बाहर से नहीं लाना पड़ा, पर किन परिस्थितियों में आपने हटाया ? वे बोलते रहे कि मैंने इस्तीफा नहीं दिया है और इन्होंने इस्तीफा स्वीकार कर लिया ।

श्री भूपेश बघेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं खड़ा हूं और माननीय सदस्य बहुत वरिष्ठ हैं । आप से बिना अनुमति लिए वे बोले जा रहे हैं । माननीय अध्यक्ष महोदय, आप कहें तो रमन सिंह जी के कार्यकाल में कितने वकील बाहर से आये हैं, उन सबकी सूची मेरे पास है । किस-किस केस में किस-किस वकील को बुलाया गया, वह सूची भी है । उसको कितना भुगतान हुआ, वह भी सूची है । यदि आप बड़े वकील बुलाएंगे, चार्टर प्लेन से बुलाएंगे, महंगे वकील बुलाएंगे, नामी-गिरामी वकील बुलाएंगे तो उसमें तो फिर बुलाना ही पड़ेगा, शासन के स्तर पर निर्णय लिया जाता है और यह पहली बार नहीं हुआ है, इसके पहले भी पूर्व सरकारों ने भी इस प्रकार के निर्णय लेते रहे और बड़े वकीलों को बुलाते रहे ।

डॉ. रमन सिंह :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने इसी प्रश्न में बड़ा स्पष्ट रूप से पूछा है । यह उच्च न्यायालय में दायर नान प्रकरण की पी.आई.एल. का विषय है । इसमें मैंने पूछा है कि उनके द्वारा जो वकील बुलाए गए थे, उनके द्वारा कब-कब, किस दिनांक को जिरह किया गया ? अध्यक्ष महोदय, बहुत साफ प्रश्न है, बहुत छोटा प्रश्न है कि कब-कब जिरह किया गया और उसका जवाब भी आया है । जवाब आया है कि श्री हरीश एल. साल्वे, रविन्द्र श्रीवास्तव, अपूर्व कुरूप द्वारा 8.9.15 से लेकर 2.5.17 तक पांच बार जिरह किया गया । जिरह करने का मतलब यह है कि हाईकोर्ट में आकर इस मामले की सुनवाई करे । अध्यक्ष महोदय, साल्वे आजतक छत्तीसगढ़ आया ही नहीं, श्रीवास्तव कभी कोर्ट में खड़ा ही नहीं हुआ और इस प्रकार जिरह करने की बात का जब जवाब दिया जा रहा है कि न्यायालय में आकर क्या जिरह किया ? साल्वे आजतक हाईकोर्ट में कभी पहुंचा ही नहीं और उसके द्वारा जिरह का जवाब । यानी सरासर गलत जवाब दिया जा रहा है । कम से कम कुरूप के नाम से यह पहला विषय

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

है..।

अध्यक्ष महोदय :- जो पुनरीक्षित उत्तर आया है, उसको आपने देखा है?

डॉ. रमन सिंह :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा प्रश्न इसी उत्तर से तो उद्‌भूत हो रहा है ।

श्री भूपेश बघेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, संशोधित जवाब दिया जा चुका है, संशोधित जवाब उनके हाथ में है ।

डॉ. रमन सिंह :- माननीय अध्यक्ष महोदय, जब साल्वे यहां आया ही नहीं, श्रीवास्तव यहां आया ही नहीं तो हाईकोर्ट में कब जिरह किया । यह विधान सभा को गलत जानकारी दी जा रही है । पहला तो कुरूप के बारे में गलत जानकारी दी गई, दूसरा जिरह करने के बारे में गलत जानकारी दी जा रही है । अध्यक्ष महोदय, यह तथ्य गलत है । आप हाई कोर्ट की बात कर रहे हैं तो हाई कोर्ट के दायरे में सीमित रहकर बात करें । आज तक बिलासपुर के हाई कोर्ट में पहुंचे ही नहीं है । उनके द्वारा जिरह करने की बात हो रही है । अध्यक्ष महोदय, इस विषय को लेकर मेरा प्रश्न है ।

श्री भूपेश बघेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, संशोधित जवाब भेजा जा चुका है और माननीय सदस्य को भी मिल गया होगा ।

अध्यक्ष महोदय :- संशोधित जवाब भेज दिये हैं ।

डॉ.रमन सिंह :- माननीय अध्यक्ष महोदय, जवाब ही नहीं आ रहा है । जब आपने लिखित जवाब में कहा है । आप (घ) पढ़ लीजिए । उनके द्वारा कब-कब न्यायालय में जिरह किया गया है । जिरह का क्या मतलब होता है अध्यक्ष महोदय, कोर्ट में जाकर, न्यायालय में उपस्थित होकर, इस पक्ष के बारे में बात रखना । उसके लिए आपने पांच डेट दे दिया । 8/9 से शुरू करके 9/16 को फिर 11/26 को फिर 5/17 को यदि 5 तारीख को आकर जिरह करने का जिक्र हो रहा है, सरासर इस विधान सभा को गुमराह किया जा रहा है । कभी श्री हरीश एल.साल्वे आया नहीं है तो जिरह कौन कर रहा है ? अध्यक्ष महोदय, रविन्द्र श्रीवास्तव का कोर्ट में कहीं नाम नहीं है या तो पूरी जानकारी दें ? शुरूआत जानकारी ही गलत है । श्री अपूर्व कुरूप न्यायालय में गवर्नमेंट एडव्होकेट की हैसियत से खड़ा है । कभी निजि औचित्य नहीं रहा है । अध्यक्ष महोदय, जानकारी पूरी आये । हम चाहते हैं कि पूरे मामले की पूरी जांच हो । मगर विधान सभा में एक छोटा सा प्रश्न होता है, उस प्रश्न के जवाब में ही गोलमाल होता है, बाकी विषय में क्या स्थिति होगी ?

अध्यक्ष महोदय :- प्रश्न कुछ है आपका कि समाप्त करूं या आगे बढ़ूं ?

डॉ.रमन सिंह :- क्या जिरह के लिए हाई कोर्ट आये थे, क्या उनकी हाई कोर्ट में उपस्थिति थी, हॉ या नहीं ? अध्यक्ष महोदय, पहले प्रश्न का ही जवाब नहीं आया है । जो वरिष्ठ वकील श्री दयन कृष्णन पी.आई.एल. में उपस्थित हुये, दूसरे मामलें में उनको कितना फीस दिया गया ? बड़ा स्पेसिफिक प्रश्न है, छोटा प्रश्न है । इनके जवाब से ही उद्‌भूत हो रहा है, श्री दयन कृष्णन आया था, दूसरे मामले

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

में खड़ा हुआ । इस मामले के अतिरिक्त और कितना फीस दिया गया ? छोटा-छोटा प्रश्न है, मैं कोई ज्यादा प्रश्न नहीं कर रहा हूँ । यदि इनके पास जवाब नहीं है तो समय ले लें । बाद में जवाब दे दें, मैं उससे संतुष्ट हो जाऊंगा । जो प्रश्न किया है, उसको स्पष्ट जवाब तो आना चाहिये । इस विधान सभा की जवाबदारी यह है कि सही प्रश्न का सही जवाब मिलना चाहिये ।

श्री बृहस्पत सिंह :- अध्यक्ष महोदय, मुख्यमंत्री जी के जवाब के पहले मैं भी इसमें कहना चाहूंगा ।

श्री भूपेश बघेल :- अध्यक्ष महोदय, पहले तो मै सदन को बताना चाहूंगा कि संशोधित उत्तर आ चुका है । मेरी जानकारी के बाद भी माननीय सदस्य उसको बार-बार रिपीट कर रहे थे । दूसरी बात यह है कि कृष्णन जी द्वारा दिनांक 26-2-2019, 10-3-2019, 14-3-2019, 18-7-2019 को आये थे । अध्यक्ष महोदय, उन्हें जो भुगतान किया गया है, वह दयन कृष्णन को अप्रियेंस, सेटलिंग, स्टेटस रिपोर्ट, रिप्लाई, कान्फ्रेंस हेतु कुल मिलाकर 81 लाख रूपया दिया गया है।

डॉ.रमन सिंह :- माननीय अध्यक्ष महोदय, एक पिक पाईन्ट बिल्कुल छोटा प्रश्न है । उस दिन दूसरे मामले में भी खड़े हुये, उसका पेमेंट भी शासन ने किया तो कितना किया ।

श्री भूपेश बघेल :- अध्यक्ष महोदय, एक वकील की पेशी चार कोर्ट में है तो चार बार अलग-अलग जगह में खड़े होंगे ।

डॉ.रमन सिंह :- 80 लाख रूपये रिकार्ड में है कि 80 लाख रूपया दिया गया। हम यह आपत्ति नहीं करते हैं कि करोड़ रूपया लुटा रहे हो । सवाल यह है कि....।

श्री भूपेश बघेल :- अध्यक्ष महोदय, यह आपत्तिजनक है कि लुटा रहे हैं । इसके पहले आपने बोला कि लुटाया है, अध्यक्ष महोदय, आप लुटाने की बात कर रहे हैं । कैसे लुटाने की बात हो रही है ?

डॉ.रमन सिंह :- थोड़ा शांति से जवाब दीजिए ।

श्री भूपेश बघेल :- लुटाने जैसे शब्द से आपत्ति है ।

श्री बृहस्पत सिंह :- अध्यक्ष महोदय, इसमें थोड़ा बहुत नहीं, 36 हजार करोड़ का घोटाला हुआ है । यह चर्चा का विषय बना है अध्यक्ष महोदय । (व्यवधान) सच्चाई को रोकने की कोशिश मत करिये । इसमें 36 हजार करोड़ का घोटाला हुआ है । (व्यवधान)

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय रमन सिंह जी ने प्रश्न किया है, प्रश्न का जवाब देने के बजाय माननीय मुख्यमंत्री जी उत्तेजित हो गये । उनके समर्थन में पूरे लोग खड़े हो गये हैं । यह ठीक स्थिति नहीं है । (व्यवधान)

श्री भूपेश बघेल :- वकील का फीस देना लुटाना है । नॉन घोटाले में करोड़ो-अरबों रूपया छत्तीसगढ़ का लुटवा दिये । (व्यवधान)

श्री मिश्रा

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

डॉ. रमन सिंह :- माननीय अध्यक्ष महोदय, जवाब तो आए। दूसरा इतना उत्तेजना के लिए कोई विषय नहीं है।

श्री बृहस्पत सिंह :- अध्यक्ष महोदय, 36 हजार करोड़ रूपये का भ्रष्टाचार हुआ है।

अध्यक्ष महोदय :- दोनों मुख्यमंत्री हैं उनको निपटने दीजिए, आप लोगों की जरूरत नहीं है। एक दूसरे से निपटने में सक्षम हैं, उनको निपटने दीजिए।

श्री अजय चंद्राकर :- वह तो हर मामले में बृहस्पत सिंह जी की जरूरत है।

श्री बृहस्पत सिंह :- अध्यक्ष महोदय, आज चंद्राकर जी, फिर गलत-सतल दवा खाकर आये हैं। मैं छत्तीसगढ़ का होने के नाते यह जानना चाहता हूं, छत्तीसगढ़ के इसी सदन में हूं छत्तीसगढ़ का 36 हजार करोड़ रूपये लूटा गया है, इसके लिए जवाबदार कौन है? अध्यक्ष महोदय, इस पर चर्चा होनी चाहिए।

श्री भूपेश बघेल :- जैसे अजय जी को हर मामले में बोलने की जरूरत है वैसे ही वह बृहस्पत जी उनको आईना दिखा रहे हैं।

डॉ. रमन सिंह :- माननीय अध्यक्ष महोदय, इस प्रश्न का जवाब मुख्यमंत्री साहब नहीं देंगे और जवाब पूरे के पूरे कांग्रेस दल की ओर से आयेगा क्या?

श्री बृहस्पत सिंह :- अध्यक्ष महोदय, छत्तीसगढ़ का 36 हजार करोड़ रूपये लूटा गया है। इसके लिए जवाबदार कौन है? बहुत सारे नाम आये हैं इस पर चर्चा होनी चाहिए।

डॉ. रमन सिंह :- अध्यक्ष महोदय, सामान्य सा प्रश्न है। प्रश्न को मुस्कराकर बोल रहा हूं, उसमें उत्तेजना आने की जरूरत ही नहीं है भाई साहब। आप कम से कम जवाब देते समय ..।

अध्यक्ष महोदय :- माननीय मुख्यमंत्री जी, आप भी मुस्काकर जवाब दे दीजिए। माननीय मुख्यमंत्री जी, आपका जवाब मुसकराकर दे रहे हैं।(हंसी)

डॉ. रमन सिंह :- अध्यक्ष महोदय, सवाल मुस्कराने का नहीं है बल्कि जवाब पूरा आए। तथ्य के आधार पर जब बात होती है।

श्री भूपेश बघेल :- अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे जवाब देने के लिए कहा है?

अध्यक्ष महोदय :- जी।

श्री भूपेश बघेल :- अध्यक्ष महोदय, डॉ. रमन सिंह जी, आप बैठ जाएं, मुझे आदेश हुआ है।

संस्कृति मंत्री (श्री अमरजीत भगत) :- लेकिन अध्यक्ष महोदय, मुस्कराने का बड़ा खतरनाक अंदाज था इनका। बड़ा कातिलाना मुस्कराना था।

श्री भूपेश बघेल :- अध्यक्ष महोदय, माननीय वकीलों की जो फीस है उसे दिया गया है। पूर्व की सरकारों ने भी करोड़ों रूपये का भुगतान किया है। इसमें कोई छिपाने वाली बात नहीं है लेकिन आपत्तिजनक बात यह है कि कह रहे हैं कि वकीलों पर लुटा रहे हैं, प्रदेश का धन लुटा रहे हैं। आपत्ति

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

इस बात पर है और माननीय डॉ. रमन सिंह जी, आप प्रदेश के खजाने से पिछले 15 साल में जो करोड़ों रूपये लुटाये हैं उसका हिसाब कौन देगा ? (मेजों की थपथपाहट)

श्री शिवरतन शर्मा :- अध्यक्ष महोदय, ये आपत्तिजनक है। (व्यवधान)

श्रीमती रश्मि आशीष सिंह :- प्रदेश में 40 हजार करोड़ रूपये का कर्ज है।

नेता प्रतिपक्ष (श्री धरमलाल कौशिक) :- अध्यक्ष महोदय, इस प्रश्न का जवाब नहीं आया है। यह जो प्रश्न है इस प्रश्न में जो हुआ है उसके संबंध में जवाब आना चाहिए। (व्यवधान)

श्री भूपेश बघेल :- अध्यक्ष महोदय, नॉन घोटाले की ही बात तो आ रही है, उसी में तो वकील लाने की बात आ रही है। और यह पहला केस है क्योंकि आजतक तो जांच करने की मांग होती रही अभी बिलासपुर हाईकोर्ट में जो पी.आई.एल. लगाई गई है उसमें तो कह रहा हूं कि उसी नॉन घोटाले में जांच को रोकने के लिए आपके नेता प्रतिपक्ष और आपकी पार्टी के अध्यक्ष हाईकोर्ट में पी.आई.एल. लगाते हैं और उन्हें चार्टर्ड प्लेन में लाते हैं जो नॉन घोटाला कर चुके हैं। (व्यवधान)

श्री धरम लाल कौशिक :- हॉ, मैंने लगाया है, मुझे अधिकार है। माननीय न्यायालय ने आपकी सारी एस.आई.टी. को भंग कर दिया है क्योंकि आपकी नीयत ठीक नहीं थी। यदि नीयत ठीक होती तो कोर्ट उसको लेता। किंतु आपके सारे निर्णय को कोर्ट ने पलट दिया है क्योंकि आपकी दिशा गलत है इसलिए कोर्ट ने यह कार्रवाई की है। हमने पी.आई.एल. किया है, हमें अधिकार है। (व्यवधान)

श्री बृहस्पत सिंह :- 36 हजार करोड़ रूपये का घोटाला हुआ है। (व्यवधान)

श्री चन्द्रदेव प्रसाद राय :- 36 हजार करोड़ के घोटाले का क्या होगा?

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय डॉ. रमन सिंह जी ने प्रश्न किया। (व्यवधान)

श्री बृहस्पत सिंह :- अध्यक्ष महोदय, इसका जवाब आना चाहिए। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय :- बैठिये-बैठिये। (व्यवधान)

श्री चन्द्रदेव प्रसाद राय :- न्यायालय में आवेदन लगाया है। (व्यवधान) जमानत के लिये मांग (व्यवधान) हम लोग सदन के माध्यम से भ्रष्टाचार की जांच....। (व्यवधान)

श्री शिवरतन शर्मा :- मैं आपसे आग्रह करना चाहता हूं कि क्या इस पूरे प्रश्न को प्रश्न संदर्भ समिति को जांच के लिये संदर्भित करेंगे ?

अध्यक्ष महोदय :- आप पूरक प्रश्न को क्या कर रहे हैं ?

श्री शिवरतन शर्मा :- मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं।

अध्यक्ष महोदय :- आप निवेदन करिये न। मैं सोच लूंगा। आपको इस संदर्भ में कोई पूरक प्रश्न करना है तो प्रश्न करिये।

श्री शिवरतन शर्मा :- अध्यक्ष महोदय, मेरा पूरक प्रश्न है।(व्यवधान) जवाब तो आ ही नहीं रहा है। (व्यवधान)

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

श्री कुंवर सिंह निषाद :- अध्यक्ष महोदय, छत्तीसगढ़ की जनता यह जानना चाहती है कि सी.एम. सर कौन हैं ? माननीय मेडम कौन हैं ? (व्यवधान) छत्तीसगढ़ की जनता जानना चाहती है। (व्यवधान)

श्री शिवरतन शर्मा :- मुख्यमंत्री जी के बजाए जवाब देने के लिए खड़े हुए हैं। (व्यवधान)

श्री मोहन मरकाम :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी से जानना चाहता हूं । नान घोटाले में 36 हजार करोड़ का (व्यवधान)।

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय अध्यक्ष महोदय।

अध्यक्ष महोदय :- मैं आपके आग्रह पर विचार कर लूंगा। आपके आग्रह पर मैं विचार कर लूंगा।

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्यमंत्री जी ने..।(व्यवधान)

श्री मोहन मरकाम :- नान घोटाले में किन-किन व्यक्तियों के नाम शामिल हैं, क्या उन व्यक्तियों के ऊपर कार्यवाही की गई ?

श्री भूपेश बघेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, उस डायरी के जो पन्ने मिले हैं, उसमें गिरीश शर्मा, ध्रुव और और अन्य लोगों के साथ सी.एम. सर, सी.एम. मेडम का भी नाम है। उसी की जांच करने के लिए एस.आई.टी. का गठन किया गया है जिसे रोकने के लिये पी.आई.एल. लगाया गया है।

श्री मोहन मरकाम :- माननीय अध्यक्ष महोदय, क्या सरकार उनके ऊपर कार्यवाही कर रही है ? मैं वही जानना चाहता हूं। क्या सरकार उनके ऊपर कार्यवाही कर रही है ?

अध्यक्ष महोदय :- अभी जांच नहीं हुई है, क्या कार्यवाही करेंगे ? चलिये।

श्री भूपेश बघेल :- हम निश्चित रूप से कार्यवाही करेंगे ?

श्री बृहस्पत सिंह :- कार्यवाही करेंगे क्या पूछ रहे हैं ? क्या जांच करके कार्यवाही करेंगे।

श्री भूपेश बघेल :- हम निश्चित रूप से कार्यवाही करेंगे।

अध्यक्ष महोदय :- मूल प्रश्न पर आने दीजिए। मूल प्रश्न से संबंधित कोई पूरक प्रश्न है तो करिये।

डॉ. रमन सिंह :- अध्यक्ष महोदय, मेरा एक प्रश्न है, जब ये वरिष्ठ वकील यहां आये ही नहीं, हाईकोर्ट में उपस्थित ही नहीं हुए (व्यवधान) तो जिला हाईकोर्ट में कैसे चले गये ?

श्री भूपेश बघेल :- संशोधित उत्तर आ चुका है, कितनी बार पूछेंगे ?

अध्यक्ष महोदय :- क्या आप संशोधित उत्तर नहीं पढ़ रहे हैं ?

डॉ. रमन सिंह :- अध्यक्ष महोदय, देखा है।

श्री कवासी लखमा :- देखा है तो क्यों पूछ रहे हो ?

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

अध्यक्ष महोदय :- संशोधित उत्तर आपने देखा है या नहीं देखा है। इनको पहुंचाईये। संशोधित उत्तर में तो यह दिया हुआ है। नहीं है तो संशोधित उत्तर का कॉपी दे दीजिए। संशोधित उत्तर में से कोई पूरक प्रश्न बन रहा हो तो आप पूछ सकते हैं।

श्री भूपेश बघेल :- अध्यक्ष महोदय, चलिये।

अध्यक्ष महोदय :- चलिये, आप बतायें।

श्री भूपेश बघेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, संशोधित उत्तर आ चुका है और जहां तक आप कुरूप की बात कर रहे हैं, ये कुरूप कौन हैं ? ये स्टैंडिंग कौंसिल है। लेकिन वे निजी हैसियत से, निजी वकील की हैसियत से उपस्थित हुए थे। अब यहां कौन हैं बोला तो तुरंत तकलीफ होने लगी ?

डॉ. रमन सिंह :- इसका बड़ा साफ-साफ शब्दों में कहा गया है।

श्री भूपेश बघेल :- हां-हां, निजी है इसलिए उपस्थित थे। संशोधित उत्तर दिया है उसके बाद भी कह रहा हूं। उसका संशोधित उत्तर आ चुका है।

डॉ. रमन सिंह :- सवाल इस बात का नहीं है, सवाल इस बात का है कि वे जब यहां आये नहीं तो जिला के लिये कैसे उपस्थित हुए ? मूल समस्या यह है, यदि प्रश्न गलत है तो उस प्रश्न के जवाब को सुधारा जाये। इस विषय में मेरा आग्रह है।

अध्यक्ष महोदय :- माननीय मुख्यमंत्री जी, चलिये।

श्री भूपेश बघेल :- संशोधित उत्तर आ चुका है (हंसी) लेकिन सवाल इस बात का है। विपक्ष के लोग नान घोटाले की जांच को रोकना क्यों चाहते हैं ? क्यों पी.आई. एल. लगाये हैं ? जांच होनी चाहिए, अभी तक तो यह हो रहा है कि जांच होनी चाहिए। पहली बार है कि जांच नहीं होनी चाहिए, पी.आई.एल. लगाये हैं।

श्री बृहस्पत सिंह :- यही तो जानना चाहते हैं कि क्या आप जांच करायेंगे और दोषियों के खिलाफ कार्यवाही करेंगे ? हम लोग यही तो चाहते हैं।

अध्यक्ष महोदय :- अरे सुनिये, प्रश्न उद्भूत नहीं होता।

श्री अजय चंद्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा एक आग्रह है,..।

अध्यक्ष महोदय :- आपका प्रश्न .....।

श्री अजय चंद्राकर :- इस प्रश्न में नहीं है।

अध्यक्ष महोदय :- प्रश्न में नहीं है तो क्या करें ?

श्री अजय चंद्राकर :- इस भाषण के दौरान अभी जितनी बातें माननीय बृहस्पत सिंह जी ने जो कही है। मैं चाहता हूं आप उनका अवलोकन करिये। ऐसी भाषा और ऐसे तौर तरीके प्रश्नकाल में नये तरीके इजाद हुए हैं।

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

श्री बृहस्पत सिंह :- भाई, ऊंगली दिखा दिखा कर क्या दिखा रहे हैं ? क्यों बार-बार ऊंगली दिखा रहे हैं ?

अध्यक्ष महोदय :- मैं कर लूंगा और देख लूंगा। विलोपित करने लायक रहेगा तो विलोपित कर दूंगा। चलिये, छुई खदान का प्रश्न है देवव्रत सिंह।

प्रश्न संख्या : 4 XX XX

प्रश्न संख्या : 5 XX XX

<u>जिला कोरबा में छिन्दई नाला आधारित ग्रामीण समूह जल प्रदाय योजना की स्वीकृति</u>

6. (*क्र. 1053) श्री केशव प्रसाद चंद्रा : क्या लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जिला कोरबा में छिन्दई नाला आधारित ग्रामीण समूह जल प्रदाय योजना कब कितनी राशि की किस मद से स्वीकृत की गयी ? (ख) क्या उपरोक्त स्वीकृत राशि से कार्य किया गया ? यदि नहीं तो क्यों कारण सहित बतायें एवं उक्त राशि का व्यय किस कार्य में किया गया ?

लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री (श्री गुरू रूद्रकुमार) : (क) जिला कोरबा में छिन्दई नाला आधारित ग्रामीण समूह जल प्रदाय योजना दिनांक 14.02.2008 को रु. 1088.50 लाख की च्च्मांग संख्या 20 एवं 41 लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी 0701/702-केन्द्र प्रवर्तित योजना सामान्य 11070-जल पूर्ति एवं जल निकास (6813) जल गुणवत्ता समस्या निवारण प्त-27 लघु निर्माण कार्य 004 लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी निर्माण कार्य प्त 99 प्रवर्तित योजनाएं मद में स्वीकृत की गई थी. (ख) उपरोक्त स्वीकृत राशि से योजना का कार्य नहीं किया गया. स्रोत की उपलब्धता सुनिश्चित नहीं होने के कारण. उक्त राशि का उपयोग/व्यय जल गुणवत्ता के अंतर्गत वॉटर सेम्पल कलेक्शन, लौह निवारण सयंत्र स्थापना, फोर्स लिफ्ट पंप स्थापना, रिपेयरिंग आफ ओल्ड टाप हेड, पेडेस्टल, हैण्डल, वाटर चेम्बर, हैण्डपंप प्लेटफार्म रिपेयरिंग, राईजर पाईप कटिँग/थ्रेडिंग, हैण्डपंप असेम्बली स्थापना, हैण्डपंप स्पेयर पार्टस-चैन, कपलर, लोवर वाल्व असेम्बली, वाटर चेम्बर, बेयरिंग, हैण्डपंप असेम्ब्ली क्रय, टी एण्ड पी क्रय, सबमर्सिबल पंप क्रय, सर्विस वायर क्रय, यू.पी.व्ही.सी. पाईप क्रय, पाईप लाईन लिकेज रिपेयरिंग, सी.आई.स्लूस वाल्व रिपेयरिंग, सर्वे, टोपपोग्राफिकल मेप, विभिन्न ग्रामों के कम्प्यूटर एडेड डिजाईन, नलकूपों का यील्ड टेस्ट, उच्च जलागार की सफाई, सबमर्सिबल पंप रिपेयरिंग, हैण्डपंप रिपेयरिंग, वाहन किराया, डीजल क्रय, फोटोकॉपी, कम्प्यूटर कार्य, कम्प्यूटर रिपेयरिंग,स्टेशनरी, वीडियोग्राफी, फोटोग्राफी कर्मचारियों का प्रशिक्षण इत्यादि कार्यों में किया गया है.

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

श्री केशव प्रसाद चंद्रा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे प्रश्न के उत्तर पर माननीय मंत्री जी ने जवाब दिया है। दिनांक 14.02.2008 को 10 करोड़ 88 लाख 50 हजार रूपये की स्वीकृति छिन्दई नाला, आधारित समूह जल प्रदाय योजना, जिला कोरबा के लिये स्वीकृत किया गया और स्त्रोत में जल नहीं होने के कारण वहां कार्य नहीं हुआ। मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूँ कि इस योजना का प्रस्ताव किसने बनाया ? और स्वीकृति के पश्चात् जल, स्त्रोत नहीं होने की रिपोर्ट किस अधिकारी ने दी? कृपया बताने का कष्ट करें।

संसदीय कार्य मंत्री (श्री रविन्द्र चौबे) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, ये वर्ष 2008 की योजना है और जैसा कि उत्तर में बताया गया है कि लगभग 10 करोड़, 88 लाख रूपये की योजना थी। उस समय वहां कौन लोग पदस्थ थे ? किस अधिकारी की बात कर रहे हैं ? आप ई.ई., ए.सी.ई., एस.डी.ओ., सी.ई. पूछेंगे तो।

श्री केशव प्रसाद चन्द्रा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, जिसने कार्ययोजना बनायी कि यहां ग्रामीण समूह जल प्रदाय योजना बननी चाहिए ? किसी अधिकारी ने तो डी.पी.आर. बनाया होगा कि इसकी आवश्यकता है, मैं उसी अधिकारी का नाम जानना चाहता हूँ ? दूसरी चीज अगर वह स्वीकृत हो गया तो स्त्रोत नहीं है करके, किस अधिकारी ने रिपोर्ट दी ? और जिस अधिकारी ने रिपोर्ट दी, क्या उसकी रिपोर्ट के आधार पर, उच्च अधिकारी जाकर निरीक्षण किये, वहां इस 10 करोड़, 88 लाख पर डेम भी बनना प्रस्तावित है। कल ही मैं वहां से होकर आया हूँ। फरवरी तक उस नाले में पानी चलता है, आज भी फरवरी तक पानी चलता है, इसका जवाब आ जाये तो मैं अगला प्रश्न पूछूंगा।

श्री रविन्द्र चौबे :- आप एक साथ पूछ लीजिए कि आप इस योजना में क्या चाहते हैं ? ये तो उत्तर में आ गया है। पानी नहीं मिला, जिस काम के लिए स्वीकृति हुई, वह काम नहीं हुआ।

श्री केशव प्रसाद चन्द्रा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, वह काम नहीं हुआ?

श्री रविन्द्र चौबे :- माननीय अध्यक्ष महोदय, अन्य कामों में वह राशि खर्च की गई। आप चाहते क्या हैं, ये प्रश्न कर दें।

श्री केशव प्रसाद चन्द्रा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, ये अन्य कार्यों में जो राशि खर्च हुई है, आप जो राशि बता रहे हैं हैण्ड पम्प बनाने, उसके प्लेटफार्म की मरम्मत, फोटो कॉपी कराने, गाड़ी के किराये, डीजल, कम्प्यूटर की मरम्मत, कर्मचारी के प्रशिक्षण, नल जल, पानी में नमूना संग्रहित करने के लिए राशि खर्च हुई है। मेरा कहना यह है कि पूरे 10 करोड़, 88 लाख रूपये, सक्षम अधिकारी की अनुमति के बिना, वहां पदस्थ कर्मचारी के द्वारा बंदरबाट किया गया है, क्या जो दोषी अधिकारी हैं, आप उनके विरूद्ध यहां कार्रवाई करने की घोषणा करेंगे?

श्री रविन्द्र चौबे :- माननीय अध्यक्ष महोदय, निश्चित रूप से प्रश्न में जो बातें सामने आयी हैं बड़ा स्पष्ट है कि जिस कार्य के लिए काम स्वीकृत किया गया था, वह काम नहीं हुआ।

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

अध्यक्ष महोदय :- यह स्पष्ट भी है और गंभीर भी है।

श्री रविन्द्र चौबे :- माननीय अध्यक्ष महोदय, अगर आसंदी से निर्देश मिल रहा है।

अध्यक्ष महोदय :- यह गंभीर भी है और इसकी पूरी जांच की जाए और जो भी दोषी अधिकारी हैं, उसको निलंबित किया जाये और विस्तृत जांच करें।

श्री अजीत जोगी :- माननीय अध्यक्ष महोदय, धन्यवाद्।

अध्यक्ष महोदय :- श्री मोहन मरकाम।

श्री केशव प्रसाद चन्द्रा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं अंतिम प्रश्न करना चाहता हूँ।

अध्यक्ष महोदय :- हो गया। अब क्या चाहिए, अब उसमें जांच भी हो रही है।

श्री केशव प्रसाद चन्द्रा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, दूसरी गंभीरता यह है कि इसमें महालेखाकार छत्तीसगढ़ रायपुर से अंकेक्षण कराया गया और एक महीने तक लगातार अंकेक्षण चला।

श्री अजीत जोगी :- माननीय अध्यक्ष महोदय का आदेश हो गया। बहुत अच्छा।

श्री केशव प्रसाद चन्द्रा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, जी। नहीं, जांच करवायेंगे, उसके लिए माननीय अध्यक्ष महोदय को धन्यवाद्।

अध्यक्ष महोदय :- जांच भी करवाएंगे, दोषी अधिकारी को खोजेंगे, चाहे रायपुर में रहता हो, चाहे कहीं भी रहता हो।

श्री केशव प्रसाद चन्द्रा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, धन्यवाद्।

श्री धर्मजीत सिंह :- माननीय अध्यक्ष महोदय, उसमें सबको निलंबित करिये। जो लोग डी.पी.आर. गलत बनाये हैं, उनको निलंबित करिये।

अध्यक्ष महोदय :-सबको निलंबित करें। श्री मोहन मरकाम।

श्री रविन्द्र चौबे :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं तो सदन में ही स्वीकार कर रहा हूँ कि जो योजना बनी थी, उस योजना में 1 रूपया भी खर्च नहीं किया गया।

श्री धर्मजीत सिंह :- माननीय अध्यक्ष महोदय, इसलिए सबको निलंबित।

श्री रविन्द्र चौबे :- माननीय अध्यक्ष महोदय, और जिस तरीके से सरकारें काम करती थीं, ये तो आपके सामने है। उन अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जायेगी, लेकिन पहले थोड़ी उसकी जांच करा लें कि कौन पदस्थ थे, किसने प्लानिंग की ? किसने डी.पी.आर. बनाया, कौन राशि खर्च किया, किसने परमिशन दी ? केवल इतने ही अधिकारियों का नाम आएगा। माननीय आसंदी ने निर्देश दे दिया, अब ई.इन.सी. से उसकी जांच करवा लेंगे और जो लोग भी दोषी होंगे उनके खिलाफ कड़ी और सख्त कार्रवाई की जाएगी।

श्री केशव प्रसाद चन्द्रा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, धन्यवाद्।

श्री अजीत जोगी :- माननीय अध्यक्ष महोदय जी ने निलंबन कहा है।

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

श्री रविन्द्र चौबे :- माननीय अध्यक्ष महोदय, हम कर देंगे।

जिला कोण्डागांव में खनिज संस्थान न्यास निधि से दूध पाउडर क्रय की स्वीकृति

7. (*क्र. 582) श्री मोहन मरकाम : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या कोण्डागांव जिले में वर्ष 2019-20 के लिए खनिज संस्थान न्यास निधि से मध्यान्ह भोजन संस्थाओं में दूध पाउडर प्रदाय हेतु कार्य स्वीकृत किया गया ? यदि हां, तो कितनी मात्रा में किस माध्यम से दूध पाउडर का क्रय किया गया ? (ख) क्या उक्त कार्य के लिए भण्डार क्रय नियमों का पालन किया गया? यदि हां, तो निविदा कब प्रकाशित की गई तथा निविदा किन-किन फर्म/संस्था द्वारा कितना दर प्रस्तुत किया गया ? (ग) कितने दर पर, कितनी मात्रा में किस फर्म/संस्था के द्वारा दूध पाउडर प्रदाय किया गया ?

मुख्यमंत्री (श्री भूपेश बघेल) : (क) जी हां. 7450 किलोग्राम दूध पाउडर छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी दुग्ध महासंघ रायपुर से क्रय किया गया है. (ख) जी हां. जिला खनिज संस्थान न्यास द्वारा स्कूल शिक्षा विभाग के समन्वय से छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी दुग्ध महासंघ रायपुर को दूध पावडर प्रदाय हेतु आदेश किया गया है. अतः शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है. (ग) छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी दुग्ध महासंघ रायपुर द्वारा 350 रुपये प्रति किलोग्राम (संकुल स्तर तक पहुंचाकर) की दर पर कुल 7,450 किलोग्राम दूध पाउडर प्रदाय किया गया है.

श्री मोहन मरकाम :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री महोदय से जानना चाहा था। माननीय मुख्यमंत्री जी का उत्तर आ गया है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से पूरक प्रश्न करना चाहता हूँ कि संस्थाओं में दूध पाउडर का प्रदाय, किस उद्देश्य से किया जाता है?

अध्यक्ष महोदय :- ये कोई प्रश्न है?

श्री भूपेश बघेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, यह उत्तर में ही लिखा गया है कि वहां पर दूध पाउडर भेजकर, उससे खीर बनायी जाती है और बच्चों को प्रति सप्ताह एक दिन दिया जा रहा है।

अध्यक्ष महोदय :- श्री धरमलाल कौशिक। आपको प्रश्न करना ही नहीं आ रहा है।

श्री मोहन मरकाम :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा पूरक प्रश्न है।

अध्यक्ष महोदय :- हो गया।

श्री अजीत जोगी :- माननीय अध्यक्ष महोदय, बहुत अच्छा उत्तर आ गया है।

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

नुवोको विस्टास कार्पोरेशन लिमिटेड अकलतरा, जिला जांजगीर-चांपा को जारी पर्यावरणीय स्वीकृति

8. (*क्र. 1032) श्री धरमलाल कौशिक : क्या वन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क)नुवोको विस्टास कार्पोरिशन लिमिटेड अकलतरा, जिला-जांजगीर चांपा को कोल बेस्ड केप्टिव पावर प्लांट की स्थापना के लिए पर्यावरणीय स्वीकृति कब-कब जारी की गई? (ख) क्या फरवरी, 2019 में पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने के पश्चात् संबंधित प्लांट को निर्धारित स्थल से अलग स्थान पर बनाने व अन्य अनियमितताओं के संबंध में ग्राम पंचायत, मूलमुला, परसदा व अर्जुनी के सरपंचों व अन्य ग्रामीणों के द्वारा शिकायत की गई थी ? यदि हां, ता उन पर क्या कार्यवाही की गई ? (ग) क्या राज्य स्तर पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण या (स्श्व्रष्ट) द्वारा प्रश्नांश "ख" हेतु कोई जांच कमेटी बनाई गई ? यदि हां, तो उसमें कौन-कौन सदस्य थे व समिति द्वारा क्या अनियमितता पाई गई एवं उस पर क्या कार्यवाही की गई ? (घ) क्या प्रश्नांश "क" अनुसार प्लॉट को संशोधित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी की गई है ? यदि हां, तो किन नियमों के अधीन की गई है ?

वन मंत्री (श्री मोहम्मद अकबर) : (क) मेसर्स नुवोको विस्टास कार्पोरेशन लिमिटेड, तहसील-अकलतरा, जिला-जांजगीर-चांपा को राज्य स्तर पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, छत्तीसगढ़ द्वारा दिनांक 12.02.2019 को कोल बेस्ड केप्टिव पावर प्लांट क्षमता-20 मेगावाट हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति जारी की गई है. (ख) जी हां. पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने के पश्चात् संबंधित पॉवर प्लांट को निर्धारित स्थल से अलग स्थान पर बनाने व अन्य अनियमितताओं के संबंध में ग्राम पंचायत, मुलमुला, परसदा व अर्जुनी के सरपंचों व अन्य ग्रामीणों से राज्य स्तर पर्यावरण समाघात निर्धारिण प्राधिकरण, छत्तीसगढ़ को शिकायत प्राप्त हुई थी. प्राप्त शिकायत पर स्थल निरीक्षण कर जांच की गई. (ग) जी हां. प्राप्त शिकायत की जांच हेतु राज्य स्तर विशेषज्ञ अंकन समिति, छत्तीसगढ़ द्वारा तीन सदस्यीय उपसमिति का गठन किया गया. उपसमिति में राज्य स्तर विशेषज्ञ अंकन समिति, छत्तीसगढ़ के सदस्य श्री अरविंद कुमार गौरहा, डॉ. एम. डब्ल्यू. वाई खान तथा डॉ. मोहन लाल अग्रवाल शामिल थे. उपसमिति द्वारा स्थल निरीक्षण किया गया तथा यह पाया गया कि पावर प्लांट को जारी पर्यावरणीय स्वीकृति में निर्धारित स्थल तथा नवीन स्थल सीमेंट प्लांट परिसर के भीतर स्थित है. इसके पूर्व में राज्य स्तर विशेषज्ञ अंकन समिति, छत्तीसगढ़ की दो सदस्यीय एक अन्य उपसमिति जिसमें श्री अरविंद कुमार गौरहा तथा डॉ.मोहन लाल अग्रवाल शामिल थे, उनके द्वारा किये गये स्थल निरीक्षण में यह पाया गया था कि निर्धारित स्थल (दक्षिण-पूर्व) के उपर से हाई टेंसन लाईन होने के कारण दक्षिण दिशा में 180 मीटर की दूरी में नवीन स्थल का चयन किया गया है. नवीन स्थल पर सफाई तथा कुछ फांउडेशन कार्य किया जाना पाया गया. निरीक्षण के दौरान निर्माण कार्य होना नहीं पाया गया. राज्य स्तर विशेषज्ञ अंकन समिति, छत्तीसगढ़ द्वारा पावर प्लांट को पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति में निर्धारित स्थल तथा निर्माण प्रारंभ स्थल

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

सीमेंट प्लांट परिसर के भीतर स्थित होने तथा उपरोक्त स्थल विस्थापन सूक्ष्म होने के कारण किसी भी प्रकार के अतिरिक्त पर्यावरणीय प्रभाव की संभावना नहीं होने के दृष्टिगत पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति में संशोधन की अनुशंसा की गई. छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल द्वारा नवीन स्थल पर बिना स्थापना सम्मति के निर्माण कार्य किये जाने के कारण जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 तथा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के प्रावधानों के तहत् उद्योग के विरूद्ध माननीय व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-1, पामगढ़ के माननीय न्यायालय में परिवाद दिनांक 26.07.2019 को दायर किया गया. (घ) जी हां. मेसर्स नुवोको विस्टास कार्पोरेशन लिमिटेड अकलतरा, जिला-जांजगीर-चांपा को दिनांक 08.11.2019 को विस्थापन सूक्ष्म होने के कारण किसी भी प्रकार के अतिरिक्त पर्यावरणीय प्रभाव की संभावना नहीं होने तथा भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु मंत्रालय, नई दिल्ली के सर्कुलर दिनांक 22.01.2010 के दृष्टिगत पर्यावरणीय स्वीकृति में संशोधन जारी किया गया है.

श्री धरमलाल कौशिक :- माननीय अध्यक्ष महोदय, ये नुवोको विस्टास कार्पोरेशन लिमिटेड को केप्टिव पावर प्लांट क्षमता 20 मेगावाट के लिए जमीन दी गई और जो एलॉटेड जमीन है, उसके आधार पर पर्यावरण की स्वीकृति दी गई। पर्यावरण की स्वीकृति मिलने के बाद में जो जमीन, प्लाट है और जहां पर फैक्ट्री लगाना था, उसको परिवर्तन किया गया । जो परिवर्तन किया गया है तो परिवर्तन करने के बाद में उसमें पर्यावरण का उल्लंघन हुआ। दूसरी बात उसमें जो गलतियॉं पाई गईं तो क्या माननीय मंत्री जी इसमें बतायेंगे उसमें पर्यावरण का खुला उल्लंघन हुआ, स्थान परिवर्तन नहीं किया जाना था, जो किया गया और उसमें जो-जो गलतियॉं पाई गईं, उसके लिए क्या कार्यवाही की गई है?

संसदीय कार्य मंत्री (श्री रविन्द्र चौबे) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, इसमें कोई बहुत ज्यादा गलती का सवाल नहीं है। ग्रामवासियों ने 27.06.2019 को शिकायत की थी और उसके परिसर के अंदर ही 180 मीटर जगह चेन्ज किया गया। और इसके लिए जहां-जहां से अनुमति लिया जाना चाहिए था, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु मंत्रालय, नई दिल्ली के सर्कुलर दिनांक 22.01.2010 अनुमति प्राप्त किया है, इसलिए मै समझता हूं कि इसमें कोई त्रुटि और गलती नहीं है।

श्री धरमलाल कौशिक :- माननीय अध्यक्ष महोदय, यदि उसमें कोई गलती और त्रुटि नहीं है तो क्या उसमें न्यायालय में परिवाद प्रस्तुत किया गया है और प्रकरण विचाराधीन है और है तो किस कारण है ?

श्री रविन्द्र चौबे :- माननीय अध्यक्ष जी, दो अलग-अलग परिस्थितियॉं हैं, ग्रामवासियों की शिकायत के आधार पर ये प्रश्न किया गया। विभाग ने जांच समिति बनाई थी और जांच में पाया गया कि थोड़ा परिवर्तन हुआ है और जो थोड़ा परिवर्तन हुआ है उसके लिए भी विधिसम्मत अनुमति ले ली गई है। इसलिए मैं समझता हूं कि इसमें गलती जैसी कोई बात नहीं है।

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

श्री धरमलाल कौशिक :- माननीय अध्यक्ष महोदय, जब परिवर्तन होगा तो स्वाभाविक रूप से उसमें पर्यावरण की दूसरी स्वीकृति लगेगी और पर्यावरण की जो स्वीकृति लगेगी तो उसके लिए जो जमीन परिवर्तन किया गया है तो क्या शासन को अधिकार है कि बिना सिया [SEAC] के अनुमति के ये उसमें स्वीकृति प्रदान कर सकते हैं ?

श्री रविन्द्र चौबे :- आप जिनकी अनुमति कह रहे हैं, उन्हीं से स्वीकृति जारी हुई है।

श्री धरमलाल कौशिक :- उसमें नहीं है। मेरे पास में कापी है।

अध्यक्ष महोदय:- चलिये वह कापी दे दीजिए।

श्री रविन्द्र चौबे :- आप उपलब्ध करा दीजिए।

श्री धरमलाल कौशिक :- ठीक है।

अध्यक्ष महोदय :- कुलदीप जुनेजा जी।

श्री धरमलाल कौशिक :- माननीय अध्यक्ष महोदय, इसमें 3 पंचायतों के द्वारा जो शिकायत की गई थी और उसके लिए जो कमेटी बनाई थी कि वह कमेटी जा करके उसकी सुनवाई करे, क्या उन गांव वालों ने जो आपत्ति की थी, उसकी प्रापर सुनवाई हुई ?

श्री रविन्द्र चौबे :- माननीय अध्यक्ष जी, प्राप्त शिकायत की जांच हेतु राज्य स्तर विशेषज्ञ अंकन समिति, छत्तीसगढ़ द्वारा तीन सदस्यीय उपसमिति का गठन किया गया। समिति में श्री अरविंद कुमार गौरहा, डॉ.एम.डब्ल्यू.वाई.खान तथा डॉ. मोहन लाल अग्रवाल शामिल थे। पर्यावरणीय स्वीकृति में जो निर्धारित स्थल तथा नवीन स्थल पाया गया, उसकी स्वीकृति के संबंध में राज्य स्तर विशेषज्ञ अंकन समिति के दो सदस्य स्थल निरीक्षण में गये और यह मैंने तो स्वीकार किया कि निर्धारित स्थल से 180 मीटर की दूरी में नवीन स्थल का चयन किया गया है, ये पाया गया। ग्रामवासियों ने जो शिकायत की, उसी के आधार पर जांच समिति बनी और जांच समिति ने जा करके निरीक्षण किया और इतना परिवर्तन पाया गया। और बाद में उसी की तारीख में बताया कि उसको अनुमति दी गई।

श्री धरमलाल कौशिक :- माननीय अध्यक्ष महोदय, जो आपत्ति हुई, आपत्ति पर सुनवाई होनी थी, जो कमेटी बनाई गई, ये तीनों पंचायत के द्वारा देवेन्द्र सिंह को तय किया गया कि यह हमारी पंचायत की ओर से प्रतिनिधित्व करेंगे और अपनी बात रखेंगे। उनको इन्होंने नहीं सुना और एक दूसरी तारीख तय की। और उसके बाद बिना प्रापर सुनवाई के अवसर दिये समिति ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी। मेरा यह कहना है कि जिनके लिए समिति बनाई गई, उस आपत्ति की उनको सुनवाई करनी थी, आपत्ति की सुनवाई नहीं की तो क्या ऐसी समिति के विरूद्ध में कार्यवाही करेंगे?

श्री रविन्द्र चौबे :- माननीय अध्यक्ष जी, जो शिकायत हुई कि स्थान परिवर्तन हुआ है, उसके लिए जांच कमेटी बनी। उनकी उपस्थिति में ही जांच होनी थी, उनकी सुनवाई होनी थी, ऐसा नहीं है। मैंने कहा कि जिन बिन्दुओं पर शिकायत की गई, उसकी जांच की गई और उसके बाद जिन माध्यमों से

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

उनको पर्यावरणीय स्वीकृति जारी की जानी थी, वह प्राप्त किया गया। माननीय अध्यक्ष जी, यह तो उत्तर में स्पष्ट है।

श्री धर्मजीत सिंह :- माननीय अध्यक्ष महोदय, यह जो जनसुनवाई है इसका सबसे ज्यादा दंश जांजगीर-चांपा, कोरबा, बिलासपुर में हम लोग झेलते हैं । कोई-कोई प्लांट वाले आते हैं, जनसुनवाई होती है । कोई एस.डी.एम. या एडिशनल कलेक्टर की ड्यूटी लगती है और पूरा प्रशासन उद्योगपति के पक्ष में ही लॉबिंग करता है, पूरी तरह से मामला सेट किया जाता है । मैं तो आपसे यह निवेदन करना चाहता हूं कि जनसुनवाई के लिये मिनिमम कम से कम सचिव स्तर के अधिकारी को ही जनसुनवाई करने का अधिकार दिया जाये, चूंकि यह एडिशनल कलेक्टर, एस.डी.एम. के लेवल पर होता है तो बड़ा गड़बड़ होता है और बाद में बहुत तकलीफ होती है । अब वह स्पॉट बदल दिया, एक जगह और इसी तरीके से अकलतरा में हुआ है । कहीं के लिये केप्टिव पॉवर प्लांट का कहीं लगा है अब हम यहां पर कितनी बातों के बारे में प्रश्न लगाते रहें या कितनी बातों को बोलें ? माननीय अध्यक्ष महोदय, कृपा करके मैं आपके माध्यम से यह कहना चाहता हूं कि जनसुनवाई में सुनवाई के लिये एस.डी.एम. लेवल और एडिशनल कलेक्टर के लेवल से उठाकर के मिनिमम कम से कम कमिश्नर या सचिव स्तर के अधिकारी को नियुक्त करने का प्रावधान और आगे होने वाली जो भी जनसुनवाई है उसमें इसके लिये निर्देश देंगे ?

श्री रविन्द्र चौबे :- माननीय अध्यक्ष महोदय, एक तो यह प्रश्न इससे संबंधित नहीं है और उद्भुत नहीं होता ।

अध्यक्ष महोदय :- प्रादेशिक स्तर का प्रश्न है इसलिये मैंने इसको स्वीकृति दी है ।

श्री रविन्द्र चौबे :- नहीं-नहीं, यह जनसुनवाई का नहीं है ।

श्री धर्मजीत सिंह :- यह उसी से संबंधित प्रश्न है । जनसुनवाई में वह एस.डी.एम. क्यों सुना होगा ? श्री देवेंद्र सिंह को नहीं सुना होगा । वह तो पहले सुबह से शाम तक सेटिंग करते हैं कि कौन विरोध में आ रहा है या कौन समर्थन में आ रहा है और मैं कोई आपके ऊपर आरोप नहीं लगा रहा हूं, यह परंपरा ही रही है इसलिए इस परंपरा को तोड़ दीजिये और कम से कम सचिव स्तर के लोगों को रखिये ताकि उस स्तर के अधिकारी से लोग इस प्रकार की बात नहीं कर पायेंगे ।

श्री रविन्द्र चौबे :- अभी तक जो परंपरा है कलेक्टर इज ए नामिनी । जनसुनवाई में वह उपस्थित होता है ।

श्री धर्मजीत सिंह :- आप उसको बदल दीजिये न । सर, आप उसको बदलवा दीजिये ।

अध्यक्ष महोदय :- चलिये, श्री कुलदीप जुनेजा जी अपना प्रश्न करें ।

श्री धर्मजीत सिंह :- आप बदल देंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा । नहीं तो चलिये फिर क्या है, वह तो चल ही रहा है ।

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

सिलतरा औद्योगिक क्षेत्र में उद्योगों द्वारा प्रदूषण की प्राप्त शिकायतें

9. (*क्र. 250) श्री कुलदीप जुनेजा : क्या वन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) रायपुर जिले के धरसींवा ब्लाक अंतर्गत सिलतरा औद्योगिक क्षेत्र में मध्यम एवं वृहद उद्योग से होने वाले प्रदूषण के संबंध में जनवरी, 2019 से सितम्बर, 2019 तक कितनी शिकायतें प्राप्त हुई ? (ख) प्राप्त शिकायतों पर क्या कार्यवाही की गई ?

वन मंत्री (श्री मोहम्मद अकबर) : (क) प्रश्नाधीन अवधि में रायपुर जिले के धरसींवा ब्लाक अंतर्गत सिलतरा औद्योगिक क्षेत्र में मध्यम एवं वृहद श्रेणी के उद्योगों से होने वाले प्रदूषण के संबंध में कुल 03 शिकायतें प्राप्त हुई है. (ख) उक्त शिकायतों के परिप्रेक्ष्य में की गई कार्यवाही की जानकारी परिशिष्ट पर †[3] संलग्न है.

श्री कुलदीप जुनेजा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से यह पूछना चाहता हूं कि रायपुर जिले के धरसींवा ब्लाक अंतर्गत सिलतरा औद्योगिक क्षेत्र में वृहद उद्योग से होने वाले प्रदूषण के संबंध में जनवरी, 2019 से सितम्बर, 2019 तक कितनी शिकायतें प्राप्त हुई हैं और प्राप्त शिकायतों पर क्या कार्यवाही हुई है ?

श्री रविन्द्र चौबे :- श्री कुलदीप जी, जो मूल प्रश्न है उसी को आप दोबारा कर रहे हैं । उसमें उत्तर भी लिखा हुआ है, उसके आगे कुछ बढ़िए न ।

श्री धर्मजीत सिंह :- आप चाहते क्या हैं उसको पूछ लीजिये ।

श्री कुलदीप जुनेजा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, क्या पर्यावरण मंडल ने शिकायतों के अलावा भी स्वत: कोई और भी कार्यवाही की है ?

श्री रविन्द्र चौबे :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मूल प्रश्न शिकायत का था । उत्तर में 3 शिकायतें हैं, वह तो पढ़ ही लिया ।

अध्यक्ष महोदय :- क्या अलग से और कोई शिकायत है ?

श्री रविन्द्र चौबे :- माननीय अध्यक्ष महोदय, इन शिकायतों के अलावा है तो जानकारी मंगवा लेंगे ।

अध्यक्ष महोदय :- श्री धर्मजीत सिंह ।

---

†[3] परिशिष्ट “तीन”

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

प्लास्टिक निर्माण/पालिथिन उपयोग का प्रतिबंध

10. (*क्र. 626) श्री धर्मजीत सिंह : क्या वन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या यह सही है, कि शासन द्वारा अमानक प्लास्टिक निर्माण/पालिथिन उपयोग पर प्रतिबंध लगाया है ? यदि हां, तो कब से ? (ख) क्या यह भी सही है, कि प्लास्टिक निर्माण/पॉलिथिन उपयोग पर प्रतिबंध के बाद, प्लास्टिक/पॉलिथिन निर्माण करने वाले उद्योगों का लायसेंस नवीनीकरण किया गया है ?

वन मंत्री (श्री मोहम्मद अकबर) : (क) जी नहीं. राज्य शासन द्वारा सभी प्लास्टिक वस्तुओं के निर्माण/उपयोग पर प्रतिबंध नहीं लगाया गया है. अपितु राज्य शासन द्वारा अधिसूचना दिनांक 24.12.2014 के माध्यम से प्लास्टिक कैरी बैग के निर्माण/उपयोग पर दिनांक 01.01.2015 से प्रतिबंध लगाया गया था. तत्पश्चात् उक्त अधिसूचना को अधिक्रमित करते हुए नवीन अधिसूचना दिनांक 27.09.2017 के माध्यम से प्लास्टिक कैरी बैग, अल्प-जीवन पी.व्ही.सी. एवं क्लोरीनयुक्त प्लास्टिक अर्थात् विज्ञापन एवं प्रचार सामग्री (पी.व्ही.सी. के बैनर, फ्लैक्स, होर्डिंग्स, फोम बोर्ड आदि) तथा खान पान के लिए प्रयुक्त प्लास्टिक की वस्तुएं (कप, ग्लास, प्लेट, बाउल एवं चम्मच) के विनिर्माण एवं उपयोग पर अधिसूचना जारी दिनांक से रोक लगाई गई है. (ख) जी नहीं. उपरोक्त अधिसूचना के जारी होने के पश्चात् छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल द्वारा प्लास्टिक कैरी बैग एवं प्रतिबंधित प्लास्टिक उत्पादों का उत्पादन किये जाने हेतु जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1974 एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनिमय 1981 के तहत पूर्व में जारी किये गये सम्मति का नवीनीकरण नहीं किया गया.

श्री धर्मजीत सिंह :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने जो प्रश्न पूछा है उसके जवाब में मंत्री जी ने यह कहा है । चूंकि मैंने पूछा था कि क्या यह सही है कि शासन द्वारा अमानक प्लास्टिक निर्माण पॉलिथिन उपयोग पर प्रतिबंध लगाया गया है उसके जवाब में मंत्री जी ने कहा कि जी नहीं मतलब आपने प्रतिबंध नहीं लगाया है । आगे उन्होंने अपने जवाब में कहा है कि राज्य शासन द्वारा सभी प्लास्टिक वस्तुओं के निर्माण, उपयोग पर प्रतिबंध नहीं लगाया गया है अपितु राज्य शासन द्वारा अधिसूचना दिनांक 24.12.2014 के माध्यम से प्लास्टिक कैरी बैग के निर्माण, उपयोग पर दिनांक 01.01.2015 से प्रतिबंध लगाया गया था । तत्पश्चात् उक्त अधिसूचना को अधिक्रमित करते हुए नवीन अधिसूचना दिनांक 27.09.2017 के माध्यम से प्लास्टिक बैग, कैरी बैग, अल्प-जीवन, पी.व्ही.सी. एवं क्लोरिनयुक्त प्लास्टिक अर्थात् विज्ञापन एवं प्रचार सामग्री, पी.व्ही.सी. के बैनर, फ्लैग, होर्डिंग, फोम बोर्ड आदि तथा खान-पान के लिये प्रयुक्त प्लास्टिक की वस्तुएं कप, ग्लास, प्लेट, बाऊल, चम्मच के निर्माण एवं उपयोग पर अधिसूचना जारी दिनांक से रोक लगायी गयी है तो यह प्रतिबंध और रोक लगायी गयी

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

है और नहीं लगायी गयी है इसका जरा अंतर समझा दीजिये । एक तरफ बोलते हैं कि रोक लगायी गयी है और एक तरफ बोलते हैं कि रोक नहीं लगायी गयी है तो पहले तो यही बताईए फिर मैं आगे पूछूं ।

श्री रविन्द्र चौबे :- माननीय धर्मजीत भइया ने जो पढ़ा, उसमें प्रश्न है और उसी में उत्तर भी है। जिसका लगाया गया और जिसका नहीं लगाया गया, आपने खुद ही पढ़ा ।

श्री अजय चन्द्राकर :- यानी आपके खड़े होने की जरूरत नहीं है ?

श्री रविन्द्र चौबे :- नहीं, यह तो बताना पड़ेगा ना, आपको भी बता रहा हूं यह तो । आदरणीय, आपने जितना उल्लेख किया, जितना पढ़ा । उसमें प्रतिबंध लगाया है, रोक लगाई गई है । शेष समझ लीजिए आप ।

श्री धर्मजीत सिंह :- तो फिर आपने शुरूआत में ही जी नहीं क्यों लिखा है ?

श्री अजय चन्द्राकर :- 1 मिनट, 1 मिनट ।

श्री रविन्द्र चौबे :- अभी उनका प्रश्न तो पूरा हो जाए । अजय जी, क्या धर्मजीत भइया का प्रश्न खत्म हो गया ?

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- अध्यक्ष जी से अनुमति तो ले लो, ऐसे ही खड़े हो जाते हो ।

श्री अजय चन्द्राकर :- रोक लगाना अस्थायी चीज होती है और प्रतिबंध लगाना स्थायी होता है । आपने स्थायी प्रावधान किया है या अस्थायी ?

श्री धर्मजीत सिंह :- सर, एक तरफ उन्होंने पहले ही लिख दिया, "जी नहीं" । मंत्री जी के जवाब का पहला शब्द ही है, "जी नहीं" । बाद में उन्होंने पूरा विस्तार से बताया कि प्रतिबंध लगाया गया है ।

श्री रविन्द्र चौबे :- इतने में ।

श्री धर्मजीत सिंह :- हां । यदि प्रश्नांश "क" का जवाब "जी नहीं" है तो फिर किसमें प्रतिबंध लगाया गया है यह बता दीजिए ?

श्री रविन्द्र चौबे :- आपने जितना उल्लेख किया, उसके अलावा ।

श्री धर्मजीत सिंह :- ठीक है । अब आपने मेरे प्रश्न "ख" लिखा है कि क्या यह सही है कि प्लास्टिक निर्माण, पॉलिथीन उपयोग पर प्रतिबंध के बाद, प्लास्टिक/ पॉलिथीन निर्माण करने वाले उद्योगों का लायसेंस नवीनीकरण किया गया है । उसमें मंत्री जी ने जवाब दिया है - जी नहीं । उपरोक्त अधिसूचना के जारी होने के बाद छत्तीसगढ़ पर्यावरण मण्डल द्वारा प्लास्टिक कैरी बैग एवं प्रतिबंधित प्लास्टिक उत्पादों के उत्पादन किये जाने हेतु जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम 1974, वायू प्रदूषण निवारण अधिनियम 1981 के तहत पूर्व में जारी की गई सम्मति का नवीनीकरण नहीं किया गया है । मैं यह कहना चाहता हूं कि जो आपने 1974 और 1981 में सम्मति प्रदान की है, उस पर क्या ये 14 और 17 का नियम लागू होता है या नहीं । आपने 2014 और 2017 का जो आदेश जारी किया है ?

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

अध्यक्ष महोदय :- यह बड़ा कंफ्यूजिंग प्रश्न है, उत्तर भी कंफ्यूजिंग आएगा । आप उनके पास जाकर बैठ जाइए, वे समझा देंगे ।

श्री धर्मजीत सिंह :- चलिए, तो मैं जनरल बात कह देता हूं ।

अध्यक्ष महोदय :- जनरल बात यह है कि आप प्लास्टिक बंद करना चाहते हैं उसका सब्सटीट्यूट आपके पास कुछ है नहीं । हवा में बात होती रहेगी कि इन्होंने बंद किया, इन्होंने शुरू किया । प्लास्टिक को समाप्त करेंगे तो किस चीज का उपयोग करेंगे, वह नहीं बन रहा है ।

श्रीमती रश्मि आशिष सिंह :- अध्यक्ष महोदय, बायो-डिग्रेडेबल को प्रमोट करने की मांग यहां पर की जा रही है ।

अध्यक्ष महोदय :- बायो-डिग्रेडेबल कहां बन रहा है ?

श्रीमती रश्मि आशिष सिंह :- छत्तीसगढ़ में कुछ कारखाने हैं जहां बनते हैं ।

अध्यक्ष महोदय :- कहां बनता है ?

श्री धर्मजीत सिंह :- माननीय मुख्यमंत्री जी का भी संदेश है कि बंद करें । पूरे देश की इच्छा है कि बंद हो लेकिन जो प्लास्टिक नष्ट हो जाए, आप उसका उपयोग करवाएं । उसमें आपत्ति नहीं है । लेकिन मुम्बई, सूरत, गुजरात की तरफ से प्लास्टिक का बहुत बड़ा खेप छत्तीसगढ़ में ट्रान्सपोर्ट से आता है । वह खेप यहां खपता है । मैं यहां के छोटे उद्योगपति या छोटे-छोटे निर्माताओं का विरोध नहीं कर रहा हूं । मेरा मतलब यह है कि एक संदेश और सरकार का आदेश होना चाहिए कि बाहर से जो प्लास्टिक का बड़ा-बड़ा ज़खीरा ट्रान्सपोर्ट से आता है और वह बिकता है, उसको कैसे रोकेंगे और फलैक्स, बैनर वगैरह के लिए भी आप कुछ नीतिगत् आदेश करिये ताकि जनता को इस बात का संतोष हो । उसे बहुत तकलीफ है, गायें मर रही हैं, नाली जाम होती है, प्रदूषण फैल रहा है और प्लास्टिक के खिलाफ तो पूरी दुनिया चल रही है तो मैं उम्मीद करता हूं कि छत्तीसगढ़ सरकार भी चलने की कोशिश करेगी ।

मुख्यमंत्री (श्री भूपेश बघेल) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, बहुत महत्वपूर्ण विषय है और पूरा देश और दुनिया इससे चिंतित है । छत्तीसगढ़ भी इस दिशा में प्रयास कर रहा है । प्लास्टिक का उपयोग किस प्रकार से कम हो । इस दिशा में शासन ने बहुत विचार किया । जिस प्रकार से, जैसे हम लोग नर्सरी तैयार करते हैं तो प्लास्टिक के बैग से ही तैयार करते हैं । हम लोगों ने वन विभाग को निर्देशित किया है कि वहां के वनांचल में रहने वाले हमारी बहनें है वे बांस की टोकरी बनाएं । हालांकि थोड़ा सा महंगा पड़ेगा, लेकिन उससे रोजगार भी मिलेगा और बांस का विदोहन होगा और प्लास्टिक से निजात भी मिलेगी । दूसरा, जो हमारी गौठान योजना चल रही है वहां भी हमारी बहनों को हमने मशीनें दे दी हैं, जो मिट्टी और गोबर से बने हुए गमले बना रही हैं ताकि प्लास्टिक का उपयोग कम से कम हो । आपने चिंता जाहिर की कि गुजरात, मुम्बई से जो प्लास्टिक आ रहे हैं, मैं सदन को आश्वस्त करता हूं कि यदि इस प्रकार से कोई ला रहा होगा तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी ।

Uncorrected and Unedited/Not for Publication

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

श्री अजीत जोगी :- अध्यक्ष जी, मुख्यमंत्री जी ने स्वत: कई बार कहा है कि प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगना है। वस्तुस्थिति यह है कि हर तरह के प्लास्टिक पर प्रतिबंध नहीं लग सकता। आपने और अध्यक्ष जी ने सही कहा कि इसका कोई substitute अभी हमारे पास नहीं है, किन्तु हमारी चिंता फर्स्ट यूज प्लास्टिक जो रिसाइकिल नहीं हो सकता, केवल ऐसे प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगाने की है। मैं मुख्यमंत्री जी से और मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि जिस प्लास्टिक को रिसाइकिल नहीं किया जा सकता और जिसे केवल एक यूज के बाद ही फेंक दिया जाता है। फर्स्ट यूस प्लास्टिक नॉन रिसाइकिलेबल । इतने को बाद प्रतिबंधित कर दीजिए। बाकी के लिए जब तक विकल्प न निकले, तब तक उस पर धीरे-धीरे विचार करें। तो मेरा प्रश्न यह है कि फर्स्ट यूस प्लास्टिक नॉन रिसाइकिलेबल, इस पर आप पूरी तरह से प्रतिबंध करेंगे या नहीं।

श्री रविन्द्र चौबे :- अध्यक्ष जी, सदन की चिंता सामयिक है और आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने इस पर स्पष्ट रूप से कहा कि केवल प्रतिबंध लगाने से इसमें रोक नहीं लगेगी। उसके संदर्भ में हम नीति बनाने जा रहे हैं। उन्होंने गौठान की गोबर से गमले बनाने की बात कही, बंबू से छोटे-छोटे कैरी बैग की जगह में हम जिसमें प्लांटेशन कर सकें, इन सारी बातों को उन्होंने कहा। माननीय जोगी जी आपने कहा न कि सिंगल यूज और नॉन रिसाइकिल करने वाली प्लास्टिक के संदर्भ में। छत्तीसगढ़ की सरकार के द्वारा छत्तीसगढ़ प्लास्टिक और अनन्य जीव अनाशित सामग्री उपयोग और निस्तारण का विनियमन अधिनियम बनाने की कार्यवाही हम कर रहे हैं। सरकार के द्वारा जितनी चिंता माननीय धर्मजीत भैय्या ने की, आपने की और पूरे सदन की चिंता है, जैसा कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने निर्देश दिया, ये अधिनियम बनाने की कार्यवाही प्रचलित है और इसमें इन सारी चीजों को हम समावेश करेंगे कि छत्तीसगढ़ में किस प्रकार से उपयोग किया जा सकता है और जैसा बाहर की प्लास्टिक के बारे में सूरत के बारे में आपने जिक्र किया, उसे कैसे प्रतिबंधित किया जा सकता है? कितनी मात्रा की कैरी बैग और किस तरीके से यूज किया जा सकता है, इसके लिए एक विधि सम्मत अधिनियम बनाने की कार्यवाही प्रचलित है।

श्री अजीत जोगी :- कब तक बन जायेगा। क्या आप कोई आश्वासन देंगे?

श्री रविन्द्र चौबे :- आप इस सदन के नेता रहे हैं। मुख्यमंत्री रहे हैं। अब सरकार की कार्यवाही है, लेकिन शीघ्र की करेंगे।

अध्यक्ष महोदय :- माननीय मंत्री जी, इसके साथ ही साथ मैं चाहता हूं कि जो रिसाइकिलेबल प्लास्टिक है, उसके उद्योग जैसे बायोडिग्रीडेबल प्लास्टिक बनाना है, उसके उद्योग और ऑक्सी-डिग्रीडेबल प्लास्टिक बनाना है उसके उद्योग, इन तीनों के लिए आप नये-नये उद्योगपतियों को बुलाइए। जब तक ये उद्योग आपके यहां नहीं लगेंगे, चाहे वह गुजरात से आयेगा, चाहे कहीं से भी आयेगा, अगर उस तरह के प्लास्टिक आयेंगे तो उस पर आप प्रतिबंध नहीं लगा सकते। हमें ऑक्सी-डिग्रीडेबल, बॉयो-डिग्रीडेबल

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

दोनों तरह के प्लास्टिक यहां बनाने पड़ेंगे और जब तक नहीं बना सकते, तब तक बाहर से आयेंगे और अगर बाहर वालों पर आपत्ति लगायेंगे तो फिर वह प्लास्टिक आपके यहां जारी रहेगा।

श्री रविन्द्र चौबे :- अध्यक्ष जी, आसंदी में यदि आपने चिंता व्यक्त की तो मैंने बताया कि छत्तीसगढ़ में प्लास्टिक उपयोग और निस्तारण के विनियमन का अधिनियम हम बनाने जा रहे हैं। यह बनने के बाद जैसी आपने चिंता जाहिर की छत्तीसगढ़ में कैसे उद्योग लगेंगे, ये अधिनियमित होने के बाद निश्चित रूप से ..।

अध्यक्ष महोदय :- डॉ. कृष्णमूर्ति बांधी।

श्री पुन्नूलाल मोहले :- माननीय अध्यक्ष महोदय।

अध्यक्ष महोदय :- का होगे गा।

श्री पुन्नूलाल मोहले :- माननीय मंत्री जी से मैं यह जानना चाहता हूं..।

अध्यक्ष महोदय :- का होगे प्लास्टिक के बारे में का जानबे।

श्री पुन्नूलाल मोहले :- कोई पूछे नहीं हे। मैं पूछना चाहत हो कि एकरो बर अध्ययन दल बनही का। बस अतके। अध्यक्ष महोदय के माध्यम से पूछना चाहत हो कि एकरो बर अध्ययन दल बनही का।

अध्यक्ष महोदय :- चौबे जी, तोर ममा कुछू पूछथे।

डॉ. कृष्णमूर्ति बांधी :- समिति बनही का अध्ययन दल जाये बर।

रविन्द्र चौबे :- ते फिर से बताते का कहेस।

अध्यक्ष महोदय :- तोर ममा कुछू पूछथे।

श्री पुन्नूलाल मोहले :- पूछथो का एक ठोक अध्ययन दल बढ़गे का।

श्री रविन्द्र चौबे :- अभी हमर जतका अध्ययन दल बने हे, ततके में तूमन परेशान हो।

श्री पुन्नूलाल मोहले :- नहीं हमन परेशान नहीं हन। ते हा जल्दी से परेशानी ला दूर कर गा।

श्री रविन्द्र चौबे :- अभी एक ठोक क्वेश्चन शुरूआत में उही तो होइसे न।

श्री पुन्नूलाल मोहले :- लेना उही ला दूर कर ले भैय्या।

श्री रविन्द्र चौबे :- अउ काबर अध्ययन दल? हमन कानून बनावथन।

श्री पुन्नूलाल मोहले :- तो जल्दी शुरू कर।

श्री अजय चन्द्राकर :- भांचा हे करके तोर ले लागत नहीं हे।

श्री रविन्द्र चौबे :- नहीं-नहीं, ऐसी बात नहीं हे, अजय जी। ओ ममा ही बहुत होशियार हे। ओला तहू जानथेस।

श्री अजय चन्द्राकर :- लागत नहीं हे तोर संग। मोर भांचा हे करके।

श्री पुन्नूलाल मोहले :- हमर ममा कतका होशियार हे। एला तहू जानथस अउ पूरा प्रदेश जानथे। (हंसी)

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

श्री शिवरतन शर्मा :- सहमत हन। बिल्कुल।

श्री रविन्द्र चौबे :- है न। फिर तो ओखर बात ला मानेच ला पढ़ही।

<u>बिलासपुर संभाग में किसानों द्वारा व्यवसायिक बैंकों से लिया गया कृषि ऋण</u>

11. (*क्र. 824) डॉ. कृष्णमूर्ति बांधी : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) बिलासपुर संभाग में 01 नवम्बर, 2018 की स्थिति में कितने किसानों में व्यवसायिक बैंक व बैंकों से कृषि ऋण लिया था ? जिलेवार एवं बैंकवार जानकारी देवें ? (ख) 01 जनवरी, 2019 से 01 नवम्बर, 2019 के मध्य प्रश्नांश (क) अनुसार कितने किसानों का कितना ऋण माफ किया गया है व कितना ऋण माफ किया जाना शेष है ? जिलेवार एवं बैंकवार जानकारी दे दवें ?

मुख्यमंत्री (श्री भूपेश बघेल) : (क) बैंकों से प्राप्त जानकारी अनुसार बिलासपुर संभाग में 01 नवम्बर, 2018 की स्थिति में कुल 3,52,316 किसानों ने ऋण लिया था. जिलेवार एवं बैंकवार जानकारी प्रपत्र (अ) एवं प्रपत्र (ब) पर †[4] संलग्न है. (ख) बैंकों से प्राप्त जानकारी अनुसार अल्पकालीन कृषि ऋण माफी योजना अंतर्गत 3,52,443 किसानों का रुपये 158123.61 लाख का ऋण माफ किया गया है तथा रुपये 17874 लाख का भुगतान किया जाना शेष. जिलेवार एवं बैंकवार जानकारी प्रपत्र (स) एवं प्रपत्र (द) पर † संलग्न है.

डॉ0 कृष्णमूर्ति बांधी :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से जानना चाह रहा हूं कि पूरे बिलासपुर संभाग में कितने किसानों ने ऋण लिया है। आपने बताया कि 3,52,316 किसान हैं। अब इन किसानों का समस्त बैंकों में कितना कर्ज था या इनका कितने रूपये का ऋण बनता था ?

श्री भूपेश बघेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, आपको उत्तर में ही जानकारी दे दिया गया है।, इसमें 3,52,316 किसान ऋण लिए थे। इसमें 1,58,123.61 लाख रूपये का ऋण माफ किया गया है तथा रूपये 17,874 लाख रूपये का भुगतान किया जाना शेष है। इन दोनों जोड़ दीजिये तो उत्तर आ जायेगा।

डॉ0 कृष्णमूर्ति बांधी :- माननीय अध्यक्ष महोदय, दोनों जोड़कर कुल किसानों का आ जायेगा। माननीय मुख्यमंत्री जी, अब दूसरा प्रश्न है। जिन किसानों का भुगतान शेष है, आपने बताया कि 17,874 लाख का भुगतान शेष है। माननीय मुख्यमंत्री जी यह बताने का कष्ट करेंगे क्या कि ये किस-किस जिले में किस-किस बैंक में कितना-कितना राशि लंबित पड़ा हुआ है, भुगतान के लिए शेष है ?

अध्यक्ष महोदय :- बहुत लंबा प्रश्न है। उसका उत्तर लिखित में दे दीजियेगा।

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

---

†[4] परिशिष्ट "चार"

डॉ0 शिव कुमार डहरिया :- पूरा प्रदेश भर के प्रश्न ला पूछबे..।

डॉ0 कृष्णमूर्ति बांधी :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने बिलासपुर संभाग का प्रश्न किया है।

श्री भूपेश बघेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं किसानों की संख्या बता देता हूँ। स्टेट बैंक आफ इण्डिया से 12,180 किसान, सेन्ट्रल बैंक आफ इण्डिया से 6,209, कार्पोरेशन बैंक से 560, यूनियन बैंक से 2,022...।

डॉ0 कृष्णमूर्ति बांधी :- माननीय अध्यक्ष महोदय, शेष राशि। मानीय मुख्यमंत्री जी ..।

अध्यक्ष महोदय :- आपने विस्तृत प्रश्न पूछा है तो विस्तृत उत्तर आ रहा है। आप लोग जबरन समय खराब करते हैं।

श्री भूपेश बघेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, आपको कोई और जानकारी चाहिए..।

अध्यक्ष महोदय :- श्री आशीष कुमार छाबड़ा।

डॉ0 कृष्णमूर्ति बांधी :- माननीय अध्यक्ष महोदय, जो 17,874 करोड़ का ऋण का भुगतान शेष है, इसका किस-किस जिले के किस-किस बैंक का भुगतान शेष है ? मैं यही जानना चाह रहा हूं ?

श्री भूपेश बघेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं वही तो बता रहा हूं।

डॉ0 कृष्णमूर्ति बांधी :- माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्यमंत्री जी, उसका उत्तर नहीं है। आपने जो जानकारी दिया है, उसमें उसका उत्तर नहीं है। इसलिए मैं जानना चाह रहा हूं।

अध्यक्ष महोदय :- चलिये नहीं है, तो भिजवा देंगे।

श्री भूपेश बघेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपको अतिरिक्त जानकारी दे दूंगा।

अध्यक्ष महोदय :- श्री आशीष कुमार छाबड़ा।

डॉ0 कृष्णमूर्ति बांधी :- माननीय अध्यक्ष महोदय, अभी उत्तर आया नहीं है।

अध्यक्ष महोदय :- आपको जवाब दे देंगे। लिखित में जवाब आ जायेगा।

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्यमंत्री जी स्वीकार कर रहे हैं कि बिलासपुर संभाग में ...।

अध्यक्ष महोदय :- शर्मा जी, लिखित में जवाब आ जायेगा। काहे को, आज आखिरी दिन है।

नेता प्रतिपक्ष (श्री धरम लाल कौशिक):- माननीय अध्यक्ष महोदय, मुख्यमंत्री जी इस बात को कहा कि हमने एक साल के लिए कर्ज माफी की बात की है, दोबारा के लिए नहीं किए हैं। हम लोग भी नहीं बोलते हैं कि मुख्यमंत्री जी दोबारा कर्जमाफी के लिए बोले हैं या नहीं बोले हैं। हम स्पष्टीकरण भी नहीं चाहते हैं। हम लोग तो केवल इतना कहना चाहते हैं कि आपने तो केवल एक वर्ष की कर्जमाफी की बात की है। आपने एक वर्ष में ग्रामीण बैंक, सहकारी बैंक का जो ऋण माफ किया, उससे ज्यादा कर्ज किसानों ने व्यवसायिक बैंक से लिया है। क्योंकि ड्रिप का कर्ज वहीं से है, स्प्रीकलर का भी वहीं से है,

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

व्यवसायिक बैंक से है। बाकी जो कर्जे हैं, तो जो उस व्यवसायिक बैंक के जो कर्जे हैं, कुल कितना कर्ज किसानों के ऊपर है और कितना कर्ज माफ किया जाना है, केवल एक साल का, उतना पूछना चाहते हैं और कब तक माफ करेंगे ?

श्री भूपेश बघेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, जो कारन्ट इयर का है, वह सब माफ हो गया है। ये तो वह है जो एन0पी0ए0 हो गए हैं, उनका है। उसमें भी उन बैंकों का पैसा लंबित है, जिसमें बोर्ड आफ डायरेक्टर की मीटिंग नहीं हो पाई है। क्योंकि उसमें नेगोशियसन चल रहा है। क्योंकि उसमें ब्याज बहुत अधिक बढ़ गया है, जो एन0पी0ए हो गए हैं, जो डिफाल्टर हो गए हैं। तो हम लोग नेगोशियेसन कर रहे हैं। बहुत सारे बैंकों से नेगोशियेसन हो गया है। दो बैंको के बोर्ड आफ डायरेक्टर की बैठक ही नहीं हुई है। जब वे फैसला लेंगे उसके बाद पैसा पटा देंगे। हमारे पास पैसा रखा हुआ है। क्योंकि वह प्रक्रिया है। जो करन्ट इयर का है, उसमें देने में दिक्कत नहीं था, हमने तत्काल दे दिया। चाहे वह कोआपरेटिव बैंक का हो, चाहे आर0आर0बी0 का हो, चाहे व्यवसायिक बैंक का हो। लेकिन जो डिफाल्टर किसान हैं, उनका पैसा बचा हुआ है। हमने उसको भी कहा कि हम उनका भी ऋण माफ करेंगे और इस कारण से जो उसकी प्रक्रिया है, निगोशिएशन चलता है, हम कह रहे हैं कि हम 50 परसेंट दे देंगे, वे 15 परसेंट कह रहे हैं । मध्यप्रदेश में तो 25 प्रतिशत तक देने के लिए तैयार हो गए हैं तो इस प्रकार से निगोशिएशन चल रहा है, मात्र 351 करोड़ ही बचा है । बचत पैसा पट चुका है, पूरे प्रदेश की स्थिति में है ।

नेता प्रतिपक्ष (श्री धरम लाल कौशिक) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्यमंत्री जी से हम एक साल की ही बात कर रहे हैं । अब निगोशिएशन की बात आ रही है, अभी जगदलपुर के किसान को एक बार जेल भेजा गया, दोबारा फिर से उसको पकड़कर जेल में बंद कर दिया गया । जेल में बंद किया गया और ऐसे बहुत सारे किसान हैं, जिनको नोटिस मिला है ।

श्री भूपेश बघेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, वह आपके दलालों के कारण से हुआ है । वह आपके कार्यकाल का है, आपके कारण हुआ है ।

श्री धरम लाल कौशिक :- अध्यक्ष महोदय, मैं बोल रहा हूं कि भाजपा सरकार में जिन्होंने लोन लिया है, आप उन्हीं किसानों का लोन माफ करेंगे । आपकी सरकार को तो एक साल भी नहीं हुआ है और आपने उसी की तो घोषणा की कि जो किसान कर्ज लिए हैं, उनका लोन माफ करेंगे । आपको उसी समय बोल देना था कि हमारी सरकार में जो कर्ज लेगा, उनका ही लोन हम माफ करेंगे । आपकी सरकार और तुम्हारी सरकार की बात कहां से आ गई ?

श्री भूपेश बघेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, वह जो दलाल घूम रहे हैं, कमीशनखोर हैं, उनकी बात हो रही है ।

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

श्री धरम लाल कौशिक :- कमीशन खोर है, दलाल है, जो भी है, उसको आप बंद करो, लेकिन आप किसान को जेल में भेज रहे हो और आपके आश्वासन के आधार पर किसान जेल में जा रहा है । जो कि आपने उनको बंद की स्थिति में रखा है ।

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- किसानों को तो आप लोग जेल भेजते थे ।

श्री धरम लाल कौशिक :- माननीय अध्यक्ष महोदय, हम मुख्यमंत्री जी से चाहते हैं कि जिन किसानों को बैंक का नोटिस मिला है और नोटिस मिलने के बाद में मुख्यमंत्री जी के आश्वासन पर वे कर्ज नहीं पटाए हैं, ऐसे किसानों का बैंक से निगोशिएशन करके कि बैंक के अधिकारियों को वे आदेश करेंगे क्या कि जब तक उनका निगोशिएशन न हो जाए, तब तक उनको जो कर्ज का नोटिस दिया गया है, उन पर कार्यवाही न करें, उनको खेत न बेचना पड़े, यह घोषणा आज आप करेंगे ?

श्री भूपेश बघेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, को-आपरेटिव्ह बैंक होता, आर.आर.बी. होता तो मैं बोल भी देता । वह राष्ट्रीयकृत बैंक है ।

श्री धरम लाल कौशिक :- अध्यक्ष महोदय, यह तो स्टेट गारंटी में सब हो जाएगा ।

श्री भूपेश बघेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, ऐसा है कि हमने सबको पत्र लिखा, सबसे निगोशिएशन हुआ । जो दो बैंक है-केनरा बैंक और आई.डी.बी.आई. बैंक, इसी से उनके बोर्ड आफ डायरेक्टर की मीटिंग नहीं हुई है वह हो जाएगा तो पटा देंगे । निगोशिएशन हो जाएगा तो पटाने में क्या तकलीफ है ?

(भारतीय जनता पार्टी के तीन-चार सदस्य एक साथ खड़े होने पर)

अध्यक्ष महोदय :- चार मिनट बचे हैं, अगला प्रश्न आने दीजिए । आशीष कुमार छाबड़ा ।

श्री बृहस्पत सिंह :- छाबड़ा जी का प्रश्न आने दीजिए । (व्यवधान)

श्री धरम लाल कौशिक :- अध्यक्ष महोदय, यह अल्पकालीन और दीर्घकालीन की बात है, जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने बताया है । (व्यवधान) उन किसान का लोन कब तक माफ करेंगे (व्यवधान)

श्री अजय चन्द्राकर :- अध्यक्ष महोदय, सरकार की ओर से कोई जवाब नहीं आ रहा है, सरकार लोन माफ करने का आदेश नहीं कर रही है, लोन माफ करने में सक्षम नहीं हैं । हम उनके उत्तर से असंतुष्ट होकर सदन से बहिर्गमन करते हैं । (व्यवधान)

समय :
11:59 बजे

<u>बहिर्गमन</u>

<u>भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों द्वारा शासन के उत्तर के विरोध में</u>

(श्री अजय चन्द्राकर, सदस्य के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों द्वारा शासन के उत्तर के विरोध में नारे लगाते हुए सदन से बहिर्गमन किया गया)

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

श्री भूपेश बघेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, ये बेहद दुर्भाग्यजनक है। भारतीय जनता पार्टी के सारे सदस्य किसानों का हित नहीं चाहते ।

श्री बृहस्पत सिंह :- अध्यक्ष महोदय, ये सदन के भगोड़े लोग हैं, इनको सदन में भगोड़े घोषित कर दीजिए । बार-बार भागने का काम कर रहे हैं, इनको भगोड़ा घोषित कर दीजिए ।

<u>तारांकित प्रश्नों के मौखिक उत्तर (क्रमश:)</u>

अध्यक्ष महोदय :- आशीष कुमार छाबड़ा, अपना प्रश्न जल्दी करें ।

<u>बेमेतरा विकासखण्ड में बाक्साईट का अवैध भण्डारण/क्रशिंग/परिवहन पर कार्यवाही</u>

12. (*क्र. 1065) श्री आशीष कुमार छाबड़ा : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) बेमेतरा विकासखण्ड के ग्राम चोरभट्टी में किस-किस फर्म/व्यक्ति को बाक्साईट के क्रशिंग करने एवं भण्डारण करने हेतु अनुज्ञापत्र कब-कब जारी किया गया ? नाम सहित जानकारी देवें ? (ख) क्या बेमेतरा विकासखंड के ग्राम चोरभट्टी में बिना अनुज्ञापत्र के अवैध रूप से किसी संस्था/व्यक्ति द्वारा बाक्साईट का परिवहन करने, भण्डारण करने एवं क्रशिंग करने की शिकायत विभाग को वर्ष 2019 से 10 नवम्बर, 2019 के मध्य प्राप्त हुई अथवा विभाग के संज्ञान में आयी है ? (ग) यदि हां, तो किस अधिकारी द्वारा उसका परीक्षण/निरीक्षण/जांच कब-कब की गई एवं उसमें क्या-क्या पाया गया तथा संबंधित के विरूद्ध किस किस धारा के तहत क्या-क्या कार्यवाही की गई ?

मुख्यमंत्री (श्री भूपेश बघेल) : (क) बेमेतरा विकासखण्ड के ग्राम चोरभट्टी में किसी भी फर्म को बाक्साईट के क्रशिंग एवं भण्डारण का अनुज्ञापत्र जारी नहीं किया गया है. अतः नाम सहित जानकारी का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है. (ख) जी हां. (ग) उत्तर "ख" के परिप्रेक्ष्य में खनि निरीक्षक, बेमेतरा के द्वारा दिनांक 08.11.2019 को शिकायत स्थल ग्राम पंचायत चोरभट्टी का निरीक्षण किया गया, शिकायत निराधार पाया गया. अतः जानकारी निरंक है.

श्री आशीष कुमार छाबड़ा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी से जानना चाहा था कि मेरे बेमेतरा विकासखण्ड में बॉक्साईड का भंडारण एवं क्रेशिंग चोरभट्ठी में किया जा रहा है या नहीं ? माननीय मुख्यमंत्री जी का जवाब आया है कि नहीं किया जा रहा है । मैं माननीय मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में लाना चाहूंगा कि चोरभट्ठी से लगा हुआ ग्राम बसनी है, वहां अवैध रूप से क्रशिंग भी की जा रही है, भंडारण भी किया जा रहा है । मैं एक आरोप लगाना चाहूंगा कि पूर्व में सरकार में जो ओहदेदार लोग बैठे थे, उनके दबाव में गलत तरीके से वहां डायवर्सन भी किया गया ।

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

अध्यक्ष महोदय :- उत्तर आने के लिए समय चाहिए ।

श्री आशीष कुमार छाबड़ा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरी उपस्थिति में माननीय मुख्यमंत्री जी वहां जांच कराने का आदेश देंगे क्या ?

श्री भूपेश बघेल :- अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने खुद ही स्वीकार किया कि चोरभट्‌टी में किसी प्रकार की अनुज्ञप्ति नहीं दी गयी है, ग्राम बसनी में दिया गया है । उसकी अनुज्ञप्ति जारी की गई है, वह विधि अनुसार हुआ है ।

श्री आशीष कुमार छाबड़ा :- बसनी में है ।

श्री भूपेश बघेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, बसनी में है । बसनी में उन्होंने भंडारण की अनुज्ञप्ति ली है । सरकार ने स्वीकृति दी है ।

अध्यक्ष महोदय :- प्रश्नकाल समाप्त ।

(प्रश्नकाल समाप्त)

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

समय :

12:00 बजे

पत्रों का पटल पर रखा जाना

(1) छत्तीसगढ़ राज्य के तृतीय राज्य वित्त आयोग का प्रतिवेदन वर्ष 2017-2018 से 2021-2022 एवं उस पर कृत कार्यवाही प्रतिवेदन

मुख्यमंत्री (श्री भूपेश बघेल) :- अध्यक्ष महोदय, मैं, भारत के संविधान के अनुच्छेद 243-झ के खण्ड 4 तथा अनुच्छेद 243 म के खण्ड 2 की अपेक्षानुसार छत्तीसगढ़ राज्य के तृतीय राज्य वित्त आयोग का प्रतिवेदन वर्ष 2017-2018 से वर्ष 2021-2022 एवं उस पर कृत कार्यवाही प्रतिवेदन पटल पर रखता हूँ ।

(2) अधिसूचना क्रमांक एफ 7-7/2004/12, दिनांक 16 अगस्त, 2019 द्वारा अधिसूचित छत्तीसगढ़ गौण खनिज साधारण रेत (उत्खनन एवं व्यवसाय) नियम, 2019

मुख्यमंत्री (श्री भूपेश बघेल) :- अध्यक्ष महोदय, मैं खान एवं खनिज विकास एवं विनियमन अधिनियम, 1957 (क्रमांक 67 सन् 1957) की धारा 28 की उपधारा (3) की अपेक्षानुसार अधिसूचना क्रमांक एफ 7-7/2004/12, दिनांक 16 अगस्त, 2019 द्वारा अधिसूचित छत्तीसगढ़ गौण खनिज साधारण रेत (उत्खनन एवं व्यवसाय) नियम, 2019 पटल पर रखता हूँ ।

(3) अधिसूचना क्रमांक एफ 7-7/2004/12 दिनांक 20 सितम्बर, 2019

मुख्यमंत्री (श्री भूपेश बघेल) :- अध्यक्ष महोदय, मैं खान एवं खनिज विकास एवं निनियमन अधिनियम, 1957 क्रमांक 67 सन् 1957 की धारा 28 की उपधारा 3 की अपेक्षानुसार अधिसूचना क्रमांक एफ- 7-7/2004/12 दिनांक 20 सितम्बर 2019 पटल पर रखता हूँ ।

(4) छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग (ग्रिड इंटरैक्टिव विकेन्द्रित नवीकरणीय उर्जा स्त्रोत) विनियम, 2019

मुख्यमंत्री (श्री भूपेश बघेल) :- अध्यक्ष महोदय, मैं, विद्युत अधिनियम, 2003 (क्रमांक 36 सन् 2003) की धारा 182 की अपेक्षानुसार छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग (ग्रिड इंटरैक्विट विकेन्द्रित नवीकरणीय उर्जा स्त्रोत) विनियम, 2019 पटल पर रखता हूँ ।

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

(5) वर्ष 2019-2020 के बजट की प्रथम तथा द्वितीय तिमाही के आय तथा व्यय की प्रवृत्तियों की समीक्षा

मुख्यमंत्री (श्री भूपेश बघेल) :- अध्यक्ष महोदय, मैं, छत्तीसगढ़ राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंध अधिनियम, 2005 (क्रमांक 16 सन् 2005) की धारा 6 की उपधारा (1) की अपेक्षानुसार वर्ष 2019-2020 के बजट की प्रथम तथा द्वितीय तिमाही के आय तथा व्यय की प्रवृत्तियों की समीक्षा पटल पर रखता हूँ ।

(6) पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्मृति स्वास्थ्य विज्ञान एवं आयुष विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़ का वार्षिक प्रतिवेदन सत्र वर्ष 2018-2019 (दिनांक 01 जुलाई, 2018 से 30 जुन, 2019 तक)

स्वास्थ्य मंत्री (श्री टी.एस.सिंहदेव) :- अध्यक्ष महोदय, मैं, छत्तीसगढ़ आयुष एवं स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय अधिनियम, 20089 (क्रमांक 21 सन् 2008) की धारा 43 की अपेक्षानुसार पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्मृति स्वास्थ्य विज्ञान एवं आयुष विश्वविद्यालय, छत्तीसगढ़ का वार्षिक प्रतिवेदन सत्र 2018-19 (दिनांक 01 जुलाई, 2018 से 30 जून, 2019 तक) पटल पर रखता हूँ ।

(7) छत्तीसगढ़ राज्य वन विकास निगम लिमिटेड का वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखे वर्ष 2017-18

वन मंत्री (श्री मोहम्मद अकबर) :- अध्यक्ष महोदय, मैं, कंपनी अधिनियम 2013 (क्रमांक 18 सन 2013) की धारा 395 की उपधारा (1) के पद बी की अपेक्षानुसार छत्तीसगढ़ राज्य वन विकास निगम लिमिटेड का वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखे वर्ष 2017-2018 पटल पर रखता हूँ ।

(8) छत्तीसगढ़ स्टेट सिविल सप्लाईज कार्पोरेशन लिमिटेड का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2016-2017 तथा 2017-2018

खाद्य मंत्री (श्री अमरजीत भगत) :- अध्यक्ष महोदय, मैं, कंपनी अधिनियम, 2013 (क्रमांक 18 सन् 2013) की धारा 395 की उपधारा (1) के पद (बी) की अपेक्षानुसार छत्तीसगढ़ स्टेट सिविल सप्लाईज कार्पोरेशन लिमिटेड का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2016-2017 तथा 2017-2018 पटल पर रखता हूँ ।

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

(9) संत गहिरा गुरू विश्वविद्यालय सरगुजा, अंबिकापुर का वार्षिक प्रतिवेदन (1 जुलाई, 2018 से 30 जून, 2019) तथा हेमचंद यादव विश्वविद्यालय, दुर्ग का चतुर्थ वार्षिक प्रतिवेदन (1 जुलाई, 2018 से 30 जून, 2019)

उच्च शिक्षा मंत्री (श्री उमेश पटेल) :- अध्यक्ष महोदय, मैं छत्तीसगढ़ विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 क्रमांक 22 सन 1973 की धरा 47 की अपेक्षानुसार-

(1) संत गहिरा गुरू विश्वविद्यालय सरगुजा, अंबिकापुर का वार्षिक प्रतिवेदन (1 जुलाई, 2018 से 30 जून, 2019) एवं

(2) हेमचंद यादव विश्वविद्यालय, दुर्ग का चतुर्थ वार्षिक प्रतिवेदन (1 जुलाई, 2018 से 30 जून 2019) पटल पर रखता हूँ ।

(10) पंडित सुंदरलाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़ बिलासपुर का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2018-2019 (1 अप्रैल 2018 से 31 मार्च, 2019) पटल पर रखेंगे ।

उच्च शिक्षा मंत्री (श्री उमेश पटेल) :- अध्यक्ष महोदय, मैं, पंडित सुंदरलाल शर्मा मुक्त विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़ अधिनियम, 2004 (क्रमांक 26 सन् 2004) की धारा 29 की उपधारा (2) की अपेक्षानुसार पंडित सुंदरलाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़, बिलासपुर का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2018-2019 (1 अप्रैल 2018 से 31 मार्च, 2019) पटल पर रखता हूँ ।

(11) छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग का वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखा संपरीक्षा प्रतिवेदन वित्तीय वर्ष 2018-2019

उच्च शिक्षा मंत्री (श्री उमेश पटेल) :- अध्यक्ष महोदय, मैं छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) अधिनियम, 2005 (क्रमांक 13 सन् 2005) की धारा 42 के अधीन अधिसूचित छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) नियम, 2005 के नियम 22 एवं नियम 23 के उप नियम (घ) की अपेक्षानुसार छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग का वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखा संपरीक्षा प्रतिवेदन वित्तीय वर्ष 2018-2019 पटल पर रखता हूँ ।

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

समय :

12:09 बजे

न्यायिक जांच आयोग का जांच प्रतिवेदन

जिला-बीजापुर के थाना बासागुड़ा के ग्राम सरकेगुड़ा और जिला-सुकमा के थाना जगरगुडा के ग्राम सिलगेर एवं चिमलीपेटा में दिनांक 28-29 जून, 2012 की रात्रि सुरक्षा बलों की मुठभेड़ की घटना की जांच हेतु गठित न्यायिक जांच आयोग का जांच प्रतिवेदन

मुख्यमंत्री (श्री भूपेश बघेल) :- अध्यक्ष महोदय, मैं जांच आयोग अधिनियम, 1952 क्रमांक 60 सन् 1952 की धारा 3 की उपधारा 4 की अपेक्षानुसार- जिला-बीजापुर के थाना बासागुड़ा के ग्राम सरकेगुड़ा और जिला-सुकमा के थाना जगरगुंडा के ग्ारम सिलगेर एवं चिमलीपेटा में दिनांक 28-29 जून 2012 की रात्रि सुरक्षा बलों की मुठभेड़ की घटना की जांच हेतु गठित न्यायिक जांच आयोग का जांच प्रतिवेदन पटल पर रखता हूँ ।

पृच्छा

डॉ. रमन सिंह (राजनांदगांव) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने मुख्यमंत्री जी और सामान्य प्रशासन विभाग के सचिव के विरूद्ध विशेषाधिकार भंग की सूचना दी है। अध्यक्ष महोदय, छत्तीसगढ़ शासन के सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा 11 जुलाई, 2012 द्वारा 28-29 जून, 2012 को सारकेगुडा, चिंमलीपेंटा में सुरक्षाबलों के मुठभेड़ की न्यायिक जांच हेतु न्यायिक जांच आयोग के गठन की अधिसूचना जारी की गई थी। अध्यक्ष महोदय, सबसे दुखद विषय यह है कि विधानसभा का सत्र चल रहा है और सात दिनों से हम विधानसभा में बैठे हैं, विधानसभा के सत्र के बाद प्रथम उपलब्ध दिन पर इसकी रिपोर्ट को प्रस्तुत करने की जवाबदारी है। ये विधानसभा की सरासर अवमानना है कि इतनी महत्वपूर्ण रिपोर्ट पेपर के माध्यम से पूरा हिन्दूस्तान पढ़ रहा है, विधानसभा में यह हम सबके लिए और सारे विधायकों के लिए और खास तौर से कि इस सारकेगुड़ा कांड की रिपोर्ट आ गई है तो इसे सबसे पहले विधानसभा के पटल पर प्रस्तुत किया जाना चाहिए। छत्तीसगढ़ में ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं जिनमें सदन के बाहर ये सारी बातें आती हैं, इससे सदन का औचित्य क्या रह जाता है? इतने सारे विधायक बैठे हैं, इससे सदन की गरिमा और महत्व खत्म हो जाता है। यह सरकार के लिए बहुत गंभीर विषय है और इसके लिए हमने विशेषाधिकार भंग की सूचना दी है। यह सदस्यों का और इस विधानसभा का विशेषाधिकार है। इस समिति की रिपोर्ट पूरे हिन्दुस्तान के पेपरों में बड़े-बड़े अक्षरों में छप रही है। आज इसकी गंभीरता को देखते हुए हम सबने कहा है कि प्रथम अवसर हमें मिले और इस पर हम चर्चा करें।

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

समय :

12:07 बजे **(सभापति महोदय (श्री सत्यनारायण शर्मा) पीठासीन हुए)**

श्री विकास उपाध्याय (रायपुर नगर पश्चिम) :- सभापति महोदय, यह बहुत ही दुखद विषय है जिस पर मैं आप सबका ध्यान आकर्षित करवाना चाहता हूं। एक बहुत ही दुखद विषय है जो पूरे छत्तीसगढ़ के हर पालक के लिए बहुत ही दुख का विषय है। परसों भारत माता स्कूल के दो बच्चों की पिकनिक मनाने के दौरान मृत्यु हो गई। सबसे पहले पूरे सदन की ओर से मृतात्मा की शांति और उनके परिवार को इस दुख को सहने की शक्ति दे इसकी प्रार्थना करता हूं। सभापति महोदय, दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि कोई भी शैक्षणिक कैलेंडर/अकादमिक कैलेंडर में पिकनिक का उल्लेख नहीं होता है और प्रायवेट स्कूल बच्चों को पिकनिक लेकर जाते हैं और वहां कोई सुरक्षा व्यवस्था नहीं होती है। आप लोग भी एक पालक हैं और एक पालक की क्या पीड़ा है वह मैं बताना चाहता हूं। मैं सबसे पहले सदन में मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने सबसे पहले दुखद परिवार के लिए 4-4 लाख रूपये की सहायता दी। सभापति महोदय, यह बहुत गंभीर मामला है। मेरा एक छोटा सा निवेदन है, शिक्षामंत्री जी और गृहमंत्री जी यहां पर हैं, पिकनिक के लिए अनिवार्यता नहीं होती है, पिकनिक की अनिवार्यता स्कूल वाले प्रेसर डालकर करते हैं और पालक अपने बच्चों को मना नहीं करते। मेरा आपसे निवेदन है कि गृह विभाग और शिक्षा विभाग हर स्कूल को एक कड़ा पत्र जारी करे ताकि पिकनिक की अनिवार्यता को समाप्त किया जाए और यदि पिकनिक ले जा रहे हैं तो उसमें सुरक्षा, पुलिस व्यवस्था करें, स्थल का निरीक्षण करें, आदि तमाम चीजों का ध्यान होना चाहिए, ये मैं कहना चाहता हूं। बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री शिवरतन शर्मा (भाटापारा) :-माननीय सभापति महोदय, हमने माननीय मुख्यमंत्री जी और सामान्य प्रशासन विभाग के सचिव के विरूद्ध विशेषाधिकार हनन की सूचना दी है। माननीय सभापति महोदय, इस सत्र में माननीय मुख्यमंत्री जी के विरूद्ध ये हमारी तीसरी विशेषाधिकार हनन की सूचना है। माननीय मुख्यमंत्री जी लगातार इस सदन की अवमानना कर रहे हैं। आज सारकेगुड़ा की जो न्यायिक जांच आयोग की रिपोर्ट है, वह सरकार को महीने-सवा महीने पहले प्राप्त हो गई थी उसे पटल पर माननीय मुख्यमंत्री जी आज रख रहे हैं पर पूरे देश के समाचार पत्रों में 1 दिसंबर की तारीख में वह छप चुकी है। यह सरासर सदन की अवमानना है। रेत खदान के मामले में भी सी.एम.डी.सी. से काम कराने की घोषणा की, बाद में इन्होंने केबिनेट में निर्णय बदल दिया। सदन की अवमानना अगर सदन का नेता करने लगेगा, इस विधायिका की अवमानना अगर सदन का नेता करने लगेगा तो इस सदन का क्या औचित्य रह जाता है? सभापति महोदय, मैं आपसे निवेदन करता हूं कि हमारी विशेषाधिकार हनन की

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

सूचना पर आप चर्चा करायें। सभापति महोदय, सदन की मर्यादा को बनाये रखने के लिए इस विषय पर चर्चा आवश्यक है, यह मैं आपसे निवेदन करता हूं।

श्री केशव प्रसाद चंद्रा (जैजेपुर) :- माननीय सभापति महोदय, विकासखंड मालखौदा के ग्राम कोटा के नीरज कुमार कुर्रे को 22 अक्टूबर को पुलिस करके ले गयी और पूछताछ के बहाने रातभर उनसे मारपीट किये। दूसरे दिन उनको अस्पताल में भर्ती किये, उसके बाद जिला अस्पताल लेकर गये, सिम्स ले करके गये, 28 तारीख को उनके घर में ला करके छोड़ दिये। इतनी बुरी तरीके से उनको पिटा गया था, चोट लगी थी, वे ठीक नहीं हुए और एक महीने बाद पुन: उनको ईलाज के लिये सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र ले करके गये, तो उनकी मृत्यु हो गयी। माननीय सभापति महोदय, 29 तारीख को उनकी मृत्यु हुई है, आज तक पुलिस वालों के ऊपर कोई कार्यवाही नहीं हुई। लोग वहां आंदोलन कर रहे हैं। मैं चाहता हूं कि जैसे हत्या के आरोप में जो सजा मिलती है, पुलिस वालों के ऊपर कार्यवाही की जाये। मालखौदा के जो थाना प्रभारी हैं, वहां जो भी पुलिस वाले उनके साथ मारपीट किये हैं, उनके ऊपर कार्यवाही की जाये। यह मेरा सदन से आग्रह है।

सभापति महोदय :- माननीय श्री अजय चंद्राकर जी।

श्री अजय चंद्राकर (कुरूद) :- माननीय सभापति महोदय,..।

नगरीय प्रशासन मंत्री (डॉ. शिवकुमार डहरिया) :- माननीय सभापति महोदय, ये फिर बाहर आ गये, इनको थोड़ा अंदर रहने बोलिए न।

श्री कुलदीप जुनेजा :- उनकी आपस में बात हुई है। नारायण चंदेल जी को डर लगता है। उनका हाथ पैर बहुत चलता है तो नारायण चंदेल जी उनसे बहुत डरते हैं।

श्री अजय चंद्राकर :- माननीय सभापति महोदय, अभी आप कार्यसूची देख लीजिए। कार्यसूची में कहीं पर यह प्रिंट नहीं है कि माननीय मुख्यमंत्री जी न्यायिक जांच का प्रतिवेदन रखेंगे। माननीय संसदीय कार्यमंत्री लगातार ये इस सत्र में और पूरे एक साल में विषय उठाकर रखे हैं कि सदन को जितना अवमानित किया जा सके, वह किया जाये। यदि माननीय मुख्यमंत्री जी को आज यह विषय रखना था, पुनर्स्थापित करना था, प्रतिवेदन रखना था तो पूरक कार्यसूची जारी हो सकती थी। न आसंदी की व्यवस्था आई, माननीय मुख्यमंत्री खड़े होते हैं और प्रतिवेदन को रख देते हैं। यह जांच का प्रतिवेदन है..।

श्री बृहस्पत सिंह :- माननीय सभापति महोदय, इस संबंध में ग्राह्य होकर चर्चा शुरू हो गयी। क्या आपने चर्चा की अनुमति दी है ?

श्री अजय चंद्राकर :- मैं आपसे इतना कहना चाहता हूं, आप भी संसदीय कार्यमंत्री रहे हैं, क्या सदन की बिना अनुमति के सारकेगुड़ा जैसे महत्वपूर्ण विषय का प्रतिवेदन चुपचाप रखा जा सकता है। इसकी अपनाने की क्या प्रक्रिया है, एक ? दूसरा, सरकार को प्राप्त है, विधानसभा चल रही है, उसके बाद

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

जानबूझकर पेपर में लीक किया गया, यह सरकार हर महत्वपूर्ण मामलों को पहले प्रेस में बता रही है, फिर (व्यवधान)।

सभापति महोदय :- अनुपूरक कार्यसूची जारी हुई है। (व्यवधान)

श्री बृहस्पत सिंह :- सदन में सूचना दे रहे हैं। (व्यवधान)

श्री अजय चंद्राकर :- आपसे आग्रह है कि विशेषाधिकार हनन में इतनी बड़ी घटना कभी नहीं हुई। (व्यवधान) पेपर में लीक हुई। इतनी बड़ी घटना नहीं हुई, इससे ज्यादा अपमान सदन का नहीं हो सकता। (व्यवधान)

सभापति महोदय :- सूची जारी हुई है। चंद्राकर जी, पूरक सूची जारी हुई है। पूरक सूची जारी हुई है।

श्री धरमलाल कौशिक :- माननीय सभापति महोदय, पूरक सूची जारी हुई है तो हम लोगों को कॉपी मिली नहीं है।

श्री अजय चंद्राकर :- हमको तो पूरक सूची कहीं पर नहीं मिली है।

सभापति महोदय :- पूरक सूची जारी हुई है।

श्री धरमलाल कौशिक :- ये कब जारी हो गयी। किसी को कापी नहीं मिली है।

श्री अजय चंद्राकर :- यही तो बात है, आप सब करवा दो। किसी को कापी नहीं मिली है।

सभापति महोदय :- खाने में देखिए।

श्री धरमलाल कौशिक :- यह महत्वपूर्ण घटना है।

श्री अजय चंद्राकर :- सदन का अपमान है। हम सदस्य होकर बाहर नहीं जायेंगे। (व्यवधान)

सभापति महोदय :- खाने में देख लेना। (व्यवधान) आप हस्ताक्षर करते हैं।

श्री अजय चंद्राकर :- पूरक सूची सीट में भी तो हो सकती है। मुझे एक कागज सदन के अंदर मिली है, मैं उसे दिखाता हूं।

सभापति महोदय :- चंद्राकर जी, आप आते हैं, हस्ताक्षर सूची में दस्तखत करते हैं, अपने खाने में कागज लेते हैं, अनुपूरक सूची जारी हुई है। आपको देखना चाहिए।

श्री अजय चंद्राकर :- माननीय सभापति महोदय, जिस समय मैं दस्तखत किया, उस समय पूरक सूची जारी नहीं हुई थी और एक कागज अभी मुझे सदन के अंदर मिला है। यदि पूरक सूची जारी हुई तो सदन के अंदर वितरित हुई है, ऐसा इस विधानसभा में हुआ है।

सभापति महोदय :- श्री नारायण चंदेल।

श्री नारायण चंदेल (जांजगीर चांपा) :- माननीय सभापति महोदय, सदन चल रही है और लगातार इस सरकार के द्वारा, जब भी सदन चलती है, सदन की अवमानना की जाती है। विधायिका का अपना एक महत्व है और विशेषाधिकार हनन की सूचना हम लोगों ने दी है। हमारा आपसे निवेदन है कि उस

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

पर चर्चा हो, कार्यवाही हो और ताकि इसलिए कार्यवाही हो, इस पर चर्चा हो कि भविष्य में कोई विधायिका का अपमान न कर सकें। सदन का अपमान न कर सकें, यह आपसे निवेदन है।

श्री धर्मजीत सिंह (लोरमी):- माननीय सभापति महोदय, मेरे लोरमी विधान सभा क्षेत्र के ग्राम नौरवपुर ग्राम पंचायत रबेली, तहसील लोरमी जिला मुंगेली के आदिवासी किसान अपने हक के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं और राजस्व विभाग के मंत्री जी बैठे हैं मैं चाहूंगा कि मुख्यमंत्री जी की उपस्थिति में, आप भी ध्यान दें । वहां पर एक कृषि सहकारी साख समिति बहुत पहले बनी हुई थी, जिसमें 18 सदस्य हैं और ये सभी के सभी आदिवासी हैं। कृषि सहकारी साख समिति का विखंडन हो चुका है सरकार में उसके लिए इश्तहार, दावा आपत्ति, शपथ पत्र और पटवारी प्रतिवेदन कृषि सहकारी साख समिति नौरवपुर के विघटन की सारी प्रक्रिया जनवरी 2019 में पूरी हो चुकी है। मैं कई बार कलेक्टर साहब से और कई बार अन्य अधिकारियों से मिलकर कोशिश किया कि उनको, गरीबों को पट्टा मिले। वे लोग परेशान रहते हैं, उनको 2-2, 3-3 एकड़ जमीन मिलनी है। अगर आप उसमें एक टेलीफोन करके पहल कर देंगे तो उनको 2 दिन के अंदर ही पट्टा मिल जाएगा और उन आदिवासियों का भला हो जाएगा, प्रक्रिया पूरी हो चुकी है, लेकिन आपके संदेश से उसका काम हल्का होगा और मैं इसके लिए ध्यानाकर्षण भी लगाया था, परंतु आ नहीं पाया है इसलिए मेरा यह धर्म है कि मेरे क्षेत्र के गरीब आदिवासियों के लिए, माननीय टी.एस.बाबा साहब, वहां के मंत्री हैं। आप फोन कर दीजिएगा, मैं अभी आपको कागज दे देता हूँ। आपने मुझे बोलने का समय दिया, उसके लिए आपको धन्यवाद्।

श्री केशव प्रसाद चंद्रा (जैजैपुर) :- माननीय सभापति महोदय, एक तारीख से प्रदेश में धान खरीदी शुरू हुई और जिला जांजगीर-चांपा में 30 तारीख को उप पंजीयक सहकारी संस्था के द्वारा ये आदेश जारी किया जाता है कि 209 खरीदी केन्द्र के खरीदी प्रभारी और कम्प्यूटर ऑपरेटर, सभी का स्थानांतरण कर दिया गया है और उनके स्थानांतरित हो जाने से एक साथ, 209 खरीदी केन्द्र में स्थानांतरित हो जाने से जांजगीर-चांपा जिले के किसी भी खरीदी केन्द्र में कल खरीदी प्रारंभ नहीं हो पायी। वहां पूरी व्यवस्था चरमरा गई है, माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन से निवेदन करना चाहता हूँ कि पूर्व की भांति उनको यथावत रखा जाये ताकि किसान अपना धान बेच सकें। यह तो सरकार की लगातार नाटक चल रहा है कि किसान धान मत बेच सकें।

सभापति महोदय :- जी।

श्री केशव प्रसाद चंद्रा :- माननीय सभापति महोदय, यह व्यवस्था पहले बनानी थी, लेकिन 30 तारीख को उप पंजीयक सहकारी संस्था के द्वारा कलेक्टर के निर्देश पर आदेश जारी किया गया और 209 समिति के संस्था प्रबंधक और कम्प्यूटर ऑपरेटर को स्थानांतरित कर दिया गया है। आपने मुझे बोलने का समय दिया, उसके लिए आपको धन्यवाद्।

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

श्री पुन्नूलाल मोहले (मुंगेली) :- माननीय सभापति महोदय, यह पेपर लीक कैसे हो जाता है, यह जांच का विषय है। हम विशेषाधिकार की सूचना देते हैं और यह विधान सभा की अवमानना है। आपने मुझे बोलने का समय दिया, उसके लिए आपको धन्यवाद्।

श्री मोहन मरकाम (कोण्डागांव) :- माननीय सभापति महोदय, सारकेगुड़ा में 17 निर्दोष आदिवासियों की हत्या हो जाती है, न्याययिक जांच रिपोर्ट पटल पर रखी गई है, इसमें चर्चा करके जो दोषी हैं, जो पिछली सरकार 17 आदिवासियों की हत्या करवाई है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने सदन के पटल पर रखा है, इसकी चर्चा की जाये, मैं आपसे निवेदन करता हूँ। आपने मुझे बोलने का समय दिया, उसके लिए आपको धन्यवाद्।

डॉ. कृष्णमूर्ति बांधी (मस्तूरी):- माननीय सभापति महोदय, जो विशेषाधिकार हनन की सूचना दी गई है, यह बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना है कि एक जनप्रतिनिधि हैं, वे जिस तरीके से सभा में काम करते हैं, बाहर काम करते हैं और सभी जगह काम करते हैं, उनकी अवेहलना होना एक निंदनीय है और हम इसका पूर्णत: विरोध करते हैं और सभा में इसकी चर्चा करायी जाये।

सभापति महोदय :- चलिये। सदन की ओर से अभी तक प्राप्त ...। (व्यवधान)

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय सभापति महोदय, जब.... (व्यवधान)

नेता प्रतिपक्ष (श्री धरमलाल कौशिक) :- माननीय सभापति महोदय, यह महत्वपूर्ण सूचना है। हमने विशेषाधिकार हनन की सूचना दी है। सदन चल रहा है प्रतिवेदन प्रस्तुत होना है। प्रतिवेदन के बाद में बाकी जानकारियां मिलनी चाहिए, यहां जो सभा में सदस्य हैं उनको जानकारी नहीं है। प्रेस में पहले छप गया, यह इस सदन की घोर अवमानना है और इसके पहले हम लोग देखे हैं जब रेत का मामला आया। जिस प्रकार से सदन में मुख्यमंत्री जी के द्वारा घोषणा की गई थी कि छत्तीसगढ़ मिनरल डेवलपमेंट कार्पोरेशन के अंतर्गत उसको चलाया जायेगा, बाद में जो विभाग को दिया गया और यहां जो कमीटमेंट है जो हाऊस के अंदर है, यदि उसकी विश्वसनीयता नहीं है तो हाऊस के बाहर इस सदन की क्या विश्वसनीयता होगी ? और दूसरी बार आज जब यहां पर प्रतिवेदन प्रस्तुत हो गया है , मुख्यमंत्री जी को पटल पर रखना है तो पटल पर रखने के बजाए, यह हमको पेपर में पढ़ने को मिल रहा है, ये घोर अवमानना है इसमें हम व्यवस्था चाहते हैं कि आखिर यह लीक कैसे हुआ ? इसके ऊपर सुनिश्चित होना चाहिए ? हमने विशेषाधिकार हनन की सूचना दी है और उस पर चर्चा होनी चाहिए। माननीय सभापति महोदय, हम उस पर व्यवस्था चाहते हैं।

सभापति महोदय :- जी। आपकी सूचना प्राप्त हुई है।

श्री मोहन मरकाम :- माननीय सभापति महोदय, पिछली सरकार में भी मीना खलको की टाईप जांच रिपोर्ट, इस सदन के पटल पर अंतिम दिन ...(व्यवधान)

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

समय :

12:20 बजे

ध्यानाकर्षण सूचना

सभापति महोदय :- सदस्यों की ओर से अभी तक प्राप्त ध्यानाकर्षण की सूचनाओं में दर्शाये गये विषयों की अविलंबनीयता तथा महत्व के साथ ही माननीय सदस्यों के विशेष आग्रह को देखते हुए सदन की अनुमति की प्रत्याशा में नियम 138 (3) को शिथिल करके मैंने आज की कार्यसूची में 21 ध्यानाकर्षण सूचनाएं शामिल किये जाने की अनुज्ञा प्रदान की है। इनमें से क्रमश: प्रथम चार ध्यानाकर्षण सूचनाओं को संबंधित सदस्यों के द्वारा पढ़े जाने के पश्चात संबंधित मंत्री द्वारा वक्तव्य दिया जावेगा तथा उनके संबंध में सदस्यों द्वारा नियमानुसार प्रश्न पूछे जा सकेंगे। उसके बाद की अन्य सूचनाओं के संबंध में प्रक्रिया यह होगी कि वे सूचनायें संबंधित सदस्यों द्वारा पढ़ी हुई मानी जावेगी तथा उनके संबंध में लिखित वक्तव्य संबंधित मंत्री द्वारा पटल पर रखा माना जावेगा। लिखित वक्तव्य की एक-एक प्रति सूचना देने वाले सदस्यों को दी जावेगी, संबंधित सदस्यों की सूचनाएं तथा उन पर संबंधित मंत्री का वक्तव्य कार्यवाही में मुद्रित किया जावेगा। मैं समझता हूं कि सदन इससे सहमत है।

(सदन द्वारा सहमति प्रदान की गई।)

पहले क्रमांक (1) से (4) तक की सूचनाएं ली जावेगी।

(भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों द्वारा नारे लगाये गये।)

श्री धरमलाल कौशिक :- माननीय सभापति जी, यह बहुत गंभीर मामला है, सदन की अवमानना है। . (व्यवधान).. माननीय अध्यक्ष महोदय, हमने विशेषाधिकार की सूचना दी है।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, यह तो अवमानना का प्रकरण है। (व्यवधान)

श्री धरमलाल कौशिक :- यह तीसरी घटना है, यह भविष्य में न घटे, यह सुनिश्चित होना चाहिए, इस पर चर्चा कराई जानी चाहिए।

श्री शिवरतन शर्मा :- यह लगातार तीसरी घटना है।

सभापति महोदय :- देखिये, आपकी विशेषाधिकार की सूचना आज प्रात: 10 बजे प्राप्त हुई है, वह विचाराधीन है।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय सभापति महोदय, आपसे आग्रह है कि आप इस पर चर्चा करवायें। . (व्यवधान).. सारी चर्चा बाहर कर लेते हैं। . (व्यवधान)

सभापति महोदय:- देखिये, आज प्रात:10 बजे सूचना प्राप्त हुई है।

श्री धरमलाल कौशिक :- यह पहली घटना नहीं है। यह विधानसभा की अवमानना होगी।

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

श्री अजय चन्द्राकर :- सारी चर्चा बाहर कर लें।

श्री धरमलाल कौशिक :- यह सदन की अवमानना है। . (व्यवधान)

श्री धर्मजीत सिंह :- माननीय सभापति महोदय, सालकेगुड़ा की रिपोर्ट आई है। विपक्ष का ये कहना है कि सरकार के पास एक महीने से पड़ी है। पड़ी है, वहां तक भी आपत्ति नहीं है। वह लीक हुई, पेपर में गया। फिर ये जो रिपोर्ट है, इनकी सरकार की तो है नहीं, उस वक्त तो सरकार रमन सिंह जी की थी।

श्री अजय चन्द्राकर :- बिल्कुल नहीं है। किसको बचाना चाहती है, किसको छुपाना चाहती है।

श्री धर्मजीत सिंह :- दिल्ली में जो भी सरकार रही हो, उतना याद नहीं है। उसमें कोई भी पर्दा डालने की कोई कुचेष्टा या चेष्टा नहीं होनी चाहिए। क्योंकि यह प्रदेश के उन बेकसूर लोगों की जिंदगी और मौत का प्रश्न था जिस पर सरकार के ही निर्देश पर आयोग का गठन हुआ। उसमें अगर चर्चा हो जायेगी तो सरकार भी छोटी नहीं होगी और इसमें किसी को नीचा दिखाने की मंशा भी नहीं है। लेकिन इससे एक तो संदेश जायेगा कि आगामी कभी भी किसी भी वर्षों में इस प्रकार की जांच आयोग की कोई भी रिपोर्ट आये, या तो वह गुप्त रहे या फिर वह सदन में पेश हो। पर अखबार के माध्यम से कोई जाने, अभी अखबार के माध्यम से बहुत सी चीजें हो रही हैं। ये सदन के चलते तो कम से कम नहीं होना चाहिए। मेरा आग्रह है कि इस पर विनम्रतापूर्वक विचार कर लीजिए, इस पर चर्चा कर ली जाये।

सभापति महोदय:- यही मैंने निवेदन है कि आज प्रात: 10 बजे सूचना प्राप्त हुई है, ये विचाराधीन है।

श्री अजय चन्द्राकर :- हम इसको मानने के लिए तैयार नहीं हैं। . (व्यवधान)

सभापति महोदय :- श्रीमती रंजना डीपेन्द्र साहू, अपनी ध्यानाकर्षण की सूचना पढ़ें।

श्री नारायण चंदेल :- माननीय सभापति महोदय, इस पर विचार किया जाना चाहिए।

श्री धरमलाल कौशिक :- माननीय सभापति महोदय, सदन की अवमानना हो रही है। सदन के चलते सदन में प्रतिवेदन प्रस्तुत होने के बजाय रिपोर्ट बाहर लीक की जा रही है, यह सदन की अवमानना है।

श्री नारायण चंदेल :- इस पर चर्चा करा लें।

श्री शिवरतन शर्मा :- आज जिस रिपोर्ट को माननीय मुख्यमंत्री जी ने सदन के पटल में रखा है, यह समाचार कल पेपरों में पूरी तरह छप चुका है।

श्री अजय चन्द्राकर :- हम 10 बजे स्थगन, ध्यानाकर्षण लगाते हैं। . (व्यवधान) सदन की इतनी बड़ी अवमानना कभी नहीं हुई, किसी सरकार में नहीं हुई है। सारी बातें बाहर कर लेते हैं। . (व्यवधान)

(भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों द्वारा नारे लगाये गये।)

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

सभापति महोदय :- सदन की कार्यवाही 5 मिनट के लिए स्थगित।

(12.25 से 12.54 बजे तक कार्यवाही स्थगित रही)

समय :
12:54 बजे **(सभापति महोदय (श्री सत्यनारायण शर्मा) पीठासीन हुए)**

श्री मोहन मरकाम :- माननीय सभापति महोदय, सारकेगुड़ा में 17 आदिवासियों की हत्या हुई है । मैं कहता हूं कि सदन में इस पर चर्चा होनी चाहिए ।

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय सभापति महोदय, हमने पूर्व में आपको माननीय मुख्यमंत्री जी के विरूद्ध विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव दिया है और हमारा निवेदन है कि सदन के सम्मान के लिये हमारे विशेषाधिकार हनन के प्रस्ताव पर आप चर्चा करायें तो ज्यादा अच्छा होगा ।

सभापति महोदय :- श्रीमती रंजना डीपेंद्र साहू ध्यानाकर्षण सूचना पढ़ें ।

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय सभापति महोदय ।

सभापति महोदय :- आपकी बात रिकॉर्ड में आ गयी ।

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय सभापति महोदय, आप इस पर कोई व्यवस्था तो दें ।

सभापति महोदय :- माननीय सदस्या श्रीमती रंजना डीपेंद्र साहू ध्यानाकर्षण सूचना पढ़ें ।

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय सभापति महोदय, कोई व्यवस्था तो आनी चाहिए उसके बाद ही कोई बात होनी चाहिए ।

सभापति महोदय :- मैंने पहले ही बताया कि वह विचाराधीन है ।

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय सभापति महोदय, हमारा एक स्थगन आपको पिछले 4 दिन पहले दिया हुआ है । पूरे प्रदेश में शराब की अवैध बिक्री हो रही है । छत्तीसगढ़ पूरा प्रदेश नशे के गिरफ्त में आ रहा है । पूर्ववर्ती सरकार ने कोचिया प्रथा बंद हो, अवैध शराब बिकना बंद हो, शासकीय दुकानें खोलीं लेकिन दुर्भाग्यजनक स्थिति यह है कि आज की तारीख में शासकीय दुकानों में भी पूरा अवैध काम संचालित हो रहा है । ओवर रेट पर शराब बिक रही है । बाहर के, पूर्व के जो ठेकेदार हैं उनके लठैतों को सेल्समेन के रूप में रखा गया है और सबसे बड़ी बात यह है कि जो इसका विरोध करता है उसके साथ लगातार मारपीट की घटनाएं की जा रही हैं और पूरा प्रदेश इस अवैध शराब की बिक्री से परेशान है । लोग लगातार अपने कलेक्टर से, माननीय मुख्यमंत्री जी से, विभाग से लगातार शिकायत कर रहे हैं । लेकिन विभाग कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है । इन्होंने अपने जन-घोषणा पत्र में लिखा था कि हमारी सरकार बनेगी तो हम शराब पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाएंगे लेकिन प्रतिबंध लगाने के बजाय अवैध

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

शराब धड़ल्ले से बिक रही है । हमने इस पर स्थगन प्रस्ताव दिया है, आपसे निवेदन है कि इसे ग्राह्य करके चर्चा करा लें ।

श्री नारायण चंदेल (जांजगीर-चांपा) :- माननीय सभापति महोदय, हम सब लोगों ने शराब पर स्थगन प्रस्ताव दिया है । निश्चित रूप से पूरे प्रदेश में शराब माफिया सक्रिय हैं । शराब दुकानों में ओवर रेट पर शराब बिक रही है । अपराध बढ़ रहे हैं । कोचियों के द्वारा अवैध शराब बेची जा रही है । गांव-गांव में माहौल खराब होता जा रहा है, इसलिए हम सभी विपक्षी दलों ने मिलकर इस लोक महतव के विषय पर स्थगन प्रस्ताव दिया है, सदन की कार्यवाही रोककर इस पर चर्चा कराएं ।

डॉ. कृष्णमूर्ति बांधी (मस्तूरी) :- माननीय सभापति महोदय, दारू के कारण, शराब के कारण पूरे छत्तीसगढ़ की ग्रामीण अर्थव्यवस्था छिन्न-भिन्न हो गई है । आप कुछ स्कूलों में बच्चों की दर्ज संख्या देख लीजिए, 12वीं में कितने रहते हैं और कॉलेज में कितने जाते हैं । यहां तक की शिक्षा में फर्क पड़ रहा है, छत्तीसगढ़ का भविष्य खराब हो रहा है ।

श्री अजय चन्द्राकर (कुरूद) :- माननीय सभापति महोदय, आप बार-बार कहते हैं इसलिए आज मैं अंदर से बोल रहा हूं । सभापति महोदय, सरकार ने अपने जन-घोषणा पत्र में कहा, प्रदेश की जनता चाहती है, कई कमेटियां बनती रहीं लेकिन आज स्थिति यह है कि सरकार शराब बेचने और पिलाने में कई एजेंसियों से ऊपर पहुंच गई । अवैध शराब के कारण विभिन्न प्रश्नों के उत्तर में और लोगों ने स्वीकार किया कि वैध शराब की बिक्री में कमी आई है । स्थिति ऐसी है कि छत्तीसगढ़ पूरी तरह नशे के आगोश में जा रहा है । शराब के अतिरिक्त दूसरे नशे भी लगातार उपलब्ध हैं। इसमें हमने स्थगन प्रस्ताव दिया है, इस पर चर्चा कराई जाए ।

श्री धर्मजीत सिंह (लोरमी) :- माननीय सभापति महोदय, शराब के विषय में पूरा प्रदेश चिंतित है । सरकार की दुकानों से शराब बिकने का काम हो रहा है । इसके कारण वहां अराजकता की स्थ्िाति है, बच्चे स्कूल के लिए निकलते हैं, महिलाएं तालाब नहीं जा पाती हैं । पाऊच और डिस्पोजेबल ग्लास के कारण गंदगी फैली हुई है। प्लेसमेंट एजेंसियों से काम लेने के लिए कोई सिक्योरिटी नहीं है । शराब के रेट में भी अनाप-शनाप वृद्धि की गई है । इन सब पर विस्तृत चर्चा करने से सरकार को ही एक दिशा मिलेगी । इस चर्चा से यह बात स्पष्ट होगी कि आखिर इसमें कहां पर विसंगति है । अगर आप बेच ही रहे हैं तो कम से कम सुसंगत तरीके से तो बेचिए । उसके कारण अराजकता की स्थिति निर्मित हो रही है, वह न होने पाए । इसलिए हमने इसको रखा है । इस पर विचार कर चर्चा कराइए ।

डॉ. रमन सिंह (राजनांदगांव) :- सभापति महोदय, यह स्थगन प्रस्ताव बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर दिया गया है । सरकार ने अपने जन-घोषणा पत्र में साफ शब्दों में कहा था कि सरकार बनते ही शराबबंदी हो जाएगी । एक हाथ में गंगाजल और एक हाथ में गीता लेकर सौगंध खाने वाली यह सरकार

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

पांच मंत्रियों की कमेटी बनाकर, एक साल बीत गया, इस एक साल में कानून व्यवस्था की स्थिति बद्तर हो चुकी है ।

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- डॉक्टर साहब, 2100 रूपया समर्थन मूल्य दूहूं कहे रेहे, कउन से गंगा जल लेकर कहे रेहे ।

डॉ. रमन सिंह :- सभापति महोदय, अवैध शराब बिक्री से राजस्व कम हो रहा है । ज्यादा कीमत पर शराब बिक रही है, कानून व्यवस्था की स्थिति बिगड़ी है । लठैत और कोचिये मिलकर अवैध शराब के धंधे में पूरी तरह से लिप्त हैं ।

समय

1.00 बजे

सभापति महोदय, इस पर पूरे के पूरे राजस्व में शराब की कीमत यदि 30 प्रतिशत बढ़ती है तो राजस्व को 30 प्रतिशत बढ़ना चाहिए। पर अवैध शराब बिकने की वजह से हर महीने दो सौ करोड़ रूपये का राजस्व का भी नुकसान हो रहा है। गलत तरीके से शराब बेची जा रही है और इसके लिए हमने स्थगन दिया है। यह बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। पूरा प्रदेश इससे उद्वेलित है। इसमें चर्चा कराना आवश्यक है।

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- माननीय सभापति जी, वर्ष 2003, 2008, 2013 में इन्होंने तो संकल्प पत्र घोषित किया था। उस संकल्प पत्र में 2100 रूपये समर्थन मूल्य, हर साल बोनस, जरसी गाय, 500 रूपये बेरोजगारी भत्ता था। इन्होंने दिया क्या ?

श्री अजय चन्द्राकर :- मानते हैं। मानते हैं। हम दिये थे।

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- कहां दिये हो? जरसी गाय खोजते खोजते एक सामने वाला आदमी गायब हो गया।

श्री विनोद सेवनलाल चन्द्राकर :- कर्जा माफी भी तको रहिसे अजय भैय्या। कर्जा माफी तको रहिसे।

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- जरसी गाय खोजते-खोजते एक सामने वाला आदमी गायब हो गया।

श्री विनोद सेवनलाल चन्द्रकार :- कर्जा माफी तको रहिसे, अजय भैय्या। मात्र 104 करोड़ के रहिसे।

श्री पुन्नूलाल मोहले :- सभापति महोदय, मैं यह कहना चाहता हूं कि सरकार ने कहा था कि शराबबंदी करेंगे। तो सरकार बंदी सरकार क्या है लंदी-फंदी। (हंसी) यह हम जानना चाहते हैं। दूसरा यह है कि इनके नेता गंगा जल उठाये थे। वह गंगा जल कहां का था ? हरिद्वार का था?

श्री धरमलाल कौशिक :- नहीं-नहीं, गंगाजल सही नहीं था।

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

श्री पुन्नूलाल मोहले :- गंगाजल हरिद्वार का लाये थे या गंगाजल इलाहाबाद के लाये थे। इनकी योजना है नरवा, घुरवा अउ गरूवा। ये नरवा का जल है या घुरवा का जल है। यह हमें बतायें। तो यह गंगा जल सही था तो फिर शराबबंदी करें।

सभापति महोदय :- देखिए, मैंने रंजना जी को बुला लिया है। वे अपना ध्यानाकर्षण पढ़ें। माननीय रंजना जी। आपकी सदस्या का ध्यानाकर्षण है। आने दीजिए।

श्री रजनीश कुमार सिंह :- सभापति जी, शून्यकाल की सूचना है?

सभापति महोदय :- नहीं हो गया। क्या सूचना वहीं सूचना है आपकी। मुझे मालूम है। माननीय रंजना जी।

श्री धरमलाल कौशिक :- माननीय सभापति जी, आज इतने महत्वपूर्ण मामले में हम लोगों ने स्थगन लगाया है कि प्रदेश में अवैध शराब की तस्करी हो रही है। शराब को लेकर इस सरकार का गठन हुआ है कि हम पूर्ण शराबबंदी करेंगे। महिलाओं ने वोट दिया। मोहले जी बोल रहे थे कि नरवा का जल है या घुरवा का जल है। वास्तव में वह गंगा जल ही है। मैं इसलिए गंगाजल बोल रहा हूं कि ये तो खुद गये और अपने नेता के भी हाथ पकड़ा दिये और उसके बाद इनका चुनाव आ गया और चुनाव आने के बाद इन्होंने शराबबंदी नहीं की। गंगाजल का श्राप मिला और वे भी चुनाव हार गये। मैं इसलिए गंगाजल का श्राप बोल रहा हूं।

श्री अमरजीत भगत :- इतना बहुमत से और कितना चाहिए? आप लोग यह बताइए। आप लोग 15 सदस्य हैं, उसके बाद भी आप इस प्रकार कर रहे हैं। केवल इधर-उधर की बात कर रहे हैं। उधर से महिला सदस्य बोलना चाह रही थी, आप उसे बोलने नहीं दिये। आप महिलाओं की बात करते हैं। सम्मान की बात करते हैं।

श्री धरमलाल कौशिक :- सरकार के संरक्षण में यह अवैध तस्करी चल रही है। मैं नहीं बोल रहा हूं, इनके मंत्री बोल रहे हैं कि उड़ीसा का दारू पीकर के सूपेबेड़ा में लोग बीमार पड़ रहे हैं। यह मैं नहीं बोल रहा हूं। इनके जवाबदार विभागीय मंत्री बोल रहे हैं। आपके स्वास्थ्य मंत्री बोल रहे हैं।

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- तो आपके समय का है। व्यवस्था आप लोगों ने बिगाड़ कर रखी है। नेता जी व्यवस्था आप लोगों ने बिगाड़ के रखी है।

श्री धरमलाल कौशिक :- यह हमारे समय का नहीं है, अभी का है। मध्यप्रदेश का जो शराब है, उसे वहां से लाकर यहां के सरकारी दुकान से मध्यप्रदेश की शराब जब्ती हो रही है। महाराष्ट्र का शराब यहां पर आ रहा है। छत्तीसगढ़ में सरकार चल रही है या मजाक है कि सारे एरिया से आकर ही छत्तीसगढ़ में शराब की खपत हो रही है। जब तक सरकार का संरक्षण नहीं मिलेगा, तब तक यह नहीं होगा।

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- हमारी सरकार में तो कार्रवाई हो रही है। आपकी सरकार में तो कुछ होता भी नहीं था।

श्री धरमलाल कौशिक :- हम इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। इसका परिणाम यह हो रहा है कि एक्सीडेंट में संख्या बढ़ रही है। अपराध में वृद्धि हो रही है। यह केवल अवैध शराब के कारण हो रही है। इनको तो कोचिया चला रहे हैं।

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- सभापति जी, के घंटा में बोलही ए।

सभापति महोदय :- माननीय रंजना जी।

श्री धरमलाल कौशिक :- इसलिए माननीय सभापति महोदय, यह स्थगन हमने दिया है। आप इसे स्वीकार करें और आज के सारे कार्य को रोककर आप स्थगन में चर्चा करायें। हम इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे।

सभापति महोदय :- माननीय रंजना डीपेन्द्र जी।

श्री धरमलाल कौशिक :- नहीं, हमारा महत्वपूर्ण स्थगन है।

सभापति महोदय :- आपकी सारी बातें आ गयी हैं।

श्री धरमलाल कौशिक :- नहीं बातें नहीं आयी हैं।

श्री अमरजीत भगत :- माननीय सदस्या बोलना चाह रही हैं और ये बोलने नहीं देते हैं। बताइए। महिलाओं का सम्मान करो।

श्री धरमलाल कौशिक :- हम इसमें विस्तार से चर्चा करेंगे। इसलिए आज हमारा यह स्थगन स्वीकार किया जाये। ग्राहय किया जाये। हम विस्तार से चर्चा करेंगे। आज प्रदेश में अराजकता की स्थिति उत्पन्न हो रही है। आज कोचिये जगह-जगह शराब पहुंचा रहे हैं।

सभापति महोदय :- आपके स्थगन सूचना पर माननीय अध्यक्ष जी ने विचार किया है।

श्री धरमलाल कौशिक :- इसके कारण जो स्थिति निर्मित हो रही है। लगातार शिकायतें हो रही हैं। अपने परिवार को शराब पीकर के अपनी पत्नी की हत्या कर कर रहे हैं। परिवार की हत्या केवल अवैध शराब के कारण हो रही है। इसलिए सभापति महोदय, इन सारे कार्यों को रोककर के आज हमारा स्थगन ग्राहय किया जाए।

सभापति महोदय :- आपकी स्थगन सूचना को माननीय अध्यक्ष जी ने अग्राहय कर दिया है। माननीय रंजना जी।

श्री अमरजीत भगत :- ये महिलाओं का सम्मान नहीं करते हैं। आपकी सदस्या बोलना चाह रही हैं, आप बोलने नहीं दे रहे हैं।

सभापति महोदय :- माननीय रंजना डीपेन्द्र साहू, अपनी ध्यानाकर्षण की सूचना पढ़ें।

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

श्रीमती रंजना डीपेन्द्र साहू :- माननीय सभापति महोदय, मैं स्थगन पर ही बात कर रही हूँ। मुझे आज दु:ख के साथ इस सदन में कहना पड़ रहा है कि सारा सदन इस बात से वाकिफ है कि शराब से, जिस प्रकार शराक बा जो अवैध कारोबार चल रहा है, उसमें सबसे ज्यादा कोई पीड़ित है तो महिलाएं पीड़ित हैं।

सभापति महोदय :- चलिये, अब आप अपने ध्यानाकर्षण की सूचना पढ़ें।

श्रीमती रंजना डीपेन्द्र साहू :- माननीय सभापति महोदय, मुझे दु:ख के साथ कहना पड़ रहा है ।

सभापति महोदय :- आप अपना ध्यानाकर्षण सूचना पढ़े, वरना मैं दूसरा नाम बुलाऊंगा।

श्रीमती रंजना डीपेन्द्र साहू :- कि इस विषय में हमने स्थगन लगाया है। कृपया हमारा यह स्थगन स्वीकार करिये।

सभापति महोदय :- माननीय कुलदीप जुनेजा। वह पढ़ना नहीं चाह रही है तो हम क्या करेंगे।....(व्यवधान) माननीय अध्यक्ष जी ने अग्राह्य कर दिया है।

(1) जिला प्रशासन रायपुर द्वारा बिना व्यवस्थापन किये खालसा विद्यालय स्थित दुकानों को तोड़ा जाना।

श्री कुलदीप जुनेजा (रायपुर नगर उत्तर) :- अध्यक्ष महोदय, मेरी ध्यानाकर्षण सूचना का विषय इस प्रकार है :- पूर्ववर्ती शासन के कार्यकाल में खालसा विद्यालय के सामने रायपुर नगर में छोटे-छोटे व्यापार कर जीवन निर्वाह करने वाले 70 दुकानदारों की दुकान तत्कालीन जिला प्रशासन रायपुर द्वारा बिना कहीं व्यवस्थापन किए अनुचित एवं अन्यायपूर्वक तोड़ दी गई।

(**भारतीय जनता पार्टी दल के सदस्यों द्वारा नारे लगाये गये**)

सभापति महोदय :- आप अपनी ध्यानाकर्षण सूचना पढ़े।

श्री कुलदीप जुनेजा :- इसका परिणाम यह हुआ कि इन दुकानों के माध्यम से जीवन-निर्वाह करने वाले दुकानदारों के समक्ष जीवन-यापन की समस्या उत्पन्न हो गई। पूर्व के शासन ने इन्हें आश्वस्त किया था कि नये सत्र में इन्हें दुकानें बनाकर दी जायेंगी, किन्तु अभी तक कोई कार्यवाही नहीं होने से इन व्यापारियों में आक्रोश व्याप्त है। ....(व्यवधान)

सभापति महोदय :- मैंने आप लोगों को बताया कि अध्यक्ष जी ने सूचना अग्राह्य कर दी है। ....(व्यवधान) माननीय चन्द्राकर जी, आप अपनी सीट पर जायें।

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

समय :

1:07 बजे **<u>गर्भगृह में प्रवेश पर स्वमेव निंलबन</u>**

विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमावली के नियम 250 के उप नियम (1) के तहत निम्न सदस्य अपने स्थान को छोड़कर गर्भगृह में प्रवेश करने के कारण सभा की कार्यवाही से स्वमेव निलंबित हो गये हैं :-

1. श्री धरम लाल कौशिक,
2. डॉ0 रमन सिंह,
3. श्री पुन्नू लाल मोहले,
4. श्री अजय चन्द्राकर,
5. श्री नारायण चंदेल,
6. श्री शिवरतन शर्मा,
7. डॉ0 कृष्णमूर्ति बांधी,
8. श्री डमरूधर पुजारी,
9. श्री रजनीश कुमार सिंह,
10. श्रीमती रंजना डीपेन्द्र साहू

कृपया निलंबित सदस्य सदन से बाहर जायें। मैं निलंबन की अवधि पश्चात निर्धारित करूंगा।

डॉ0 (श्रीमती) लक्ष्मी ध्रुव) :- अगर इतनी चिंता थी तो 15 साल में बंद करके बताना था।

<u>ध्यानाकर्षण सूचना (क्रमश:)</u>

नगरीय प्रशासन मंत्री (डॉ0 शिव कुमार डहरिया) :- माननीय सभापति जी, यह कथन सत्य है कि पूर्ववर्ती शासन के कार्यकाल में खालसा विद्यालय के सामने रायपुर नगर में छोटे-छोटे व्यापार कर जीवन निर्वाह करने वाले 70 दुकानें स्थित थीं। ई0ए0सी0 कालोनी एवं इसके आसपास के क्षेत्रों को शहरी वन के रूप में विकसित करते हुए ऑक्सीजोन बनाने का निर्णय लिया गया था। यह भी सत्य है कि कलेक्टर रायपुर के द्वारा प्रभावित दुकानों एवं आवासों को हटाये जाने के निर्देश नगर निगम रायपुर को दिया गया था तथा मुख्यमंत्री स्वालम्बन योजना के अन्तर्गत निर्मित 70 दुकानों में से 70 दुकानों को हटाया गया था। जिसमें से 01 दुकान रिक्त था शेष 69 दुकानदारों को हटाया जाकर भनपुर स्थित बेस्ट प्राइज सुपर बाजार के सामने रिंग रोड नं. 02 के सामने व्यवस्थापित करने हेतु निर्णय लिया गया था। कुछ दुकानदारों के द्वारा उक्त स्थल पर जाने पर आपत्ति करने पर वैकल्पिक रूप से निगम के द्वारा

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

पालिका बाजार योजनान्तर्गत पंडरी बस स्टैण्ड अटलानी भवन के बाजू स्थित रिक्त भूमि का प्रस्ताव शासन को प्रेषित किया गया था। परन्तु उक्त प्रश्नाधीन भूमि शासकीय भूमि होने के कारण वर्तमान में भनपुरी स्थित बेस्ट प्राइज सुपर बाजार के सामने रिंग रोड नं. 02 स्थित स्थल पर व्यवस्थापन करने हेतु कार्यवाही की जा रही है। अत: यह कहना सही नहीं है कि इस क्षेत्र के छोटे-छोटे व्यवसाय कर जीवन यापन करने वाले 69 दुकानदारों को बिना व्यवस्थापन के विस्थापित किया गया है इससे व्यवसायियों में कोई आक्रोश नहीं है।

श्री कुलदीप जुनेजा :- माननीय सभापति महोदय, दो साल से गरीब लोग 70 दुकानें बनाकर वहां पर व्यवसाय कर रहे थे । उनको बगैर व्यवस्थापन के दुकानें तोड़ दी गईं, आजतक दो साल होने के बाद भी उनका व्यवस्थापन कहीं नहीं किया गया है । उनके घर में कई लोग बेघर हो गए हैं, कई लोग ऐसे हैं, जिनके बच्चे स्कूल में पढ़ते थे, उनकी फीस नहीं पटा पाए हैं, बीमार होने के कारण कई लोगों की मृत्यु हो चुकी है । मेरा मंत्री जी से निवेदन है कि रायपुर शहर के अंदर कहीं न कहीं दुकानें बनाकर उनका जल्द से जल्द व्यवस्थापन किया जाए ।

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- माननीय सभापति महोदय, निश्चित रूप से उनका व्यवस्थापन करेंगे ।

श्री कुलदीप जुनेजा :- माननीय सभापति महोदय, व्यवस्थापन कहां करेंगे ? वे बोलते हैं कि रायपुर से 15-20 किलोमीटर दूर व्यवस्थापन करेंगे, जो वहां के दुकानदारों के लिए वहां जाकर व्यवसाय करना संभव नहीं है । मेरा आपसे निवेदन है कि मंत्री जी यह बताएं कि शहर के अंदर उनका व्यवस्थापन करेंगे या नहीं करेंगे ?

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- माननीय सभापति महोदय, वे जहां पर मांग कर रहे हैं, वह हमारी जमीन नहीं है । मैं माननीय सदस्य के साथ जाकर जगह देख लूंगा ।

श्री कुलदीप जुनेजा :- माननीय सभापति महोदय, मंत्री जी, मेरा आपसे निवेदन है कि जल्द से जल्द आप हमारे साथ चलकर उनका व्यवस्थापन कीजिए, मेरे विधान सभा क्षेत्र का मामला है, आप जगह देखें और उन गरीबों का व्यवस्थापन करें । शहर की कुछ जगह शहर में चिह्नित हैं, जिन्हें मैं मंत्री जी के साथ जाकर मंत्री जी को बता भी दूंगा ।

सभापति महोदय :- ठीक है ।

(3) कोरिया जिले के विकासखण्ड भरतपुर एवं सोनहत में हितग्राहियों को पेंशन का भुगतान न किया जाना.

श्री गुलाब कमरो (भरतपुर सोनहत) :- माननीय सभापति महोदय, मेरी ध्यानाकर्षण सूचना का विषय इस प्रकार है :- कोरिया जिले के विकासखण्ड भरतपुर एवं सोनहत के राष्ट्रीय वृद्धा पेंशन, राष्ट्रीय

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन, सामाजिक सुरक्षा पेंशन, सुखद सहारा पेंशन का भुगतान 50 प्रतिशत हितग्राहियों को विगत 01 वर्ष से नहीं हो पा रहा है । वर्तमान में पेंशन का भुगतान संबंधित हितग्राहियों के बैंक खात में समाज कल्याण विभाग, रायपुर द्वारा किया जाता है, किन्तु विकासखण्ड भरतपुर एवं सोनहत सुदूर वनांचल क्षेत्र है, यहां के कई ग्रामों में आवागमन की सुविधा भी नहीं है, इन विकासखण्डों में बैंक की शाखा भी बहुत कम है, हितग्राहियों को पेंशन हेतु 40 से 45 किमी तय सफर कर बैंक तक जाना पड़ता है, किन्तु कई हितग्राहियों के बैंक खाते में पेंशन की राशि जमा नहीं होने पर जीवन निर्वहन करने में काफी परेशानी उठानी पड़ रही है तथा स्थानीय स्तर पर कर्ज लेने को मजबूर हो रहे हैं तथा नगद पेंशन भुगतान कराये जाने की मांग कई बार कर चुके हैं, किन्तु पेंशन समस्या का समाधान आजतक नहीं होने के कारण पेंशन हितग्राहियों एवं उनके परिवार के सदस्यों में शासन के प्रति घोर आक्रोश व्याप्त है ।

<u>निलंबन समाप्ति की घोषणा</u>

सभापति महोदय :- प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियामावली के नियम 250 (1) के तहत माननीय सदस्यगण अपने स्थान को छोड़कर गर्भगृह में प्रवेश करने के कारण सभा की कार्यवाही से स्वमेव निलंबित हो गए थे, मैं उनका निलंबन समाप्त करता हूं ।

समय :
1:14 बजे

(अध्यक्ष महोदय (डॉ. चरणदास महंत) पीठासीन हुए)

<u>ध्यानाकर्षण सूचना (क्रमश:)</u>

महिला एवं बाल विकास मंत्री (श्रीमती अनिला भेंडिया) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, यह कहना सही नहीं है कि कोरिया जिले के विकासखण्ड-भरतपुर एवं सोनहत के इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय नि:शक्तजन पेंशन योजना, सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना, सुखद सहारा योजना अंतर्गत 50 प्रतिशत हितग्राहियों को विगत 01 वर्ष से भुगतान नहीं हो पा रहा है । अपितु कोरिया जिले के विकासखण्ड भरतपुर एवं सोनहत के हितग्राहियों को प्रतिमाह नियमित पेंशन राशि का भुगतान किया जा रहा है । विकासखण्ड भरतपुर एवं सोनहत के उल्लेखित योजना अंतर्गत 7906 हितग्राहियों को विगत माह तक की पेंशन राशि का भुगतान किया जा चुका है । यह कहना सही है कि वर्तमान में पेंशन राशि का भुगतान संबंधित हितग्राहियों के बैंक खाते में किया जाता है । इससे पारदर्शिता पूर्ण समय-सीमा में त्वरित भुगतान सुनिश्चित हो रहे हैं, किन्तु यह कहना सही नहीं है कि विकासखण्ड भरतपुर एवं सोनहत सुदूर वनांचल क्षेत्र के कई ग्रामों में आवागमन

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

की सुविधा भी नहीं होने तथा बैंक की शाखा कम होने के फलस्वरूप हितग्राहियों को पेंशन हेतु 40 से 45 किमी तक सफर तय कर बैंक तक जाना पड़ता है, वरन् कोरिया जिले के 286 ग्राम पंचायतों में से लगभग 123 ग्राम पंचायतों में 3 किलोमीटर के दायरे में बैंक हैं, तथा 238 बैंक मित्र सक्रिय है, 55 लोकसेवा केन्द्र के 130 ग्रामीण उद्यमी भी बैंकिंग का कार्य कर रहे हैं । इस प्रकार की सुविधाओं से हितग्राहियों को बैंक से राशि आहरण करने में कोई परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ रहा है । यह भी कहना सही नहीं है कि हितग्राही स्थानीय स्तर पर कर्ज लेने को मजबूर हो रहे हैं, अपितु शासन द्वारा प्रत्येक माह की 7 तारीख तक पेंशन राशि जमा करा दिये जाने के निर्देश हैं तथा हितग्राहियों की सुविधा हेतु नितांत आवश्यकता पड़ने पर 3 किलोमीटर के दायरे में बैंकिंग सुविधा नहीं होने पर नगद भुगतान के भी प्रावधान है । इस प्रकार पेंशन भुगतान हेतु शासन की इस पारदर्शी व्यवस्था तथा नियमित भुगतान से हितग्राहियों में आक्रोश व्याप्त नहीं है ।

श्री गुलाब कमरो :- माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री महोदय से मैं मांग करता हूँ कि प्रदेश के कुछ ब्लॉक है, जहां पर नगद भुगतान का प्रावधान है, मैं चाहता हूँ कि वहां पर सरकारी जो आंकड़े आये हैं, इन्होंने बताया है कि तीन किलोमीटर में बैंक है, मैं आपको बताना चाहूंगा कि बड़गांवकला से भरतपुर के बीच में कोई बैंक नहीं है, जिसकी दूरी 65 किलोमीटर है । कटवायर से कोटाटोल की दूरी 40 किलोमीटर है, वहां 3 किलोमीटर में कोई बैंक नहीं है । मेंरे पास ये आंकड़े हैं जिन लोगों को पेंशन नहीं मिल पाया है । मैं माननीय मंत्री जी से मांग करता हूँ कि भरतपुर वनांचल क्षेत्र है, बैंक नहीं है, सिर्फ ब्लॉक मुख्यालय में है, मैं मांग करता हूँ कि वहां पर नगद भुगतान कराया जाये ।

श्रीमती अनिला भेंड़िया :- माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी आंकड़े दे दें, जहां पर ऐसी तकलीफ आ रही है, वहां पर हम नगद भुगतान करा देंगे, बहुत से बैंकों में हितग्राहियों का अभी भी पैसा है, उनको पता नहीं है कि उनके खाते में पैसा चला गया है । आपके पास रिकार्ड है तो दे दीजिए ।

अध्यक्ष महोदय:- माननीय सदस्य रिकार्ड दे दीजिए । वहां भुगतान करा देंगे ।

<u>(3) बस्तर जिले की शालाओं में व्याप्त अव्यवस्था होना ।</u>

श्री लखेश्वर बघेल (बस्तर) :- अध्यक्ष महोदय, मेंरी ध्यानाकर्षण सूचना का विषय इस प्रकार है :-

बस्तर जिले के प्राथमिक शाला, माध्यमिक शाला, हाई स्कूल एवं उच्चतर माध्यमिक शाला, एकल शिक्षक हैं तथा 100 शालाओं में शिक्षक ही नहीं है । हायर सेकेण्डरी, हाई स्कूलों में इने-गिने अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति कर पढ़ाई की जा रही है । प्राथमिक तथा माध्यमिक शाला भवन अत्यन्त जर्जर हालत में है व शुद्ध पेयजल की व्यवस्था भी नहीं है तथा बच्चों के बैठने की भी कोई व्यवस्था

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

नहीं है । बस्तर जिले की शालाओं में विद्युत लाईन तो पहुंचा दी गई है, किन्तु विद्युत देयक न पटाने के कारण लाईन काट दी गई है या चालू नहीं की गई है । छात्राओं के लिए पृथक शौचालय की भी व्यवस्था नहीं है। यहां पर पढ़ने वाले अधिकांश अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं पिछड़ा वर्ग, एवं गरीब वर्ग के बच्चे शिक्षा के माकूल व्यवस्था नहीं होने से उनका जीवन अंधकारमय हो गया है । स्थानीय प्रशासन से एवं शासन स्तर पर जिले में शिक्षकों की व्यवस्था हेतु अनेक बार पत्राचार किये जाने की लगातार मांग करने के बाद भी दिनांक 25 नवम्बर 2019 तक समस्त शालाओं में व्यवस्था नहीं की गई है । बस्तर जिले के अंदरूनी क्षेत्रों में निजी शैक्षणिक संस्थाओं का संचालन नहीं के बराबर है। बस्तर जिले में शिक्षकों की व्यवस्था नहीं होने से आम जनता, छात्र-छात्राओं एवं उनके पालकों में भारी असंतोष व्याप्त है ।

स्कूल शिक्षा मंत्री (डॉ.प्रेमसाय सिंह टेकाम) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, बस्तर जिले में संचालित 427 प्राथमिक शाला, 61 पूर्व माध्यमिक शाला एवं 07 हाई स्कूल एकल शिक्षकीय है । 50 शालाओं में शिक्षक नहीं थे, जिसमें शिक्षकों की व्यवस्था किया जाकर अध्यापन कार्य किया जा रहा है। जिले में 99 हायर सेकेण्डरी स्कूल एवं हाई स्कूलों में 190 अतिथि शिक्षक की सेवायें लेकर अध्यापन कार्य कराया जा रहा है । उनके द्वारा मुख्य रूप से वाणिज्य, अंग्रेजी, गणित, जीव विज्ञान, भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र विषय का अध्ययन किया जा रहा है। जिले में 185 शालायें मरम्मत योग्य है, जर्जर हैं, जिनके मरम्मत कार्य हेतु 1 करोड़ 85 लाख 83 हजार 549 रूपये का आबंटन प्रदान किया गया है । शीघ्र ही शालाओं में मरम्मत का कार्य कराया जायेगा । सभी शालाओं में पेयजल सुविधा उपलब्ध है । जिस शाला परिसर में पेयजल की स्थायी सुविधा उपलब्ध नहीं है, वहां पर ग्राम के समीपस्थ हैण्डपंप की ओर से पेयजल की आपूर्ति की जा रही है । विद्यार्थियों के बैठने हेतु व्यवस्था उपलब्ध है । कोई भी विद्यार्थी जमीन पर नहीं बैठ रहा है । जिले में किसी भी शाला की विद्युत लाईन काटने की सूचना प्राप्त नहीं हुई है। सभी शालाओं में छात्राओं हेतु शौचालय की व्यवस्था है। जिले की 99 हाईस्कूल, हायर सेकेंडरी स्कूलों में अतिथि शिक्षकों से अध्यापन कार्य लिया जा रहा है तथा जिस शाला में कोई शिक्षक उपलब्ध नहीं है वहां शिक्षक की व्यवस्था की गई है। निजी शैक्षणिक संस्थाएं शासन द्वारा संचालित नहीं की जाती हैं बल्कि किसी निजी ट्रस्ट अथवा पंजीकृत संस्था द्वारा आवेदन किये जाने पर शासन द्वारा उन्हें शाला संचालन हेतु नियमानुसार अनुमति प्रदान की जाती है। जिले में शिक्षकों की कमी की पूर्ति हेतु सीधी भर्ती से 700 से अधिक पदों पर नियमित नियुक्ति की कार्यवाही शीघ्र की जायेगी। स्पष्ट है कि शासन शिक्षा के प्रति जागरूक एवं संवेदनशील है। अत: ये कहना सही नहीं है कि बसतर जिले में शिक्षकों की व्यवस्था नहीं होने से आम जनता, छात्र-छात्राओं और उनके पालकों में कोई असंतोष व्याप्त नहीं है।

श्री बघेल लखेश्वर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि वहां 50 से अधिक शिक्षकों की व्यवस्था की गई है। मैं विस्तृत रूप से जानना चाहूंगा

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

कि कौन-कौन से शिक्षकों को वहां पदस्थ किया गया है?अध्यक्ष महोदय, हमारे यहां पिछली बार लगभग 800 से 900 लोगों का स्थानांतरण किया गया जिसमें मृत कर्मचारी 03, सेवानिवृत्त वाले 03 और नियमित व्याख्याता को उच्च श्रेणी शिक्षक मानकर 05 लोगों को किया गया। मृत लोगों का ट्रांसफर होने के बावजूद भी हमारे यहां बहुसंख्यक संख्या में एकल शिक्षकीय स्कूल हैं। तो इतने संख्या में शिक्षकों के अटैच और स्थानांतरण होने के बावजूद भी 492 एकल शिक्षकीय शाला में अभी तक दो शिक्षक क्यों नहीं हो पा रहे हैं यह स्पष्ट करने का कष्ट करें?

डॉ प्रेमसाय सिंह टेकाम :- माननीय अध्यक्ष महोदय, जहां एकल शिक्षकीय व्यवस्था है, वहां पर बगल के सकूलों में व्यवस्था के तहत वहां पर किया गया है और उनकी संख्या प्राथमिक में 427 है, पूर्व माध्यमिक में 61 और हाईस्कूल में 04 है। इस प्रकार से सभी चीजों की व्यवस्था की जा रही है। जहां शिक्षकों की कमी है वहां पर अतिथि शिक्षक हैं और उनसे अध्यापन कार्य लिया जा रहा है। जहां शिक्षक बिल्कुल नहीं हैं वहां पर व्यवस्था के तहत वहां पर शिक्षकों की व्यवस्था अध्यापन कार्य के लिए किया जा रहा है।

अध्यक्ष महोदय :- माननीय बघेल जी, प्रश्न बहुत विस्तृत है, आप इनके कक्ष में जाकर पूरी रिपोर्ट ले लीजिए।

श्री बघेल लखेश्वर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारे यहां शिक्षकों की व्यवस्था बिल्कुल जर्जर हो गई है।

अध्यक्ष महोदय :- आप वहां जाकर बता दीजिए, वह ठीक कर देंगे।

श्री बघेल लखेश्वर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, बताने से भी नहीं सुना जा रहा है, शासन नहीं सुन रहा है। हम लोग शिक्षक मांग रहे हैं। दो-दो, तीन-तीन हाईस्कूलों में अभी तक एक भी शिक्षक नहीं हैं। इतना बोलने के बाद भी नहीं हो रहा है। जब हमारे मैदानी क्षेत्र में यह हाल है तो फिर नारायणपुर में क्या होगा, दंतेवाड़ा में क्या होगा, बीजापुर में क्या होगा?

श्री संतराम नेताम :- अध्यक्ष महोदय, पूरे बस्तर में यही हाल है। पूरी शिक्षा व्यवस्था ध्वस्त हो गई है।

श्री बघेल लखेश्वर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने पिछली बार दिया कि जिला शिक्षा अधिकारी ने अतिथि शिक्षक का ट्रांसफर किया। एक सेवानिवृत्त शिक्षक का भी ट्रांसफर कर दिया, उसके बारे में मैंने जिला शिक्षा अधिकारी को अवगत कराया अभी तक उसमें क्या कार्रवाई की गई, यह मंत्री जी बताने का कष्ट करेंगे?

डॉ प्रेमसाय सिंह टेकाम :- माननीय अध्यक्ष महोदय, अभी जो सीधी भर्ती हो रही है उसमें लगभग 700 उसी जिले में पदस्थ किये जायेंगे और 200 व्याख्याता उसी एरिये में पदस्थ किये जायेंगे

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

और जहां तक मृत व्यक्तियों का ट्रांसफर हुआ है तो उसमें परीक्षण करा लेंगे।

श्री बघेल लखेश्वर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, परीक्षण कब तक होगा यह बता दीजिए?

डॉ प्रेमसाय सिंह टेकाम :- माननीय अध्यक्ष महोदय, उसमें जल्दी परीक्षण हो जायेगा।

श्री बघेल लखेश्वर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं उनको सातवें महीने में रिपोर्ट दिया हूं और अभी तक नहीं हुआ है।

अध्यक्ष महोदय :- अब मैं कार्यसूची के पद 3 के उप पद (5) से (21) तक सूचना देने वाले सदस्यों के नाम पुकारूंगा, उपस्थित सदस्यों की सूचनाएं सदन में पढ़ी हुई तथा संबंधित मंत्री द्वारा उन पर वक्तव्य पढ़े हुए माने जायेंगे :-

5. सर्वश्री रजनीश कुमार सिंह, धरमलाल कौशिक, डॉ. कृष्णमूर्ति बांधी, सदस्य
6. श्री केशव प्रसाद चंद्रा, सदस्य
8. श्री धर्मजीत सिंह, सदस्य
9. श्री सत्यनारायण शर्मा, सदस्य
10. श्री नारायण चंदेल, सदस्य
12. श्री प्रकाश शक्राजीत नायक, सदस्य
14. सर्वश्री अजय चंद्राकर, शिवरतन शर्मा, सदस्य
15. सर्वश्री धर्मजीत सिंह, शिवरतन शर्मा, सदस्य
16. सर्वश्री धरमलाल कौशिक, शिवरतन शर्मा, सदस्य
17. श्री कुंवर सिंह निषाद, सदस्य
18. श्री विनोद सेवनलाल चंद्राकर, सदस्य
20. श्री बघेल लखेश्वर, सदस्य
21. श्री धर्मजीत सिंह, नारायण चंदेल, सदस्य

अध्यक्ष महोदय :- आज भोजन की व्यवस्था माननीय श्री उमेश पटेल, उच्च शिक्षा मंत्री द्वारा किया गया है। माननीय सदस्यों के लिये लाबी स्थित कक्ष में एवं पत्रकारों के लिये प्रथम तल पर की गई है। कृपया अपनी सुविधानुसार भोजन ग्रहण करें।

समय :
1:26 बजे

नियम 267 "क" के अधीन विषय

अध्यक्ष महोदय :- नियम 267 "क" (2) को शिथिल कर आज दिनांक 02 दिसंबर, 2019 को मैंने सदन में 16 सूचनाएं लिये जाने की अनुज्ञा प्रदान की है।

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

निम्नलिखित सदस्यों की सूचनाएं सदन में पढ़ी हुई मानी जायेगी तथा इन्हें उत्तर के लिये संबंधित विभागों को भेजा जायेगा :-

1. श्री अजय चंद्राकर, सदस्य
2. श्री नारायण चंदेल, सदस्य
3. श्री केशव प्रसाद चन्द्रा, सदस्य
4. श्री संतराम नेताम, सदस्य
5. श्री लखेश्वर बघेल, सदस्य
6. श्री रामपुकार सिंह, सदस्य
7. श्री शिवरतन शर्मा, सदस्य
8. डॉ. प्रीतम राम, सदस्य
9. श्री रेखचन्द जैन, सदस्य
10. श्री पुन्नूलाल मोहले, सदस्य
11. श्रीमती रंजना डीपेन्द्र साहू, सदस्य
12. डॉ. कृष्णमूर्ति बांधी

समय :
1:27 बजे

<u>प्रतिवेदन की प्रस्तुति</u>

<u>लोक लेखा समिति के चौंसठवें प्रतिवेदन (द्वितीय विधान सभा) पर शासन द्वारा की गई कार्यवाही के संबंध में दसवां प्रतिवेदन (कार्यान्वयन)</u>

श्री अजय चंद्राकर :- अध्यक्ष महोदय, मैं लोक लेखा समिति के चौंसठवें प्रतिवेदन (द्वितीय विधान सभा) पर शासन द्वारा की गई कार्यवाही के संबंध में दसवां प्रतिवेदन (कार्यान्वयन) प्रस्तुत करता हूं।

समय :
1:27 बजे

<u>याचिकाओं की प्रस्तुति</u>

अध्यक्ष महोदय :- आज की कार्यसूची में सम्मिलित निम्नलिखित उपस्थित माननीय सदस्यों की याचिकाएं सभा में पढ़ी हुई मानी जायेंगी :-

1. श्री संतराम नेताम
2. श्री केशव प्रसाद चन्द्रा

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

3. श्रीमती रंजना डीपेन्द्र साहू

4. श्री चक्रधर सिंह सिदार

समय :

1:28 बजे

उपाध्यक्ष का निर्वाचन

अध्यक्ष महोदय :- सभा के उपाध्यक्ष हेतु प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमावली के नियम 8 के उप नियम (2) तद्अनुरूप नियम 7 के उप नियम (2) के अंतर्गत माननीय श्री मनोज सिंह मंडावी, सदस्य के लिये पृथक-पृथक प्रस्तावकों की ओर से नौ प्रस्ताव प्राप्त हुये हैं।

विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम 7 के उप नियम (4) के अंतर्गत प्राप्त प्रस्ताव एक-एक करके उसी क्रम में रखे जायेंगे जिस क्रम में वे प्रस्तुत किये गये हैं :-

पहला प्रस्ताव

मुख्यमंत्री (श्री भूपेश बघेल) :- अध्यक्ष महोदय, मैं, प्रस्ताव करता हूं कि - "श्री मनोज सिंह मंडावी, जो इस विधान सभा के सदस्य हैं, को विधान सभा का उपाध्यक्ष चुना जाय।"

गृहमंत्री (श्री ताम्रध्वज साहू) :- अध्यक्ष महोदय, मैं इस प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

दूसरा प्रस्ताव

नेता प्रतिपक्ष (श्री धरमलाल कौशिक) :- अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि - "श्री मनोज सिंह मंडावी, जो इस विधानसभा के सदस्य हैं, को विधान सभा का उपाध्यक्ष चुना जाय।"

श्री शिवरतन शर्मा, सदस्य :- अध्यक्ष महोदय, मैं इस प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

तीसरा प्रस्ताव

श्री धर्मजीत सिंह (लोरमी) :- अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि - "श्री मनोज सिंह मंडावी, जो इस विधान सभा के सदस्य हैं, को विधान सभा का उपाध्यक्ष चुना जाये।"

श्री प्रमोद कुमार शर्मा, सदस्य :- अध्यक्ष महोदय, मैं इस प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

चौथा प्रस्ताव

श्री केशव प्रसाद चंद्रा, सदस्य :- अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि - "श्री मनोज सिंह मंडावी, जो इस विधान सभा के सदस्य हैं, को विधान सभा का उपाध्यक्ष चुना जाये।"

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

अध्यक्ष महोदय :- श्रीमती इंदू बंजारे।

श्री केशव प्रसाद चंद्रा :- अध्यक्ष महोदय, खुशी की बात है कि उनकी डिलीवरी हुई है और पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है। (मेजों की थपथपाहट)

अध्यक्ष महोदय :- उनको बधाई दे दीजिएगा। हम सब की ओर से उनको बहुत-बहुत बधाई।

श्री केशव प्रसाद चंद्रा :- जी।

पांचवा प्रस्ताव

संसदीय कार्य मंत्री (श्री रविन्द्र चौबे) :- अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि - "श्री मनोज सिंह मंडावी, जो इस विधान सभा के सदस्य हैं, को विधानसभा का उपाध्यक्ष चुना जाये।"

नगरीय प्रशासन मंत्री (डॉ. शिवकुमार डहरिया) :- अध्यक्ष महोदय, मैं इस प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

छठवां प्रस्ताव

श्री सत्यनारायण शर्मा, सदस्य :- अध्यक्ष महोदय, मैं, प्रस्ताव करता हूँ कि- "श्री मनोज सिंह मंडावी, जो इस विधान सभा के सदस्य हैं, को विधान सभा का उपाध्यक्ष चुना जाए।"

श्री रामपुकार सिंह, सदस्य :- अध्यक्ष महोदय, मैं इस प्रस्ताव का समर्थन करती हूँ।

सातवां प्रस्ताव

श्रीमती देवती कर्मा, सदस्य :- अध्यक्ष महोदय, मैं, प्रस्ताव करती हूँ कि- "श्री मनोज सिंह मंडावी, जो इस विधान सभा के सदस्य हैं, को विधान सभा का उपाध्यक्ष चुना जाए।"

डॉ. लक्ष्मी ध्रुव, सदस्य :- अध्यक्ष महोदय, मैं इस प्रस्ताव का समर्थन करती हूँ।

आठवां प्रस्ताव

श्री टी.एस.सिंहदेव, पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री :- अध्यक्ष महोदय, मैं, प्रस्ताव करता हूँ कि- "श्री मनोज सिंह मंडावी, जो इस विधान सभा के सदस्य हैं, को विधान सभा का उपाध्यक्ष चुना जाए।"

श्री आशीष छाबड़ा, सदस्य :- अध्यक्ष महोदय, मैं, इस प्रस्ताव का समर्थन कर हूँ।

नौवां प्रस्ताव

श्री अजय चन्द्राकर, सदस्य :- अध्यक्ष महोदय, मैं, प्रस्ताव करता हूँ कि- "श्री मनोज सिंह मंडावी, जो इस विधान सभा के सदस्य हैं, को विधान सभा का उपाध्यक्ष चुना जाए।"

श्री नारायण चंदेल, सदस्य :- अध्यक्ष महोदय, मैं, इस प्रस्ताव का समर्थन कर हूँ।

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

अध्यक्ष महोदय :- प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ कि- "श्री मनोज सिंह मंडावी, जो इस विधान सभा के सदस्य हैं, को विधान सभा का उपाध्यक्ष चुना जाए।"

अध्यक्ष महोदय :- प्रश्न यह है कि "श्री मनोज सिंह मंडावी, जो इस विधान सभा के सदस्य हैं, को विधान सभा का उपाध्यक्ष चुना जाए।"

सर्वसम्मति से प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

(मेजों की थपथपाहट)

अध्यक्ष महोदय :- मैं श्री मनोज सिंह मंडावी, जो इस विधान सभा के सदस्य हैं, को सर्वसम्मति से विधान सभा का उपाध्यक्ष निर्वाचित घोषित करता हूँ। (मेजों की थपथपाहट)

नगरीय प्रशासन मंत्री (डॉ. शिवकुमार डहरिया) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, श्री मनोज सिंह मंडावी जी को बहुत-बहुत बधाई।

अध्यक्ष महोदय :- श्री मनोज सिंह मंडावी के उपाध्यक्ष पद पर सर्वसम्मति से निर्वाचित होने पर मैं, अपनी ओर से एवं सदन की ओर से बधाई देता हूँ एवं अभिनंदन करता हूँ। इस अवसर पर मैं, पक्ष एवं प्रतिपक्ष दोनों के ही सदस्यों की सराहना करता हूँ, जिन्होंने इस सभा के उपाध्यक्ष पद पर श्री मनोज सिंह मंडावी को सर्वसम्मति से निर्वाचित किया और उच्च कोटि की संसदीय परम्परा को स्थापित किया। मेरा विश्वास है कि आज उपाध्यक्ष के पद पर सर्वसम्मति से आसीन होने वाले श्री मनोज सिंह मंडावी जी सदन के संचालन में मेरे सहयोगी के रूप में सदन का संचालन निष्पक्षता के साथ करेंगे।

मैं, पुन: श्री मनोज सिंह मंडावी जी का अभिनंदन करता हूँ, उन्हें बधाई देता हूँ। (मेजों की थपथपाहट)

मुख्यमंत्री (श्री भूपेश बघेल) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, श्री मनोज सिंह मंडावी जी ने छात्र राजनीति से अपनी राजनीतिक जीवन की यात्रा शुरू की और वे विधान सभा में तीन बार चुने भी गये। मंत्रीमण्डल के सदस्य भी रहे और एक आदिवासी नेता के रूप में हम सब जानते हैं और आज उनका उपाध्यक्ष चुना जाना, हम सब के लिए गौरव की बात है और इसके लिए सभी दलों ने मुख्य विपक्षी दल, भाजपा और छजका, बसपा के सभी साथियों ने न केवल समर्थन किया, बल्कि सभी लोगों ने प्रस्ताव फार्म भरे और उनका निर्विरोध निर्वाचन हुआ है इसलिए एक गौरवशाली परम्परा आज बनी है, इसके लिए पूरे सदन को बधाई देता हूँ और श्री मनोज सिंह मंडावी जी को भी बहुत बधाई और शुभकामनाएं देते हुए, आपके संचालन में, आपके सहयोगी के रूप में अच्छे काम करेंगे और उनके अनुभव का लाभ हमको मिलेगा।

अध्यक्ष महोदय :- बहुत-बहुत धन्यवाद्।

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

नेता प्रतिपक्ष (श्री धरमलाल कौशिक) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, आज इस विधान सभा के हमारे अनुभवी और वरिष्ठ सदस्य श्री मनोज सिंह मंडावी जी विधान सभा के उपाध्यक्ष के रूप में निर्वाचित हुए हैं । मैं पूरे प्रतिपक्ष की ओर से उनको बहुत बधाई देता हूँ, दल की ओर से बधाई देता हूँ जब हम लोग पहली बार विधायक बनकर आये थे उस समय आपको मंत्री के रूप में काम करने का अवसर प्राप्त हुआ था और उस समय हम सब लोग साथ में काम किये थे। वे लगातार अभी दो बार से विधायक, उनका संसदीय अनुभव और निश्चित रूप से एक ऐसे एरिया से चुनकर आये हैं जहां जो प्रतिनिधित्व कर रहे हैं इस विधान के उपाध्यक्ष होने के नाते, उस एरिया को भी उसका लाभ मिलेगा । इस विधानसभा की जो गरिमामयी प्रक्रिया और प्रणाली है, उसको और अपने ज्ञान, अनुभव से विधानसभा की गरिमा को बढ़ायेंगे। मैं उनको पुन: बहुत बधाई देता हूं।

श्री अजय चन्द्राकर (कुरूद) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे लिए आज दोहरी खुशी का क्षण है। एक तो मेरे व्यक्तिगत मित्र मनोज सिंह मंडावी जी आज एक संवैधानिक पद पर आसीन होंगे, उसके लिए बधाई देता हूं। दूसरा इस सदन के वरिष्ठ सदस्य जिन्होंने मंत्री के तौर भी काम किया, विपक्ष में भी काम किया और एक साधारण सदस्य के तौर पर भी इस सदन की गरिमा बढ़ाई। मैं उनको बधाई देते हुए उनके यशस्वी, दीर्घायु जीवन, बेहतर कार्य संचालन सबके लिए बधाई देता हूं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, दूसरी बात आपके नेतृत्व में और इस सदन में जो भी नेता रहे हैं, जोगी जी से लेकर श्रीमान भूपेश बघेल जी तक, हमारी विधानसभा अपने नियम, परंपराओं के कारण जानी जाती है जिसको हम लोग बीच-बीच में स्मरण भी आपके सामने करते रहते हैं। कभी सचेतकों के सम्मेलन में, किसी भी सम्मेलन में जायें तो हमारी कुछ परंपरायें स्थापित हैं जिसका हम उल्लेख करते हैं । मुझे नहीं मालूम संसदीय कार्य मंत्री जी जब हमारे पास दस्तखत के लिए आये तो मैंने तुरन्त दस्तखत कर दिया और हमारे सभी साथियों ने किया, जिसका उल्लेख सदन के नेता ने किया। पर मुझे दु:ख इस बात का है वह सिर्फ किसी दल का उपाध्यक्ष को साबित करने के लिए नामिनेशन में हम लोगों को आमंत्रित नहीं किये। यदि वह नामिनेशन में आमंत्रित करते तो हम जरूर आते। यही जो छोटी-छोटी बातें हैं, हमारी एकाकार भावना से जो हम सब मिलकर छत्तीसगढ़ के लिए काम करना चाहते हैं, अच्छा चलाना चाहते हैं, वह खंडित करती है। उसी समय आप मंत्री थे, जब इसी सदन में आपने ही परंपरा स्थापित की कि उपाध्यक्ष का पद विपक्ष को दिया जाये। आपने ही अविश्वास प्रस्ताव की परंपरा डाली और एक बड़ी पंरपरा खंडित हो गई। अब फिर से हमने उसको सर्वसम्मत की ओर बातचीत की तो निश्चित तौर पर हमें अपेक्षा थी कि सर्वसम्मत के तौर पर हम नहीं तो कम से कम नेता प्रतिपक्ष तो उपस्थित होते। या उस दल के जो नेता हैं, छ.ज.पा. के जो नेता हैं, धर्मजीत सिंह जी उपस्थित होते, एक छवि जाती।

नगरीय प्रशासन मंत्री (डॉ. शिवकुमार डहरिया) :- उपस्थित थे।

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

श्री अजय चन्द्राकर :- चलिये मैं उसको वापस ले लिया।

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने अजय चन्द्राकर जी से कहा था कि कल आना है। आपने दस्तखत किया है, कल आपको नामांकन में आना है। मैं खुद बोला था। धर्मजीत सिंह जी को हमने निवेदन किया, धर्मजीत जी उपस्थित थे। वह धर्मजीत जी को भी अनुपस्थित बताते हैं।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, यह एक बेहतर और स्वस्थ परंपरा होती। मैं फिर से मनोज सिंह मंडावी जी को बहुत-बहुत बधाई देते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री केशव प्रसाद चन्द्रा (जैजैपुर) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, पिछले 5 साल तक हमने श्री मनोज सिंह मंडावी जी के साथ इसी सदन में काम किया है। हमें प्रसन्नता हो रही है कि आज वह सर्वसम्मति से उपाध्यक्ष के लिए चुने गये हैं। मैं उनको मेरे दल की तरफ से बधाई देता हूं।

श्री धर्मजीत सिंह (लोरमी) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, श्री मनोज सिंह मंडावी जी के उपाध्यक्ष निर्वाचित होने पर मैं उन्हें बहुत हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। मुझे इस बात की खुशी है कि हम सब लोग इकट्ठे 1998 में मध्यप्रदेश की विधानसभा में पहली बार विधायक बनकर चुने गये थे और उनसे पुरानी मित्रता है। अध्यक्ष महोदय, सबसे अच्छी बात ये है कि वह हंसमुख रहते हैं और हम लोगों के लिए भी ये शुभ है कि वह उपाध्यक्ष के पद पर जब बैठेंगे तो एक हंसमुख मिजाज व्यक्ति वहां पर जायेंगे। विपक्ष को आपसे बहुत उम्मीदें भी हैं। एक अच्छी परंपरा की शुरूआत हुई है। इस विषय पर अब न कोई मतभेद है और न कोई क्लेम है कि उपाध्यक्ष कौन बनेगा, विपक्ष से बनेगा या सत्तापक्ष से बनेगा। अब एक परंपरा बन गई है, उस परंपरा को बने रहने दीजिए। आप उपाध्यक्ष बने हैं, आपको बहुत बधाई। आप अपने दायित्वों का निर्वहन पूरी तन्मयता से करें। अध्यक्ष जी को भी वहां बहुत बैठना पड़ रहा है तो आपके आने से उनको राहत मिलेगी। आप तो हमारे अपने हैं, आपको थोड़ा ज्यादा इधर देखना पड़ेगा। आदत अभी से डाल लीजियेगा और इधर देखते रहियेगा। आप बढ़िया हंसी-खुशी अच्छे से अपने दायित्वों का निर्वहन करिये। यह भी एक बहुत गंभीर जिम्मेदारी है। एक संवैधानिक पद है। इस पद की गरिमा को आप अपने द्वारा बढायेंगे और इस प्रदेश का जो एक अच्छा कीर्तिमान बना है, उसे आप बनाकर के आगे ले जाने का काम करेंगे । माननीय मंडावी साहब, आपको एक चीज बता देता हूं कि विधानसभा में मंत्रियों की फोटो कहीं नहीं टंगती है लेकिन आपकी फोटो विधानसभा में जिंदगीभर रहेगी । विधानसभा उपाध्यक्ष के कमरे में आपकी खूबसूरत तस्वीर भी लगवा लीजियेगा और वह तस्वीर कोई हटवा भी नहीं सकता । आपको बहुत-बहुत बधाई । हमारे मित्र हैं, सत्तारूढ़ पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, अनुभवी नेता हैं और प्रदेश के नेता के साथ ही आप आदिवासी समाज के प्रेरणा के केंद्र बिंदु हैं । आपको बहुत-बहुत बधाई । आपके यशस्वी भविष्य की कामना करते हुए मैं आपको बधाई देता हूं ।

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

समय :
1:42 बजे **(उपाध्यक्ष महोदय (श्री मनोज सिंह मण्डावी) पीठासीन हुए)**

संसदीय कार्यमंत्री (श्री रविन्द्र चौबे) :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आप आसंदी में बैठे तो आसंदी भी अच्छी लग रही है और आप तो उससे भी ज्यादा अच्छे लग रहे हैं और आप मुस्कुरा रहे हैं तो और तीसरी ज्यादा अच्छाई है । (हंसी)

उपाध्यक्ष महोदय :- धन्यवाद ।

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, परंपरा रही है कि आसंदी में जो भी आता है वह अपने...।

श्री धर्मजीत सिंह :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आप बाकी सब छोड़कर केवल मुस्कुराते रहिए और बस इधर ही देखते रहना बस आपसे इतना ही आग्रह है । (हंसी)

श्री शिवरतन शर्मा :- नहीं, मैं भी वही याद दिला रहा हूं कि आसंदी में जो भी आता है वह पहले विपक्ष की ओर ही देखता है । माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आप भी इसका ध्यान रखेंगे । (हंसी)

श्री रविन्द्र चौबे :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, विपक्ष को तो जरूर देखना, उधर भी देखना ।

श्री अजय चंद्राकर :- मैं भी आज एक-बार आज शुरूआत कर लेता हूं, प्रेक्टिस कर लेता हूं । अब मुझे माननीय उपाध्यक्ष महोदय ही बोलना है । मेरे मुंह से आज के बाद इधर-उधर मत निकले । (हंसी)

श्री रविन्द्र चौबे :- लेकिन ज्यादा ध्यान इधर रखना ।

श्री रामकुमार यादव :- नावा-नावा विधायक मन ला घलो देख लिहा भई ।

समय :
1.44 बजे **<u>उपाध्यक्ष महोदय का उद्बोधन</u>**

उपाध्यक्ष महोदय (श्री मनोज सिंह मण्डावी) :- माननीय अध्यक्ष महोदय जी, आदरणीय मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी, आदरणीय प्रतिपक्ष श्री धरमलाल कौशिक जी, जनता कांग्रेस के छत्तीसगढ़ दल के नेता आदरणीय श्री धर्मजीत सिंह जी, नेता बहुजन समाज पार्टी आदरणीय श्री केशव चंद्रा जी एवं समस्त माननीय सदस्यगण छत्तीसगढ़ की पंचम विधानसभा के विधानसभा उपाध्यक्ष के पद पर सर्वसम्मति से निर्वाचित होने के इस अवसर पर मैं आप सबको अपनी ओर से हार्दिक धन्यवाद देता हूं । (मेजों की थपथपाहट) आज का दिन मेरे लिये सार्वजनिक जीवन का सबसे महत्वपूर्ण और गौरवशाली दिन है । आप सभी ने इस गरिमामयी पद पर जिस विश्वास के साथ सर्वानुमति से मुझे पीठासीन किया है और मेरे प्रति जो आस्था प्रकट की है उसके लिये मैं आपके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करता हूं । सभा की कार्यवाही के गरिमापूर्ण संचालन में मैं माननीय अध्यक्ष महोदय के सहयोगी के रूप में अपने कार्यों को

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

सम्पादित करूंगा तथा आप सबको विश्वास दिलाता हूं कि सदन की गरिमा तथा सम्मान को अक्षुण्य बनाए रखने का प्रयास करूंगा । आदरणीय सभी सदस्यों से एक निवेदन है मैं आप सबको विश्वास दिलाता हूं कि छत्तीसगढ़ विधान सभा की परम्परा के अनुसार जो आप सब ने एक कद हासिल की है, उस कद को बनाए रखिएगा । निर्देश तो नहीं है लेकिन एक निवेदन के तौर पर कहना चाहता हूं । उसी परम्परा के हिसाब से मैं भी चलूंगा । मेरे प्रतिपक्ष के जितने साथी है, पक्ष के जितने भी साथी हैं, उन सबको फिर से धन्यवाद् देना चाहता हूं कि आप सबने सर्वानुमति से मुझे निर्वाचित किया, धन्यवाद् ।

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- माननीय सचिव साहब, हमारे काका जी आसंदी पर बैठे हैं और काकी भी आई हैं, बच्चे भी आए हैं, उन सबका स्वागत है । (मेजो की थपथपाहट)

समय :
1.46 बजे

शासकीय विधि विषयक कार्य

(1) छत्तीसगढ़ पंचायत राज (संशोधन) विधेयक, 2019 (क्रमांक 23 सन् 2019)

पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री (श्री टी.एस. सिंहदेव) :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि छत्तीसगढ़ पंचायत राज (संशोधन) विधेयक, 2019 (क्रमांक 23 सन् 2019) पर विचार किया जाये ।

पंचायत मंत्री (श्री टी.एस.सिंहदेव) :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज आप पहली बार उपाध्यक्ष के रूप में आसंदी पर आसीन हुए और अध्यक्ष जी की अनुमति से मुझे भी सार्वजनिक जीवन में पहली बार सदन में बिल प्रस्तुत करने का सौभाग्य मिला है । हम आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं ।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह जो संशोधन विधेयक लाया गया है । यह 8 धाराओं के संदर्भ में है । 7 धाराएं नि:शक्तजनों को अधिकार देने के संदर्भ में और 1 धारा साक्षर व्यक्ति के संदर्भ में है । धारा क्रमांक 2, 13, 22, 29, 44, 46, 47 नि:शक्त व्यक्तियों को पंचायती राज संस्थाओं में भागीदार बनाने के संदर्भ में लाया जा रहा है । सार्वजनिक जीवन में मुझे जब से भाग लेने का मौका मिला, मुझे हमेशा यह लगता था कि नि:शक्तजनों को प्रतिनिधित्व का उतना अवसर नहीं मिल पाता, जितनी उनकी आबादी है । छत्तीसगढ़ की जनगणना में भी शायद 6 प्रतिशत से ज्यादा आबादी है । चुनाव के पहले घोषणापत्र के संदर्भ में जब मैंने दौरा किया । तो नि:शक्तजनों के अनेक प्रतिनिधि मंडलों से भी मैंने मुलाकात की और सभी जगह मुझे महसूस हुआ कि जो उनके अंदर की बातें हैं । जो वे चाहते हैं कि उनकी बातों को शासन, प्रशासन के माध्यम से रखने का और उनको हल करने का मौका मिलना चाहिए, वह नहीं मिल पा रहा है । हर जगह एक ही बात सामने आई कि उनके अंदर की बातें, उनकी तकलीफें,

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

चाहे वह रैम्प के संदर्भ में हो, चाहे अतिरिक्त शौचालय के संदर्भ में हो, चाहे जीवन की दिनचर्या के संदर्भ में हो, चाहे उनके व्यवसाय से जुड़े हुए अवसरों के संदर्भ में हो, चाहे शिक्षा के संस्थानों में उनकी उपस्थिति के दरमियान उनकी तकलीफें हों । बहुत सारे बिंदुओं पर जब यह बात ध्यान में आई तो कांग्रेस पार्टी के घोषणा पत्र के माध्यम से हम लोगों ने इस बात को रखा कि नि:शक्तजनों को भी पंचायती राज या अर्बन बॉडीज़ में यदि वे प्रत्यक्ष चुनाव के माध्यम से वे चुनकर नहीं आते हैं । इन बातों को ध्यान में रखकर हम लोगों ने यह प्रस्ताव रखा था और मुझे बहुत खुशी है कि पार्टी के इस संकल्प को पहले अर्बन बॉडीज़ ने पारित करवाया और आज पंचायतों में इसको पारित करने के लिए प्रस्तुत करने का अवसर मिला । ये कंडिकाएं धारा 2, 13 मैंने पहले उल्लेखित की । उपाध्यक्ष महोदय, धारा 36 साक्षर प्रतिनिधियों के संदर्भ में पंचायती राज अधिनियम, 1993 पारित हुआ, लागू हुआ और उसके बाद में इसमें संशोधन लाया गया। कुछ देश के राज्यों ने साक्षरता के एक स्तर को पंचायती राज के प्रतिनिधियों के साथ में जोड़ा है। पंच 5वीं, सरपंच 8वीं और जहां तक मुझे यह जानकारी है कि दो राज्यों के अलावा शायद और राज्यों में इसे अपनाया भी नहीं गया। साथ में हमारे प्रधानमंत्री के लिए हमारे सांसदों के लिए, हमारे मुख्यमंत्रियों के लिए, हमारे विधायकों के लिए , हमारे स्थानीय अर्बन बॉडिज के के पदाधिकारियें के लिए, चुने हुए प्रतिनिधियों के लिए कहीं ऐसा छत्तीसगढ़ में भी साक्षरता के संदर्भ मैंने नहीं देखा। एक तरह से आबादी का एक हिस्सा जोकि मतदाता है जो जनप्रतिनिधि चुन सकता है। जो पंच बना सकता है। जो सरपंच बना सकता है। जो बी.डी.सी. के मेंबर को बना है। जो बी.डी.सी. के अध्यक्ष को चुनने का अधिकार रखता है। जो जिला पंचायत के सदस्य को, जिला पंचायत के अध्यक्ष को, विधायक को, मंत्रियों को, मुख्यमंत्री को, सांसदों को, प्रधानमंत्री को बनाने में अपनी डॉयरेक्ट भागीदारी मतदान के माध्यम से रख सकता है तो जो देश का नागरिक मत का अधिकार रखता है और इतने लोगों को चुनने का अधिकार रखता है, उनको किसी धारा के तहत क्या स्वयं जो देश का प्रधानमंत्री बना सकता है, वह पंच नहीं बना सकता क्या? क्या उनको यह अधिकार नहीं है? उस बात को ध्यान में रखकर यह संशोधन हम लोगों ने प्रस्तुत किया है। साक्षरता की जब बात आती है तो मैंने पहले भी उदाहरण दिया। यह कितना लाजमी है, मैं नहीं कह सकता। विवेकानंद जी और रामकृष्ण जी के संदर्भ में जब भी मैंने जब पुस्तक पढ़ी थी तो मुझे भी आश्चर्य हुआ कि रामकृष्ण जी का भी फॉर्मल एज्यूकेशन नहीं था और उन्होंने दुनियाभर को ज्ञान दिया। तो साक्षरता का कौन-सा पैमाना ऐसा होना चाहिए जोकि आदमी को बाधित कर दे कि वह जनप्रतिनिधित्व का स्थान नहीं ले सकता और ये जो धाराओं में संशोधन पूर्व में किया गया, उसे विलोपित करने के लिए यह प्रस्ताव यहां पर लाया गया है और इन बातों को रखते हुए मैं इस संशोधन विधेयक को प्रस्तुत करता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय :- प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ कि छत्तीसगढ़ पंचायत राज (संशोधन) विधेयक, 2019 (क्रमांक 23 सन् 2019) पर विचार किया जाये । माननीय अजय चन्द्राकर जी ।

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, दो दिन पहले मैंने एक शब्द प्रतिगामी विकास का उपयोग किया था। बैकवर्ड डेव्लपमेंट। मेरे ख्याल से ये पहली बार पंचायती राज संशोधन विधेयक ला रहे हैं। नेता प्रतिपक्ष रहे। संसदीय कार्य मंत्री जी जब यह विधेयक इस सदन में पेश हुआ तो वरिष्ठ सदस्य थे। नेता प्रतिपक्ष तो माननीय स्वर्गीय महेन्द्र कर्मा जी थे। उस समय इस क्लॉज में न तो डिवीजन मांगा, न असहमति व्यक्त की और बल्कि मेरे साथ संयुक्त प्रेस क्रांफ्रेन्स की आपने इच्छा रखी। पंचायती राज के बारे में एक समग्र दृष्टिकोण होना। नि:शक्त को आप जोड़ते हैं या घटाते हैं। साक्षरता में 5वीं, 8वीं 12वीं रखते हैं यह पंचायती राज नहीं है। यदि मैं कहता हूं या किसी शब्द का उपयोग करता हूं तो सदन का नेता उत्तेजित होता है कि साहब विकलांगों के लिए आज शब्द आया है, परिभाषा आयी है। मैंने प्रतिगामी विकास इसलिए कहा कि ये क्या सहानुभूति देना चाहते हैं? रैम्प के लिए लेट्रिन के लिए बात नहीं कर सकते। यह आपका दृष्टिकोण है। आप एक साल के लिए मनोनीत करेंगे। दो साल के लिए मैंने पढ़ा है, यह विधेयक है। यह विषय नहीं है। आपके पास इतनी सहानुभूति है तो 6 प्रतिशत जो शासकीय सेवाओं में हैं, उनको देना चाहते हैं तो एक संकल्प हम रख देते हैं। इस विधान सभा की गौरवमयी परंपरा रही है। विधेयक के बाद आप एक प्रस्ताव रख दीजिए कि सरकार 3 महीने, 6 महीने, 8 महीने के अंदर पूरे रिक्त पदों को आरक्षित पदों को जोकि विकलांगों के लिए, दिव्यांगों के लिए है, उसे रिक्त रखेगी और उतने पदों को रिक्त रखेगी और इतने दिन में उसमें नियमित भर्ती । आप जो सहानुभूति देते हैं कि लेट्रिन के लिए बात नहीं कर पाते या रैम्प के लिए बात नहीं कर पाते, दुखड़ा नहीं सुना पाते, यह इसका उद्देश्य नहीं है। आप किसी भी व्यक्ति को मनोनित कर लें, पंचायती राज में इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। यदि कमिटमेंट है तो उसमें जो उसका वाजिब अधिकार है, संवैधानिक अधिकार है, जो नियम और कानून बनाये हैं, तो आप कहिये कि हम उसको देंगे।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, दूसरी बात, इस कानून को लाये बगैर भी आप उनकी एक समिति बना सकते हैं जो उस मसले पर विचार करे। पांच स्थाई समिति है, छ: स्थाई समिति है, सात स्थाई समिति है, आठ स्थाई समिति है, आप जितनी समिति बनाना चाहते हैं, बना सकते हैं। आप मनोनित करने के बजाय सदस्यों में से एक समिति बना सकते हैं, जो सिर्फ उनके विषय में ही विचार करे। अगर वह मनोनित व्यक्ति सदन में बोलेगा, ग्राम पंचायत में बोलेगा, तो सुनेगा कौन ? वही निर्वाचित ही सुनेंगे न। वह अपनी बात रखेगा, प्रस्ताव रखेगा। तो आप उस वर्ग के लिए एक समिति ही मनोनित कर लीजिये, संख्या बढ़ा लीजिये।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अब दूसरी बात, ये पंचायती राज पर कोई प्रभाव नहीं डालता। यह दिखाने के लिए, हार-जीत की स्थिति में कोई भी ऐसा संशोधन ला रही है कि 68-69 जो आपके विधायक आ गए हैं, उसमें किसी न किसी कांग्रेस के व्यक्ति को बेक डोर एन्ट्री दी जाये। यदि पंचायती

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

राज के बारे में ये ईमानदार होते तो एक भी योजना अपने बजट में प्रस्तुत किए होते। आपने पंचायती राज संस्थाओं का बजट कम किया। आपने पंचायती राज संस्थाओं के निर्वाचित प्रतिनिधियों के वेतन-भत्ते कम किए। उनको अपमानित किया। डॉ0 रमन सिंह की सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार का पंचायती राज संस्थाओं के बारे में उनका दृष्टिकोण क्या था ? आप अर्हता में पांचवी, आठवी पास रख लें, मेरे लिए वह विषय नहीं है। आप साक्षरता भी हटा दें। मैं रामकृष्ण परमहंस के गुरू तोतापुरी तक पहुंच जाऊंगा जो पढ़े-लिखे थे या नहीं थे। रामकृष्ण परमहंस के गुरू जी का नाम तोतापुरी था, आप नोट कर लीजिये। वे भी पढ़े-लिखे थे या नहीं थे, मैं पृथक से चर्चा में वह भी बता दूंगा। सवाल इस बात का है कि पंचायती राज के बारे में एक समग्र दृष्टिकोण कौन सा ? समग्र दृष्टिकोण में छत्तीसगढ़ देश का पहला राज्य बना, जिसकी पूरी देश में प्रशंसा हुई और मैं इस विषय पर दसहो जगह भाषण देने गया कि डॉ0 रमन सिंह की सरकार उन संस्थाओं के बारे में क्या सोचती है। लेकिन यह सोच तो कहीं दिखी नहीं। प्रतिगामी विकास, जो छत्तीसगढ़ आगे बढ़ा, उसको पीछे लौटाने का काम है। साक्षरता, अर्हता में शामिल करने को पूरा देश ने सराहा। फूलन देवी साक्षर थी, निरक्षर थी, यह विषय नहीं है। हम आगे जाना चाहते हैं या नहीं जाना चाहते हैं, यह विषय है। यदि ग्राम सभा आश्रित गांव में होंगी तो वह हम सोचते हैं। हम पेसा के बारे में अलग से बात कर लेंगे कि हमने क्या-क्या किया। तीसरी बात, एक छोटा सा निर्देश, कानून बनता है और देश में यू0पी0ए0 की सरकार हो या उससे पहले डॉ0 रमन सिंह की सरकार हो, वह फुड गारन्टी एक्ट बन जाता है कि आपको एक क्विंटल अनाज रखना है। सामाजिक मामलों में स्पष्ट करने वाले पहली विधायिका छत्तीसगढ़ बनती है कि अवैध कब्जा वाला प्रतिनिधि नहीं बन सकता, आप उसको भी हटा दीजिये। तीसरी बात, साक्षरता के बाद फुड सुरक्षा से लेकर आश्रित गांव में ग्राम सभा हो। अब उसके बाद जो बकायेदार हैं, वे प्रतिनिधि नहीं बन सकते हैं। इनके समय में यह था कि बकायेदार प्रतिनिधि बन सकते थे, डिफाल्टर भी चुनाव लड़ सकता था। अब आप वापिस आ जाये वही प्रतिग्रामी विकास में आप डिफाल्टरों को ले आईये।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, पंचायती राज का जो मूलभूत विषय है, उसमें आपका कोई चिंतन नहीं है। दूसरी बात, एक ऐसे मंत्री हैं, जिसका मैं बहुत सम्मान करता हूँ, मैं आपको ईमानदारी से कह रहा हूँ। लेकिन यहां पर तो मुझे बोलना पड़ेगा। राजतन्त्र में राजा कभी नहीं चाहा है कि जनता शिक्षित हो। छत्तीसगढ़ में मनरेगा की राशि, वित्त आयोग की राशि ..।

श्री संतराम नेताम :- चन्द्राकर साहब, यह गलत बात है। ये ऐसा नहीं है।

श्री अजय चन्द्राकर :- मैं अभी आरोप नहीं लगाया हूँ।

श्री संतराम नेताम :- आप जो बोल रहे हैं कि कोई भी राजा...आप गलत बात बोल रहे हैं। सभापति महोदय, आपत्ति है।

श्री अजय चन्द्राकर :- आपको बोलने का समय मिलेगा।

Uncorrected and Unedited/Not for Publication

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

श्री संतराम नेताम :- ठीक है मिलेगा। लेकिन आप कुछ भी कह दें। कहां मदद किया है ? आप एकाध उदाहरण दीजिये। आप एक भी उदाहरण दे दीजिये।

श्री अजय चन्द्राकर :- विधेयक में भी इन्टरप्सन, मुझे आज तक समझ में नहीं आया। मैंने देखा कि आप उस दिन कितना परफार्म कर रहे थे। आप कितना परफार्म कर रहे थे, मैं उस दिन देखा हूं।

श्री अमरजीत भगत :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह कैसा सम्मान है।

डॉ0 कृष्णमूर्ति बांधी :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, भगत जी, एक मिनट सुन लीजिये न कि क्या बोल रहे हैं।

श्री अमरजीत भगत :- इससे अच्छा है कि आप सम्मान न करें, वह ज्यादा अच्छा है।

श्री अजय चन्द्राकर :- मैं उस दिन आपकी क्षमता को देखा हूं। संकल्प की चर्चा में आपकी भाषण क्षमता को देखा हूं। समझे न ?

समय :
2:00 बजे

श्री अमरजीत भगत :- उपाध्यक्ष महोदय, देश में जो बड़े-बड़े बकायेदार हैं, उनको आप छोड़ रहे हैं और छोटे-छोटे पंच-सरपंच हैं, उनके ऊपर आप ज्यादा हुकूम चलाना चाहते हैं ।

श्री संतराम नेताम :- राजा साहब सोच-समझकर विधेयक लाए हैं ।

श्री अजय चन्द्राकर :- अब मैं बोलूं ?

श्री संतराम नेताम :- आप बिल्कुल बोलिए, इसके बाद मैं भी बोलूंगा।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, डॉ. रमन सिंह जी विपक्ष के आग्रह पर पैसा वापस ले लिए, प्रस्ताव बस हुआ था, पैसा पंचायत के खातों से नहीं बुलाया गया था । 14वें वित्त आयोग की राशि सीधे पंचायतों को जाएगी, राज्य का कोई नियंत्रण नहीं होगा । आज आप देखिए कि पंचायत की कितनी राशि गोठान में लगाई गई, किसके प्रस्ताव हुए और इसलिए हुए कि अंगूठा छाप लाने की कोशिश इसलिए हो रही है कि उसमें कोई तर्क मत करे, वे बेचारे लोग जेल जाएं और इनके कहने पर गोठान में राशि दें, नरवा-गरवा-घुरवा और बाड़ी में राशि दें, यह पहली सरकार है, जो बिना बजट के योजना लागू करती है । जनता के सामने प्रस्तुत करती है, यह योजना है । जब बजट के बारे में पूछते हैं तो यह नोडल विभाग, वह नोडल विभाग, यह नोडल विभाग कहते हैं । तो राशि का दुरूपयोग हो इसलिए यह लाया गया है और मैं चाहता हूं या दल चाहता है कि जब यह विधेयक लाया गया, कांग्रेस ने अभी आपत्ति नहीं की थी । 15 सालों में कभी संशोधन या निजी संकल्प प्रस्तुत नहीं किया । कांग्रेस पहला काम लगातार कर रही है, वह है प्रतिगामी विकास का, चाहे वह कानून बनाने के माध्यम से हो, चाहे वह अन्य माध्यम से हो । समिति बनाने की बजाय आप विकलांगों या दिव्यांगों के लिए 6

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

प्रतिशत के लिए घोषित कीजिए और मैं तो बोलता हूं कि इससे आगे शिक्षा की ओर बढ़िए कि बस्तर की राशि बस्तर तक पहुंचे, ग्राम सभाएं मजबूत हों, जब तक पढ़े-लिखे विषय विशेषज्ञ हमने शामिल किया था कि समितियों में विषय विशेषज्ञ आमंत्रित होंगे, वे नहीं बैठेंगे, तब तक उस बड़ी राशि की योजना नहीं बनेगी और आपसे मुझे बड़ी अपेक्षा थी । मैं तो सोचता था कि आप एक्टिवेटी मैंपिंग में बात करेंगे, मैं तो सोचता था कि आप पेशा में चर्चा करेंगे । ये क्या पांचवी, आठवीं और दिव्यांग में आप बात कर रहे हैं, इससे कुछ नहीं होना है । आपने पंचायत के सम्मान में की, जनता आपको माफ नहीं करेगी । आपने निर्वाचित जनप्रतिनिधियों के वेतन-भत्ते कम किये, पंचायती राज का बजट कम किया । शिक्षा कर्मियों के साथ किया, ये सारी चीजें रिकार्ड में है ।

श्री रामकुमार यादव :- चन्द्राकर जी, आप संविधान के मूल विषय ला बदले के कोशिश कर थौ, तेकर सेती सब सुधारे के जरूरत हे ।

उच्च शिक्षा मंत्री (श्री उमेश पटेल) :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अजय भैया, क्या आप यह कहना चाहते हैं कि अगर कोई व्यक्ति पढ़ा-लिखा नहीं है तो वह एक अच्छा जनप्रतिनिधि नहीं बन सकता ?

श्री अजय चन्द्राकर :- जनप्रतिनिधि कोई बने या न बने, ये कोई विषय नहीं है ।

श्री उमेश पटेल :- आपका जो पूरा भाषण है, वह इसी में आधारित है।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय,यह उनका दृष्टिकोण हो सकता है, मेरा दृष्टिकोण है, मेरे दल का दृष्टिकोण है । जितनी राशि 14वें एवं 15वें वित्त आयोग के बाद और राज्य से हमने देना शुरू किया था और सैंकड़ों निरपराध सरपंच जेल में गए । इन्हीं के समय में गए, 10 लोगों के ऊपर से मुकदमा वापस लिया । यदि वे प्रस्ताव, यदि वे सारी चीजें विषय विशेषज्ञता पंचायतों में नहीं आई तो राशि का कोई मतलब नहीं होगा । बहरहाल जितना बहुमत है, मेरी बात यहीं तक रहेगी, यह मैं जानता हूं । मैं राजा साहब को बधाई देता हूं कि मैं बड़े परिवर्तन की अपेक्षा करता था और खोदा पहाड़, निकली चुहिया । पंचायती राज दो शब्दों में कि मैं शिक्षा को कम कर रहा हूं और दिव्यांग को अंदर कर रहा हूं । इस पंचायती राज के लिए मैं आपको बधाई देते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं । जयहिंद ।

श्री अमरजीत भगत :- ऐसा बात करके आप दिव्यांगों का उपहास कर रहे हैं । दिव्यांगों के लिए कोई व्यवस्था हो रही है तो अगर आप उनका समर्थन नहीं करते हैं तो कम से कम विरोध मत करिए ।

श्री अजय चन्द्राकर :- आप अपना नाम दे दो ।

श्री अमरजीत भगत :- नाम तो हम बाद में देंगे ।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आप नियम को शिथिल करते हुए माननीय मंत्रियों को भी शामिल होने का अवसर दे दीजिए।

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

श्री अमरजीत भगत :- ठीक है, हम अपनी बात तो कह सकते हैं ।

श्री अजय चन्द्राकर :- अपने विधेयकों में कितना बोलते हैं, हमने वह देखा है ।

श्री अमरजीत भगत :- जब बात आएगी, तब तो बोले हैं, अब आपके अनुसार बोलेंगे, तभी आप मानोगे कि हम बोल रहे हैं । आप कुछ भी बोलेंगे तो हम मान जाएंगे क्या ?

उपाध्यक्ष महोदय :- संतराम नेताम जी ।

श्री अजय चन्द्राकर :- हम कहां कर रहे हैं ।

श्री अमरजीत भगत :- आपने जिन कारणों की ओर ध्यानाकर्षित किया, आप अशिक्षित लोगों को जनप्रतिनिधि मानने से इंकार कर रहे हैं । लखमा जी चार-पांच बार से विधायक हैं । आप बीच में चुनाव हार गए थे, लखमा जी आजतक चुनाव नहीं हारे । वह अच्छा जनप्रतिनिधि हैं ।

श्री केशव प्रसाद चंद्रा :- संतराम जी, जो बोलना है, अच्छे से बोलेंगे। फिर इधर कोई बोलते हैं तो आप उठकर बोलते हैं । जितना बोलना है, बोल लो ।

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- अभी बोलना शुरू नहीं किए और आपत्ति लगा रहे हैं ।

श्री अमरजीत भगत :- (श्री अजय चन्द्राकर की ओर इशारा करते हुए) वे लेने के लिए जा रहे हैं ।

श्री संतराम नेताम (केशकाल) :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हमारे पंचायत मंत्री आदरणीय टी. एस. सिंहदेव जी ने जो संशोधन विधेयक प्रस्तुत किया है, वह काफी सराहनीय कदम है । मैं इनका समर्थन भी करता हूँ, स्वागत भी करता हूँ । उपाध्यक्ष महोदय, आप भी जानते हैं कि ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत और जिला पंचायत, तीन ऐसे पंचायत हैं, जहां पर ग्राम पंचायतों के विकास के बारे में बैठकर चर्चा करते हैं । वहां पर हमारे विकलांग लोग किसी कारण से चुनकर नहीं आ पाते हैं, जिसके कारण उनका जो अधिकार है, अपनी बात है, अपनी समस्या है, वहां पर नहीं रख सकते । यह जो कानून आयेगा, यह जो विधेयक आयेगा, जिसमें एक महिला और एक पुरूष को भाग लेने का मौका मिलेगा, जिसके कारण वह अपनी बात पंचायतों में रख सकते हैं । जिस प्रकार से बहुत सी समस्या विकलांगों की रहती है, संविधान में उनको क्या-क्या अधिकार है, पंचायत के क्या-क्या नियम है, वह अपनी बात रख सकते हैं । निश्चित तौर पर विकलांग जो भाई-बहन है, उनके अधिकार का वहां पर समायोजन होगा, एक अच्छा निर्णय होगा । पंचायत बॉडी में, हमारे जनपद में, जिला पंचायत में उनकी अगर भागीदारी होगी तो निश्चित तौर पर जो अपनी बात है, वहां पर रख सकते हैं । इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि यह विधेयक अच्छा है, इनका मैं समर्थन करता हूँ । दूसरी बात, मैं बताना चाहता हूँ उपाध्यक्ष महोदय, जो साक्षर के संबंध में है । पिछली हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जो कानून लाया था, एक प्रकार से जनता का अपमान करना है, उनके अधिकारों का हनन करना है । आज पूरे प्रदेश में विधायक और सांसद पार्लियामेंट में जाकर अपनी बात कर सकते हैं । यह जो कानून लाने

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

से खासकर बस्तर संभाग में बहुत से हमारे जनप्रतिनिधियों को अपने अधिकार से मना कर रहे थे । मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूँ कि हमारे यहां बहुत से पढ़े-लिखे जनप्रतिनिधि लोग हैं, लेकिन यह अगर कानून आयेगा, यह कानून अगर पंचायत अधिनियम में लागू होगा, ऐसे हमारे जो अनुभवी जो पंचायत और जिला में चुनकर नहीं आ पायेंगे । पढे-लिखे व्यक्ति से भी ज्यादा हमारे जो अनुभवी व्यक्ति हैं, वह भी कई पंचायत के संबंध में, गांव के संबंध में, विकास के संबंध में, संविधान के संबंध में, जानकारी रखते हैं । यह कानून आने से हमारे बस्तर संभाग में बहुत इसका पहल होगा । इस कानून के बनने से हमारे बहुत से जनप्रतिनिधि वंचित होते जा रहे थे, वह उनको लाभ मिलेगा । उपाध्यक्ष महोदय, मैं बताना चाहता हूँ कि यह जो कानून अभी हमारे चन्द्राकर जी कह रहे थे कि गोठान में नियुक्ति होगी । आज पिछला रिकार्ड देख लीजिए, संविधान जब से बना है, जब से पंचायती रात का गठन हुआ है, बहुत से हमारे साक्षर व्यक्ति जनप्रतिनिधि बनकर आये थे । उपाध्यक्ष महोदय, कोई भी गलत काम नहीं करते हैं, यह हमारे बस्तर के लिए दुर्भाग्य का विषय था, ऐसे कानून आ जाने से हमारे लोग वंचित हो जाते । मैं तो माननीय मंत्री जी को बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि इन्होंने हमारे समय पर लाकर बस्तर संभाग में बहुत से व्यक्तियों को जनप्रतिनिधि बनने का, सरपंच, जनपद अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, बनने का मौका मिलेगा, उपाध्यक्ष महोदय । हमारे कई पंचायतों में अगर हम वार्ड पंच ढूंढने जायेंगे, पांचवी, आठवी पास करने वाला अगर कानून आता, कई वार्ड में एक भी नहीं मिल पाता है, उपाध्यक्ष महोदय । उपाध्यक्ष महोदय, ऐसे में हमें व्यावहारिक कठिनाईयां होती है । इसके कारण जो कानून मंत्री जी लाये हैं, यह बिल्कुल सही है । उपाध्यक्ष महोदय, हमारे लखमा जी एक उदाहरण है, जो पांच बार से चुनकर आये हैं और दमदारी के साथ एक-एक घण्टे मैं देखा हूँ, उन्होंने बिना कागज देखे, अपनी बात को रखते हैं । विपक्ष को एक आईना दिखाने का काम किया है । उपाध्यक्ष महोदय, मैं पिछले साल देखा हूँ । यह कानून जो है, गलत था । हमारे मंत्री जी ने कानून लाया है । उपाध्यक्ष महोदय, आज साक्षर की जो उपयोगिता रखा गया है, यह बहुत सही है । बस्तर की जनता यहां का निर्णय देख रही थी कि कब यह हमको अधिकार मिलेगा । यह बहुत अच्छा पहल है । मैं इनका समर्थन करता हूँ, स्वागत करता हूँ । पूरे सदन से आग्रह करना चाहता हूँ कि इस विधेयक को सर्वसम्मति से पारित किया जाये । आपने मुझे समय दिया, धन्यवाद ।

उपाध्यक्ष महोदय :- माननीय सदस्य रामकुमार यादव जी ।

श्री रामकुमार यादव (चन्द्रपुर) :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी के विधेयक में समर्थन बर खड़े होयेहों। मैं माननीय मंत्री जी ला और जेतना भी सरकार के केबिनेट मंत्री हे तेमन ला सदन के माध्यम से धन्यवाद देना चाहत हों कि अभी अभी हमन संविधान दिवस हर्षोल्लास के साथ मनाये हन। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी, महात्मा गांधी जी, ये देश के लिए चिंता करके, गुन करके संविधान बनाये के काम करे रहिस। का संविधान त ये संविधान कि इस देश में रहने वाला चाहे वह पढ़े

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

लिखे झन रहाय, चाहे वो ह एम.ए., एम.फिल, पी.एच.डी. करे रहय सब ला वोट के अधिकार के कानून बनाये रहिस। हम 26 तारीख के देखे रहेन कि दोनों तरफ ले ताली बजात रहिन। लेकिन मैं आज सदन के माध्यम से याद दिलाना चाहत हौं कि पिछली सरकार वही महात्मा गांधी और बाबा साहेब के सोच ला बदले के काम करे रहिस। आप सबो सदन मन जानत हो कि मैं ओ गरीब घर के हों कि मैं गरवा चराने वाला गरीब घर के लईका हों, मैं दर्द ला महसूस करे हों ओ खातिर बताना चाहत हों कि आज गरीब आदमी जो जंगल में जाकर लकड़ी तोड़कर अपन जीवन यापन करथे, जेखर मॉ-बाप ह जम्मू काश्मीर में रथे, लईका ह घर में रथे, पढलिख नहीं पाय ओखरो मन में उत्साह रथे कि मैं ह गांव पंचायत के चुनाव लड़के मैं भी गांव के लिए कुछ करतेंव लेकिन पांचवी-आठवीं के अनिवार्यता कर दीस तेखर नाम से कट जात रहिस। हमर छत्तीसगढ़ी में कहावत हे -कि बाबू तें ह पढ़ डारे हस लेकिन कढ़े नई हस। पढ़ना भी जरूरी हे और गढ़ना भी जरूरी हे। मैं आज इस सदन से कहना चाहत हों कि पढ़े लिखे ह बहुत अच्छा काम करथे मैं जानत हौं लेकिन नही पढ़े रहय तें अच्छा काम नहीं करय ऐखर से मैं सहमत नहीं हों। नहीं पढ़े लिखे भी महान से महान काम कर सकथे। हम देखत हन, हम त नवा नवा विधायक हन, बड़े-बड़े पढ़े-लिखे ल देखत हन, बड़े-बड़े पुस्तक ल धरके बांचत रथे लेकिन आज हम ये भी कहना चाहत हन कि हमर सियानहामन कहे हे बइठ अईसना जेमा उठ झन कहे और गोठिया अईसना जेमा चुप झन कहे। लेकिन आज ये मेर हम देखथन मैं मोर राजा साहब ला धन्यवाद दिहां, मैं हमर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ला धन्यवाद दिहां कि आज अईसे कानून ला दिस कि आज गरीब आदमी भी कहा थे कि ये सरकार जा चलथे आज ये मोर सरकार हे। आज विकलांग के संबंध में बोलत रहिन हे। हम परमात्मा से प्रार्थना करथन कि हे परमात्मा हमर महतारी के कोख ले जेन भी लईका जन्मे ओह सुघ्घर -सुघ्घर जनमे, ये हम सब चाहथन लेकिन कारणवश अगर कोई आदमी पैर से, हाथ से गोड़ से जब विकलांग हो जाथे आज अईसे सरकार धन्य हे मोर राजा साहेब। हम छोटे-छोटे रहेन त कहानी सुने रहेन कि राजा कौन होथे त राजा जमींदार ह नई होवय, पईसा से राजा नई होवय जेह जनता के दिल में राज करथे ओला राजा कहे जाथे। आज मैं मोर सरकार ला धन्यवाद दिहं, धन्याद दिहों मोर सित्तो के राजा टी.एस.सिंहदेव बाबा जी ल और मोर जतका भी सरकार बईठे हे मोर मंत्री जी मन ला, हमर चौबे जी ल, जेह आज सही में छत्तीसगढ़ के तमाम दिल में राज करत ह। आज इस अवसर पर मोला बोले के मौका देव, मैं आज इस अवसर पर यही कहूं कि शायद ये रामकुमार यादव काबर कि मोर ददा पढ़े लिखे नई रहिस, मोर दायी पढ़े लिखे नई रहिस, मैं त गरवा चरात रहेंव। आज अईसे आदमी ला बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी और आज महात्मा गांधी के आशिर्वाद मिलत हे नहीं त मैं आज गरवा चरात रतेंव। मैं एक बार पुन: मोर राजा साहेब ला धन्यवाद दिहं, मोर सरकार के सबो केबिनेट मंत्री जी ला जेमन आज संपूर्ण छत्तीसगढ़ के चिंता करके आज महान कानून बनाये के काम करथे, ऐखर समर्थन में मैं खडें हं। आप नवा बईठे हो,

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

नवा नाम मोला बोले के मौका दे ह, इसी प्रकार के तू औ चमकत रहव, मोला बोले के मौका देत रहिह, जय भारत-जय छत्तीसगढ़।

उपाध्यक्ष महोदय - श्री शिवरतन शर्मा जी।

श्री अमरजीत भगत :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सबसे पहले तो हम आपको बधाई देते हैं कि आप उपाध्यक्ष बने हैं, आपको बहुत-बहुत बधाई। आप सबके साथ न्याय करेंगे और इनके ऊपर जो बिना लगाम के चलते हैं, लगाम जरूर लगायेंगे।

उपाध्यक्ष महोदय :- ठीक है, ठीक है।

श्री शिवरतन शर्मा (भाटापारा) :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, ऐसा है आप जिनको लगाम लगाने को कह रहे हैं उनको लगाम लगाने वाले लोग यहां बैठे हैं।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं छत्तीसगढ़ पंचायत राज (संशोधन)विधेयक, 2019 का विरोध करता हूं। माननीय उपाध्यक्ष जी, छत्तीसगढ़ की द्वितीय विधानसभा ने पंचायती राज (संशोधन) विधेयक पारित किया था और जिसमें कुछ बातें जोड़ी गई थी। वह प्रस्ताव इस सदन ने सर्वसम्मति से पारित किया था। माननीय राजा साहब उस समय शायद द्वितीय विधानसभा के सदस्य नहीं थे। पर आज सदन के नेता और माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी उस सदन के सदस्य थे और उनकी सहमति थी। जैसा अजय जी ने बताया कि इस संशोधन विधेयक के पारित होने के बाद संयुक्त रूप से दोनों प्रेस के सामने भी गये थे। जो संशोधन हुआ था, उस संशोधन में प्रमुखता से 5 बातें ली गयी थी। साक्षरता, स्वच्छता, अतिक्रमण, खाद्य सुरक्षा और आश्रित ग्राम में ग्रामसभा। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज संशोधन के माध्यम से साक्षरता को हटाया जा रहा है। 2011 की जो जनगणना की रिपोर्ट है, वह छत्तीसगढ़ में साक्षरता का प्रतिशत 70.83 प्रतिशत है। अब उस जनगणना को हुए लगभग 10 वर्ष पूर्ण हो रहे हैं और मैं समझता हूं कि इस समय अगर जनगणना होगी तो छत्तीसगढ़ में साक्षरता का प्रतिशत 90 से अधिक होगा। अब आप साक्षरता को हटा करके क्या संदेश देना चाहते हैं ? भाई, रामकुमार यादव जी का और भाई संतराम जी का भाषण हुआ। इनको जितनी छिंट गई उतना पढ़कर इन्होंने भाषण दे दिया। जो साक्षरता के विषय में पहले संशोधन हुआ था, उस संशोधन में क्या कंडीशन थी उसको तो पढ़ना चाहिए था। उसमें एक एज लिमिटेशन था कि इस उम्र का व्यक्ति अगर नामांकन दाखिल करने जायेगा तो उसका साक्षर होना आवश्यक है। आज चुनाव लड़ने के लिये आपने आयु सीमा 21 वर्ष निर्धारित की है। आज अगर कोई 21 वर्ष का व्यक्ति नामांकन दाखिल करने जाता है और वह साक्षर नहीं है तो उसके लिये वह दोषी कम है, हम जो लोग हैं, उसके लिये ज्यादा दोषी हैं। आप अगर पूरे प्रदेश को साक्षर बनाना चाहते हैं तो ये शर्त को हटाने के बजाय और कड़ी करने की आवश्यकता है। तब लोगों का साक्षरता की ओर और ध्यान बढ़ेगा। लोगों को लगने लगेगा कि हमको जनप्रतिनिधि बनना है तो जनप्रतिनिधि बनने के लिए शिक्षित होना आवश्यक है। हां, मैं इस बात को स्वीकार करता हूं कि

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

आज लोकसभा और विधानसभा सदस्य बनने के लिये साक्षरता अनिवार्य नहीं है। मैं निष्पक्षता हूं कि लोकसभा और विधानसभा में भी एक शिक्षा की निश्चित अनिवार्यता की जानी चाहिए। जब प्यून की भर्ती होती है तो प्यून की भर्ती के लिये एक मिनिमम क्वालिफिकेशन फिक्श होता है, तो जनप्रतिनिधि के लिये भी क्वालिफिकेशन फिक्श करना चाहिए। छत्तीसगढ़ की विधानसभा ने इसके लिये शुरूआत की थी, सर्व सम्मति से शुरूआत की थी और आज किन कारणों से माननीय सिंहदेव साहब को यह संशोधन लाना पड़ा है ? क्या उस समय प्रस्ताव पारित हुआ था, तो उस समय जिनने सर्व सम्मति की, जिसमें आज सदन के नेता भी हैं, माननीय संसदीय कार्य मंत्री भी हैं, क्या इनका निर्णय गलत था ? क्या उस निर्णय को गलत सिद्ध करना चाहते हैं ? इस विषय का कोई जवाब देंगे। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, स्वच्छता, अतिक्रमण, आज अगर छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी समस्या है न वह समस्या अतिक्रमण की है। आज आप लोग गौठान बनाने की बात करते हैं, बहुत सी गांव में आप गौठान का काम सिर्फ इसलिए शुरू नहीं कर पा रहे हैं कि अतिक्रमण के चलते गौठान बनाने लायक जमीन ही नहीं बची है। स्वच्छता, आपको केन्द्रीय स्तर पर माननीय नरेन्द्र मोदी जी ने लालकिले से स्वच्छता अभियान चलाने की बात की। प्रत्येक परिवार में शौचालय बने, इसके लिये एक समय सीमा निर्धारित की है और छत्तीसगढ़ उसमें सबसे अग्रणी रहा। आज आप साक्षरता को हटा रहे हैं, कल आप स्वच्छता को हटा देंगे। कल अतिक्रमण की बात को भी हटा देंगे। खाद्या सुरक्षा देने वाला पहला राज्य हमारा छत्तीसगढ़ है। आश्रित ग्राम में आमसभा हो, यह निर्णय करने वाला हमारा पहला राज्य छत्तीसगढ़ है। सबसे बड़ी बात, सर्व सम्मत निर्णय को अगर आप बदलने का प्रयास कर रहे हो तो उसके पीछे आपकी क्या नियत है ?

यह आपको स्पष्ट करना चाहिए। नि:शक्तजनों को नामांकित करने की बात है। वास्तव में ये नामांकन जो है नि:शक्तजनों के हित में करने की बात नहीं है। ये नांमाकन, अपने लोगों को बैकडोर इंट्री देने की बात है। किसी पंचायत, जनपद, जिला पंचायत में कोई बोलने वाला व्यक्ति नहीं है तो नि:शक्तजन के नाम पर किसी व्यक्ति को आप बैठा दो, आप नि:शक्तजन को परिभाषित कीजिए, जो 80 प्रतिशत से ज्यादा नि:शक्त होगा, 60 प्रतिशत से ज्यादा नि:शक्त होगा तो हम उसी को प्रतिनिधि बनायेंगे और मेरा सुझाव तो यह है कि आप मनोनीत करने के बजाए, पूरे गांव में एक पद सृजित कर दीजिए कि हम नि:शक्तजन के लिए आरक्षण करते हैं। वहां नि:शक्तजन ही लड़ेगा। पंचायत में एक पद, दो पद किये जा सकते हैं। पूरी पंचायत से चुनकर आ जाये। ये मनोनयन करने का जो प्रस्ताव है, राजनतिक दृष्टिकोण से अपने लोगों को उपकृत करने का प्रयास है और पंचायत राज की मूल भावना के विपरित है। पंचायत में बैठने वाला जनप्रतिनिधि जनता के बीच ये चुनकर जाये वही डिबेट करे, वही निर्णय करे, ये उपयुक्त होगा। मैं इस छत्तीसगढ़ पंचायत राज (संशोधन) विधेयक, 2019 का विरोध करता हूँ और माननीय मंत्री जी से निवेदन करता हूँ कि इसको वापस ले लें। तो यह छत्तीसगढ़ के हित में होगा। आपने मुझे बोलने का समय दिया, उसके लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद्।

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

किस्मत लाल नंद (सराईपाली) :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं छत्तीसगढ़ पंचायत राज (संशोधन) विधेयक, 2019 के समर्थन के पक्ष में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूँ।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपने देखा होगा कि देश की आजादी के बाद महात्मा गांधी और डॉ.अम्बेडकर ने जो सोच रखी थी कि आजाद भारत के बाद जो उन्होंने पंचायती राज का सपना देखा था, उस पंचायती राज विषय पर, आज यहां पर छत्तीसगढ़ में पंचायत राज (संशोधन) विधेयक, जो सरकार के द्वारा लाया गया है, मैं उसका समर्थन करता हूँ। आपने देखा होगा कि जब मध्यप्रदेश से छत्तीसगढ़ अलग नहीं हुआ था, उस समय सर्वप्रथम वर्ष 1985 में त्रिस्तरीय पंचायती राज की घोषणा की गई और वह वर्ष 1985 के बाद से अभी तक त्रिस्तरीय पंचायती राज के संबंध में जो नियम और कायदे बहुत सारे परिवर्तित किये गये, आज आपने देखा होगा कि जो भी व्यक्ति नि:शक्त है, जो अशक्त व्यक्ति है उसमें एक हीन मनोभावना वैसे ही आ जाती है। आज हमारी सरकार को मैं धन्यवाद् देता हूँ कि वह उन नि:शक्त व्यक्तियों को जो पंचायत में प्रतिनिधित्व करने का मौका दे रही है वह छत्तीसगढ़ के साथ-साथ पूरे हिन्दुस्तान के लिए अनुकरणीय होगा और उसमें जो 7 धाराएं, 7 चीजें केवल नि:शक्त के लिए बनायी गई है, जैसा कि माननीय सदस्य शिवरतन शर्मा जी ने कहा कि इसमें ऐसी कौन सी आवश्यकता आ पड़ी, जिसमें उसकी योग्यता को हटाया जा रहा है। पंच के लिए पांचवी पास और सरपंच के लिए आठवी पास रखा गया था। जब हिन्दुस्तान में मेम्बर ऑफ पार्लियामेंट, एम.एल.ए. के लिए कोई योग्यता संविधान में नहीं रखी गई है तो ये पंच और सरपंच के लिए हम उसको क्यों रखें ? ये हमारी सरकार की सोच है। इसीलिए उस योग्यता सूची को इस संशोधन के जरिये हटाया जा रहा है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने का मौका दिया, मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूँ। आपको बहुत-बहुत धन्यवाद्।

उपाध्यक्ष महोदय :- प्रश्न यह है कि- छत्तीसगढ़ पंचायत राज (संशोधन) विधेयक, 2019 (क्रमांक 23 सन् 2019) पर विचार किया जाय।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

उपाध्यक्ष महोदय :- अब विधेयक के खंडों पर विचार होगा।

उपाध्यक्ष महोदय :- प्रश्न यह है कि खण्ड 2 से 9 इस विधेयक का अंग बने।

खण्ड 2 से 9 इस विधेयक का अंग बने।

उपाध्यक्ष महोदय :- प्रश्न यह है कि खण्ड 1 इस विधेयक का अंग बने।

खण्ड 1 इस विधेयक का अंग बना।

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

उपाध्यक्ष महोदय :- प्रश्न यह है कि पूर्ण नाम तथा अधिनियमन सूत्र इस विधेयक का अंग बने।

पूर्ण नाम तथा अधिनियमन सूत्र इस विधेयक का अंग बने।

पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री (श्री टी.एस.सिंहदेव) :- उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि- छत्तीसगढ़ पंचायत राज (संशोधन) विधेयक, 2019 (क्रमांक 23 सन् 2019) पारित किया जाय।

उपाध्यक्ष महोदय :- प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ कि- छत्तीसगढ़ पंचायत राज (संशोधन) विधेयक, 2019 (क्रमांक 23 सन् 2019) पारित किया जाय।

उपाध्यक्ष महोदय :- प्रश्न यह है कि- छत्तीसगढ़ पंचायत राज (संशोधन) विधेयक, 2019 (क्रमांक 23 सन् 2019) पारित किया जाय।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

विधेयक पारित हुआ।

(2) छत्तीसगढ़ विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2019 (क्रमांक 24 सन् 2019)

उच्च शिक्षा मंत्री (श्री उमेश पटेल) :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि - छत्तीसगढ़ विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2019 (क्रमांक 24 सन् 2019) पर विचार किया जाय।

उपाध्यक्ष महोदय :- प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ कि- छत्तीसगढ़ विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2019 (क्रमांक 24 सन् 2019) पर विचार किया जाय। श्री अजय चन्द्राकर जी।

श्री अजय चन्द्राकर (कुरूद) :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कोई भी संस्थायें यदि बनती हैं और खासकर शैक्षणिक संस्थायें बनती हैं तो एक उन्नशील राज्य, लोककल्याणकारी राज्य का एक चेहरा होती है। 40 साल एक पार्टी सत्ता में रही। जब ये सत्ता हमने संभाली तो इस प्रदेश में उच्च शिक्षा का प्रतिशत मात्र 2 प्रतिशत था। मेरा प्रतिशत बताना तो ऊपर नीचे हो सकता है, नौजवान मंत्री हैं वह बतायेंगे, पर निजी क्षेत्र को जोड़ दिया जाये तो हम लगभग 22 प्रतिशत से ऊपर पहुंच चुके हैं। जिसके नाम से, जिस तरह से यूनिवर्सिटी बन रही है, खासकर कोई भी शैक्षणिक संस्थायें बनती हैं तो व्यक्तिगत तौर पर मैं उसका समर्थन करता हूं, हमारा दल समर्थन करता है। अभी मैंने पंचायती राज में बोलते हुए कहा कि इस विधानसभा में रिकार्ड रहा है, छत्तीसगढ़ के कुछ कानून पंचायती राज में उदाहरण माने जाते हैं । छत्तीसगढ़ के या हिंदुस्तान के लेजिसलेटिव हिस्ट्री में, संसदीय इतिहास में एक दिन में 3 यूनिवर्सिटी बनाने का भी रिकॉर्ड इसी विधानसभा के नाम में है ।

संसदीय कार्यमंत्री (श्री रविन्द्र चौबे) :- आज भी आपके ही नाम में 2 विश्वविद्यालय हैं । आज भी आपके नाम में है । आप इस सदन के सदस्य हैं, आपने जो 3 विश्वविद्यालय स्थापित किया था

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

उसके लिये आपको बधाई और आज भी आपको इस सदन के बेहद जागरूक सदस्य होने के नाते आज भी 2 विश्वविद्यालय का अधिनियम यहां पारित हो रहा है ।

श्री अजय चंद्राकर :- मैं तो बधाई दे रहा हूं न, मैंने आपको बधाई दी । माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जिस व्यक्ति के नाम से बनाया जा रहा है । वे भी हमारे मार्गदर्शक थे, वरिष्ठ सदस्य थे, सार्वजनिक जीवन के प्रमुख हस्ताक्षर थे और बहुत दुखद कारणों से हमारे बीच से गये । उनके स्मरण को भी चिरस्थायी बनाये रखना हमारा दायितव है । सार्वजनिक जीवन में किसी भी विचारधारा से लोग आयें, यदि उसको हम याद नहीं करेंगे तो सार्वजनिक जीवन में कौन आयेगा ? जनता की तकलीफों के लिये कौन लड़ेगा ? कभी एक माननीय मंत्री यहां बोल रहे थे कि फलाना यूनिवर्सिटी का नाम बदलने का प्रस्ताव है, मैं उस बात पर हंस रहा था । मन ही मन हंस रहा था लेकिन उस नौजवान मंत्री की इच्छा भी बहुत अच्छी है, सब चीज बहुत अच्छा है और मैंने दोनों विधेयकों में संशोधन नहीं दिये । मैं आपको सुझाव भी अवश्य दूंगा लेकिन मुझे अभी इसमें जो आपत्ति है, यूनिवर्सिटी बनने में बिल्कुल नहीं है । मैं तो इस पक्ष का आदमी हूं कि 50 कॉलेज में एक यूनिवर्सिटी होनी चाहिए । मैं इस पक्ष का आदमी हूं और यदि सरकार के पास संसाधन हैं और जब निजी विश्वविद्यालय अधिनियम हमने लाया था, जब 110-15 निजी विश्वविद्याल बन गये । माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने उसको खत्म कर दिया । 10-11 यूनिवर्सिटी हो गयी, हमने यह अपेक्षा की थी कि जो रेगुलर कोर्स हमारी यूनिवर्सिटी चलाती है उसके अतिरिक्त यदि कोई रोजगारमूलक कोर्स निजी विश्वविद्यालय लायेंगे तो अनुमति देंगे तो उच्च शिक्षा के प्रति यह स्वाभाविक लगाव था, यदि उच्च शिक्षा को हम पूरा करते हैं तो शायद बस्तर, सरगुजा या जशपुर कोई भी जो ऐसा क्षेत्र है वहां के लोग दूसरे रास्ते में न जाकर अपने निर्णय में सक्षम होंगे जो इस प्रदेश की सबसे बड़ी जरूरत है । मैं इसके लिये बधाई देता हूं । अब जो मेरी आपत्ति है, इसमें अनुसूची लगी है, आप भी इस अनुसूची को पढ़िएगा । कुल 27 जिले हैं, माननीय संसदीय कार्यमंत्री जी आप भी थोडा सा इसमें जो अनुसूची लगी है उसको पढ़ लीजिये न। । बस्तर विश्वविद्यालय मुख्यालय क्षेत्राधिकार कांकेर, बस्तर, दंतेवाड़ा, नारायणपुर, बीजापुर अब मैं यह जानना चाहता हूं कि कोण्डागांव और सुकमा कौन से यूनिवर्सिटी के कार्यक्षेत्र में है ?

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, संत गहिरागुरू विश्वविद्यालय अंबिकापुर, सरगुजा, जशपुर, कोरिया राजस्व जिलों की सीमाओं में समाविष्ट है तो बलरामपुर, सूरजपुर कौन से कार्यक्षेत्र में आयेंगे ? यह मुझे वास्तव में समझ में नहीं आया । अटल बिहारी बाजपेयी विश्वविद्यालय जिसका विभाजन हो रहा है, यह एक लाईन का विधेयक है । इसके वित्तीय पत्र के किसी में बिल्कुल भी कोई आपत्ति नहीं है । सवाल यह है कि चांपा-जांजगीर को आप रायगढ़ में शामिल कर रहे हैं । जो जशपुर है वह सांस्कृतिक रूप से रायगढ़ के निकट है । जब जिला बना तो जशपुर विभाजित हुआ था । जब चांपा-जांजगीर बिलासपुर से विभाजित हुआ था तो कार्यक्षेत्र के बारे में अब हेमचंद विश्वविद्यालय है, अटलबिहारी बाजपेयी

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

विश्वविद्यालय बिलासपुर में बिलासपुर, कोरबा, जांजगीर राजस्व जिलों की सीमाओं के भीतर समाविष्ट है । अब मुंगेली कहां जायेगा, श्री पुन्नूलाल मोहले जी कहां चले गये हैं, समझ में नहीं आ रहा है । मुंगेली का नाम कटा देखेंगे तो फिर वे इधर-उधर हो जायेंगे । अब मैंने रविशंकर की भी अनुसूची देखी । मैं जिस जिले से निर्वाचित होकर आता हूं, मुंगेली जिला भी उसके कार्यक्षेत्र में शामिल नहीं है । मेरा यह कहना है कि आप जो यूनिवर्सिटी ला रहे हैं, उसके मुख्यालय, उसके कार्यक्षेत्र इसको तो परिभाषित कीजिये । आपने ही सूची लगायी है और यदि सूची में स्पष्टीकरण आयेगा तो फिर मैं यही कहूंगा कि आप स्पष्टीकरण देते हैं इसका मतलब यह है कि हड़बड़ी में करना चाहते हैं । जिस व्यक्ति, जिस आदमी के नाम पर आप यूनिवर्सिटी बना रहे हैं, और दो बनाइए, उसमें मुझे आपत्ति नहीं है । लेकिन प्रक्रिया और जो शैक्षणिक चीजें हैं, वे स्पष्ट होनी चाहिए । आपने इसमें नियम, परिनियम के बारे में लिख दिया है, उस पर मेरा एक भी प्रश्न नहीं है । मैं चाहता हूं कि यह क्लीयर हो । रायगढ़ का जो कार्यक्षेत्र है, प्रस्तावित यूनिवर्सिटी का, उस पर मैं नहीं बोलूंगा वहां के विधायक बोलेंगे, लेकिन जो जिले मैंने बताए उनके साथ ही पेण्ड्रा भी जिला बनने वाला है, अधिसूचना जारी हो चुकी है । आप चाहते तो उसको आज ही अधिगमित कर सकते थे कि पेण्ड्रा इसमें रहेगा । मैं माननीय मंत्री जी को बधाई देता हूं और सरकार को भी बधाई देता हूं कि उसने नरवा, गरवा, घुरूवा, बारी, तीसरी, पांचवी और क्या-क्या योजनाएं लाते है, बिना स्कीम और बिना बजट की योजनाएं, ये यूनिवर्सल हेल्थ स्कीम ले आए और क्या क्या जो बिना बजट, बिना सर पैर की योजनाएं लाते हैं ।

श्री कवासी लखमा :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी से निवेदन करता हूं कि मैं अभी उधर से खाना खाकर आ रहा था तो अजय जी रास्ते में खड़े होकर भाषण कर रहे हैं, उनको थोड़ा सेट करने का आदेश करें । वे रास्ता घेर रहे हैं, आने-जाने में बहुत दिक्कत हो रही है । मैं गिरते-गिरते बच गया ।

श्री अजय चन्द्राकर :- 11 महीने में पहली बार, ये अधूरी कर्ज माफी, किसानों को पैसा देने के लिए आयोग बनाएंगे, शराबबंदी के लिए समिति बनाएंगे, एसआईटी सब खत्म । भर्ती की सारी प्रक्रियाएं निरस्त हो गईं । इन सबसे हटकर पहली बार ऐसा लगता है कि सरकार काम कर रही है । मैं बधाई देते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं ।

श्री कवासी लखमा :- उपाध्यक्ष महोदय, आप आसंदी पर बैठकर बहुत जबरदस्त दिख रहे हैं ।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय संसदीय कार्यमंत्री जी, सबको बुलाकर रखो आप । आपके जो कुछ कारिंदे हैं वे सब विषयों पर बोलते हैं ।

श्री कवासी लखमा :- उपाध्यक्ष महोदय, आप पहली बार उपाध्यक्ष के रूप में आसंदी पर विराजमान हैं, मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूं ।

डॉ. (श्रीमती) लक्ष्मी ध्रुव (सिहावा) :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, देश के मानव शक्ति के

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

उन्नयन के लिए शैक्षणिक संस्थाओं का पर्याप्त होना बहुत आवश्यक है और दृष्टिकोण से शहीद नंदकुमार पटेल विश्वविद्यालय की स्थापना छत्तीसगढ़ राज्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखता है । देश के या हमारे राज्य के मानव संसाधन के बौद्धिक, सांस्कृतिक, शैक्षणिक विकास के लिए विश्वविद्यालय की स्थापना और आधुनिक जानकारी के प्रचार प्रसार के लिए और शोध, शिक्षण पद्धति और विषयों को शोध से जोड़ने के लिए विश्वविद्यालय की स्थापना बहुत आवश्यक है। शहीद नंदकुमार पटेल विश्वविद्यालय स्थापना के समर्थन में मैं यह कहना चाहती हूं कि ये विश्वविद्यालय दूरस्थ आदिवासी क्षेत्र में स्थापित होने जा रहा है । दूरस्थ आदिवासी अंचल के मानव शक्ति शिक्षा से वंचित हैं । इसलिए उनका समुचित शैक्षणिक विकास करना बहुत आवश्यक है । शैक्षणिक विकास के साथ-साथ उनको रोजगार से जोड़ना भी आवश्यक है और रोजगार के साथ-साथ वहां की कला, वहां की संस्कृति और वहां के इतिहास को समृद्ध करना बहुत अनिवार्य है । उस दृष्टि में यह कदम शिक्षा मंत्री उमेश पटेल जी की सोच को मैं बधाई देती हूं और धन्यवाद् देती हूं कि इस विश्वविद्यालय की स्थापन से निश्चित तौर पर दूरस्थ और आदिवासी क्षेत्रों के बच्चे शिक्षित बनेंगे, समृद्ध बनेंगे और यदि शिक्षण व्यवस्था की बात करूं तो तेजी से जनसंख्या में वृद्धि हुई है । तेजी से जनसंख्या में वृद्धि होने के कारण विश्वविद्यालय का कार्य बहुत ज्यादा हो गया है । उस कार्य भार को कम करने और प्रशासनिक संचालन में सुविधा के लिए विश्वविद्यालय की स्थापना होना बहुत जरूरी है । आज के संदर्भ में या व्यवहारिक स्थिति के संदर्भ में मैं यह कहती हूं कि चाहे एडमीशन का कार्य हो या शैक्षणिक कार्य हो या परीक्षा संचालन का कार्य हो या मूल्यांकन का कार्य हो, बहुत बड़ा हो गया है और ज्यादा बड़ा विश्वविद्यालय होने से कार्य बहुत अधिक हो जाता है और उसकी गुणवत्ता में कहीं न कहीं त्रुटि हो जाती है। इस व्यवस्था को सुधारने के लिए अटल बिहारी विश्वविद्यालय से यदि शहीद नंद कुमार पटेल विश्वविद्यालय की स्थापना की जा रही है, वह सोने में सुहागा है, क्योंकि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के जो नियम हैं, वे बहुत ज्यादा हैं और रैंक व्यवस्था भी एक चुनौती है। इस रैंकिंग व्यवस्था को सुधारने के लिए यदि इस प्रकार की व्यवस्था शिक्षा के क्षेत्र में की जा रही है तो यह छत्तीसगढ़ के विकास की दृष्टिकोण से भी एक महत्वपूर्ण कदम है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह कहना चाहती हूं कि आज के संदर्भ में जो विद्यार्थी है, उसे शैक्षणिक कार्य के साथ-साथ रोजगार की इतनी ज्यादा परेशानी है कि उसे बहुत सारे एक्स्ट्रा केरिकूलम का कार्य करना पड़ता है। विश्वविद्यालय को भी बहुत सारे एक्स्ट्रा केरिकूलम का कार्य करना पड़ता है। अभी बड़े राज्य की अपेक्षा छोटे राज्य प्रशासनिक दृष्टिकोण से और विकास की दृष्टिकोण से उत्तम माना गया है। यही बात विश्वविद्यालय के लिए भी लागू होती है। यदि बड़े विश्वविद्यालय को छोटा कर दिया जाए तो उसके कार्य करने की गुणवत्ता बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। आज भौतिकवादी युग में जो चकाचौंध और भौतिकता है, उसके कारण जो पैरेंट्स हैं, अपने बच्चों को सुधारने की दिशा में विश्वविद्यालय पर भी निर्भर हो गये हैं। वे अपने बच्चों को डांटने तक के लिए

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

तैयार नहीं हैं। वे सारे कार्य विश्वविद्यालय के प्रोफेसरों के माध्यम से कराना चाहते हैं। तो पढ़ाई के साथ-साथ विद्यार्थियों की देखरेख और विद्यार्थियों को किस दिशा में चलना है, इसके लिए गाइड करने का भी काम करना पड़ता है। एक प्रकार से एक पालक की भूमिका का भी निर्वहन करना पड़ता है। विश्वविद्यालय को उसके अनुसार नियम बनाना पड़ता है और उस नियम के अनुसार कार्य का संचालन करवाना पड़ता है ताकि रैंकिंग की दृष्टिकोण से चूंकि आजकल रैंकिंग विश्व स्तर पर हो रहा है, तो विश्व स्तर पर यदि छत्तीसगढ़ के विश्वविद्यालय कार्य करते हैं और बारीकी से काम करते हैं, बच्चों के विकास के लिए काम करते हैं, बच्चों के रोजगार के लिए काम करते हैं, बच्चे व्यापार, व्यवसाय किस दिशा में कर रहे हैं, उसके लिए यदि गाइड करते हैं तो विश्वविद्यालय का कार्यक्षेत्र बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। मैं व्यावहारिक रूप से परिचित हूं कि पहले प्रोफेसर का काम या विश्वविद्यालय का काम केवल एडमिशन, पढ़ाना और रिजल्ट इन्हीं कार्यों तक सीमित था, लेकिन आज के समय में विश्वविद्यालय का जो काम है, वह बहुत ज्यादा बढ़ गया है और उनके अधीनस्थ अधिकारियों और कर्मचारियों को एक लेबर की तरह काम करना पड़ता है। इस प्रकार यदि विश्वविद्यालय छोटा हो जाता है तो काम अच्छा होगा, उसकी गुणवत्ता रहेगी और इस दृष्टिकोण से यदि अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय से स्वर्गीय नंद कुमार पटेल की स्थापना होती है तो यह छत्तीसगढ़ के विकास की दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है और मैं इसका समर्थन करती हूं। मंत्री जी को भी बधाई देती हूं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूं। धन्यवाद। जय हिन्द।

उपाध्यक्ष महोदय :- माननीय सदस्य, धर्मजीत सिंह जी।

श्री धर्मजीत सिंह (लोरमी) :- आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस विधेयक का समर्थन कर रहा हूं और इसलिए कर रहा हूं, क्योंकि यह हमारे प्रदेश के एक बहुत ही यशस्वी नेता और इस प्रदेश के लिए अपनी जान की आहुति देने वाले नेता श्री नंद कुमार पटेल के नाम पर एक विश्वविद्यालय की स्थापना हो रही है। उस दुखद घटना को हम लोग नहीं भूल सकते, पर कम से कम इसी माध्यम से उनके प्रति हम अपनी श्रद्धांजलि के फूल अर्पित कर सकते हैं। पर माननीय मंत्री जी और वरिष्ठ सदस्य श्री अजय चन्द्राकर जी ने जिन बातों की ओर ध्यान आकृष्ट किया है, मैं भी उसे ही पढ़ रहा था। सरल क्रमांक 3 के कॉलम 4 की प्रविष्टियों में शब्द बिलासपुर, कोरबा, जांजगीर-चांपा एवं रायगढ़ के स्थान पर बिलासपुर और कोरबा प्रतिस्थापित किया जाए। मुंगेली जिला राजस्व जिला बन चुका है और अभी आपकी सरकार ने घोषणा की है पेंड्रा, गौरेल्ला, मरवाही भी जिला है, उसकी भी प्रक्रिया चल रही है । चलिये, अभी तो वह पूरी तरह से अस्तित्व में आया नहीं है। लेकिन आप आज ही इसके कार्यक्षेत्र में मुंगेली के राजस्व जिले को भी शामिल कर लेंगे। वह राजस्व जिला है, परन्तु पता नहीं क्यों शामिल नहीं हुआ ? उसको शामिल कर लेना चाहिए था न। इसी की आपत्ति तो वे कर रहे हैं और हम भी कर रहे हैं। नंदकुमार के नाम से यूनिवर्सिटी बनने से किसी को कोई आपत्ति नहीं है। मुझे सबसे ज्यादा खुशी हो रही है। शायद हो

Uncorrected and Unedited/Not for Publication

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

सकता है कि आप जितना खुश होंगे, उससे कम हम लोग खुश नहीं है, हम लोग भी उतने ही खुश हैं। एक जमाने में रविशंकर शुक्ल यूनिवर्सिटी हुआ करता था। फिर अर्जुन सिंह जी ने गुरूघासीदास विश्वविद्यालय खोला और फिर उस विश्वविद्यालय को केन्द्रीय विश्वविद्यालय बना दिया गया। उपाध्यक्ष महोदय, केन्द्रीय विश्वविद्यालय बनाने के बाद हम अखबारों में जरूर पढ़ते हैं कि वह विश्वविद्यालय बहुत ऐसा हुआ, वैसा हुआ। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि वह कोई टेरेटरी बन गया है, जहां पर न तो आपका, न हमारा, कहीं न कोई हमारी भागीदारी है न योगदान है। जमीन हमारा, हमारे बिलासपुर का पांच सौ एकड़ से ज्यादा जमीन है। उसमें जो इमारत बनी है, वह भी हमारे पैसे का है। लेकिन सेन्ट्रल यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर और वहां का प्रबंधन कभी यहां के जनप्रतिनिधियों को न तो सम्मान देता था, न देता है और अभी कोई देने की प्रक्रिया हो रही है। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि हमारे ही चीज में हम बेगाने हो गये हैं। हमारे ही विश्वविद्यालय में, जिसको हमने खोला है, वहां पर सिर्फ सेन्ट्रल यूनिवर्सिटी हो जाने के कारण वहां के स्थानीय विधायकों, भाई रजनीश सिंह वहां के एम0एल0ए0 हैं, बिलासपुर के भी एम0एल0ए0 हैं। कम से कम उन लोगों को तो वहां बुलाकर वहां रखने की व्यवस्था होनी चाहिए। खैर, वह एक अलग प्रश्न है, मैं तो आपके ध्यान में यह लाया कि वहां पर बिलकुल जैसे केन्द्र शासित प्रदेश में कोई मुख्यमंत्री नहीं होता है, वहां का जो प्रशासक है, वैसा वहां पर चल रहा है। उसके लिए भी कोई रास्ता निकल सकता हो, तो बात करिये। नहीं तो हमारे सब जमीन-जायदाद का हिसाब-किताब पूछो। ऐसा थोड़ी होगा ? वह हमारे ही चीज में हम ही वो करे।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं वितरण के पक्ष में इसलिए हूं क्योंकि जब हम मध्यप्रदेश में थे तो मेरा ज्यादा अनुभव नहीं है, हमारे गुरूदेव रविन्द्र चौबे जी तो वहां बीसों साल रह चुके हैं। इनका अपना जो भी अनुभव होगा। लेकिन मध्यप्रदेश में मेरा अनुभव खराब था। हम लोग दो साल में एक चबूतरा भी नहीं बनवा पाये थे। यानि सार्वजनिक रंगमंच के लिए तरस गये थे, नहीं बना था। छत्तीसगढ़ बनने के बाद ही कुछ काम हुआ है। पहले भी हुआ है। सरकारें चाहे किसी की भी हो, काम तो हुआ है। काम नहीं हुआ है, अगर ऐसा कोई बोलता है तो संकीर्ण चश्में से देखकर बोल रहा है। काम हुआ है। काम कहीं ज्यादा हुआ, कहीं कम हुआ। कहीं बहुत अच्छा हुआ, कहीं भ्रष्टाचार हुआ, मैं उस पर भी नहीं जाना चाहता हूँ। मेरा मतलब है कि कोई छोटा संस्थान बनता है या उसकी सीमायें कम होती हैं, वह अपने संसाधन से अपने तरक्की के रास्ते ले जाता है। आज हम यनिवर्सिटी में भी देख रहे हैं कि हमारे लोरमी के कालेज की स्थापना श्री अर्जुन सिंह जी ने की थी। उनके समय में जो बिल्डिंग बनी है, उसमें हम परेशान होकर तड़फ-तड़फ के कह रहे हैं, एक गाना है तड़फ-तड़फ के ये दिल कह रहा है आ भी जा, आ भी जा। उपाध्यक्ष जी, हम बिल्डिंग की मांग कर रहे हैं। हमने माननीय युवा मंत्री से मांग किया। अब उनकी कोई परेशानी है, बेबसी है या कुछ उनकी मर्यादा है, उस बिल्डिंग के ऊपर की मंजिल के लिए पैसा नहीं दे पा रहे हैं। मैं तो मांग करता हूं कि जब आपके यूनिवर्सिटी में कालेज की संख्या

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

कम होगी, तो उन सभी महाविद्यालयों में जो उस यूनिवर्सिटी में जायेगा, स्वर्गीय नंदकुमार पटेल यूनिवर्सिटी में जायेगा और बिलासपुर में जो शेष रहेगा, उसके बिल्डिंग के निर्माण की प्रक्रिया में भी आप आगे आकर बजट सत्र तक कुछ करेंगे। क्योंकि निर्माण होने के बाद उस संस्थान में कोई खूबसूरती नहीं होगी, निर्माण होने के बाद वहां पर कोई सुविधा नहीं है, निर्माण होने के बाद उसमें गुणवत्ता नहीं है तो हमारे नेता का भी नाम खराब होगा। इसलिए आपने बहुत अच्छा किया। आपने बहुत अच्छा चयन इसलिए किया क्योंकि ये हमेशा कोरबा, जांजगीर-चाम्पा, बिलासपुर और अम्बिकापुर के चपेटे के बीच में आ जाता है। अम्बिकापुर अपने आप में एक महत्वपूर्ण जगह है और बिलासपुर की तो पुराने समय से ही बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही है। इन दोनों के बीच में आपका जो कारीडोर है, उसको लोग भूल जाते हैं या उसका ध्यान कम रख पाते हैं। अम्बिकापुर में यूनिवर्सिटी की स्थापना हो गई। बिलासपुर देश के बहुत महान नेता अटल बिहारी बाजपेयी जी के नाम से स्थापना हो गई। अभी आप जिस यूनिवर्सिटी की स्थापना कर रहे हैं, वे भी हमारे प्रदेश के गौरव शहीद नंद कुमार पटेल के नाम से हो रहा है। मैं इसकी सराहना करना हूं । आपसे यह भी आग्रह करता हूं कि इसमें कोई अच्छे व्यक्ति का ही चयन होना चाहिए । सिफारिशी लोगों को बिठाने से यूनिवर्सिटी कंडम हो जाती है, सिफारिशी लोगों के बैठने से क्वालिटी खराब हो जाती है और हमको ऐसा अनुभव भी मिल रहा है । अब एक उदाहरण आपको देना चाहता हूं । मैं यहां पर आरोप लगाने के लिए नहीं बोल रहा हूं, मैं नाम भी नहीं बोलूंगा । बिलासपुर में हम वहां के कार्य परिषद में विधान सभा से नामजद हुए थे । अब इस बात से मैं इंकार नहीं कर सकता कि मैं जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ (जे) का विधायक हूं, विधान सभा में विरोधी दल का विधायक हूं । अगर मैं विधान सभा से नामजद हुआ और वहां आपकी पार्टी की ओर से कोई नामजद नहीं हुआ, जो कि आपका अंदरूनी मामला है तो उसमें भी किन्तु-परन्तु किया जाने लगा तो हमने कोई आवेदन तो दिया नहीं था कि हमको नामजद करें । विधान सभा की प्रक्रिया, नियम व्यवस्था और अनुपात के आधार पर जो भी नियुक्तियां हुईं, उसमें गवर्नर साहब मुख्य अतिथि के रूप में आ रही थीं तो वहां विधायकों के समर्थकों ने कहा कि हमारे विधायक को मुख्य अतिथि नहीं बनाया । चौबे जी, अब कैसे बनेगा, आप मुझे समझाईए । जुलूस निकल गया, यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार को घेरा गया, हड़कम्प मच गया । अब जिस विश्वविद्यालय में अगर कुलाधिपति माननीय राज्यपाल आ रही हों तो उस विश्वविद्यालय में मंत्री या विधायक मुख्य अतिथि कैसे बन सकता है, इसको आप मुझे जरा सरल भाषा में समझाईए, अन्यथा आपके इन बिना ब्रेक के गाड़ी के लोगों को जरा रोकिए, इस प्रकार से हरकत मत किया करें क्योंकि ये आप की ही गरिमा को ठेस पहुंचाती हैं ।

माननीय उपाध्यक्ष जी, इसी तरह से भ्रष्टाचार के कई छोटे-छोटे आरोप लगते हैं, कुछ भी उल्टे-सीधे काम होते हैं, इस पर भी निगरानी करिए और इसलिए नहीं अब वह स्वायत्त संस्था है या गवर्नर से जुड़ा हुआ संस्था है, पैसा आप देते हैं । अगर प्रथम दृष्टया कोई मामला आता है तो उसको देख-रेख

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

करिए । मेरे कहने का आशय यह है कि जिस तरीके से बनारस हिन्दू यूनिवर्सिटी का नाम है, जैसे जे.एन.यू. का नाम है, जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी का नाम है या भोपाल के अच्छे-अच्छे यूनिवर्सिटी का नाम है, आप कोशिश करिए, आप युवा हैं और इस प्रदेश के विश्वविद्यालयों का स्तर, उनकी गुणवत्ता इन सबको सुधारने के लिए काम करिए । मुझे बहुत खुशी है कि नंदकुमार जी के नाम से हो रहा है, हम लोग उनके साथ वर्षों सदन में बैठे हैं और आपको एक नितांत व्यक्तिगत बात बता देता हूं कि आपके पूज्य पिता हमारे प्रदेश के यशस्वी नेता शहीद नंदकुमार पटेल जी और आपकी माता जी और मैं और मेरी पत्नी, हम लोग 20-20 दिन यूरोप के दौरे में भी रहे हैं तो उनसे अंतरंगता बहुत ज्यादा थी । मैं अभिभूत हूं, आपको बधाई देता हूं, आपकी सरकार को बधाई देता हूं, मुख्यमंत्री जी को बधाई देता हूं कि उन्होंने एक सच्चे सपूत का नाम, शहीद के नाम को अमर करने का नाम किया है । मैंने एक दिन और कहा था कि शहीद महेन्द्र कर्मा, उदय मुदलिया और स्वर्गीय विद्याचरण शुक्ल जैसे वीर नेता बाकी हैं, आपको बहुत अवसर मिलेगा, उनके नाम का उपयोग करिए । आने वाली पीढ़ी इनसे प्रेरणा लेगी और प्रेरणा तभी लेगी, जब उनका नाम तो रहेगा, लेकिन उसकी क्वालिटी भी अच्छा रहे, तभी हम नाम ले पाएंगे । आपने जो प्रयास किया, मैं उसका समर्थन करता हूं और इस विधेयक के समर्थन में अपनी बात समाप्त करता हूं । धन्यवाद ।

श्रीमती ममता चन्द्राकर (पण्डरिया) :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय उच्च शिक्षा मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत संशोधन विधेयक का समर्थन करती हूं । हमर राज्य में छत्तीसगढ़ युक्त शिक्षा के प्रसार हेतु विश्वविद्यालय की स्थापना बहुत ही आवश्यक हे । छत्तीसगढ़ राज्य के साथ-साथ ये शिक्षा समाज के आत्मा हे, शिक्षा के माध्यम ले एक पीढ़ी ले दूसरा पीढ़ी शिक्षित होथे और उच्च शिक्षा के विस्तार हेतु जेन विश्वविद्यालय के स्थापना, शिक्षण संस्थान के स्थापना के जो माननीय उच्च शिक्षा मंत्री पहल करे हे, वह स्वागत के योग्य हे और साथ में रायगढ़ में जेन विश्वविद्यालय के स्थापना करथे, मैं ओखर स्वागत करथौं । स्वर्गीय शहीद श्री नंदकुमार पटेल जी के सपना रिहीसे कि छत्तीसगढ़ विकास करै, वोखर सपना ला पूरा करथे, माननीय उमेश पटेल, उच्च शिक्षा मंत्री जी हा, वोखर सपना ला साकार करथे हमर छत्तीसगढ़ के मुखिया माननीय मुख्यमंत्री जी हा, अऊ हमन माननीय नंदकुमार पटेल जी, के सपना ला साकार करे बर सब झन मिलके शिक्षा के क्षेत्र में छत्तीसगढ़ ला शिक्षित करबो । छत्तीसगढ़ के स्थापना जब से होईस, राज्य में नित नया कीर्तिमान स्थापित होये हे, प्रगति के ओर हमेंशा गिसे, शिक्षा ला लेके शासन के सराहनीय प्रयास हे, जब राज्य के स्थापना होये हे, ओखर बाद से 8 राजकीय विश्वविद्यालय अऊ 13 निजी विश्वविद्यालय के स्थापना हो चुके हे । नया राजकीय विश्वविद्यालय के स्थापना हेतु छत्तीसगढ़ विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 के कुछ धारा अऊ कुछ अनुसूची में संशोधन बहुत ही आवश्यक होथे । ये प्रक्रिया के अंतर्गत सदन में छत्तीसगढ़ विश्वविद्यालय विधेयक 2019 प्रस्तुत होये हे । मैं दिल से एखर स्वागत करथंव, समर्थन करथंव । साथ में सर्वसम्मति

Uncorrected and Unedited/Not for Publication

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

से सबो सदन से यह निवेदन करथंव कि विधेयक म समर्थन दे । धन्यवाद । अऊ आप ला आसंदी में विराजमान उपाध्यक्ष पद के बहुत-बहुत शुभकामना । बोले के मौका देव, वोखर बर बहुत-बहुत धन्यवाद ।

उपाध्यक्ष महोदय :-धन्यवाद, धन्यवाद आपको । माननीय सदस्य, केशव चन्द्रा जी ।

श्री केशव चन्द्रा (जैजेपुर) :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय उच्च शिक्षा मंत्री जी के द्वारा लाया गया, छत्तीसगढ़ विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक 2019 का समर्थन करता हूँ और शायद पूरा सदन भी इसके समर्थन पर है । जिस व्यक्ति के नाम से यह विश्वविद्यालय बन रहा है, वह गांव से चलकर, ग्राम पंचायत से नेतृत्व करके प्रदेश के सबसे बड़े सदन विधान सभा तक वह पहुंचे थे । वह केवल सत्ता पक्ष में नहीं रहे, बल्कि विपक्ष में भी लोगों को सेवायें की है । एक दु:खद घटना हुआ, जिसके कारण पूरे प्रदेशवासियों ने उनको खोया । ऐसे व्यक्ति को सम्मान देने के लिए उनके नाम से विश्वविद्यालय बना रहे हैं, बहुत अच्छी बात है जिन्होंने प्रदेश के लिए अपने आपको शहीद किया । उनके नाम को अमर रखने के लिए विश्वविद्यालय का गठन हो रहा है । माननीय अध्यक्ष महोदय, जब हम लोग विद्यार्थी जीवनकाल में थे, पढ़ रहे थे, उस समय अलग परिस्थिति थी, पूरे छत्तीसगढ़ में गिने-चुने विश्वविद्यालय थे । कॉलेज तो खोजने पर मिलता था । किसी गरीब आदमी को अगर पढ़ने की इच्छा रहती थी तो भी बाहर जाकर वह इतने सक्षम नहीं होते थे कि अपनी पढ़ाई पूरी कर ले । ऐसे परिस्थिति पर आज यह जो उनका विस्तार हो रहा है, वह मजदूर और किसान के बच्चों के हित पर है । एक गांव के मजदूर का बच्चा भी अगर उच्च शिक्षा प्राप्त करना चाहता है तो हमारे कालेज के माध्यम से जो है, अपने घर में खाना खाकर भी उसको प्राप्त कर सकता है । मैं इस विधेयक का तो समर्थन करता ही हूँ, लेकिन माननीय मंत्री जी से एक निवेदन करता हूँ कि मैं जिस जिले से आता हूँ, जांजगीर चांपा जिला, जो बिलासपुर जिला से अलग होकर बना है । हमारी भौगोलिक स्थिति बिलासपुर से जुड़ी हुई है और आवागमन के भी दृष्टिकोण से जाजंगीर जो है, ज्यादा सरलता के साथ बिलासपुर या लोगों का आना जाना, चाहे पूर्व में वह बिलासपुर जिला रहा हो या वर्तमान में संभाग के अंतर्गत आते हैं या तमाम कार्यालय है, ज्यादा आना-जाना जांजगीर चांपा का जो है, बिलासपुर में है । अगर हमारे जांजगीर-चांपा जिले को बिलासपुर में यथावत रखा जाये तो जांजगीर-चांपा के लिए ज्यादा उचित होगा । इस बात के लिए मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करता हूँ और समर्थन के साथ ही साथ ही शहीद के लिए उनको धन्यवाद भी देता हूँ कि जिनके नाम पर विश्वविद्यालय बनाने का सोच लाया, सरकार उनके विचार को लेकर आगे बढ़े । धन्यवाद ।

श्री नारायण चंदेल (जांजगीर-चांपा) :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सर्वप्रथम आपको बहुत-बहुत बधाई और शुभकामनाएं। छत्तीसगढ़ विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2019 को माननीय उच्च शिक्षा मंत्री जी ने प्रस्तुत किया है और छत्तीसगढ़ के बहुत वरिष्ठ नेता, जन नेता माननीय नंद कुमार पटेल

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

जी, जो शहीद हुए, उनके नाम से उन्होंने उस विश्वविद्यालय का नाम रखा है। निश्चित रूप से एक अच्छा कदम है। शिक्षा का विस्तार होना चाहिए और नये विश्वविद्यालयों का निर्माण भी होना चाहिए। आदरणीय नंद कुमार पटेल जी का हम लोगों से संपर्क जब वह नंदेली गांव के सरपंच थे और 1988 में जब वहां विधानसभा का उपचुनाव हुआ उस समय से हम लोग माननीय नंद कुमार पटेल जी के संपर्क में हैं और वह सरपंच से विधानसभा तक पहुंचे थे। निश्चित रूप से एक अच्छी पहल है लेकिन मेरा एक निवेदन है कि विश्वविद्यालय खुलने चाहिए, नये महाविद्यालय खुलने चाहिए, शिक्षा का विकेंद्रीकरण होना चाहिए, शिक्षा का विस्तार होना चाहिए। एक बात तो यह है कि इस विश्वविद्यालय में जो कुलपति बने वह स्थानीय व्यक्ति हो। छत्तीसगढ़ का व्यक्ति ही उसमें कुलपति और कुलसचिव बने, कोई बाहर का व्यक्ति न बने, इस बात का विशेष रूप से माननीय मंत्री जी और सरकार को ध्यान देने की आवश्यकता है। इस विश्वविद्यालय के निर्माण में हमने इस विश्वविद्यालय की जो सीमा देखी कि रायगढ़ जिला और हमारा जांजगीर-चांपा जिला जिसके बारे में अजय जी और चन्द्रा जी ने अपनी बात रखी, क्योंकि हमारे जांजगीर की जो भौगोलिक स्थिति है, तो बिलासपुर से जांजगीर-चांपा की दूरी 50 से 55 किलोमीटर है लेकिन यदि हमें विश्वविद्यालय के काम के लिए रायगढ़ जाना पड़ेगा तो वह 110-115 किलोमीटर है और इसलिए हम उच्च शिक्षा मंत्री जी से चाहते हैं कि नये विश्वविद्यालय का निर्माण हो, उसका हम समर्थन करते हैं लेकिन इस पर थोड़ा संशोधन करते हुए कि जांजगीर-चांपा को बिलासपुर विश्वविद्यालय में ही रखें और जशपुर को रायगढ़ विश्वविद्यालय में जोड़ लें क्योंकि रायगढ़ जिले का विभाजन होकर ही जशपुर जिला बना है, और बिलासपुर जिले का विभाजन होकर जांजगीर-चांपा बना है और ये मांग करते हुए मैं उनको धन्यवाद देता हूं।

उच्च शिक्षा मंत्री (श्री उमेश पटेल) :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सर्वप्रथम तो मैं आपको बधाई देता हूं कि आप अभी उपाध्यक्ष के पद पर सुशोभित हैं। इससे पहले आप मेरे बगल में बैठते थे। अब आपका सानिध्य नहीं मिलेगा।

उपाध्यक्ष महोदय :- मिलेगा। धन्यवाद।

श्री उमेश पटेल :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आदरणीय अजय चन्द्राकर जी, आदरणीया लक्ष्मी ध्रुव जी, आदरणीय धर्मजीत सिंह जी, आदरणीय ममता चंद्राकर जी, आदरणीय केशव चन्द्रा जी, आदरणीय नारायण चंदेल जी ने अपनी बात रखी मैं उन सबको धन्यवाद कहता हूं। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, विश्वविद्यालय बनाने की बात इसलिए सामने आई क्योंकि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के मापदंड हैं कि कोई भी युनिवर्सिटी 100 कालेज से ज्यादा की न हो। मैं यू.जी.सी. के नार्म्स को पढ़ देता हूं : Based on overall national level consensus of all section of the stakeholder of a higher education, it is recommended that the maximum number of college to be affiliated to any university in the country should limited to one hundred. जब हमने अपनी युनिवर्सिटी का परीक्षण किया तो हमने पाया कि हमारी

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

जो सबसे बड़ी युनिवर्सिटी है वह बिलासपुर युनिवर्सिटी है जहां लगभग 180 कालेज उसमें हैं। तो यू.जी.सी. ने जो मापदंड रखा है उससे लगभग वह दो गुना है और भौगोलिक दृष्टि से भी बहुत बड़ी युनिवर्सिटी यह बनते जा रही थी। जब कोई युनिवर्सिटी बहुत बड़ी हो तो किसी भी कुलपति या कुलसचिव को उसके प्रशासन के लिए थोड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। इन सबको ध्यान में रखते हुए हमने इस विश्वविद्यालय को दो भाग में तोड़ने का फैसला किया है। जब यूनिवर्सिटी बनेगी तब उसकी सीमाएं छोटी होंगी तो उसकी गुणवत्ता में सुधार होगा ही होगा। हमारा जो जी.ई.आर. है, उसमें भी सुधार होने की संभावनाएं बढ़ जायेंगी। हमारी कोशिश यही है इसको लाने का उद्देश्य यही था कि हम यूनिवर्सिटी में गुणवत्ता लायें, यूनिवर्सिटी एक छोटे सीमा में बनें ताकि वहां का एडमिनिस्ट्रेशन काफी अच्छा हो। यह विचार के साथ इस यूनिवर्सिटी को बनाने का काम सरकार द्वारा किया जा रहा है। आदरणीय मुख्यमंत्री जी की मंशा और आदरणीय मुख्यमंत्री जी का निर्देश है कि हमारे प्रदेश के शहीदों के नाम पर हमारी संस्थाओं को रखा जाये, उनको उचित सम्मान दिया जाये। उन्हीं के निर्देश पर इस यूनिवर्सिटी का नाम शहीद नंद कुमार पटेल जी, के नाम पर रखा जा रहा है। मैं हृदय से उनको भी बहुत-बहुत धन्यवाद कहूंगा कि उनके इस निर्देश के कारण यूनिवर्सिटी का नाम हमारे प्रदेश के शहीद और मेरे पिताजी के नाम से हो रहा है। आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, कुछ आपत्तियां आई हैं, मैं उनके बारे में भी कहना चाहूंगा।

श्री केशव प्रसाद चंद्रा :- आपत्तियां नहीं, निवेदन है।

श्री उमेश पटेल :- जो भी है।

श्री केशव प्रसाद चंद्रा :- निवेदन है, आपत्ति नहीं है।

श्री उमेश पटेल :- जी-जी।

श्री केशव प्रसाद चंद्रा :- सुझाव, जो सुझाव आये हैं।

श्री उमेश पटेल :- आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, बलरामपुर, सूरजपुर, संतगहिरा गुरू विश्वविद्यालय सरगुजा में क्यों नहीं है ? मुंगेली अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय में क्यों नहीं है ? बिल्कुल सही बात है। मैं बताना चाहूंगा कि उपरोक्त परिशिष्ट में 3 विश्वविद्यालय हैं। इसमें जगदलपुर, बिलासपुर, अंबिकापुर वर्ष 2012 में बने हैं। इसी के कारण इनके कार्यक्षेत्र 2012 में नवगठित जिले से पृथक नहीं हो पाया। दुर्ग विश्वविद्यालय 2012 के बाद बना, इसलिए इनके नाम पर है। जगदलपुर, बिलासपुर, अंबिकापुर ये तीनों हमारे संज्ञान में भी आया, आपने जो कहा, आपने जो सुझाव दिया है, यह हमारे संज्ञान में अभी आया। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आने वाले समय में, आने वाले बजट सत्र में इनको ठीक कर लिया जायेगा।

श्री अजय चंद्राकर :- आप अच्छा कर रहे हो। उसमें नहीं है। सवाल, इतना बड़ा विभाग है, जब हम Legislation करते हैं, उस विषय में समझौता नहीं होना चाहिए। आपकी जो सूची है, उसमें क्लीयारिटी

Uncorrected and Unedited/Not for Publication

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

नहीं है। Legislation भर के मामले में, बाकी में आप इधर-उधर करते रहें। बहुमत का इस्तेमाल करते रहे ठीक है।

श्री उमेश पटेल :- नहीं-नहीं, अजय जी, आप पूरा क्लीयर समझिये, ये 2012 के पहले बने हैं। ये उस समय अपडेट होने चाहिए थे, जिस समय 2012 में नये जिलों का गठन हुआ। ये हमारे संज्ञान में अभी आया। आपने भी सुझाव दिया, हमारे भी संज्ञान में आया और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आने वाले बजट सत्र में ये चीजें सही हो जायेंगी।

नगरीय प्रशासन मंत्री (डॉ. शिवकुमार डहरिया) :- आपने 2012 में गड़बड़ किया था। अब उनको सुधारने का काम इनका है।

श्री उमेश पटेल :- बजट सत्र में सुधार दिया जायेगा।

श्री अजय चंद्राकर :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरा एक आग्रह है कि माननीय संसदीय कार्य मंत्री एक संशोधन रख दें कि विधेयक या इस तरह की बात होगी तो जो उनके चहेते कुछ लोग हैं वे जरूर शामिल होवें। हम भाग लेंगे तो अच्छा भी लगेगा।

संसदीय कार्य मंत्री (श्री रविन्द्र चौबे) :- मेरे चहेते का आशय, भैया सबसे पहला नाम तो आपका है। (हंसी)

श्री अजय चंद्राकर :- मेरे चहेते का आशय किसी नाम को लांघना नहीं है, बस संसदीय कार्य मंत्री कुछ कालिंदे हैं।

श्री उमेश पटेल :- आपका जो सुझाव है और इसमें जो आपने आपत्ति डाली है, उसको मैं मानता हूं, इसमें जो अपडेट नहीं है, मैं इसको विश्वास दिलाता हूं कि, आने वाले बजट सत्र में इसको ठीक कर लिया जायेगा।

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- मानव बम से बचकर रहना।

श्री कवासी लखमा :- मानव बम बाजू में बैठे हैं।

श्री उमेश पटेल :- आदरणीय केशव चंद्रा जी ने आदरणीय नारायण चंदेल जी ने कहा कि जांजगीर चांपा, चूंकि कोशिश यह थी कि एक संभाग के अंदर ही इसको दो भागों में बांटा जाये। सबसे ज्यादा उपयुक्त हमने रायगढ़ और जांजगीर चांपा को ही समझा है। उसके दो महत्वपूर्ण कारण हैं। रायगढ़ जांजगीर चांपा दोनों ट्रेन रूट से जुड़ा हुआ है और एक दूसरे से कनेक्टेड भी हैं। डभरा तो रायगढ़ से इतना जुड़ा हुआ है कि आपको लगेगा नहीं। मैं यह जरूर मानता हूं कि पामगढ़ और जैजेपुर यहां से थोड़ी दूरी बढ़ सकती है। लेकिन यूनिवर्सिटी जाने की आवश्यकता बहुत कम पड़ती है। डायरेक्ट यूनिवर्सिटी में जाने की आवश्यकता नहीं होती है क्योंकि ट्रेन रूट से जुड़ा हुआ है इसलिए इसको जोड़ने के लिए और इस बात पर भी विचार किया गया कि अगर जिले को कम किया जाए तो उससे एडमिनिस्ट्रेशन में एक समस्या आएगी, अगर आधा भाग इधर और आधा भाग उधर रहे तो उससे

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

समस्या होगी। लेकिन मैं आपको अभी भी विश्वास दिलाता हूँ कि आने वाले समय में अगर किसी भी तरह की परेशानी हुई तो हम और आप बैठकर, इसको जिस तरह से भी चेंज करना रहेगा, वैसा कर देंगे। मैं आप सबसे पूरे सदन से यह निवेदन करना चाहूंगा। मैंने अभी इस चीज को बताया कि वर्ष 2012 में ये यूनिवर्सिटी बने थे और वर्ष 2012 के पहले बने थे और जब जिला बने तो जिला बनने के बाद इस सूची में अपडेट होना चाहिए था, लेकिन उस समय अपडेट नहीं हुआ, ऐसे ही चल रहे थे अभी हमारे संज्ञान में आया है मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि अगले बजट सत्र में इसमें संशोधन ला दिया जायेगा और इसको ठीक कर दिया जायेगा। मैं पूरे सदस्यों से यही आग्रह करूंगा कि इसको सर्वसम्मति से से पास किया जाये और यह बहुत अच्छे नियत से किया जा रहा है, इसमें गुणवत्ता का सुधार किया जायेगा, यही मैं आग्रह करूंगा। आपने मुझे बोलने का समय दिया, उसके लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद्। (मेजों की थपथपाहट)

श्री अजय चन्द्राकर :- भईया मुंगेली कौन से जिले में रहेगा, यह बता दीजिए?

श्री उमेश पटेल :- देखिए, जब ये अटल बिहारी वाजपेयी यूनिवर्सिटी बना, तब मुंगेली बिलासपुर का ही भाग था और जब मुंगेली नया जिला बना तब इसमें आपके ही मंत्रियों को ही अपडेट लाना चाहिए था, उस समय वे लाये नहीं। हमारे संज्ञान में अभी आया है, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि अगले बजट सत्र में मुंगेली अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय में जुड़ जाएगा।

श्री धर्मजीत सिंह :- माननीय अजय चन्द्राकर जी खुद नहीं लाये और इधर बात कर रहे हैं बताईये? कुछ तो ठीक से करिये।

श्री कवासी लखमा :- थोड़ा उधर से सीखिये।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, वर्ष 2012 में अजय चन्द्राकर इस हाऊस में नहीं था।

उपाध्यक्ष महोदय :- प्रश्न यह है कि छत्तीसगढ़ विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2019 (क्रमांक 24 सन् 2019) पर विचार किया जाये।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

उपाध्यक्ष महोदय :- अब विधेयक के खण्डों पर विचार होगा।

उपाध्यक्ष महोदय :- प्रश्न यह है कि खण्ड 2 व 3 इस विधेयक का अंग बने।

खण्ड 2 व 3 इस विधेयक का अंग बने।

उपाध्यक्ष महोदय :- प्रश्न यह है कि खण्ड 1 इस विधेयक का अंग बने।

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

खण्ड 1 इस विधेयक का अंग बना।

उपाध्यक्ष महोदय :- प्रश्न यह है कि पूर्ण नाम तथा अधिनियमन सूत्र इस विधेयक का अंग बने।

पूर्ण नाम तथा अधिनियमन सूत्र इस विधेयक का अंग बने।

उच्च शिक्षा मंत्री (श्री उमेश पटेल) :- उपाध्यक्ष महोदय, मैं, प्रस्ताव करता हूँ कि- छत्तीसगढ़ विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2019 (क्रमांक 24 सन् 2019) पारित किया जाए।

उपाध्यक्ष महोदय :- प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ कि- छत्तीसगढ़ विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2019 (क्रमांक 24 सन् 2019) पारित किया जाए।

उपाध्यक्ष महोदय :- प्रश्न यह है कि- छत्तीसगढ़ विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2019 (क्रमांक 24 सन् 2019) पारित किया जाए।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

विधेयक सर्वसम्मति से पारित हुआ।

(मेजों की थपथपाहट)

श्री उमेश पटेल :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं अपनी तरफ से और सबकी तरफ से पूरे सदन को बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं।

(3) महात्मा गांधी उद्यानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय विधेयक, 2019 (क्रमांक 25 सन् 2019)

कृषि मंत्री (श्री रविन्द्र चौबे) :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं, प्रस्ताव करता हूं कि- महात्मा गांधी उद्यानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय विधेयक, 2019 (क्रमांक 25 सन् 2019) पर विचार किया जाय।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हमारा छत्तीसगढ़ कृषि पर आधारित बड़ा राज्य है। छत्तीसगढ़ में नया राज्य बनने के बाद हमने बहुत सारे विकास के रास्ते तय किये। यहां उद्योगों की स्थापना हुई, कृषि संपदा का भी विकास हुआ, सिंचाई के क्षेत्र में भी विकास हुआ। लेकिन हम ये महसूस करते हैं कि आने वाले समय में छत्तीसगढ़ में अगर डेवलपमेन्ट करना है, हमें कृषि और उससे भी ज्यादा उद्यानिकी पर आधारित उद्योगों को बढ़ावा देना होगा। कृषि में उद्यानिकी को बढ़ावा देना होगा। एग्रीकल्चर फारेस्ट्री पर हम सबको काम करना होगा। उसमें जो रिसर्च की संभावनायें हैं, अनुसंधान के सारे कार्य हैं, उसके बेस जो इंडस्ट्री लगनी है, उसमें जो एम्प्लायमेन्ट का जनरेशन होना है, उसमें कौन-कौन से तकनीकी रूप से पाठ्यक्रम हम शामिल कर सकते हैं, यहां के नौजवानों को रोजगार की दिशा में हम उस

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

विश्वविद्यालय से और कैसे आगे बढ़ा सकते हैं, इन सारे विषयों पर काम करने की अब छत्तीसगढ़ में आवश्यकता है।

मानननीय उपाध्यक्ष जी, छत्तीसगढ़ का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल लगभग 138 लाख हेक्टेयर है जिसमें लगभग 46.53 लाख हेक्टेयर कृषि की जाती है। इसमें उद्यानिकी फसलों का टोटल रकबा 8.64 लाख हेक्टेयर है जो कुल कृषि के क्षेत्रफल का 18.56 प्रतिशत है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हम लोग छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा कहते हैं। धान की फसल भी हो रही है। जब छत्तीसगढ़ राज्य बना, हम 10-12 मीट्रिक टन धान का उत्पादन करते थे इस बार 1 करोड़ 25 लाख मीट्रिक टन उत्पादन के लगभग हमारा छत्तीसगढ़ जा रहा है। धान पर सारी बातें लगभग पहले सप्ताह में हो गई हैं। हम लोगों को उस फसल के बाद छत्तीसगढ़ में अन्य उद्यानिकी के क्षेत्र में किस प्रकार से डेवलपमेन्ट करना है, किस प्रकार से नये नौजवानों को हार्टिकल्चर के क्षेत्र में हम लोगों को शिक्षित करना है। हमारा छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ के मध्य में मैदान, बस्तर का पठार और उत्तरी पहाड़ी सरगुजा का इलाका मिलजुल करके बनता है। मैंने उद्यानिकी फसल की बात कही, इन क्षेत्रों में जो टोटल हमारा क्षेत्रफल है, उसमें उद्यानिकी फसलों का टोटल उत्पादन 102 लाख मीट्रिक टन होता है जिसमें फल, पुष्प, सब्जी, मशाला, औषधि एवं सुगंधित मेडिकेटेड प्लाण्टस हार्टिकल्चर की दिशा में होते हैं उसका उत्पादन इसमें शामिल है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैदानी क्षेत्र में हार्टिकल्चर की दिशा में आम, अमरूद, नीबू, पपीता, केला, सीताफल, बेल, अनार ये फलोद्यान की खेती खूब विकास कर रही है। अभी हमारे अपने छत्तीसगढ़ में ड्रैगन फ्रूट, एप्पल बेर, खजूर जैसे हार्टिकल्चर के क्षेत्र में यहां विकास के काम हो रहे हैं। बस्तर के इलाके में हार्टिकल्चर के क्षेत्र में काजू, सीताफल, पाम आयल, चाय, अनानास, कोको काफी, तेज पत्ता, दालचीनी, काली मिर्च जैसे व्यावसायिक उत्पादन भी इसी छत्तीसगढ़ में हो रहा है। जहां उत्तरी पहाडी क्षेत्र है, उन क्षेत्रों में ग्रीन सेव, आलू बुखारा, जैतून, चाय, काफी तथा स्ट्राबेरी भी जैसे खेती हमारे छत्तीसगढ़ में इस प्रकार से हो रही है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, छत्तीसगढ़ में इसी दिशा में जो और व्यावसायिक फसलें हैं बांस है, खम्हार है, मेंजियम है, सिल्वरओक है, औषधि और सुगंधित फसलें जैसे लेमनग्रास है, पामारोजा, जामारोजा, पचोलीस्टीरिया जब यह सारी खेती छत्तीसगढ़ में हो रही है तो हम लोगों का यह प्रयास है और शासन का यह सोचना है कि हॉर्टिकल्चर की दिशा में इन सारी जो हॉर्टिकल्चर की फसलें और जो फलोद्यान लगाये जा रहे हैं उसका कैसे विकास हो सके ? हम अपने नौजवानों को कैसे शिक्षा दे सकें ? आज यह जरूरत महसूस की जा रही थी, अभी छत्तीसगढ़ में हॉर्टिकल्चर के केवल 4 कॉलेज हैं । आने वाले समय में जब हमारा विश्वविद्यालय स्थापित होगा, कॉलेजों का विस्तार होगा, एग्रीकल्चर के सेक्टर में कॉलेजों का विस्तार होगा, हॉर्टिकल्चर के सारे जो कॉलेज हैं इससे एफिलेटेड होंगे । हम सारी व्यवस्थाएं करेंगे, जहां-जहां जमीन उपलब्ध होगी, माननीय

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

सदस्य जो सुझाव देंगे, जहां आवश्यकता होगी, जैसा मैंने नॉर्थ में कहा कि वहां हॉर्टिकल्चर के डव्हलपमेंट की असीम संभावनाएं हैं । हमारे अपने बस्तर में हॉर्टिकल्चर के डव्हलपमेंट की असीम संभावना है और मध्य क्षेत्र में भी अभी इस दिशा में बहुत सार्थक पहल की जा रही है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, छत्तीसगढ़ वह राज्य है जहां लगभग 43 परसेंट भू-भाग फॉरेस्ट एरिया है, वन से आच्छादित है और इसी कारण छत्तीसगढ़ के जो उत्पाद हैं । चाहे वह फल के उत्पाद हों, चाहे अन्य किसी चीज का उत्पाद हो, लोग कहते हैं कि छत्तीसगढ़ की इन सब चीजों में दूसरे क्षेत्रों की अपेक्षा स्वाद बहुत अधिक है । हमारे विभाग ने अभी इंटरनेशनल लेवल पर रायपुर में बॉयरसेलर मीट किया था, विदेश के भी प्रतिनिधि आये थे उनका भी कहना था, उसमें बहुत सारे एम.ओ.यू. हुए हैं, जिसका जिक्र मैं आगे करूंगा । उनका भी कहना था कि अगर छत्तीसगढ़ में इस दिशा में पहल की जाये, आने वाले समय में यदि हम फलोद्यान में शिक्षा का विकास करेंगे तो उसके बाद प्रोसेसिंग इकाईयां आयेंगी, पैकेजिंग इकाईयां आयेंगी । ऐसे बहुत सारे फील्ड हैं जिसको लेकर के हम छत्तीसगढ़ में विकास करना चाहते हैं इसलिये आज इस उद्यानिकी और कृषि वानिकी विश्वविद्यालय की स्थापना का जो अधिनियम है इसे मैंने सदन के सामने प्रस्तुत किया है । मैं सभी माननीय सदस्यों से उम्मीद करता हूं कि अपने सुझाव भी दें, जहां आवश्यकता होगी उसके बारे में भी अपनी बात कहें । हॉर्टिकल्चरर और फॉरेस्ट्री में किस प्रकार से और डव्हलपमेंट एजुकेशन में दिया जा सकता है, उसके भी सुझाव मैं आप सबसे आमंत्रित करता हूं और मैं उम्मीद करता हूं कि आप सबके सुझाव के बाद जितने अच्छे सुझाव आयेंगे उसको रिप्लॉय करने की कोशिश करूंगा और मैं उम्मीद करता हूं कि इसमें सार्थक, अच्छे सुझाव आने चाहिए ताकि शासन का जो आने वाले समय में हमारा यह विश्वविद्यालय जो विकास के मील का पत्थर साबित होने वाला उसमें आप जब सुझाव देंगे तो हम लोग निश्चित रूप से और कुछ अच्छा करने का प्रयास करेंगे ।

उपाध्यक्ष महोदय :- प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ कि महात्मा गांधी उद्यानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय विधेयक, 2019 (क्रमांक 25 सन् 2019) पर विचार किया जाये ।

श्री अजय चंद्राकर (कुरूद) :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस सरकार को सबसे पहले बधाई देता हूं कि 11 महीने में एक मूल विधेयक प्रस्तुत किया । सरकार ने जब पहला विधेयक प्रस्तुत किया था तो हमारे विशेषाधिकार भंग के नोटिस के कारण प्रस्तुत किया था, शपथ ग्रहण के दौरान ही उसी दिन पुर:स्थापित, उसी दिन पारण, उसी दिन सब ।

श्री सत्यनारायण शर्मा :- हर मर्ज की एक ही दवा है श्री अजय चंद्राकर । (हंसी) दाद-खाज, खुजली से लेकर ऊपर तक । (हंसी)

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

श्री शिवरतन शर्मा :- क्या है सत्तू भैया अब आप तो किसी काम के रह ही नहीं गये हैं । (हंसी) एक व्यक्ति तो काम का है जो हर मर्ज का ईलाज कर सकता है, अब आपकी क्षमता तो खत्म हो गयी है ।

श्री सत्यनारायण शर्मा :- इसके लिये तो लोकप्रिय हैं भई । कई दिनों से इनकी चर्चा हो रही है ।

नगरीय प्रशासन मंत्री (डॉ. शिवकुमार डहरिया) :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय ।

श्री अजय चंद्राकर :- एक साथ दो खड़े हो गये हैं ।

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इसीलिये हमारे माननीय रविन्द्र चौबे जी लेमनग्रास का रकबा बढ़ाने वाले हैं ताकि जो खुजली वाली दवाई है वह बन सके ।

श्री शिवरतन शर्मा :- संसदीय कार्यमंत्री जी, तीसरा कहां है ?

श्री अजय चन्द्राकर :- उपाध्यक्ष महोदय, हम तो 14 हैं स्वीकार करने में दिक्कत नहीं है । हम तो जनादेश का सम्मान कर रहे हैं । लेकिन इस विधेयक में सत्यनारायण शर्मा जी बोलेंगे या नहीं बोलेंगे, मुझको सुनना है । उनकी सारी गड़बड़ियां मैंने ठीक की थी । 125 युनिवर्सिटीज़ को सुप्रीम कोर्ट ने खत्म कर दिया, 1 लाख 65 हजार बच्चे थे जिनको डिग्री दिलवाना था, पढ़वाना था । उसकी व्यवस्था भी मैंने की, एक बार उसकी तो प्रशंसा कर दें ।

श्री रविन्द्र चौबे :- उपाध्यक्ष जी, यह सदन का गौरव होता है, जब कोई अच्छी बात होती है । आप तो लम्बे समय तक संसदीय कार्य, हायर एज्युकेशन मंत्री रहे हैं । जो भी आपने अच्छा किया होगा तो उसकी प्रशंसा करने में किसी को हिचक नहीं हो सकती ।

श्री नारायण प्रसाद चंदेल :- नहीं । उन्होंने दाद-खुजली बोल दिया ना (हंसी)।

श्री धर्मजीत सिंह :- उपाध्यक्ष जी, बाजार में माइक लगाकर जो दवाई बेचते हैं, उसी का उद्धरण दे रहे हैं ना ।

श्री केशव प्रसाद चंद्रा :- उन्होंने दाद-खुजली बोलकर छोटी बीमारी का नाम लिया, कहीं कैंसर वगैरह बोल देते तो गड़बड़ होता ।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय उपाध्यक्ष जी, मैं कृषि मंत्री जी को बधाई देता हूं । पहली भी जब वे सरकार में थे तो छत्तीसगढ़ बनने के बाद प्रदेश का पहला इंस्टीट्यूशन नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी आपने ही बनाया था । उसको भी हमने सर्वसम्मत पास किया था । आज इस यूनिवर्सिटी का महत्व कई कारणों से बढ़ जाता है । आप इसे महात्मा गांधी जी के नाम से रख रहे हैं । महात्मा गांधी जी का 150 वां वर्ष चल रहा है इसके लिए आपने महात्मा गांधी जी को स्मरण किया इसके लिए विशेष बधाई, मुख्यमंत्री जी को भी बधाई । दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि छत्तीसगढ़ में उच्च शिक्षा के क्षेत्र में ।

श्री सत्यनारायण शर्मा :- गोडसे की निंदा करेंगे क्या ? जहां आप महात्मा गांधी जी को बधाई दे रहे हैं । आप गोडसे की निंदा करने के लिए तैयार हैं क्या ?

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

श्री अजय चन्द्राकर :- उपाध्यक्ष महोदय, मैं विनियोग के दिन बोल रहा था कि आप सत्र में गांधी जी को जानने के बजाय, गोडसे और सावरकर में ज्यादा केन्द्रित रहे । आप मूल विषय में केन्द्रित रहिए । दूसरी बात, मैंने अभी एक विश्वविद्यालय के बारे में कहा । हमारा उच्च शिक्षा का 2 प्रतिशत था । आज हम 22-23 प्रतिशत तक पहुंच गए । सामान्य यूनिवर्सिटी लगभग सेच्युरेट हो गई, उसके बाद भी जरूरत पड़ती है तो बन जाए । मैं तो 50 कॉलेज में 1 यूनिवर्सिटी वाला आदमी हूं । उसके बाद छत्तीसगढ़ में जरूरत थी कि विभिन्न तरह की संस्थाएं और आएं । नेश्नल यूनिवर्सिटी आई, सेंट्रल यूनिवर्सिटी आई, एनआईटी आई, आईआईएम आया, ट्रिपल आईटी आई, आईआईटी आई । हमने मेडिकल यूनिवर्सिटी बनाई, हमने कामधेनु यूनिवर्सिटी बनाई, संचार यूनिवर्सिटी बनाए और उसी तरह जनरल यूनिवर्सिटी से अलग हटकर हमने ओपन यूनिवर्सिटी भी बनाई । आज हम उद्यानिकी और वानिकी यूनिवर्सिटी बनाने जा रहे हैं और मुझे व्यक्तिगत तौर पर ऐसा लगता है कि छत्तीसगढ़ की एक बड़ी समस्या हल होगी । व्यक्तिगत तौर पर इसलिए क्योंकि धान पर जो राजनीति होती है, उससे लाभ कुछ नहीं होता । छत्तीसगढ़ की समस्या के स्थायी हल के लिए यदि इसके शोध को, इसके रिसर्च को या हमारा कामधेनु यूनिवर्सिटी हो, इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय हो, उसके रिसर्च को यदि किसानों तक हमने जमीन पर उतार दिया तो हो सकता है कि हम सही फसलों की ओर बढ़े । हमरा तीन जलवायु क्षेत्र है, मैं उनका उल्लेख कर देता हूं । लेकिन उसको दोहराने से कोई मतलब नहीं है । आज इतने दिनों बाद भी हमको यह नहीं मालूम कि उन तीनों जलवायु क्षेत्रों में हमारे किसानों को तीनों सीजन में किस तरह की फसल लेना है, यह विडंबना है ।

अध्यक्ष महोदय, मैं चाहता तो इस विधेयक में संशोधन दे सकता था । लेकिन मुझे संशोधन देना नहीं था । इसलिए नहीं देना था कि यह सरकार का एक अच्छा काम है । छत्तीसगढ़ के लिए अच्छा काम है । सबसे पहले मैं इसमें जो बोलना चाहता हूं वह यह है कि आपने जो नाम रखा है, उसमें आप महात्मा गांधी उद्यानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय रखा है । इसमें मुझे थोड़ी सी आपत्ति है, आपत्ति न कहें, इसमें मेरा सुझाव है । हमारी विधान सभा के सामने वानिकी का जो अनुसंधान केन्द्र है । वन अनुसंधान संस्थान, जलवायु परिवर्तन केन्द्र हमारी विधान सभा के बिल्कुल सामने है । वानिकी सेन्ट्रल यूनिवर्सिटी में भी एक सब्जेक्ट है। गुरू घासीदास यूनिवर्सिटी में भी एक सब्जेक्ट है। इसकी जगह में कृषि वानिकी शब्द जुड़ना चाहिए। माने इसका नाम महात्मा गांधी उद्यानिकी एवं कृषि वानिकी विश्वविद्यालय होना चाहिए। यह मेरा सुझाव है।

श्री बृहस्पत सिंह :- और बढ़िया से सोचकर अच्छा नाम सुधार दीजिएगा। दे दीजिएगा।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय कृषि मंत्री जी, मान गया। मान गया। काही बोल दे, खड़ाछ होना हे। रिदम खराब करनाछहे।

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

श्री बृहस्पत सिंह :- आप बार-बार सोचकर अटक-अटक कर बोल रहे हैं। इसलिए बोल रहा हूं कि और सोच लीजिए न।

श्री अजय चन्द्राकर :- दूसरी बात यह है कि यदि यह डिफ्रेंट यूनिवर्सिटी है तो आप एक दिन इंदिरा गांधी विश्वविद्यालय जाकर देखिए। पहले राज्यपाल के अभिभाषण में माननीय मुख्यमंत्री जी ने या कृषि मंत्री जी ने माननीय राज्यपाल जी से कहलवाया कि हम 250 प्रोसेसिंग यूनिट बनवायेंगे। अभी बजट को देखेंगे तो इसी बजट में कोण्डागांव के लिए 4-5 करोड़ रूपये आया है।

श्री रविन्द्र चौबे :- असल में आपने ऊपर में केवल नाम पढ़ा। यह जो पेज चौथे में जो परिभाषाएं आप देखेंगे..।

श्री अजय चन्द्राकर :- मैं पढूंगा न। मैं आउंगा न। अभी आपकी भूमिका की तरह मैं भी भूमिका में हूं।

श्री रविन्द्र चौबे :- उसमें कृषि वानिकी लिखा हुआ है।

श्री अजय चन्द्राकर :- आउंगा-आउंगा।

अध्यक्ष महोदय :- जल्दी खत्म करना है, चन्द्राकर जी।

श्री अजय चन्द्राकर :- जल्दी खत्म कर देता हूं।

अध्यक्ष महोदय :- आप यदि जल्दी खत्म करेंगे। धर्मजीत जी भी नहीं बोलेंगे। केशव चन्द्रा जी भी नहीं बोलेंगे।

श्री धर्मजीत सिंह :- सर, बोलना पड़ेगा।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय कृषि मंत्री जी, यदि आप कृषि विश्वविद्यालय जायेंगे तो आप जो प्रोसेसिंग यूनिट देखेंगे, जो आपके 250 प्रोसेसिंग यूनिट बनाने की घोषणा की थी। यदि आप नगद फसल को और बढ़ाना चाहते हैं, फलोद्यान को बढ़ाना चाहते हैं, कृषि वानिकी को बढ़ाना चाहते हैं तो प्रोसेसिंग यूनिट में इतने साल बाद कृषि इंजीनियरिंग में सिर्फ और सिर्फ धान और चावल के प्रोसेसिंग की ही व्यवस्था है। जिन परिभाषाओं में आप आ रहे थे, मैं उन परिभाषाओं में ही आ जाता हूं। मैं कुछ देर बोलकर उन्हें लिखकर सुझाव दे दूंगा, यदि वे चाहेंगे तो, जैसा आप चाहें।

अध्यक्ष महोदय :- आप लिखकर दे दीजिए। ज्यादा अच्छा है।

श्री अजय चन्द्राकर :- इसमें प्रोसेसिंग इंजीनियरिंग को व्यापक तौर पर डिपार्टमेंट या उनकी परिभाषाओं में शामिल होना चाहिए। उद्देश्यों में शामिल होना चाहिए।

श्री रविन्द्र चौबे :- वह भी है। आप पूरा पढ़े नहीं हैं, वह भी है। आपने देखा नहीं। उद्यानिकी से अभिप्रेत फलों, सब्जियों, फूलों, मसालों, औषधियों, सुगंधित पौधों, मशरूम ये कृषि वानिकी मधुमक्खी पालन, उत्पादन, प्रसंस्करण, प्रबंधन इसे आप पूरा पढ़ लीजिए।

श्री कवासी लखमा :- आधे-अधूरे मत पढ़ो भाई।

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

श्री अजय चन्द्राकर :- मैं पूरा पढ़ लेता हूं। मैं जल्दी खत्म करना चाहता था, वे अब मुझे पूरा पढ़ने के लिए बोल रहे हैं। अब आप मुझे अनुमति दीजिए। मैं एक-एक शब्द पढ़ूंगा। अब परिभाषाएं हैं। परिभाषाओं में आपने 11 परिभाषाएं दी हैं। सामान्य यूनिवर्सिटी की सामान्य परिभाषाएं आप देख लीजिए कि डीम से लेकर जो-जो चीज आप रखेंगे, वित्तीय समिति रखेंगे, संकाय सदस्य रखेंगे, विभाग रखेंगे, इन सबकी परिभाषाएं होती हैं। आपकी इन सिर्फ 11 परिभाषाओं में इन बाकी चीजों की परिभाषाएं शामिल नहीं हैं। परिभाषाओं में प्रसंस्करण की परिभाषा उद्देश्यिका में यदि आप रखते हैं तो वह स्पष्ट नहीं है। आप कह सकते हैं, शामिल है। मैंने पूरा पढ़ा है। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि अब हम अध्याय 2 में आते हैं। मैंने नाम में लिखा है। आपने एक लिखा है कि विक्रय करना। 5 में जंगम और स्थावर संपत्ति अर्जित करना, उसके बाद विक्रय करना। तो विक्रय करना में आपने कुछ नहीं लिखा है। उसमें आप लिख दीजिए कि शासन की पूर्वानुमति से विक्रय होगा। यह सभी यूनिवर्सिटिस में रहता है। इस तरह के एक-एक संशोधन है। जो धारा-3 का जो 6 है, उसमें दो जगह एक बात है। 6 में है अध्यापन पद, अनुसंधान पद तथा विस्तार पद जोकि विश्वविद्यालय द्वारा अपेक्षित हो, संसिप्त करना और ऐसे पदों पर अभ्यर्थियों की नियुक्ति करना एक और उसी को आपने 17 में लिखा है कि प्रशासकीय लिपिक वर्गीय तथा अन्य आवश्यक पदों का सृजन करना तथा उन पर राज्य शासन के पूर्वानुमोदन से नियुक्ति करना। दोनों में से किसी एक को रखिए। दोनों का मतलब या तो आप समझा दीजिएगा। जो मेरे ध्यान में आया, मैंने इसीलिए कहा कि आप इसे ध्यान देंगे।

श्री सत्यनारायण शर्मा :- ध्यान चंद जी, हाथ जोड़ो पीछा छोड़ो। (हंसी

श्री अजय चन्द्राकर :- अब चलिये। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने पहले ही कहा कि यह मूल विधेयक है। यदि मूल विधेयक में भी गंभीरता नहीं दिखती और इस तरह की बात है तो मैं अपने सारे सुझाव माननीय मंत्री जी को लिखकर दे दूंगा, भेज देता हूँ।

अध्यक्ष महोदय :- बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री अजय चन्द्राकर :- क्योंकि यूनिवर्सिटी और मूल विधेयक की जो चर्चा है, जो बार-बार संशोधन आते हैं, जैसे इसमें समन्वय समिति का अध्यक्ष कृषि मंत्री होगा। सभी समन्वय समिति के अध्यक्ष राज्यपाल महोदय होते हैं, कुलाधिपति। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, छोटी-छोटी चीजें हैं, जिसको यदि हम ध्यान दे दें तो रोज-रोज संशोधन से मुक्त हो जायेंगे, जो नियमित यूनिवर्सिटी में होती है। मैंने कहीं पर विरोध तो किया नहीं है, मैंने तो बधाई दी है कि आप डिफरेंट तरीके के विश्वविद्यालय ला रहे हैं। अब दूसरी बात, एक अनुभव यह रख दें, मैं आपको लिखकर दे दूंगा। बहुत सारी ऐसी छोटी-छोटी चीजें हैं।

अध्यक्ष महोदय :- बहुत बढ़िया।

श्री अजय चन्द्राकर :- महत्वपूर्ण चीज यह है कि मैं एक यूनिवर्सिटी शुरू किया। यूनिवर्सिटी में

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

दो डिपार्टमेंट शुरू किया था। एक थियेटर और दूसरा एनीमेशन। थियेटर शुरू हो गया, कोई फेकेल्टी नहीं मिली।

अध्यक्ष महोदय :- यह किसमें आयेगा ? कृषि वानिकी।

श्री अजय चन्द्राकर :- अध्यक्ष महोदय, एक मिनट सुन तो लीजिये। मैं इसी के सम्बन्ध में बोलने जा रहा हूँ। क्या व्यवहारिक दिक्कत आयेगी, उसको मैं आपको बता रहा हूं। तो मैं एन0एस0डी0 गया। मुझे छत्तीसगढ़ का लड़का मिला उसको मैं यहां लाया। उन्होंने थियेटर को शुरू किया। एनीमेशन के लिए फेकेल्टी नहीं मिली। जब मैं गया तो उसका वेतनमान, हवाई अड्डा कितना दूर है, कार से खैरागढ़ कितनी दूर है, क्या है, कैसा है, हमको शासन इतना पैसा देगी या नहीं देगी ? शासन के वेतनमान के नियम निर्धारित हैं। ये उच्च विशेषज्ञता के हैं। आप रायपुर से दूसरी जगह मुख्यालय ले जायेंगे। आप एक तरफ कहते हैं कि साहब हम नया रायपुर को आबाद करेंगे और दूसरी तरफ आप कहते हैं कि हम दूसरी जगह बनाने जा रहे हैं। तो जो विशेषज्ञता और उद्देश्य है, वह स्थान से भी प्रभावित होगा, जिस स्थान को आपने उल्लेखित किया है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, दूसरी महत्वपूर्ण बात है कि इसमें विशेषज्ञता के लिए स्पष्ट प्रावधान होने चाहिए। हमने इस प्रदेश में तरह-तरह के विश्वविद्याल य बनाये। लेकिन वे अपने उद्देश्यों में सफल क्यों नहीं हुए ? वे परीक्षायें लेने की संस्थायें क्यों बनीं ? उसका कारण यह है कि उसकी नियुक्ति विशेषज्ञता के बजाय राजनीतिक हो गई। यदि ये यूनिवर्सिटी डिफरेंट नेचर की है तो कुलपति की योग्यता में इस बात को और वेतनमान को भी सामान्य कुलपतियों से अलग रखे। जो सामान्य यूनिवर्सिटी है, उसमें कुलपति के वेतनमान, नियम-परिनियम में उल्लेखित है। तो इसमें इस बात की स्पष्ट घोषणा होनी चाहिए, आप जब भी बयान देंगे, भाषण देंगे तो आप बतायें कि इस यूनिवर्सिटी के साथ, चूंकि यह छत्तीसगढ़ के भविष्य के साथ जुड़ा है। छत्तीसगढ़ में जो राजनीति हो रही है, उससे परे हटकर किसान समृद्ध होंगे, इसका उद्देश्य बहुत अच्छा है। उसके लिए उस उद्देश्य से इनकी सोच में व्यापकता को शामिल करना है कि यह व्यापकता लेकर आयेगा। मेरे और जो सुझाव थे, यह मूलत: माननीय मंत्री जी को सौंप देता हूँ। सुधार करना, नहीं करना उनका काम है। जो मुझे कहते हैं कि यदि मैं ही हूं, तो मैं तो 14 लोगों में एक हूं भैय्या। खाज हो चाहे खुजली हो, (हंसी) तीसरी बात, मैंने कहा कि दो यूनिवर्सिटी बन रही है,यह छत्तीसगढ़ के लिए सौभाग्य का विषय है। यह यही छत्तीसगढ़ है, जिसके लेजिसलेशन में एक दिन में 3 यूनिवर्सिटी बनाने का है। तो इसमें जो अपेक्षित गंभीरता, जो भविष्य को प्रभावित करेगी, मैं चाहूंगा कि अगली बार कभी भी ऐसा अवसर आये, तो हम बिन्दुवार बहस करें। एक अच्छी संस्था, एक अच्छी चीज का निर्माण छत्तीसगढ़ में हो। मैं पूरी तरह सहमत होते हुए, बधाई देते हुए कि यह अच्छा काम करेगा, राजनीतिक संस्थान नहीं बनेगा, इस बात की अपेक्षा करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूँ।

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

अध्यक्ष महोदय :- धर्मजीत सिंह जी, पांच मिनट में अपनी बात समाप्त कर लें।

श्री धर्मजीत सिंह (लोरमी) :- सर, बहुत जल्दी। अध्यक्ष जी, मैं माननीय कृषि मंत्री के इस विधेयक का समर्थन कर रहा हूं। मैं सबसे पहले बधाई देना चाहता हूं कि आपने महात्मा गांधी उद्यानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय नाम रखा है। जब गांधी जी के 150वीं जयंती के अवसर पर मैंने पूछा था कि कि गांधी जी के नाम से कोई संस्थान कहां है, तो उसका जवाब कोई भी नहीं दे पाया था। परन्तु आपने ऐसा किया, बहुत अच्छा है। यह उद्यानिकी, वानिकी विश्वविद्यालय इसलिए जरूरी है क्योंकि खाली धान के खेती से प्रदेश तरक्की नहीं करेगा। हमारे प्रदेश में पिछले 18-19 वर्षों से एक गलत पम्परा की शुरूआत हो चुकी है..।

श्री कवासी लखमा :- 15 साल से।

श्री धर्मजीत सिंह :- मैं सबको जोड़ लेता हूं। उसमें हम भी शामिल हैं, आप भी शामिल हो, ये भी शामिल हैं। यह परम्परा की शुरूआत हो गई है कि विकास नाम मतलब बड़ा-बड़ा बिजली का कारखाना खुले। के0एस0के0 पावर प्लाण्ट पूरा रोगदा बांध ले लिया था, उसकी जांच समिति बनी और आज वह एन0पी0ए0 में है। मजदूरों का पेमेंट नहीं कर रहा है, लोगों का पेमेंट नहीं कर रहा है । करोड़ों रूपए ओवर फाईनेंसिस करा लिए और हैदराबाद में मजा कर रहे हैं तो धूल, धुआ, धक्का और ऐश ये सब चीज हमारी उपजाऊ जमीन को खा गई । वहीं पर हरियाणा में कोई उद्योग बहुत बड़ा उद्योग नहीं है, लेकिन वहां खेती के आधार पर उनकी इकॉनामी है । पंजाब में भी नहीं है, छोटा-मोटा होगा, कोई साईकिल या पंचर दुकान या नट बोल्ड वाली दुकान होगी, उसको फैक्ट्री नहीं बोलते । वह तो आधे एकड़ की जमीन में कोई भी खोल सकता है । वहां भी इकानामी खेती के ऊपर डिपेंड है तो हमारा छत्तीसगढ़ बस्तर के कोंटा, सुकमा से अंबिकापुर के रामानुजगंज तक जो इतना उपजाऊ है, यहां सारी सम्भावना है, पर सब होने के बाद भी हमारे पास अवसर नहीं है । आपने आज इसके माध्यम से अवसर दिया। मैं छोटी-छोटी बात कहकर अपनी बात समाप्त करूंगा, मुझे दो मिनट बोलने दीजिए । यह हमारे किसानों का प्रिय विषय है और प्रिय विधेयक है, मैं ये कह सकता हूं । प्रशासनिक व्यवस्था में ऊपर-नीचे जो है, वह अजय चन्द्राकर जी ने बताया है । आपने बताया कि 138 लाख हेक्टेयर जमीन में यहां खेती होती है । उसमें 8.64 लाख हेक्टेअर मतलब सिर्फ 18 प्रतिशत में हार्टीकल्चर होता है । यह कितना दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है । किसी के शादी-समारोह में जाते हैं तो वहां बड़े गर्व से लोग बताते हैं कि ये वाला फूल कोलकाता से आया है, ये वाला फूल मुम्बई से आया है । जब हमारे छत्तीसगढ़ की माटी वहां से ज्यादा उपजाऊ है तो हमारे किसान को फूल के तरफ हम प्रेरित क्यों नहीं कर सकते, हमारे किसानों को फूल, फल लगाने के लिए हम आगे बढ़ा सकते हैं। बिहार से, झारखण्ड से लीची आता है और अभी हमारे जशपुर तरफ लीची झारखण्ड से आ रहा है । सरगुजा और जशपुर के तरफ कटहल बहुत होता है, और अभी तो मैंने यह भी सुना है कि जशपुर में चाय पत्ती का भी कुछ प्रयोग हुआ है, जो सफल हुआ है ।

Uncorrected and Unedited/Not for Publication

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

जब सब सफल हो रहा है, मैं जब एक बार दार्जिलिंग गया था, पहली बार अपना चाय बागान देखा तो मुझे लगा बर्फ के कारण चाय होता होगा, पर मेरा भ्रम दूर हुआ, जब मैं ऊटी गया । ऊटी और मैसूर के बीच में चाय बागान में न कोई बर्फ था, न कोई नदी था, न कोई पहाड़ । ऐसी पहाड़ जैसे हमारे यहां हैं, उन सब पहाड़ों हम लगा दें, सिर्फ हम जंगलों में चाय लगा दें तो दुनिया के सबसे बड़े चाय उत्पादक देश में हमारी गिनती हो सकती है तो उस दिशा में भी हमको बात करनी पड़ेगी।

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- अध्यक्ष जी, हमारे अंबिकापुर में लगाने की प्रक्रिया चल रही है ।

श्री धर्मजीत सिंह :- मैं उस प्रक्रिया में ही आ रहा हूं । अध्यक्ष जी, मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं । कवर्धा जिले में एक मड़मड़ा गांव है । मंत्री जी, आज से 35 साल पहले उस गांव के लोगों ने सामूहिक रूप से 50-60 एकड़ में कटंग बांस लगाया हुआ है और उस बांस को लोग सुरक्षित भी रखते हैं, उसको बेचते भी हैं । उनको बेचने का पावर है । बांस को तो वन विभाग में रखना भी नहीं चाहिए, उसमें है भी नहीं । कोई बांस ले जाता है तो फारेस्ट विभाग वाले उनको पकड़ लेते हैं । उनको भी थोड़ा रोक लगाईए, सजा दीजिए। वे बांस बेचकर लाखों रूपए ग्राम समिति को मिलता है । अध्यक्ष जी, आप जब चाहें, तब चले जाईए, पांडातराई से चार किलोमीटर दूर है, बांस का पेड़ देखिए । मैं आपको सलाह देता हूं कि इसी तरीके से होना चाहिए । कोण्डागांव का चोपड़ा व्यापारी है, उसके यहां नीलगिरी का झाड़ है, वह बीच में हल्दी का खेती करता है और लाखों रूपए की हल्दी बेचता है । राजाराम त्रिपाठी के नाम से लोग जोगी जी को हंसते थे, लेकिन उसको अभी-अभी प्राईज़ मिला है, वह मुसली बेचता है । और भी बहुत से ऐसे काम हैं, जो हम अगर चाहें तो अपने किसानों के लिए कर सकते हैं ।

माननीय अध्यक्ष महोदय, बिलासपुर के रेल्वे कालोनी में पहले से ही मुनगा का झाड़ बहुत था और उस मुनगा के झाड़ के मुनगा को टूटकर हावड़ा-बाम्बे मेल से कलकत्ता जाते हुए हमने देखा क्योंकि उस वक्त तक सांभर होता है, उसमें डालने की परम्परा अपने यहां लोगों को नहीं मालूम था तो वह कलकत्ता जाता था । मुनगा की फसल, सीताफल की फसल लगवा दीजिए, नीबू का फसल लगवा दीजिए, टमाटर के लिए कुछ कर दीजिए । कोटा के पास हरियाणा का किसान है, वह गन्ने की खेती करता है । मैं उसके फार्म हाऊस में जाकर बैठा हूं । वह इतना जबरदस्त डेढ़ सौ एकड़ में गन्ना लगाया है और वह इतना बढ़िया बारिक गुड़ बनाता है । अगर उस बारिक गुड़ को आप आधे कटोरी में गुड़ ले लेंगे और सिर्फ एक चम्मच घी डालेंगे तो नैवेद्य और डेल्ही स्वीट्स की मिठाई से भी ज्यादा बेहतर मिठाई है । मैं आपको उसको लाकर दूंगा, आप उसको टेस्ट करिए । आपको भी दूंगा और मुख्यमंत्री जी, आपको भी दूंगा । आप उसको टेस्ट करियेगा, आपको भी दूंगा और आपको भी दूंगा और मुख्यमंत्री जी आपको भी दूंगा । आप तो गांव के हैं, मैं आपके ग्रामीण और छत्तीसगढ़ी परिवेश में कोई प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं लगा रहा हूँ, लेकिन हमारे छत्तीसगढ़ में कोई नया चीज कर रहा है तो सीखना पड़ेगा । अध्यक्ष महोदय, जब कवर्धा में शक्कर का कारखाना बनने वाला था, हमारे कृषि विभाग के वैज्ञानिक

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

गांव-गांव में जाकर कृषि गोष्ठी किये । देखिये, कारखाना बना नहीं था । कारखाने की स्वीकृति भी नहीं आई थी । लेकिन वह गोष्ठी हुई, उस गोष्ठी का परिणाम यह हुआ कि पंडरिया, कवर्धा, बोड़ला, बेमेतरा, इधर गन्ने का रकबा बढ़ा, उसमें कारखाना खुला और कारखाना खुलने के बाद भी रकबा इतना बढ़ा है कि गन्ने का वहां पर खपत ही नहीं हो पा रहा है । उसका गुड़ बनाया जाता है । अध्यक्ष महोदय, एक निवेदन और करना चाहता हूँ कि वर्षामापक यंत्र हमारी फसल को हमको अगर एलर्ट करना है, मौसम और वर्षामापक यंत्र गांव-गांव में बन रहे हैं, कितना पानी गिरा, नहीं गिरा, क्या हुआ, खाली औपचारिकता होती है । इन महाविद्यालयों में वर्षामापक यंत्र भी लगवा दीजिए । बीच में कहीं पर हो, मौसम विज्ञान के हिसाब से फसल के लिए ज्यादा पानी या कम पानी, अध्यक्ष महोदय, कवर्धा में सोयाबीन की फसल का रकबा कम हो गया । उसके दो कारण है । गन्ना लगा, सोयाबीन की फसल का उचित मूल्य नहीं मिल रहा था, धान का समर्थन मूल्य 2500 रूपये हो । धान का समर्थन मूल्य बढ़ जाने से किसानों की हालत सुधरी है । अध्यक्ष महोदय, धान के अलावा और भी फसलों को प्रोत्साहन देना चाहिये । आप हमारा फुड प्रोसेसिंग प्लाण्ट लगाने के लिए इसमें जोड़ें । मेरे विधान सभा क्षेत्र में आदरणीय चौबे जी निवेदन कर रहा हूँ कि वर्षों पुराना मैं जब विधायक नहीं था, उस जमाने से उद्यानिकी विभाग का फार्म हाऊस है । उसमें एक से एक आम लगा है । पेंड्रा के पास लालपुर का बेहतरीन फार्म हाऊस है । आप शायद देखे भी होंगे । ऐसा और कहीं प्रदेश में होगा । लेकिन उसके तरक्की के लिए, विकास के लिए, आपको काम करना पड़ेगा । बांस लगाने के लिए जो फारेस्ट की नर्सरी है, उसको करना पड़ेगा, अध्यक्ष महोदय, अब मैं चाहता हूँ कि इस प्रदेश में बजाय बड़े उद्योगों की ओर ध्यान लगाने के, हम सब का यह धर्म है, हम अपने किसानों की आर्थिक स्थिति सुधारने, उन्हें आधुनिक युग की खेती करने, उन्हें क्रैश क्राप लेने, उन्हें बिल्कुल ऐसी फसल लगाने से जिससे उसके घर में पैसा आये, आपको नये महाविद्यालय खोलना पड़ेगा । मैं तो आपसे और माननीय मुख्यमंत्री जी से, दोनों से हाथ जोड़कर विनती किया हूँ कि मेरे विधान सभा क्षेत्र में एक ग्राम बठा है, जहां 150 एकड़ जमीन सुरक्षित है । माननीय कृषि मंत्री जी, आप इस सत्र में वहां पर एक कृषि महाविद्यालय खोलने की घोषणा कर दीजिए । एक तरफ मनियारी की नदी है और एक तरफ खुड़िया डैम का पानी है, जैसे इसी में उद्यानिकी के साथ में बोल रहा हूं, वहां पर खोलने से 150 एकड़ सरकारी जमीन क्लियर मिलेगा । वहां पर से तखतपुर, जरहागांव, पथरिया, लोरमी, कोटा, सभी क्षेत्रों के लोगों को वहां पर डिमांस्ट्रेट करके लोगों को आगे बढ़ायेंगे और हमारे बच्चे पढ़ेंगे । यह बी.ए., एम.ए. का जो रेस चलता है ना, उसके लिए भी गांव-गांव में मीटिंग कराईये, कोई फायदा नहीं है बी.ए., एम.ए., पढ़ने से । न नौकरी मिलना है, न कुछ ? बी.ए. पास लिखने भर को मिलेगा । उससे अच्छा वह इस कालेज में पढ़े,अगर उद्यानिकी में, वानिकी में, एग्रीकल्चर में पढ़े तो उसको बड़े-बड़े प्रायवेट फार्महाऊस में नौकरी भी मिल सकती है । अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से विनती करता हूँ कि मेरे भी समस्या को आपसे विनम्र प्रार्थना

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

करते हुये निवेदन कर रहा हूँ कि मेरे बठा लोरमी तहसील में एक महाविद्यालय खोलें । मेंरे लोरमी के हार्टिकल्चर का फार्म है, उसका डेवलपमेंट करने को भी ध्यान दें । यह बहुत अच्छा विधेयक है । इससे हमारे छत्तीसगढ़ के किसानों की तरक्की होगी । आपको बहुत-बहुत बधाई । धन्यवाद।

श्री केशव चन्द्रा जी (जैजेपुर) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय कृषि मंत्री जी के द्वारा लाये गये विधेयक महात्मा गांधी उद्यानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय का मैं समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूँ । माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने बहुत विस्तार से इस विश्वविद्यालय की स्थापना के बारे में उन्होंने बताया । इसकी आवश्यकता क्यों है? छत्तीसगढ़ प्रदेश धान का प्रदेश है और आज हम धान की स्थिति देख रहे हैं कि लगातार उसका उत्पादन तो बढ़ रहा है लेकिन हमारे पास धान का बाजार नहीं है। तो आने वाले कल में क्या होगा, हमें धान का क्या रेट मिलेगा ये निश्चित नहीं है। चूंकि छत्तीसगढ़ की पूरी आर्थिक व्यवस्था कृषि पर आधारित है इसलिए ऐसे विश्वविद्यालय के खुलने से, वहां रिसर्च होने से वहां से विद्या प्राप्त करके, कृषि, उद्यानिकी, वानिकी की शिक्षा प्राप्त करके चाहे फल की खेती की ओर जाएं या सब्जी की खेती की ओर जाएं अगर वहां से पढ़कर विद्यार्थी तैयार होकर निकलेंगे तो वह किसानों को ट्रेंड करेंगे।

श्री अजय चंद्राकर :-हाथी से सुरक्षा हो इसका भी सुझाव दो। ये नगद फसल में हाथी बहुत आते हैं। यहां का हाथी उत्तर प्रदेश की तरफ जाए, यहां जरूरत नहीं है। नगद फसल में सबसे ज्यादा परेशानी है।

श्री केशव प्रसाद चंद्रा :- हाथी डबल हो गया है, आपको मालूम है या नहीं है। पिछली बार अकेला था, अब दो हो गये हैं।

श्री धर्मजीत सिंह :- हाथी का भी बता देता हूं कि मेरे विधानसभा क्षेत्र में हाथी आया था, वह हाथी एक तालाब में दिनभर बैठता था और घड़ी के जब पांच बजते थे तब वह खड़े होता था और उसके बाद निकलता था और जिसके घर में जहां चावल, दाल या महुंआ रखा है।

श्री रविन्द्र चौबे :- उसको घड़ी में पांच बज गया है यह कौन बताता था?

श्री धर्मजीत सिंह :- यह हाथी बताता था। हाथी का घड़ी कई बार मैं खुद मिलान कराया हूं कि वह राईट 5.00 बजे उठता था। मैं मजाक में नहीं बोल रहा हूं। वह पता नहीं उसको कैसे ज्ञान होता था, 5.00 बजे शाम को उठता था और रात भर पूरा इलाका हिलाता था और जहां चावल, दाल रखा है उसी एरिया को वह तोड़ता है और इधर-उधर वह बिल्कुल नहीं जाता है। और महुंआ का जहां बनता है वहां तो और जल्दी पहुंचता है।

श्री केशव प्रसाद चंद्रा :- उसको मालूम था कि गठबंधन होगा करके। महोदय के क्षेत्र के उस हाथी को मालूम था कि गठबंधन होगा।

श्री नारायण चंदेल :- वह दोपहर को विश्राम करता होगा न।

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

श्री धर्मजीत सिंह :- वह स्वीमिंग पूल में नहाये टाईप का विश्राम करता है और 5.00 बजे दौरे में निकलता है, बहुत खतरनाक है।

श्री शिवरतन शर्मा :- पर संसदीय कार्य मंत्री जी बंदरों की संख्या बढ़ गई है, इस पर भी विचार करना पड़ेगा।

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- हाथी के बारे में हमारे नारायण चंदेल भैय्या से अच्छा कौन बता सकता है। (हंसी)

श्री अजय चन्द्राकर :- धर्मजीत जी, लोरमी का हाथी गठबंधन वाला है, यह बता रहे हैं।

श्री धर्मजीत सिंह :- गठबंधन वाले यहीं तो हैं भैय्या, हाथी समझ लो, घोड़ा समझ लो, जो समझ लो यहीं बैठे हैं। गठबंधन में तो हैं, हमारे गठबंधन में हम लोग थे उसमें कोई बुराई नहीं है पर वह जो हाथी है वह गठबंधन से बाहर वाला है। (हंसी) अध्यक्ष जी, एक और किस्सा सुन लीजिए न। पांडातराई के पास वह हाथी पहुंचा, वहां गन्ना बहुत है, 30 घंटे तक गन्ने का रस पिया था, जब उसे नशा चढ़ा और पांडातराई हमारा धर्म प्रेमी गांव है तो वह लोग गणेश जी आये हे, गणेश जी आये हे करके उसको नरियल ले जाकर दिये तो वह नरियल को खाया और उसकी फोटली को जो मोरा तो उसके सिर में लगा, वहां भागंभाग मच गई। (हंसी) मतलब यह कि वह डेंजरस हाथी था।

श्री केशव प्रसाद चंद्रा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, जब विद्यार्थी इस विश्वविद्यालय से पढ़कर निकलेंगे तो किसानों को वह ट्रेंड करेंगे। हम छत्तीसगढ़ में धान की खेती इसलिए ज्यादा कर रहे हैं क्योंकि वास्तव में छत्तीसगढ़ के किसानों को बाकी चीजों की या तो जानकारी कम है या अनुभव नहीं है। दूसरी चीज कि यहां बाजार नहीं है। तो ऐसे विश्वविद्यालय से यदि रिसर्च करके या पढ़कर निकलेंगे तो हम जो फल या सब्जी का उत्पादन करेंगे उसका बाजार कैसे मिले या किस उद्योग के माध्यम से उसको हम खपा सकें इसमें भी निश्चित रूप से वृद्धि होगी। आज हम उद्योगों के प्रति चिन्ता करते हैं, क्योंकि जो पढ़लिखकर बेरोजगार हैं उनको रोजगार चाहिए। मेरी जहां तक सोच है तो छत्तीसगढ़ में अन्य क्षेत्र के बजाय अगर रोजगार का कहीं सबसे ज्यादा बेहतर अवसर है तो वह कृषि के क्षेत्र में है। कृषि से जुड़े हुए उद्योग में रोजगार की सबसे ज्यादा संभावना है। मैं पुन: एक बार माननीय मंत्री जी को धन्यवाद देता हूं और उनसे निवेदन भी करता हूं कि अगर आप हमारे विधानसभा क्षेत्र में भी कृपा कर दें, हालांकि यह इस विश्वविद्यालय से संबंधित नहीं है लेकिन चूंकि कृषि क्षेत्र के संबंध में है इसलिए मैं माननीय मंत्री जी से अनुरोध करना चाहता हूं कि आपके हार्टिकल्चर में आप जो सब्सिडी दे रहे हैं, उस सब्सिडी का लाभ अनेक अवसर पर मैं आपसे निवेदन भी किया हूं, सीधे किसानों को नहीं मिल रहा है। चाहे कोई मशीन के बारे में बात करें, स्प्रींगलर के बारे में बात करें या किसी भी क्षेत्र में, या आप जो उनको बीज देते हैं, खाद देते हैं, दवाई देते हैं, उतनी गुणवत्ताविहीन रहती है कि किसान खेत में दिन भर काम करता है उसको कोई परिणाम नहीं मिलता है। इसलिए इसमें भी थोड़ी सी निगरानी

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

करें। कम से कम किसान लोग अपनी मेहनत से बच सकें और सरकार की जो योजना है, सरकार जो सब्सिडी किसान के हित में दे रही है, वह किसान तक शत प्रतिशत पहुंचे। अगर ऐसा पहुंच जाता है, जैसे आपके हार्टिकल्चर में, आप प्रति हेक्टेयर करीब करीब 8 हजार रूपये की नदी कछार के किनारे वाले किसान लोगों को 8 हजार हेक्टेयर में उनको अनुदान देते हैं। लेकिन 8 हजार में उनको 8 पैसा भी नहीं मिलता, थोड़ा सा वह खाद जो काम करता नहीं करता है, बीज जिसको नहीं लगाना चाहते हैं, इसलिए मेरा सुझाव भी है, कृपया इस पर ध्यान देंगे। माननीय अध्यक्ष महोदय, धन्यवाद।

डॉ. विनय जायसवाल (मनेन्द्रगढ़) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय कृषि मंत्री द्वारा लाये गये विधेयक के समर्थन में बोलने के लिये खड़ा हुआ हूं। निश्चित रूप से जो उद्यानिकी और वानिकी विश्वविद्यालय का जो विधेयक पास हो रहा है, आज ऐतिहासिक दिन है। हमारी सरकार जिस परिकल्पना के साथ जिस संकल्प के साथ नरवा, गरवा, घुरूआ और बाड़ी के कान्सेप्ट में काम करना चाहती थी और लगातार जिस प्रकार से सरकार ने काम किया है, आज इस विश्वविद्यालय के बनने से छत्तीसगढ़ के हमारे जो युवा हैं, उनको रोजगार भी मिलेगा और जो शोध करने वाले विद्यार्थी होंगे उनको भी बहुत ज्यादा फायदा होगा।

अध्यक्ष महोदय :- बहुत-बहुत धन्यवाद।

डॉ. विनय जायसवाल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं दो मिनट और बोलना चाहूंगा। आप भी कोरिया के दौरे में गये थे तो आपने वहां के कलेक्टर को एक बात बोली थी, वहां का जो इन्वायरमेंट है, निश्चित रूप से उद्यानिकी का जो कान्सेप्ट जो फ्लोरीकल्चर का जो कान्सेप्ट है, जो ट्वीलिप फ्लावर है, उसकी असीम संभावनांए हैं, कोरिया जिले में जो इन्वायरमेंट है। उसको अच्छे से किया जा सकता है तो मैं माननीय मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि हमारा जो कोरिया है, वहां एक एग्रीकल्चर कॉलेज है, जनकपुर, भरतपुर, सोनहत और मनेन्द्रगढ़ विधानसभा है। वह डेंस फारेस्ट वाला एरिया है। माननीय मंत्री जी से मेरा यह निवेदन है कि हमारे यहां छत्तीसगढ़ में तीन चार उद्यानिकी के महाविद्यालय बहुत हैं, लेकिन जो वानिकी विश्वविद्यालय से फारेस्ट का जो महाविद्यालय होगा वह छत्तीसगढ़ में एक भी नहीं है तो एक वानिकी का महाविद्यालय हमारे मनेन्द्रगढ़ शहर में खोलने की कृपा करेंगे। आपने बोलने का मौका दिया बहुत-बहुत धन्यवाद।

अध्यक्ष महोदय :- बहुत-बहुत धन्यवाद। माननीय मंत्री जी।

श्री बृहस्पत सिंह :- अध्यक्ष महोदय,।

श्री धरमलाल कौशिक :- बांधी जी, दो मिनट बोल रहे हैं, उसके बाद मैं बोलूंगा।

अध्यक्ष महोदय :- बांधी जी, क्या करेंगे ।

श्री धरमलाल कौशिक :- बांधी जी का खेती, गौपालन उसके बाद में, हार्टिकल्चर उनका सब है। एकात बार बाड़ी में जाईये।

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

अध्यक्ष महोदय :- बांधी जी काला बांधही, हाथी तो वोती घूमत हे।

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- माननीय अध्यक्ष महोदय, का को विशेषज्ञ हे तेला मे जानथों। ये कहां के येति बोली के शुरू कर दिस। का का के विशेषज्ञ हरे येला पूरा जानथों में हा।

श्री बृहस्पत सिंह :- माननीय अध्यक्ष महोदय,

अध्यक्ष महोदय :- का होगे। आपकी क्या समस्या है ?

श्री बृहस्पत सिंह :- साहब, वही तो बोल रहा हूं।

अध्यक्ष महोदय :- इनको पहले बोलने दीजिए। बांधी जी, चलिये जल्दी बांधो।

डॉ. कृष्णमूर्ति बांधी (मस्तूरी) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, आज माननीय मंत्री जी ने जो विधेयक लेकर आया है, जिन उद्देश्यों के साथ उन्होंने लेकर आया है कि छत्तीसगढ़, हम किसी तरीके से रोजगार के अवसर सृजन करेंगे। छत्तीसगढ़ में इसके माध्यम से, विज्ञान के माध्यम से एक फसल परिवर्तन का भी कान्सेप्ट करेंगे और रोजगार का अवसर मिलेगा। इसमें अनुसंधान होंगे, ये सब बातें हैं। निश्चित तौर पर यह बहुत अच्छा है। मैं मंत्री जी से यह कहना चाहता हूं कि आपकी जो परिभाषा है, इस परिभाषा में जो मेडिशनल बातें आ रही है, हमारे ऐसे पाठ्यक्रम हो, जो सार्टकट छोटे-छोटे पाठ्यक्रम हैं। आखिर में छत्तीसगढ़ की ऐसी कौन सी जनता है, जिसकी आर्थिक इकानामी को करेंगे, वह देखेंगे ग्रामीण अंचल में देखेंगे। ग्रामीण अंचल में एजुकेशन पांचवीं, छठवीं पढायें। पूरे पाठ्यक्रम का जो कोर्स होना चाहिए, वह पांचवीं क्लास के योग्य भी होना चाहिए, चाहे वे सार्ट कोर्स में हो या जिस तरीके से एफिलियेटेड हो, पांचवीं क्यास बेरोजगारों के लिये हो, ये सार्ट सार्ट नॉलेज है। जो हर एग्रीकल्चर के छोटे छोटे सेक्टर में बनेगा। नहीं तो हमने बहुत सारे मूसली का हमने बहुत बड़ा ज्ञान दिया और हमारे पास मूसली का ज्ञान होने के बावजूद भी, आज किसान लोग परिवर्तन किये, मेहनत किये और मूसली फेल हो गया, हम मार्केटिंग नहीं कर पाये। आपके पाठ्यक्रम में यह भी शामिल रहे कि कम से कम कैसे मार्केटिंग की जायेगी, उसके लिए क्या सिस्टम किया जायेगा? कैसे एक्सपर्टिज को किया जाए ताकि उसकी मार्केटिंग भी पाठ्यक्रम में एक विषय रहे। दूसरी चीज जो फसलों को नुकसान देने वाला, निगेटिव आसपेक्ट्स, फलों पर सब्जियों पर तो करते हैं, लेकिन जो निगेटिव है जैसे आपने मधुमक्खी जैव की बात की, अब हमने कीड़े पर, जो कीड़े, केंचुआ पालन करने से फलों को लाभ पहुँचाते हैं, उस पर भी छोटे-छोटे शार्ट कोर्स हो, जो एफिलेटेड हो, दीमक है जो किसानों को परेशान करता है। अगर हमने दीमक पर भी कोर्स किये, बहुत अच्छे ढंग से किये तो शायद किसानों को दीमक से फसल को बचाने के उपाय मिल जाएगा। ये दोनों कोर्स अच्छे भी हैं और बुरे हैं, उसमें दोनों कोर्स शामिल होंगे तो निश्चित तौर पर अच्छा होगा।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपको एक बात बताता हूँ आपने महुआ के विषय पर सबने पढ़ा है। महुंआ का केवल एक ही उपयोग है। हमारे पास पूरे छत्तीसगढ़ में महुआ पर कितना रिसर्च हुआ,

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

नहीं मालूम, पर माननीय मंत्री जी महुआ का जो गुल्ली तेल है, जो खासकर आदिवासी क्षेत्रों में उसका उपयोग बहुत बढ़िया होता है और जो लोग आदिवासी क्षेत्र में उपयोग करते हैं, उनके बाल हमेशा काले रहते हैं, चाहे उसकी उम्र करीब 60-70 साल क्यों न हो गई हो।

अध्यक्ष महोदय :- उसको खाते हैं या बालों में लगाते हैं?

डॉ. कृष्णमूर्ति बांधी :- माननीय अध्यक्ष महोदय, उसे खाते भी है और उसका तेल लगाते भी हैं, ये रिसर्च का विषय है, मैं जिसकी बात कर रहा हूँ।

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- माननीय बांधी जी, वह बाजू वाले को थोड़ा बताईये।

डॉ. कृष्णमूर्ति बांधी :- मैं सभी को बता रहा हूँ। मैं इसीलिए रिसर्च करने की बात कर रहा हूँ।

अध्यक्ष महोदय :- आपने बढ़िया और अच्छे सुझाव दिये।

डॉ. कृष्णमूर्ति बांधी :- माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारे यहां ट्रेडिशनल खेती भी होती है और ट्रेडिशनल फल भी है जैसे तेन्दू की डिमांड बहुत है उसकी मेडिशनल वैल्यू इतनी अच्छी है जैसे तेन्दू, आचार है, उस पर हमारी कोई रिसर्च नहीं है उसकी दूसरी क्षेत्रों में बहुत डिमाण्ड है। हमारे यहां सीताफल है, उस सीताफल का कंटेन्ट उसके अंदर पाये जाने वाला जो तत्व है, छत्तीसगढ़ का सीताफल दूसरे जगह के सीताफल से बहुत अच्छा है और अच्छी मार्केटिंग पकड़ रहा है। अगर उन क्षेत्रों में भी हम ऐसे छोटे-छोटे शार्ट कोर्स करेंगे तो निश्चित तौर पर हमको अच्छा लाभ मिलेगा। क्योंकि वानिकी बहुत ही अच्छा है।

माननीय मंत्री जी, मैं एक विषय में दूसरी छोटी सी बात रखना चाहता हूँ। हम सब लोगों ने साईंस टेक्नॉलॉजी का टेक्निकल विलेज बनाया है, आज वह टेक्निकल विलेज मेरे भी क्षेत्र में करीब-करीब 65 लाख का भवन बना हुआ है।

अध्यक्ष महोदय :- ये कहां पर है ?

डॉ. कृष्णमूर्ति बांधी :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मस्तूरी में पचपेढ़ी ग्राम के पास है।

अध्यक्ष महोदय :-अच्छा।

डॉ. कृष्णमूर्ति बांधी :- माननीय अध्यक्ष महोदय, उस टेक्नॉलॉजी विलेज में शार्ट कोर्स का कोई कृषि अनुसंधान का छोटा सा एफिलियेटेड करके, कोर्स खोलें ताकि वहां पर उद्यानिकी से संबंधित कुछ पाठ्यक्रम शुरू किया जा सके। मैं माननीय मंत्री महोदय से इस टेक्नॉलॉजी विलेज की कार्यशीलता और उद्यानिकी से जोड़ने के लिए एक पाठ्यक्रम की शुरूआत की मांग करते हुए, अपनी बात को समाप्त करता हूँ। आपने मुझे बोलने का समय दिया, उसके लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद्।

श्री बृहस्पत सिंह :- माननीय अध्यक्ष महोदय, संरक्षण दिया जाये।

नेता प्रतिपक्ष (श्री धरमलाल कौशिक) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, महात्मा गांधी उद्यानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय विधेयक, 2019 जो लेकर आये हैं, मैं माननीय चौबे जी को बधाई देता हूँ कि

Uncorrected and Unedited/Not for Publication

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

वास्तव में छत्तीसगढ़ प्रदेश कृषि पर आधारित प्रदेश है और आज भी यह कह सकते हैं कि यहां की जो आबादी है, उसका एक बड़ा हिस्सा कृषि के ऊपर निर्भर है। हमारा छत्तीसगढ़ छोटा सा प्रदेश है, लेकिन आप भौगोलिक और जलवायु के दृष्टिकोण से देखेंगे तो एक तरफ हमारा सरगुजा है और दूसरी तरफ बस्तर। हमारा जो मैदानी एरिया है, ये तीनों को देखेंगे तो तीन जलवायु क्षेत्र में हमारा बंटा हुआ है। आज मुख्य रूप से हम लोगों का जो दृष्टिकोण होता है कि धान ज्यादा से ज्यादा उपजाओ और धान बेचकर पैसा कमाओ, लेकिन बाकी क्षेत्रों में हमारा जो पिछडनें का कारण है, उसका सबसे बड़ा कारण है कि विभिन्न क्षेत्रों में कृषि में जाकर जो काम करना चाहिए, कहीं न कहीं उसका अभाव रहा है, कुछ समय के पश्चात् जो शूगर मिल की स्थापना हुई, कुछ लोग गन्ना की तरफ प्रभावित हुए, गन्ने के उत्पादन की ओर गये और उसके कारण में वहां धान का रकबा घटा और घटने के बाद शूगर, खासकर जो कवर्धा का क्षेत्र है, बलोद या अंबिकापुर के क्षेत्र में लेने से उसमें थोड़ा सा प्रभाव में आये, लेकिन एक तरफ हम देखेंगे कि आज भी छत्तीसगढ़ की जो मौलिक आवश्यकता है, हम आज भी दूसरे प्रदेशों के ऊपर निर्भर हैं। उस दिशा में आत्मनिर्भर नहीं हुए हैं और ऐसी स्थिति में यदि हम फ्लोरिकल्चर की बात करें, छत्तीसगढ़ में हमारी जितनी आवश्यकताएं हैं, उस आवश्यकता के अनुरूप आज भी हमारे यहां पर फूलों की खेती नहीं होती है। उसका सबसे बड़ा कारण है कि उस विषय में कोइ्र जानने वाले या कोई बताने वाले ऐसे विशेषज्ञ बहुत कम हैं जो आम किसानों के बीच में जा करके फूलों के बारे में जानकारी दें सकें, जैसे धान या गेहूं के बारे में जानकारी दी जाती है। आज भी हम लोग जब भी कोई बड़ा कार्यक्रम होगा तो फूलों के लिए हम लोग कलकत्ता के ऊपर आश्रित हैं। यहां छत्तीसगढ़ में जो बड़े कार्यक्रम होते हैं चाहे दुर्गा उत्सव, गणेश उत्सव हो या कोई बडे उत्सव का कार्यक्रम हो तो आज भी बाहर से फूल मंगाने की आवश्यकता पड़ती है। हम फ्लोरिकल्चर में अच्छा पैसा पा सकते हैं। मुझे लगता है कि इस विश्वविद्यालय के बनने के बाद में उस दिशा में रिसर्च होगा कि हमारे यहां की जमीनों की क्या स्थिति है, उसके लिए कहां पर किस प्रकार की जलवायु, तापमान है और कहां पर किस प्रकार के क्लाइमेट की आवश्यकता है, उसके अनुसार से रिसर्च करने के बाद में उसका हमको एक लाभ मिलेगा। दूसरी बात जो मैं बोल रहा था कि जो आलू की खेती है, आप सरगुजा की तरफ जायेंगे, वहां पर आलू की खेती प्रारंभ किये हैं, जशपुर में कटहल और कटहल के बाद में वहां पर अन्य फलों का उत्पादन भी लेना शुरू किये हैं। जशपुर का मैं चाय बागान देख करके आया हूं। वहां की ग्रीन टी बहुत बढ़िया है। जब असम और यहां की चाय के बारे में बात हुई, जब लेब में भेजा गया तो असम की चाय की जो क्वालिटी है, उससे अच्छी क्वालिटी जशपुर के सोगड़ा आश्रम की चाय की क्वालिटी है, वहां प्रोसेसिंग सेन्टर बना हुआ है। वहां पर बहुत अच्छी क्वालिटी की चाय होती है, लेकिन हम लोग उसको बढ़ा नहीं पा रहे हैं और उसको नहीं बढ़ा पाने के पीछे कारण यही है कि उसके पीछे एक सोच, उद्देश्य के साथ में काम करने की आवश्यकता है। इसके कारण जो अभी सरगुजा की बात आई है कि हम सरगुजा में चाय उत्पादन

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

की तरफ जा सकते हैं। जशपुर में केवल सोगुड़ा आश्रम ही नहीं बल्कि सोगुड़ा आश्रम के बाहर भी एग्रीकल्चर के द्वारा और बाकी चीजों से बातचीत करके सिंचाई के साधन देकर हम बढ़ा सकते हैं तो उसकी उपयोगिता की सार्थकता सिद्ध होगी।

मानानीय अध्यक्ष महोदय, आप देखें होंगे कि यहां पर कुछ समय पहले सब्जियों को सड़कों में फेंक दिये और लोग सड़कों में फेंक करके प्रदर्शन किये। उसका मूल कारण था कि उनको समय में अपनी उपज का जो रेट मिलना चाहिए, कहीं न कहीं उसके अभाव के कारण में किसानों को परेशानियॉं हुईं। हम टमाटर की बात करते हैं, रायगढ़ के घरघोड़ा के आसपास की जो स्थिति है, जो प्रोसेसिंग सेन्टर की बात करते हैं। चौबे जी जो बता रहे थे कि सारे प्रयास के बाद भी हम अभी 18 प्रतिशत से ऊपर पार नहीं किये हैं। छत्तीसगढ़ में उद्यानिकी के क्षेत्र में अपार संभावनायें हैं। केवल धान, गेहूं और चना इससे निकल करके बाकी आगे जाने की जो संभावना बची हुई है तो वह हमारा हार्टिकल्चर, वेजिटेबल है। यदि इस ओर जा करके हम काम करेंगे तो मुझे लगता है कि आने वाले समय में धान से लेकर हम अन्य दूसरी फसलों की तरफ मोड़ने में सफल होंगे। माननीय अध्यक्ष महोदय, इसलिए मैं माननीय चौबे जी को एक बार धन्यवाद देता हूं कि आपने यहां पर बहुत ही अच्छा विश्वविद्यालय का मूल विधेयक प्रस्तुत किये हैं। अजय चन्द्राकर जी हमारे विद्वान साथी हैं, उसमें बहुत सारे सुधार के लिए सुझाव दिये हैं, जितना हो सकेगा, आप करेंगे। लेकिन मैं यह जो महात्मा गांधी उद्यानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय विधेयक ले करके आये हैं, उसका समर्थन करते हुए और छत्तीसगढ़ का जो भविष्य है कि आने समय में हमारे बच्चों का एग्रीकल्चर के ऊपर पुनः झुकाव हो और उस दिशा में वह आगे बढ़ें, इसके लिए ये मील का पत्थर साबित हो, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं।

श्री राजमन बेंजाम (चित्रकोट) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, आज मैं महात्मा गांधी उद्यानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय विधेयक के समर्थन में अपने विचार रख रहा हूं। अध्यक्ष महोदय, मैं आज उप-चुनाव में निर्वाचित होकर आने के बाद पहली बार चर्चा में शामिल हो रहा हूं। गलती होगी तो क्षमा चाहेंगे।

अध्यक्ष महोदय :- बहुत-बहुत धन्यवाद। आपको बहुत-बहुत बधाई।

श्री राजमन बेंजाम :- यह पहली बार है कि छत्तीसगढ़ के गठन के बाद आज हमारी सरकार के कृषि मंत्री।

श्री अजय चन्द्राकर :- मेडन स्पीच है, आपको बधाई देते हैं।

अध्यक्ष महोदय:- मैं भी उनको बधाई दे चुका हूं।

श्री राजमन बेंजाम :- हमारी सरकार के कृषि मंत्री रविन्द्र चौबे जी द्वारा उद्यानिकी एवं वानिकी की चिंता करते हुए इस क्षेत्र में अध्ययन करा कर डेगरी देने की व्यवस्था की जा रही है। हमारे बस्तर जैसे पिछड़े क्षेत्र के नवयुवकों को इस विश्वविद्यालय से निश्चित तौर पर लाभ मिलेगा और वे स्वयं के

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

रोजगार से लाभांवित होंगे । माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारे कृषि मंत्री जी से मेरा एक निवेदन है कि मेरे चित्रकूट विधानसभा में एक छत्तीसगढ़ का कश्मीर है बिंता और बेजाघाटी । वह इंद्रावती नदी से होकर गुजरती है, वहां हजारों एकड़ कृषि जमीन है । वहां इंद्रावती नदी पर एक स्टॉपडेम सहित पुलिया अगर होगा तो यह हमारे नारायणपुर विधानसभा से जुड़ जायेगा और वहां के लोग इसका लाभ लेंगे । इसी के साथ-साथ माननीय पूर्व सरकार में हमारे चित्रकूट विधानसभा के माननीय विधायक महोदय ने हमारे किलेपाल विकासखण्ड में एक किलेपाल मुख्यालय है और वहां का बंदोबस्त आजाद होने के आज तक नहीं हुआ है । माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से किलेपाल विकासखंड का जो मुख्यालय है ग्राम पंचायत किलेपाल-1, ग्राम पंचायत किलेपाल-2, ग्राम पंचायत किलेपाल-3 वहां हमारे किसानों को बंदोबस्त न होने के कारण कई परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है और हम लोग ब्लॉक मुख्यालय का विकास नहीं कर पा रहे हैं । मैं आपसे निवेदन करता हूं कि उन ग्राम पंचायतों का बंदोबस्त कराने की कृपा करेंगे । माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने का अवसर प्रदान किया इसके लिये मैं आपको बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं ।

अध्यक्ष महोदय :- माननीय मंत्री जी ।

श्री बृहस्पत सिंह :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने बार-बार आग्रह किया ।

अध्यक्ष महोदय :- आपकी जगह नये सदस्य को बोलने का अवसर दिया ।

श्री बृहस्पत सिंह :- [XX] [5]

अध्यक्ष महोदय :- आपकी जगह नये सदस्य को समय दिया है ।

श्री बृहस्पत सिंह :- [XX]

अध्यक्ष महोदय :- चलिये, बोलिये ।

श्री बृहस्पत सिंह :- [XX]

अध्यक्ष महोदय :- ऐसा है कि यदि मैं सदन का रिकॉर्ड निकालूं तो सबसे ज्यादा आप ही बोलते हैं ।

श्री बृहस्पत सिंह :- [XX]

अध्यक्ष महोदय :- आप बोलिए ।

श्री बृहस्पत सिंह :- [XX] (व्यवधान)

श्री अजय चंद्राकर :- [XX] (व्यवधान)

श्री बृहस्पत सिंह :- [XX] (व्यवधान)

---

[5] [XX] अध्यक्षीय पीठ के आदेशानुसार रिकॉर्ड नहीं किया गया ।

Uncorrected and Unedited/Not for Publication Monday, December 02, 2019

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

श्री अजय चंद्राकर :- [XX](व्यवधान) [XX]

श्री बृहस्पत सिंह :- [XX](व्यवधान)

श्री अजय चंद्राकर :- [XX] (व्यवधान)

श्री बृहस्पत सिंह :- [XX] (व्यवधान)

श्री धर्मजीत सिंह :- [XX][6] (व्यवधान)

श्री बृहस्पत सिंह :- [XX]

श्री धर्मजीत सिंह :- [XX](व्यवधान)

श्री बृहस्पत सिंह :- [XX](व्यवधान)

श्री धर्मजीत सिंह :- [XX]

श्री बृहस्पत सिंह :- [XX](व्यवधान) [XX]

श्री धर्मजीत सिंह :- [XX](व्यवधान)

श्री बृहस्पत सिंह :- [XX](व्यवधान) [XX](व्यवधान)

श्री धर्मजीत सिंह :- [XX](व्यवधान)

श्री बृहस्पत सिंह :- [xx]

श्री धर्मजीत सिंह :- [XX](व्यवधान) [XX](व्यवधान)

श्री बृहस्पत सिंह :- [XX](व्यवधान)

श्री अजय चंद्राकर :- [XX] (व्यवधान)

श्री धर्मजीत सिंह :- [XX](व्यवधान) [XX](व्यवधान)

श्री अजय चंद्राकर :- [XX](व्यवधान) [xx]

श्री धर्मजीत सिंह :- [XX](व्यवधान)

श्री बृहस्पत सिंह :- [XX]

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- [XX](व्यवधान)

श्री बृहस्पत सिंह :- [XX](व्यवधान)

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- [XX](व्यवधान)

श्री बृहस्पत सिंह :- [XX](व्यवधान) [XX](व्यवधान)

श्री धर्मजीत सिंह :- [XX](व्यवधान) [XX]

श्री बृहस्पत सिंह :- [XX](व्यवधान)

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

[6] [XX] अध्यक्षीय पीठ के आदेशानुसार रिकॉर्ड नहीं किया गया ।

श्री धर्मजीत सिंह :- [XX] [7]

डॉ. कृष्णमूर्ति बांधी :- [XX]

श्री धर्मजीत सिंह :- [XX](व्यवधान) [XX] (व्यवधान)

श्री अजय चंद्राकर :- [XX](व्यवधान)

श्री धर्मजीत सिंह :- [XX]

श्री नारायण चंदेल :- [XX]

श्री धर्मजीत सिंह :- [XX] (व्यवधान)

श्री बृहस्पत सिंह :- [XX]

श्री धर्मजीत सिंह :- [XX]

श्री बृहस्पत सिंह :- [XX]

अध्यक्ष महोदय :- चलिए, अब से जो बात शुरू करेंगे, वही रिकॉर्ड में आएगा, बाकी सभी मैं विलोपित करता हूं ।

श्री बृहस्पत सिंह :- अध्यक्ष महोदय, बलरामपुर नया जिला बना है, वह बहुत ही अंतिम छोर में है । एक तरफ उत्तर प्रदेश की सीमा लगती है और दूसरी तरफ झारखंड की सीमा लगती है और एक तरफ मध्यप्रदेश की सीमा लगती है, तीन-चार राज्यों की सीमा है । वहां बारहों महीना बहने वाली नदी है, उस जिले के लोगों ने महाविद्यालय खोलने के लिए 500 से एकड़ से अधिक जमीन सुरक्षित रखी है । मैं आपके माध्यम से मुख्यमंत्री जी से निवेदन करता हूं कि एक हार्टिकल्चर महाविद्यालय वहां खोला जाए । ऐसा मैं आपसे अनुरोध करता हूं ।

श्री अजय चन्द्राकर :- अध्यक्ष महोदय, मैं विरोध दर्ज करता हूं, मुझे अच्छा नहीं लगा । मैं आज की कार्यवाही से बहिर्गमन करता हूं ।

श्री बृहस्पत सिंह :- मैं भी विरोध दर्ज करता हूं कि आपने पूरे सदन में अड़ंगेबाजी करके किसानों की आवाज को रोकने की कोशिश की । हम 90 लोग यहां चुनकर आते हैं, आप अकेले ही चुनकर नहीं आते हैं । आप बार-बार सबकी आवाज़ को दबाने की कोशिश करते हैं ।

समय :
4:16 बजे

बहिर्गमन

<u>सदस्य की आपत्ति के विरोध में</u>

(श्री अजय चन्द्राकर, सदस्य द्वारा सदस्य की आपत्ति के विरोध में सदन से बहिर्गमन किया गया ।)

---

[7] [XX] अध्यक्षीय पीठ के आदेशानुसार रिकॉर्ड नहीं किया गया ।

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

शासकीय विधि विषयक कार्य (क्रमश:)

श्री मोहन मरकाम (कोंडागांव) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे कोई सदस्य कोई बात कहना चाहते हैं तो आपका संरक्षण चाहिए और 2-2 मिनट भी समय दे दें तो अच्छा रहेगा ।

अध्यक्ष महोदय :- चलिए आप भी बोल लीजिए । देवेन्द्र यादव के यहां तो पार्टी है, वे व्यस्त होंगे । कल पार्टी थी तो क्वेश्चन आवर में नहीं आए थे । इसलिए माननीय मंत्री जी, आप बोलें ।

कृषि मंत्री (श्री रविन्द्र चौबे) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, महात्मा गांधी उद्यानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय विधेयक 2019 प्रस्तुत करने के समय मैंने विश्वविद्यालय के परिचयात्मक और आवश्यकता के संबंध में कुछ बातें कहीं । बहुत अच्छे सुझाव अजय जी ने दिये थे । पता नही आखिरी अखिरी में क्या बातें हो गईं वे निकल गए । अध्यक्ष महोदय, थोड़ा सा नामकरण के बारे में चर्चा हुई थी । बापू की जयंती की 150वीं वर्षगांठ मना रहे हैं । छत्तीसगढ़ का सौभाग्य है कि एग्रीकल्चर और हार्टिकल्चर के सेक्टर में बड़ा संस्थान, इस विश्वविद्यालय को पारित करने का और प्रारंभ करने का सौभाग्य मिल रहा है । मैं ऐसा समझता हूं कि ऐसे अवसर में, इस अच्छे काम में बड़े विश्वविद्यालय की स्थापना हो रही है, छत्तीसगढ़ में लगभग 50 लाख से अधिक किसान परिवार सीधे खेती से जुड़े हुए परिवार हैं । इनको बापू के नाम पर करने में मैं समझता हूं कि सबने सहमति दी और सबने इसकी प्रशंसा की इसलिए इसके नामकरण में कोई बात नहीं । अध्यक्ष महोदय, किसी ने स्थान के बारे में चर्चा की । अब स्थान जहां हमने विश्वविद्यालय के लिए जमीन आवंटित की है । वह भी रायपुर ही है । पाटन का जो रास्ता है, वहां लगभग 12-14 किलोमीटर दूर तक सांकरा का स्थान चयन किया गया है । अमलेश्वर के आगे तक रायपुर शहर की टाउनशिप बस गई है । इसलिए सांकरा का स्थान चयन किया गया है । हम लोग इसलिए इसको कनेक्टिविटी से जोड़ने की जरूरत है । अभी आदरणीय अजय जी ने अपनी बातों में कहा कि विशेषज्ञता प्राप्त लोगों को, तो रायपुर राजधानी के करीब और राजधानी में ही इस विश्वविद्यालय की स्थापना होगी । हम लोग समझते हैं कि जिन बातों का जिक्र माननीय सदस्य कर रहे थे, उसकी पूर्ति होगी ।

आदरणीय अध्यक्ष जी, छत्तीसगढ़ की धरती के बारे में हम लोग हमेशा कहते हैं कि देश की सबसे ज्यादा उर्वरा धरती छत्तीसगढ़ की है । छत्तीसगढ़ महतारी के इस आंचल में, जैसा कि मैंने परिभाषित करने के पहले बताया कि जलवायु के तीन क्षेत्र और वहां जो उत्पादन हो रहा है । हिंदुस्तान में गंगा के कछार के बारे में कहा जाता है कि वहां गन्ना सबसे ज्यादा होता है । लेकिन हमारी धरती में हम लोग कहीं भी गन्ने का उत्पादन करेंगे तो हम लोग यह मानकर चलते हैं कि गंगा के कछार से भी बेहतर उत्पादन छत्तीसगढ़ की धरती में होता है । दलहन-तिलहन फसल के बारे में मालवा की चर्चा

Uncorrected and Unedited/Not for Publication

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

होती है, गुजरात की चर्चा होती है । लेकिन छत्तीसगढ़ की धरती में उन क्षेत्रों से भी ज्यादा व्यापक उत्पादन होता है। फलोद्यान के क्षेत्र में कितने केले का उत्पादन हो रहा है? कितना पपीता का उत्पादन हो रहा है? कितना टमाटर का उत्पादन हो रहा है? कितना इमली का उत्पादन हो रहा है? कितना मिर्ची का उत्पादन हो रहा है ? छत्तीसगढ़ की धरती में कितना वेजीटेबल का उत्पादन हो रहा है, हम लोग कह सकते हैं। अभी एक माननीय सदस्य जशपुर और अंबिकापुर के चाय का जिक्र कर रहे थे। सचमुच में छत्तीसगढ़ की चाय के बारे में अभी महाराज साहब बता रहे थे कि पूरे असम से जो उत्पादित चाय है, उससे भी ज्यादा कीमत छत्तीसगढ़ की चाय के बारे में है। अभी जैसे मैंने शुरूआत में कहा हमने जब इंटरनेशनल मीट किया था, बाहय सेलर मीट किया था, तो जो विदेशी लोग आये थे, उनको भी लगा कि यहां छत्तीसगढ़ में कितना उत्पादन हो सकता है और किस तरीके से उसे वहां ले जाकर के उसमें छत्तीसगढ़ के किसानों की मदद हो सकती है। सीताफल के बारे में आदरणीय धर्मजीत भैय्या कह रहे थे। सीताफल, काजू, केला, टमाटर, अदरक, जामुन, बेल, ये सब बाहर विक्रय करने का है, एम.ओ.यूज. हुए हैं। मेरे पास टोटल आंकड़े तो नहीं है, लेकिन सीताफल छत्तीसगढ़ से जाना शुरू हो गया है। यह काम करने की दिशा में हम लोग पहल कर रहे हैं। माननीय अध्यक्ष जी, इस विश्वविद्यालय के आने के बाद मैं एक छोटी सी बात कहना चाहता हूं। हम लोग एक दिन मंत्रालय में मीटिंग कर रहे थे और उसमें हमारे विभाग के अधिकारी थे। वर्ल्ड बैंक की टीम आयी थी। एग्रीकल्चर में चिराग का एक प्रोजेक्ट है । आदरणीय मुख्यमंत्री जी से मुलाकात हुई थी। अध्यक्ष जी, आप भी अमारी समझते हैं न, अध्यक्ष जी आप भी जानते हैं न, और सारे सदस्य इसे जानते हैं। वर्ल्ड बैंक की टीम में वह अधिकारी थाईलैण्ड की थी। वह अमारी पता नहीं इसका अंग्रेजी नाम क्या होता है, मैं नहीं जानता, उसे लेकर आई हुई थीं और उन्होंने पूछा कि क्या आप इसे पहचानते हो? तो मैंने कहा कि मैं अंग्रेजी नाम तो नहीं जानता, लेकिन जानता हूं कि छत्तीसगढ़ के हर घर में अमारी भाजी का सेवन होता है और हर घर में अमारी के फूल की चटनी खाते हैं। वह उस फूल को दिखा रही थी और बता रही थीं कि यूरोप में आजकल जो आइसक्रीम बनता है, उसमें केमिकल का कलर नहीं मिलाया जाता, अमारी का कलर मिलाया जाता है। अब बताइए, हम लोग जिसे कितना आम समझते हैं, उसे यूरोप के मार्केट में खरीदने के लिए लोग तैयार हैं। हमारा विश्वविद्यालय आयेगा। इन सभी पाठ्यक्रमों को देंगे। उत्पादन बढ़ायेंगे। एक्सपोर्ट कैसे किया जा सकता है? मार्केटिंग कैसे की जा सकती है? ये सारी बातें करेंगे। हमारे सभी माननीय सदस्यों ने अपनी-अपनी बातें कहीं। अजय भाई बहुत सारे सुझाव दे रहे थे।

श्री कवासी लखमा :- वे किधर भाग गये? अध्यक्ष जी, उनको ज्यादा बोले तो वे भाग गये।

अध्यक्ष महोदय :- मैं आपको एक और जानकारी दे दूं। आप खड़े होकर भी सुन सकते हैं। (श्री रविन्द्र चौबे की ओर इशारा करते हुए) यह अमारी का जो पाउडर है, उसमें बहुत ज्यादा ठंडक होती

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

है और इसे गर्मी के समय पीते हैं और कम से कम 40 साल से आशा पारेख के लिए बस्तर से अमारी का कूटा हुआ पाउडर जाता है। आशा पारेख के लिए।

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- लेकिन, अध्यक्ष जी, इसकी जानकारी आपको कब से है? (हंसी)

श्री कवासी लखमा :- यह गोपनीय बात है। किसी को पता नहीं चलनी चाहिए। अलग से मिलना हो तो बता दीजिएगा। (हंसी)

अध्यक्ष महोदय :- मुझे इसकी जानकारी लगभग 30 वर्षों से है। वे सब सूटिंग करने एक पिक्चर के सिलसिले में बस्तर आयी थीं, तब उन्हें अरविंद नेताम जी ने शरबत पिलाया था। तब से वह कन्टीन्यू जाता है।

श्री रविन्द्र चौबे :- अध्यक्ष जी, जैसे ही अगला बजट सत्र शुरू होगा, आपने जैसा कहा कि वह ठंडक होता है तो अजय जी आयेंगे तब सबसे पहले एक गिलास उसी की शरबत पिलाउंगा।

श्री कवासी लखमा :- उनको आते ही एक गिलास पिलाकर प्यास बुझायेंगे।

श्री रविन्द्र चौबे :- जो जानकारी आपने दी। मीटिंग में जो छोटी सी बात आयी, उसे मैंने आपके समक्ष बताया। छत्तीसगढ़ में ऐसे बहुत सारे उत्पाद हैं। अभी मुझे छत्तीसगढ़ में 36 प्रकार के भाजी की लिस्ट दी गई। हम लोग रोज खाते हैं। आप कहें तो पूरा नाम पढ़कर सुना दूंगा, लेकिन सारे लोग छत्तीसगढ़ की भाजी खाने वाले लोग हैं। यह सबको मालूम है।

श्री पुन्नूलाल मोहले :- नाम बता दे न।

श्री रविन्द्र चौबे :- काबर ते नहीं जानस।

श्री कवासी लखमा :- पुन्नूलाल को बता देना।

अध्यक्ष महोदय :- उसे पटल पर रख दीजिए। उसे सभी को बंटवा देंगे। (हंसी)

श्री बृहस्पत सिंह :- थोड़ा उल्लेख ही कर दीजिए। सब लोग चाह रहे हैं।

श्री रविन्द्र चौबे :- सब लोग चाहते हैं तो मैं उल्लेख कर ही देता हूँ। छत्तीसगढ़ में 36 भाजी, भाजी तो और बहुत ज्यादा है। भाजी का आशय यह है कि सबका मेडीसनल वेल्यु है। बरसात में कौन सी भाजी खाते हैं, गर्मी में कौन सी भाजी खाते हैं, जो गर्भवती माताएं होती हैं, उनको कौन सी भाजी मिलनी चाहिए ताकि उनका ठीक-ठाक पोषण हो। कांदा भाजी, खट्टा भाजी, अमारी भाजी, बोहार भाजी, करमत्ता भाजी, लाल भाजी, चेज भाजी, सफेद चेज भाजी, दार भाजी, मुनगा भाजी, बर्रा भाजी, तिवरा भाजी, चना भाजी, गुमी भाजी, बथुआ भाजी, कुमढ़ा भाजी, बरबट्टी भाजी, गोभी लाल भाजी, चौलाइ भाजी, मेथी भाजी, सरसो भाजी, कितना हुआ गिने ? (हंसी) मूली भाजी, पालक ? चुनचुनिया भाजी, जरी भाजी, खेड़हा भाजी, पोई भाजी, उड़दा भाजी, कुलपा भाजी, कोइलार भाजी, चरोटा भाजी, बथुना भाजी, कोड़इ भाजी, भेन्डा भाजी, कुंबी भाजी, तिनपनिया भाजी, हो गया, 36 भाजी। (मेजों की थपथपाहट) अध्यक्ष जी, कहने का आशय यह है कि छत्तीसगढ़ में सब कुछ उत्पादित होता है। हम लोग अब इस

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

दिशा में पहल कर रहे हैं। सब माननीय सदस्यों ने, धर्मजीत भैय्या ने अपने इलाके के गुड़ उत्पादन की बात कही। आदरणीय भाई केशव चन्द्रा जी ने हार्टिकल्चर के सब्सिडी किसानों को मिल रहा है, उसमें थोड़ा सुधार की बात कही। डॉ0 विनय जायसवाल ने फारेस्ट्री को उनके इलाके में कैसा डेवलप किया जा सके, उसके बारे में बात कही।

अध्यक्ष महोदय :- उन्होंने एक और बात कही माननीय मंत्री जी। उन्होंने कहा है कि कोरिया जिले में ट्यूलिप होता है, जो विदेशों पैदा होने वाला फूल बड़ी मात्रा में होने लगा है। ट्यूलिप के फूल को उत्पादित करे उसको विदेश भी भेजा जा सकता है, इतना अच्छा ट्यूलिप का फूल वहां होता है।

श्री धर्मजीत सिंह :- वही ट्यूलिप भाई, सिलसिला पिक्चर में अमिताभा बच्चन और रेखा गाये थे न ट्यूलिप के बीच, वही। (हंसी) अध्यक्ष जी, ट्यूलिप वही है।

अध्यक्ष महोदय :- हां वही ट्यूलिप।

श्री धर्मजीत सिंह :- सिलसिला पिक्चर में अमिताभ और रेखा हाथ पकड़कर ट्यूलिप के बीच से गाना गाते हुए गये थे। वह वहां वही ट्यूलिप मांग रहे हैं। अब आपको बुरा नहीं लगना चाहिए भाई। हंसी मजाक करना पड़ता है। अध्यक्ष जी, मैं सिर्फ गुड़ की बात नहीं किया हूं, गुरूदेव कालेज की भी बात किया हूं। उसको भी थोड़ा सा पढ़ लेंगे।

श्री पुन्नू लाल मोहले :- बोहार भाजी भी होथे।

श्री रविन्द्र चौबे :- बोहार भाजी तो पढ़े हव ममा।

श्रीमती अम्बिका सिंहदेव :- माननीय अध्यक्ष महोदय, कोरिया में जो ट्यूलिप्स हो रहे हैं, वे कश्मीर के ट्यूलिप के स्टैण्डर्ड से बेटर हैं।

अध्यक्ष महोदय :- जी, जी।

श्रीमती अम्बिका सिंहदेव :- तो उसके एक्सपोर्ट का इस्कोप ज्यादा होगा।

अध्यक्ष महोदय :- जब मैं राज्य मंत्री था, तो कोरिया जिले को फूलों के लिए सुरक्षित रखने के लिए कहा था। वह जल्दी निकल गया इसलिए हो नहीं पाया। मगर मैं सरगुजा में आलू का केन्द्र जरूर बना दिया हूँ।

श्री रविन्द्र चौबे :- अध्यक्ष जी, आपने बाम्बे फिल्म इण्डस्ट्री का नाम ले दिया। इधर आपने भी अमिताभ बच्चन और रेखा की बात कह दिया। छत्तीसगढ़ की धरती में ये सारे उत्पाद हैं। अमिताभ बच्चन 75 और 80 साल के उम्र में आप जो नवजवान देख रहे हो न, वह सब छत्तीसगढ़ की धरती के प्लाट्स हैं न, उसी के कारण है।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- सिर्फ अमिताभ को, रेखा को नहीं ? (हंसी)

अध्यक्ष महोदय :- आपको जो सफेद मुसली है, वह विदेशों में ज्यादा जा रहा है, आपको पता है न ?

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

श्री रविन्द्र चौबे :- सभी माननीय सदस्य अपने-अपने अनुभव भी बता रहे हैं। अध्यक्ष जी, मैं आसंदी को नहीं कह रहा हूं। (हंसी)

श्री पुन्नू लाल मोहले :- ये सफेद मुसली का होथे भांचा।

श्री रविन्द्र चौबे :- मैं समझ गव ममा, सफेद मुसली के नाम आही तो खड़ेच होबे कइके। (हंसी) अध्यक्ष जी, छत्तीसगढ़ के जितने पौधे हैं, बस्तर, सरगुजा। मैंने कहा न कि इसका मेडिसनल वेल्यु कितना ज्यादा है। अभी डॉ0 बांधी साहब कह रहे थे कि महुंवा फूल ..।

डॉ0 कृष्णमूर्ति बांधी :- महुंवा गुल्ली।

श्री रविन्द्र चौबे :- हां, मैं समझ गया।

श्री बृहस्पत सिंह :- सरगुजा में उसको डोरी का तेल बोलते हैं। हम लोग खाते भी हैं और लगाते भी हैं।

श्री रविन्द्र चौबे :- टोरा।

श्री धर्मजीत सिंह :- डॉ0 बांधी को, आप लोग डाक्टर बांधी बस मत समझो। उनका फार्म हाऊस है। सर, बहुत अच्छा खेती करते हैं। ऐसा कोई हंसी-मजाक में नहीं बोल रहे हैं।

श्री रविन्द्र चौबे :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं तो केवल डा. बांधी नहीं, जितने लोगों ने मुझे सुझाव दिया, मैं सबको विशेषज्ञ मानता हूं और डा. बांधी तो वैसे भी विशेषज्ञ हैं । उन्होंने सुझाव दिया, उसके बाद माननीय नेता प्रतिपक्ष जी ने अपनी बातें कहीं । यहां फ्लोरीकल्चर, सेरीकल्चर के बारे में आपने कुछ अच्छी बातें कही हैं । आने वाले समय में इसका भी सब कोर्स रहेगा, आने वाले समय में पढ़ाई होगी, उसका विस्तार होगा । राजमन वेंजाम जी नये सदस्य हैं, उन्होंने बहुत अच्छे सुझाव दिए । आदरणीय बृहस्पत भैया ने बलरामपुर जिले के हार्टीकल्चर कॉलेज की बात कही, केशव चन्द्रा जी ने भी एक कालेज की बात कही । सब लोगों ने बात कही ।

डॉ. कृष्णमूर्ति बांधी :- मैंने टेक्नालॉजी विलेज के लिए कहा ।

श्री रविन्द्र चौबे :- मैंने कहा । आने वाले समय में जब हार्टीकल्चर यूनिवर्सिटी बन जाएगी तो हार्टीकल्चर के कौन-कौन कॉलेज उसमें होंगे, धर्मजीत भैया, आपने तो केवल कहा ही नहीं, बल्कि आपने 140 एकड़ जमीन ग्राम बटहा में सदन में आपने कहा और माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्पष्ट रूप से निर्देश दिया तो जब माननीय मुख्यमंत्री का निर्देश हो चुका है तो आने वाले बजट में आपके बटहा के कृषि महाविद्यालय को शामिल किया जाएगा । माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश के बाद हुआ है ।

श्री धर्मजीत सिंह :- बहुत-बहुत धन्यवाद ।

श्री रविन्द्र चौबे :- उसमें कोई बात नहीं थी, लेकिन और हार्टीकल्चर के संदर्भ में कुल मिलाकर कहने का आशय यह है । अजय भाई का इतना जिक्र किया, सब खतम होते ही आप आ गए । अध्यक्ष

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

जी, अब यह विधेयक प्रस्तुत हुआ । इसमें 58 खण्ड हैं, कुलाधिपति, कुलपति ।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी, शायद इसमें एक त्रुटि रह गई है कि विधान सभा की तरफ से विधायक सभी विश्वविद्यालयों के सदस्य होते हैं। इस विधेयक में यह प्रावधान नहीं है कि विधान सभा की ओर से विधायक विश्वविद्यालय के बोर्ड में होंगे, मुझे लगता है कि वह विधायक करना पड़ेगा।

श्री रविन्द्र चौबे :- निश्चित होंगे ।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- नहीं है ।

श्री रविन्द्र चौबे :- मैं देख लेता हूं ।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- सभी विश्वविद्यालयों के बोर्ड में है, पर इस विश्वविद्यालय में नहीं है ।

श्री रविन्द्र चौबे :- मैंने कहा, मैंने स्वीकार किया । माननीय अध्यक्ष जी, कुल मिलाकर कहने का आशय यह है कि छत्तीसगढ़ में एग्रीकल्चर बेस्ड डेव्हपलमेंट, एग्रीकल्चर बेस इकानॉमी, एग्रीकल्चर बेस, हार्टीकल्चर बेस, यहां एम्प्लायमेंट और एग्रीकल्चर बेस इंडस्ट्री इन सारी चीजों को अगर हमको करना है तो इस दिशा में हमें आगे बढ़ना होगा और माननीय मुख्यमंत्री जी यहां तत्काल चाहते हैं कि छत्तीसगढ़ में हार्टीकल्चर का, फारेस्टी का एक अच्छा विश्वविद्यालय स्थापित हो । उसके लिए सदन में यह विधेयक मैंने प्रस्तुत किया है । मैं आप सबसे चाहूंगा कि इस विधेयक को सर्वानुमति से पारित करें, ताकि आने वाले समय में इस दिशा में हम लोग पहल कर सके । (मेजों की थपथपाहट)

अध्यक्ष महोदय :- प्रश्न यह है कि महात्मा गांधी उद्यानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय विधेयक, 2019 (क्रमांक 25 सन् 2019) पर विचार किया जाए ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

अध्यक्ष महोदय :- अब विधेयक के खण्डों पर विचार होगा ।

अध्यक्ष महोदय :- प्रश्न यह है कि खण्ड 2 से 58 इस विधेयक का अंग बने ।

खण्ड 2 इस विधेयक का अंग बने ।

अध्यक्ष महोदय :- प्रश्न यह है कि खण्ड 1 इस विधेयक का अंग बने।

खण्ड 1 इस विधेयक का अंग बना ।

अध्यक्ष महोदय :- प्रश्न यह है कि पूर्ण नाम तथा अधिनियमन सूत्र इस विधेयक का अंग बने ।

पूर्ण नाम तथा अधिनियमन सूत्र इस विधेयक का अंग बने ।

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

कृषि मंत्री (श्री रविन्द्र चौबे) :- अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि महात्मा गांधी उद्यानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय विधेयक, 2019 (क्रमांक 25 सन् 2019) पारित किया जाये ।

अध्यक्ष महोदय :- प्रश्न यह है कि महात्मा गांधी उद्यानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय विधेयक, 2019 (क्रमांक 25 सन् 2019) पारित किया जाये ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

विधेयक सर्वसम्मति से पारित हुआ ।

समय :
4:35 बजे

नियम-167 (1) के अंतर्गत अग्राह विशेषाधिकार भंग की सूचनाओं की सदन को सूचना

अध्यक्ष महोदय :-

1. माननीय सदस्य श्री अजय चन्द्राकर द्वारा माननीय श्री अमरजीत भगत, संस्कृति मंत्री छत्तीसगढ़ शासन के विरूद्ध प्रस्तुत विशेषाधिकार हनन की सूचना दिनांक 25 नवम्बर 2019 को विचारोपरान्त अपने कक्ष में अग्राह्य कर दिया है ।
2. माननीय सदस्य, श्री अजय चन्द्राकर द्वारा माननीय श्री भूपेश बघेल, मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ शासन के विरूद्ध प्रस्तुत विशेषाधिकार हनन की सूचना दिनांक 25 नवम्बर, 2019 को विचारोपरान्त मैंने अपने कक्ष में अग्राह्य कर दिया है ।
3. माननीय सदस्य श्री शिवरतन शर्मा द्वारा माननीय श्री भूपेश बघेल, मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ शासन के विरूद्ध प्रस्तुत विशेषाधिकार हनन की दिनांक 27 नवम्बर को विचारोपरान्त मैंने अपने कक्ष में अग्राह्य कर दिया है ।

समय :
4:36 बजे

नियम-239 के अर्न्तगत सदन को सूचना

अध्यक्ष महोदय :-

1. माननीय सदस्य श्री धर्मजीत सिंह जी द्वारा प्रस्तुत विशेषाधिकार हनन की सूचना दिनांक 28 नवम्बर 2019,
2. माननीय सदस्यों सर्वश्री अजय चन्द्राकर, डॉ.रमन सिंह, श्री शिवरतन शर्मा द्वारा प्रस्तुत विशेषाधिकार भंग की सूचना दिनांक 2 दिसम्बर, 2019
3. माननीय सदस्य श्री शिवरतन शर्मा द्वारा प्रस्तुत विशेषाधिकार भंग की सूचना, दिनांक 2 दिसम्बर, 2019

यह मेरे समक्ष विचाराधीन है ।

श्री मिश्रा

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

समय :
4:37 बजे

सत्र समापन

अध्यक्ष महोदय :- पंचम विधान सभा का चतुर्थ सत्र 25 नवम्बर 2019 से 6 दिसम्बर 2019 के मध्य आहूत था । इस शीतकालीन सत्र अवधि में राज्य में स्थानीय निकाय के निर्वाचन की घोषणा पश्चात् उत्पन्न परिस्थिति को दृष्टिगत रखते हुये सत्र की अवधि में सर्वसहमति से संशोधन का निर्णय लिया गया है और आज इस शीतकालीन सत्र का अंतिम दिवस है । इस सत्र के समापन अवसर पर मैं सर्वप्रथम सदन के नेता माननीय भूपेश बघेल जी, माननीय नेता प्रतिपक्ष श्री कौशिक जी, जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ के नेता श्री धर्मजीत सिंह जी एवं बहुजन पार्टी के नेता श्री केशव चन्द्रा जी एवं समस्त माननीय सदस्यों के प्रति इससत्र के सुव्यवस्थित संचालन में सहभागिता और सहयोग के लिए मैं हृदय से धन्यवाद देता हूँ ।

इस शीतकालीन सत्र में राज्य के विकास से जुड़े हुये प्रत्येक महत्वपूर्ण विषयों पर आप सभी ने व्यापक, विस्तृत और परिणाम मूलक चर्चा की है । आप सभी ने ज्वलंत विषयों पर इस सत्र में पर्याप्त चर्चा को मूर्त रूप दिया है । इसके लिए मैं आप सबको हृदय से धन्यवाद देता हूँ ।

इस सत्र की उल्लेखनीय उपलब्धि यह भी है कि आप माननीय सदस्यों ने 26 नवम्बर को संविधान दिवस के अवसर पर संविधान पर केन्द्रित अपने विचारों को सदन में रखा, यह निश्चित ही इस परस्पर चर्चा से संविधान के विषय में हमारी जानकारी पहले से अधिक समृद्ध हुई है ।

इस शीतकालीन सत्र की अवधि में दिनांक 28 नवम्बर 2019 को छत्तीसगढ़ी राजभाषा दिवस के अवसर पर सभी माननीय सदस्यगणों ने सदन की कार्यवाही को छत्तीसगढ़ी में चलाने में सहयोग दिया, इसके लिए मैं आप सबके प्रति हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ ।

मुझे इस बात की हार्दिक प्रसन्नता है कि राजनैतिक प्रतिबद्धताओं के चलते प्रतिक्रियाओं में भले ही पक्ष-प्रतिपक्ष के आप माननीयसदस्यों के मत में भले ही विभिन्नता हो परंतु आप सभी की भावना छत्तीसगढ़ राज्य के विकास को समर्पित है । मेरा यह भी विश्वास है कि आप सभी अपनी राजनैतिक इच्छाओं और महत्वाकांक्षाओं से लोकहित और लोककल्याण को ज्यादा महत्व दिया है । आपकी इस भावना के लिए मैं आप सभी के प्रति हृदय से धन्यवाद देता हूँ ।

पंचम विधान सभा के इस सत्र में महत्वपूर्ण विधेयको के पारण के साथ वित्तीय अनुपूरक बजट का महत्वपूर्ण कार्य संपादित हुआ ।

इस सत्र में उपाध्यक्ष के पद हेतु निर्वाचन हुआ जिसमें मान.सदस्य श्री मनोज मंडावी उपाध्यक्ष के पद पर निर्वाचित हुए हैं । मैं उन्हें मेरी ओर से एवं इस सदन की ओर से बधाई देता हूँ एवं आशा करता हूँ कि उनका सदन के सुचारू संचालन में सहयोग प्राप्त होगा ।

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

अब मैं आपको इस शीतकालीन सत्र में सम्पादित हुए संसदीय कार्यों का संक्षेप में सांख्यिकी आंकड़ो से अवगत कराना चाहूंगा । इस सत्र की कुल 6 बैठकों में लगभब 30 घंटे चर्चा हुई है। इस सत्र में तारांकित प्रश्नों की 788 एवं अतारांकित प्रश्नों की 684 इस प्रकार कुल 1472 प्रश्नों की सूचनाएं प्राप्त हुईं जिसमें से 40 प्रश्नों पर सभा में अनुपूरक प्रश्न पूछे गये। ध्यानाकर्षण की कुल 260 सूचनाएं प्राप्त हुई, जिनमें से 74 सूचनाएं ग्राह्य हुईं और 61 सूचनाएं शून्यकाल सूचना में परिवर्तित की गई। स्थगन की कुल 63 सूचनाएं प्राप्त हुई, जिसमें से एक विषय से संबंधित 16 सूचनाओं को ग्राह्य कर चर्चा कराई गई एवं एक विषय से संबंधित 14 सूचाओं को सदन में पढ़ने एवं शासन का वक्तव्य सुनने के पश्चात् अग्राह्य किया गया। शून्यकाल की 85 सूचनाएं प्राप्त हुईं जिसमें से 70 सूचनाएं ग्राह्य और 15 सूचनाएं अग्राह्य रही। माननीय सदस्यों द्वारा 96 याचिकायें प्रस्तुत की गई, जिनमें से 24 ग्राह्य रही। इस सत्र में विनियोग विधेयक सहित 8 विधेयकों की सूचनाएं प्राप्त हुईं और सभी चर्चा उपरांत पारित हुए।

वित्तीय कार्यों के अंतर्गत द्वितीय अनुपूरक अनुमान पर लगभग 2 घंटे 50 मिनट की चर्चा हुई। सत्रकाल में माननीय सदस्यों ने पुस्तकालय, संदर्भ एवं अनुसंधान सेवा का भी अपने संसदीय दायित्वों के निर्वहन में उपयोग किया तथा सभा के कार्य के संबंध में माननीय सदस्यों को पुस्तकालय से विभिन्न विषयों पर 65 साहित्य एवं संदर्भ सामग्री भी उपलब्ध कराई गई। प्रदेश की सर्वोच्च प्रजातांत्रिक संस्था छत्तीसगढ़ विधान सभा के कार्यकरण से सीधे तौर पर आम जनता को अवगत कराने के उद्देश्य से सदन की कार्यवाही के अवलोकन हेतु आम नागरिकों को अवसर देती है। इस तारतम्य में विभिन्न शासकीय/अशासकीय संस्थाओं, जनप्रतिनिधि संस्थाओं के लगभग 4870 लोगों ने एवं 1430 छात्र-छात्राओं ने इस सत्र में सदन की कार्यवाही का प्रत्यक्ष अवलोकन किया तथा 21400 लोगों ने विधान सभा की वेबसाईट का अवलोकन किया। मैं इस अवसर पर उपाध्यक्ष सहित सभापति तालिका के माननीय सदस्यों के प्रति भी धन्यवाद ज्ञापित करता हूं, जिन्होंने सभा की कार्यवाही के संचालन में मुझे सहयोग दिया। मैं सम्माननीय पत्रकार साथियों तथा प्रिंट एवं इलेक्ट्रानिक मीडिया के प्रति भी आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने सदन की कार्यवाही को बड़ी गंभीरता से प्रचार माध्यमों में प्रमुखता से स्थान देकर प्रदेश की जनता को सभा में संपादित कार्यवाही से अवगत कराया।

इस शीतकालीन सत्र समापन के अवसर पर राज्य शासन के नवनियुक्त मुख्य सचिव सहित समस्त अधिकारियों एवं कर्मचारियों को भी बधाई देता हूं। सुरक्षा व्यवस्था में संलग्न अधिकारियों एवं कर्मचारियों को भी बधाई देता हूं जिन्होंने सुदृढ़ सुरक्षा व्यवस्था इस शीत सत्र के दौरान कायम रखी। मैं विधान सभा के प्रमुख सचिव सहित सचिवालय के समस्त अधिकारियों एवं कर्मचारियों की भी प्रशंसा करता हूं, जिन्होंने अपने दायित्वों का निर्वहन पूर्ण कुशलता एवं निष्ठा के साथ किया।

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

सत्र समापन के अवसर पर आगामी सत्र की तिथियों की घोषणा की परंपरा रही है तत्संबंध में यह अनुमान है कि पंचम विधानसभा का बजट सत्र फरवरी माह के अंतिम सप्ताह में आहूत होने की संभावना है। मैं आने वाले नये वर्ष की आप सभी को शुभकामनाएं देता हूं और आप सभी से यह सादर आह्वान करता हूं कि आईये हम सब मिलकर अपने छत्तीसगढ़ राज्य को समग्र उन्नति के शीर्ष पर पहुंचाने का पुनीत संकल्प लें।

धन्यवाद। जय हिन्द, जय छत्तीसगढ़।

मुख्यमंत्री (श्री भूपेश बघेल) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, यह सत्र ने बहुत से मामले में अनेक रिकार्ड बनाये हैं और इसके लिए पूरा सदन आपको धन्यवाद ज्ञापित करता है। अध्यक्ष महोदय, आपने आसंदी से बहुत ही बढ़िया ढंग से संचालित किया और यह हम सबका सौभाग्य है कि संविधान दिवस पर बहुत सार्थक चर्चा हुई। साथ ही अनेक विधेयक भी विभिन्न विभागों से आये और अंत में दो महत्वपूर्ण विश्वविद्यालय विधेयक भी पारित हुए, जिसमें महात्मा गांधी जी के नाम से और नंद कुमार पटेल जी के नाम से विश्वविद्यालय हैं। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सभी सदस्यों को मैं धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने क्षेत्र के, प्रदेश के, किसानों के, मजदूरों के, अनेक विषयों को, चाहे वे प्रश्न के माध्यम से हो, चाहे ध्यानाकर्षण या स्थगन के माध्यम से हो या शून्यकाल या याचिका के माध्यम से यहां शासन का ध्यान अवगत कराने की कोशिश की और बहुत ही सफल प्रयास रहा है। छत्तीसगढ़ विधानसभा की गौरवशाली परंपरा रही है। यहां देश के विभिन्न विधानसभाओं में अभी भी जहां गिलोटिन से बजट पारित हो जाते हैं, लेकिन हमारे यहां सभी चर्चाएं होती है, सभी विषयों में चर्चा होती है। हमारी जो परंपरा है, उसका निर्वहन छत्तीसगढ़ विधानसभा निरंतर कर ही नहीं रहा है बल्कि ऊचाईयों को भी छू रही है जिसमें आसंदी का विशेष मार्गदर्शन रहता है और सभी सदस्यों की बहुत अहम भूमिका होती है। सभी सदस्यों को मैं बधाई देता हूं। हमारे मंत्रियों को भी मैं बधाई देना चाहता हूं, उन्होंने यथा योग्य उत्तर देने की कोशिश की और माननीय सदस्यों को संतुष्ट करने का प्रयास किया है। इसमें एक स्थगन को भी ग्राह्य किया है, एक स्थगन को ध्यानाकर्षण में कन्वर्ट किया है और माननीय सदस्यों को पूरा समय भी दिया। सभी सदस्यों को सवाल पूछने का अवसर भी मिला। अध्यक्ष महोदय, ये कुछ परंपरा रही है, जिसका हम सब पालन कर रहे हैं। मैं सभी माननीय सदस्यों को बधाई देता हूं, मंत्रियों को भी बधाई देता हूं। साथ ही विधानसभा सचिवालय जो दिन रात मेहनत करके संचालन में बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। यदि सचिवालय ठीक से काम न करे तो विधानसभा संचालन करना कठिन होगा तो सचिवालय के गंगराड़े जी सहित उनके सभी सहयोगियों को मैं बधाई देता हूं। साथ ही जितनी भी चर्चाएं होती है, उसको जनता तक पहुंचाने का काम हमारे पत्रकार साथी करते हैं। अभी तो खैर देर रात तक जांगने का अवसर नहीं आया है लेकिन बजट सत्र में जरूर देर रात तक सब जांगते भी हैं और रिपोर्टिंग करते हैं। पूरे प्रदेश और देश में खबरें पहुंचाने का काम करते हैं तो सभी पत्रकार साथियों को भी मैं

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

धन्यवाद और बधाई देता हूं। साथ ही हमारे जो मार्शल हैं, वे भी लगातार संचालन में उनका योगदान रहता है, उनको भी धन्यवाद देते हुए, सभी अधिकारियों को भी जो समय रहते प्रश्नों का उत्तर जमा करना, ध्यानाकर्षण का उत्तर जमा करना, स्थगन की तैयारी करना, विधेयकों की तैयारी करना, मंत्रालय के सभी अधिकारी और कर्मचारी, विधानसभा की अधिसूचना जारी होते ही, सक्रिय हो जाते हैं और महत्वपूर्ण भूमिका निर्वहन करते हैं, मैं उनको भी धन्यवाद देता हूं। आपने बजट सत्र का संकेत दिया ही है कि फरवरी के चतुर्थ सप्ताह में इसकी शुरूआत होगी। लेकिन इस बीच में नगरीय निकाय के चुनाव डिक्लीयर हो गये हैं, पंचायत चुनाव की संभावना भी बहुत जल्दी है। उसकी भी तिथि जैसे-जैसे उसी में डिक्लीयर हो सकते हैं तो जब हम लोग विधानसभा में आयेंगे तब तक के नगरीय निकाय चुनाव और पंचायत चुनाव संपन्न हो चुके होंगे। मैं पुन: आपको और आपके माध्यम से पूरे सदन को और पूरे प्रदेश के लोगों को धन्यवाद देते हूं। अध्यक्ष महोदय, बहुत-बहुत धन्यवाद, बधाई।

नेता प्रतिपक्ष (श्री धरमलाल कौशिक) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, यह हमारा सत्र छोटा सत्र है लेकिन महत्वपूर्ण सत्र है। काम की दृष्टि से देखेंगे तो मुझे लगता है कि जितना समय है, उसका एक-एक मिनट का उपयोग किया गया है। एक भी दिन ऐसा नहीं रहा कि इस सत्र में हम लोग समय खोये हैं। आपके कुशल कार्यसंचालन में 6 दिवस का हमारा सत्र और इस सत्र में महत्वपूर्ण, चाहे पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, सबकी जो जवाबदारी सन्निहित है, इस प्रदेश की जनता के ऊपर है। उनके कल्याण के लिये और साथ ही, समय-समय पर बहुत सारी ऐसी समस्याएं हैं जिनको सरकार के ध्यान में आकर्षित करना, जिनके माध्यम से उसका समाधान, निराकरण हो सके। छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा लोकतंत्र का मंदिर विधान सभा है और जहां अपनी बातों में जनता के हितों को सर्वोपरि रखकर, उन तक पहुँचाना। इसके लिए मैं कुशल संचालन और जिस प्रकार से प्रतिपक्ष को एक समुचित अवसर मिला कि वे अपनी बातों को रख सकें। इसके लिए आपने जो हम सब के ऊपर में ध्यान रखकर, जो समय दिया, सबको पर्याप्त अवसर दिया, उसके लिए सबसे पहले आपको धन्यवाद देता हूँ साथ ही सदन के नेता मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद् देता हूँ कि इस सत्र में सभी सदस्यों की भावनाओं से अवगत होते हुए, इस प्रदेश को हम किस दिशा में ले जाना चाहते हैं? और दिशा में जाकर उनके हितों को सुनिश्चित कर सकें, सुरक्षित रख सकें। इस अवसर पर हम प्रश्नों, ध्यानाकर्षण, स्थगन के माध्यम से और उसके साथ ही साथ में जो प्रदेश की जनहित की समस्याएं हैं, उनका निराकरण हो सके, इसके लिए हम लोगों ने प्रयास किया है। उनके हितों में अनुरूप जो कर सकते हैं, हम लोगों ने प्रयास किया है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, इस अवसर पर मैं उपाध्यक्ष जी, जो आज आसंदी पर विराजमान हुए हैं, इस कार्यसंचालन में आपके सहयोगी के रूप में उनकी जो भूमिका है, निश्चित रूप से इस प्रदेश के हमारे इस विधान सभा के गौरवशाली जो परम्परा है, उसको आगे बढ़ाने में आपका सहयोग करेंगे। मैं इसके लिए उनको बधाई देता हूँ साथ ही सभापति तालिका में जो सदस्य यहां पर बैठकर कार्यसंचालन में

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

जो सहयोग किये हैं और हम सब को जो संरक्षण दिया है, उसके लिए भी मैं उनको धन्यवाद् ज्ञापित करता हूँ विशेष रूप से सत्तू भईया का सरंक्षण हम सब को प्राप्त होते रहता है।

मानानीय अध्यक्ष महोदय, आज इस अवसर पर महत्वपूर्ण विषय एक अनुपूरक के रूप में जो वित्तीय अनुमान पारित किया गया, उसके साथ ही साथ में जो विधेयक पारित किया गया और आज दो विश्वविद्यालय का एक संशोधन और एक मूल विधेयक जो पारित हुआ है, निश्चित रूप से सभी लोगों ने उसमें अपनी भागीदारी सुनिश्चित की, उन विषयों में अपनी रूचि रखी और रखकर, उसमें जो सुझाव दे सकते हैं, वह सुझाव देने के बाद में उसको पारित किया है। जितने दिवस की हमारी विधान सभा की अवधि नहीं है, इस छोटे से सत्र में उससे ज्यादा विधेयक हम पारित किये हैं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं इसमें मुख्य रूप से सत्ता दल के सभी मंत्रियों, विधायकों और हमारे यहां के सभी विधायक और साथ ही जनता कांग्रेस पार्टी से नेता के रूप में धर्मजीत सिंह जी और साथ ही ब.स.पा. से माननीय केशव चन्द्रा जी को इस अवसर पर धन्यवाद् देना चाहता हूँ। कभी हम साथ में चलकर और कभी अलग होकर, जो जनता के हित में आवाज उठा सकते हैं, हम सब लोगों ने प्रयास किया है। आज के इस अवसर पर मैं हमारे राज्य शासन के अधिकारी को, जो समय-समय पर हमने प्रश्न लगाया, उसके उत्तर के लिए सरकार को सहयोग किये। यहां हमारे सचिवालय, विधान सभा की महत्वपूर्ण भूमिका, हमारे प्रमुख सचिव महोदय, साथ ही हमारे पूरे सचिवालय का जो सहयोग रहा। यदि हमारा सचिवालय सहयोग न करे तो विधान सभा न चला सके और साथ ही साथ ही में हमारे बहुत सारे सदस्यों को प्रश्न से लेकर उनके बहुत सारे मार्गदर्शन का है और उनकी जो जानकारियां चाहिए, जहां पर जो पूछने की आवश्यकता है, वह जानकारी प्रदान किये हैं और एक महत्वपूर्ण भूमिका हमारे सचिवालय की रही है और साथ ही हमारी सुरक्षा व्यवस्था में लगे हुए अधिकारियों को, आपने बताया कि अल्प समय में इस विधान सभा की कार्यवाही को देखने के लिए 4000 से ऊपर लोग आये और सुचारू रूप से यहां पर शांति, सुरक्षा व्यवस्था को उन्होंने कायम रखा, मैं उसके लिए सुरक्षा व्यवस्था के अधिकारियों को भी धन्यवाद देता हूँ ।

माननीय अध्यक्ष महोदय, वास्तविक में इस परिसर में जो हम बात करते हैं, लेकिन पूरे छत्तीसगढ़ और छत्तीसगढ़ के बाहर में उन आवाज को पहुंचाने का काम कोई करने वाले हैं तो हमारे पत्रकार साथी हैं हमारे मीडिया के साथी हैं चाहे वह इलेक्ट्रॉनिक, प्रिंट मीडिया के हों, उनके माध्यम से हम लोगों तक पहुंचते हैं और यहां की कार्यवाही का जो महत्व है, उसकी जो विशेषता है, इन सारी बातों को ले करके लोगों तक पहुंचाने का जो काम करते हैं, वह निश्चित रूप से बड़ा कार्य हैं। मैं हमारे पत्रकार साथियों को भी इसके लिए धन्यवाद देना चाहता हूं। यहां की आवाज जनता की आवाज बने, यह महत्वपूर्ण भूमिका आप अदा करते हैं।

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने संविधान दिवस पर संविधान के बारे में एक दिन चर्चा कराई। संविधान के बारे में कम लोगों को जानकारियॉ होती हैं लेकिन उसको पहली बार एक दिवस के रूप में इस विधानसभा में मनाया गया, इसके लिए मैं आपको विशेष रूप से धन्यवाद देता हूं। जिसके माध्यम से एक तो हम सबको संविधान के ऊपर बोलने का अवसर मिला, उसको पढ़ने का अवसर प्राप्त हुआ और एक-दूसरे के अनुभव का भी लाभ हम सब लोगों को मिला है। उसी प्रकार से इस विधानसभा में आपने एक दिन को छत्तीसगढ़ राजभाषा दिवस के रूप में इंगित किया कि आज की कार्यवाही छत्तीसगढ़ी में होगी। हमारे सभी सदस्यों ने अधिकतम छत्तीसगढ़ी में अपनी बात को रखने का प्रयास किया। मैं समझता हूं कि वह हमारी सार्थकता है। मैं आज के इस अवसर पर मैं पुनः एक बार धन्यवाद देते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूं।

श्री धर्मजीत सिंह (लोरमी) :- आदरणीय अध्यक्ष महोदय, आपके कुशल नेतृत्व, मार्गदर्शन में और सुदीर्घ अनुभव के आधार पर छत्तीसगढ़ की विधानसभा में बहुत ही संसदीय परंपराओं के अंतर्गत यहां के विधि विधायी कार्यों का संचालन हुआ है। माननीय अध्यक्ष जी, आपने यहां छत्तीसगढ़ी राजभाषा में पहली बार बोलने का अवसर दिया और जो सदस्य कभी हिन्दी की तरफ आते थे तो आपने उनको छत्तीसगढ़ी में ही बोलने के लिए प्रेरित भी किया और विवश भी किया। फलस्वरूप यहां पर अधिकांश छत्तीसगढ़ी भाषा में दिन भर की कार्यवाही का संचालन हुआ। यह हमारी मातृभूमि के लिए हमारे प्रेम का एक प्रदर्शन आपके माध्यम से देने और अपनी भाषा को पूरे देश में मजबूती से स्थापित करने का संदेश देने का काम भी आपके मार्गदर्शन में हुआ है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, अशासकीय संकल्प बहुत से आते रहे हैं। पहले भी जब हम लोग विधायक थे, तब आते रहे हैं। अभी भी आपके समय में शायद पहली बार अशासकीय संकल्प आया है। लेकिन आपकी सृजनशीलता, चयनशीलता की ओर हमारा ध्यान गया। बहुत से सदस्य अपना-अपना अशासकीय संकल्प लगाते हैं और सभी के अशासकीय संकल्प उनके क्षेत्र या उनसे संबंधित मुद्दों के लिए बहुत जरूरी हैं और जनहितकारी होते हैं, लेकिन सबको ले पाना अध्यक्ष के लिए मुमकिन नहीं होता। लेकिन मैंने देखा आपने शुक्रवार के दिन जो दो-तीन मुद्दे छांटे, उसमें एक तो आपने बिलासपुर की हवाई सेवा का मुद्दा छांटा, दूसरा चिरमिरी जैसा बहुत ही देश को मजबूती देने वाला कोयला खदान वाला क्षेत्र जिसने अपने पूरे शरीर को खोखला किया लेकिन उसे न्याय नहीं मिल पाया, उसको आपने छांटा। लोक संस्कृति जो हमारे छत्तीसगढ़ की पहचान है, उस पर भी आपने चर्चा कराई। छत्तीसगढ़ की मूलभूत आवश्यकताओं को ज्वलंत चर्चा के लिए चुनने का आपका जो माद्दा है, उसका ये प्रदर्शन है।

अध्यक्ष महोदय, मैं ये कह सकता हूं कि जब आपने उन विषयों को चुना तो सरकार ने, सरकार के मुखिया श्री भूपेश बघेल जी ने उसे बहुत ही गंभीरता से लिया और इस पूरे सदन में बड़ी व्यापक चर्चा हुई। मैं बिलासपुर के हवाई सेवा के मसले का ही उदाहरण देना चाहता हूं कि उस पर इतनी विस्तृत चर्चा

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

हुई। पक्ष, विपक्ष, सरकार, विरोधी दल, सभी लोगों ने सर्वसम्मति से उसे पास किया। माननीय अध्यक्ष जी, यहां तक तो ठीक है। ये संसदीय इतिहास में पहली बार हुआ है कि किसी अशासकीय संकल्प में सदन के नेता माननीय मुख्यमंत्री ने खड़े हो कर 27 करोड़ रुपये की घोषणा की हो। ये इस बात का प्रतीक है कि कभी-कभी ऐसे प्रस्ताव जिन पर विधानसभा से बोलने की अनुमति मिलती है, उसमें भी हमें सरकार से मदद मिल सकती है और उस समस्या का निराकरण हो सकता है। उसके लिए मैं आपको, नेता प्रतिपक्ष जी को और सबसे ज्यादा माननीय मुख्यमंत्री जी को बधाई देना चाहता हूं। अध्यक्ष महोदय, मैं आज रात को बिलासपुर जा रहा हूं, मैं कल सवेरे जरूर जाकर बताऊंगा कि अगर आप इस अशासकीय संकल्प का चयन नहीं करते तो चर्चा नहीं होती। अगर ये सब चर्चा नहीं करते तो हमारा मंतव्य शासन तक नहीं पहुंचता और अगर वह मंतव्य शासन तक पहुंच के शासन के मुखिया ने समझा तो हमारी समस्याओं का निराकरण हुआ तो यह है प्रजातंत्र के इस पवित्र मंदिर की ताकत । मुझे इस सत्र में एक खुशी यह हुई कि गांधी जी के नाम से हॉर्टिकल्चर की यूनिवर्सिटी खोलने का प्रस्ताव दिया जो कि हमारी ग्रामीण अर्थव्यवस्था से सीधा-सीधा संबंध है । उससे भी ज्यादा खुशी हुई कि स्वर्गीय नंदकुमार पटेल जी जो हमारे शहीद हैं, जो इस प्रदेश के यशस्वी नेता रहे हैं । सरकार ने उनके नाम को चिरस्थायी बनाने के लिये यह बिल लाकर जो प्रयास किया है मैं उसके लिये माननीय मुख्यमंत्री जी और पूरी सरकार को बधाई देना चाहता हूं ।

माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारे मतभेद हैं, मतभेद हो सकते हैं लेकिन कुछ ऐसे मुद्दे हैं जिस पर कोई मतभेद नहीं हो सकता और यहां पर हम कोई अभिव्यक्ति करते हैं इसका मतलब यह नहीं है कि विपक्ष यहां कुछ बोल रहा है तो हम सत्तापक्ष को अपना दुश्मन समझते हैं या आप कुछ बोल रहे हैं तो आप हमें अपना दुश्मन समझते हैं । यह तो अभिव्यक्ति का मंच है और इस मंच को देने वाले आप हैं और इसीलिए मुझे इस बात की खुशी है कि इस पूरे सत्र के दौरान कहीं पर भी तनाव की स्थिति बहुत ज्यादा निर्मित नहीं हुई । एकाध-दो क्षण आये भी तो वह भी हल्के-फुल्के क्षण आये । यही तो डेमोक्रेसी है, जहां स्वस्थ चर्चा हो और यदि चर्चा करके कोई जनहित के मुद्दे पर हम एकमत होकर अगर पहुंचकर कोई निराकरण कर सकें, उसी के लिये तो हमें यह मंच मिला हुआ है और इसमें आप पूरी तरह से सफल रहे हैं और उसकी सफलता के लिये पूरे सदन ने काम किया है उसके लिये भी आपको बधाई देना चाहता हूं । मैं अंत में अपनी बात समाप्त करना चाहूंगा । माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने उपाध्यक्ष का भी चयन किया । एक होनहार युवा नेता को आपने मौका दिया, माननीय मुख्यमंत्री जी की पार्टी और उन्होंने मौका दिया, वे सदन में बैठेंगे, उनका अनुभव है । माय डियर आदमी हैं, हंसने-बोलने वाले आदमी हैं, दादी आप थोड़ा ख्याल रखते रहना और उनका ख्याल रखना जरूरी है तो उनको भी बधाई ।

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारे प्रमुख सचिव साहब और उनके पूरे सचिवालय और यहां के हमारे कर्मचारियों ने बेहद मेहनत की, हमें मिनट टू मिनट सब कागज मिलते रहे । विधानसभा के रनिंग के कागज आते रहे, रात-रात को हमारे घर में ध्यानाकर्षण का प्रस्ताव आता था, हमको क्या बोलना है, नहीं बोलना है । हम तैयारी कर सकते थे उसके लिये उनको बधाई । सुरक्षा के इंतजाम भी बहुत पुख्ता थे, अच्छा था । प्रमुख सचिव महोदय आपने इस समय जो सुरक्षा की व्यवस्था यहां की उससे निश्चित रूप से अनुशासन स्पष्ट झलक रहा था इसे और बनाकर रखिये, आपको भी बहुत-बहुत बधाई । सभापति तालिका में खासकर के श्री सत्यनारायण शर्मा जी चूंकि अधिकांश रूप से वही लगातार बैठते रहे हैं तो उनको भी बहुत-बहुत बधाई । मैंने अधिकारी दीर्घा में इस सत्र में महसूस किया कि कुछ भरा-भरा था, एकाध-दो छोटे क्षण का छोड़ दें तो अधिकारी दीर्घा में भी पूरा भरा हुआ था। मीडिया के हमारे साथी, अगर वे न कुछ बोलें, अगर वे हमारी ओर न देखें तो कुछ मतलब भी नहीं रह जायेगा इसलिये उनके लिये तो और विशेष रूप से धन्यवाद । माननीय अध्यक्ष महोदय, हम सदन के सभी पक्ष के लोग खासकर के नेता प्रतिपक्ष ने अनेकों गंभीर मुद्दे उठाये । चाहे वह शराब का मुद्दा हो, चाहे वह रेत का मुद्दा हो, चाहे वह ट्रांसपोर्ट का मुद्दा हो, चाहे वह सड़क का मुद्दा हो, चाहे वह रेत उत्खनन का मुद्दा हो, चाहे वह अन्य कोई भी जनहित के मुद्दे हों उस पर खुलकर चर्चा हुई और मुझे अच्छा लगा कि सरकार ने उस चर्चा को बहुत ही गंभीरता से लिया । मैं यह तो नहीं कहता कि सारी समस्याओं का निराकरण हो गया लेकिन मैं यह उम्मीद करता हूं कि उन चर्चाओं से समाधान का रास्ता निकलेगा और वह रास्ता आप निकालेंगे । हम सब मिलकर के अपने प्रदेश की समस्याओं पर खुलकर यहां दिल से चर्चा कर सकें तो निश्चित रूप से रास्ता भी मिलेगा और यह रास्ता दिखाने के लिये आपकी कुर्सी और आप ही सक्षम हैं क्योंकि आपके संरक्षण में, आपके नियंत्रण में ही इस पवित्र सदन में चर्चा करके ही हम उस दिशा में आगे बढ़ सकते हैं, सभी को बहुत-बहुत धन्यवाद

श्री केशव चन्द्रा (जैजैपुर) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, आज इस विधान सभा सत्र का समापन हो रहा है, चलना तो और 4 दिन था । लेकिन नगरीय निकाय के चुनाव के कारण चार दिन पहले स्थगित किया जा रहा है । इतने कम समय में, इस सदन में चर्चा हुई, चाहे वह प्रदेश के किसानों की समस्या हो, रेत की समस्या हो, शराब बंदी की बात हो तमाम विषयों पर बहुत गंभीरतापूर्वक यहां पर चर्चा हुई और हम जनप्रतिनिधि है और सदन ही एक ऐसा माध्यम है जिसके माध्यम से हम किसी समस्या को पूरे प्रदेश में पहुंचा सकते हैं । हम क्षेत्र में किसी समस्या के लड़ते हैं तो वह बात उस क्षेत्र तक ही सिमटकर रह जाती है लेकिन इस सदन में जब हम किसी समस्या को रखते हैं तो उम्मीद करते हैं कि उस समस्या का समाधान हो तो उसका संदेश पूरे प्रदेश में जाता है । मैं धन्यवाद् दूंगा सदन के नेता माननीय मुख्यमंत्री जी को, जिन्होंने विपक्ष की संख्या कम होते हुए भी, जिन जिन विषयों को हमने रखा, उसका उन्होंने सकारात्मक उत्तर दिया, हमको आश्वासन दिया । मैं धन्यवाद् दूंगा नेता

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

प्रतिपक्ष जी को जो क्षेत्र की समस्याओं पर हमारे साथ खड़े रहे । उन्होंने तमाम गंभीर समस्याओं को रखा । मैं माननीय धर्मजीत सिंह जी को भी धन्यवाद देता हूं । विशेष रूप से माननीय संसदीय कार्यमंत्री जी को धन्यवाद देता हूं, सदन को चलाने में चाहे जो भी अवरोध आया हो, जो भी स्थिति परिस्थिति रही हो, उन्होंने अपने व्यवहार से सदन को सुचारू रूप से चलाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा की । हर अवसर पर सत्ता पक्ष से ज्यादा उन्होंने हम लोगों को मौका दिया । सचिवालय के हमारे समस्त अधिकारियों को भी धन्यवाद दूंगा । नेता प्रतिपक्ष जी ने कहा कि उनके सहयोग के बिना सदन चल पाना संभव नहीं है । समय पर प्रश्नों के उत्तर, समय पर सूचनाएं और हम जैसे नये विधायक को किसी मार्गदर्शन की आवश्यकता पड़ जाए तो सचिवालय के हमारे साथियों ने हमको मार्गदर्शन भी दिया । अध्यक्ष महोदय, विशेष रूप में चौथे स्तंभ, चाहे वह इलेक्ट्रानिक मीडिया हो या प्रिंट मीडिया हो । यहां जो भी चर्चा हुई, जो भी निर्णय हुआ, उसको उन्होंने पूरे प्रदेश में पहुंचाया। अध्यक्ष महोदय, आपके संरक्षण के लिए विशेष रूप से धन्यवाद् । सदन में हमारे संरक्षक आप हैं और आपके संरक्षण के चलते ही हम क्षेत्र की समस्या को लोगों की समस्या को यहां रखने में सफल हुए हैं और उम्मीद करते हैं कि यह जो 4 दिवस, जिसमें हम यह उम्मीद लगाए रहते हैं कि प्रश्न लगाएंगे, अपनी समस्याओं को रखेंगे और उस पर चर्चा करके सरकार से समाधान चाहते हैं । भले ही 4 दिन चर्चा नहीं हो पाई, आने वाले समय में जब भी सत्र होगा तो उसमें निश्चित रूप से हमको मौका देंगे । आप सभी लोगों को धन्यवाद् देते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं ।

श्री धर्मजीत सिंह :- अध्यक्ष महोदय, मैं आदरणीय चौबे जी के प्रति भी हाथ जोड़कर आभार व्यक्त करता हूं । आपने हम सबका बहुत ख्याल रखा । मैं नाम लेना भूल गया था, उसके लिए माफी चाहता हूं । चौबे जी का भी बहुत बहुत आभार।

अध्यक्ष महोदय :- अब राष्ट्रगान होगा । माननीय सदस्य राष्ट्रगान हेतु अपने स्थान पर खड़े हो जाएं ।

समय :
5:09 बजे

राष्ट्रगान

(राष्ट्रगान "जन-गण-मन" की धुन बजायी गयी)

अध्यक्ष महोदय :- विधान सभा की कार्यवाही अनिश्चितकाल तक के लिए स्थगित ।

(5 बजकर 10 मिनट पर विधान सभा की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित की गई।)

चन्द्र शेखर गंगराड़े

02 दिसम्बर, 2019 **प्रमुख सचिव**

रायपुर (छत्तीसगढ़) **छत्तीसगढ़ विधान सभा**

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं